राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का छत्तीसवां दिवस** संख्या: 17

शुक्रवार,

07 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री चेतन पटेल कोलाना।

तारांकित प्रश्नोत्तर

इटावा के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

328. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय महाविद्यालय, इटावा में आचार्य व सह आचार्यों तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश के पश्चात् भी राजकीय महाविद्यालय, इटावा के दो सहायक आचार्य/आचार्य को अन्यत्र स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, इटावा में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) राजकीय महाविद्यालय, इटावा में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों को विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/पदोन्नति/अनुकम्पा नियुक्ति पश्चात रिक्त पदो को यथासम्भव नियमानुसार भरा जा सकेगा।

(2) जी हां। राजकीय महाविद्यालय इटावा के दो सहायक आचार्यों को कार्य व्यवस्थार्थ

शिक्षकों की कमी के कारण अन्यत्र स्थान पर लगाया गया था। कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने के आदेश वर्तमान में यथावत हैं।

(3) राजकीय महाविद्यालय इटावा में विज्ञान संकाय खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है आपके माध्यम से कि जो आपने पहले प्रश्न के जवाब में रिक्त पद भरने की बात आप कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, आप खुद बता दें कि कितने प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्त पद हैं? संख्या में आप बता दें, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद आपसे पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और वास्तव में वहां कमी है इसमें कोई दोराय नहीं। स्वीकृत पद हैं 7 और पदस्थापित हैं 4.

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): प्रोफसर, असिस्टेंट प्रोफसर की बात पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): बता रहा हूं, वो ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः पूरा सुन लें एक बार।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): विद्या सम्बल से हमारे पास दो हैं और वर्तमान में वहां पर चार कार्यरत हैं आपके। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर चालू होंगे तो हम विद्या सम्बल से यह व्यवस्था कर देंगे। दूसरी बात, इनके हमारे आर.पी.एस.सी. से पद आ रहे हैं निश्चित रूप से हम जल्दी ही आपके यह व्यवस्था करके आपकी जो समस्या है वास्तव में अपनी सभी की समस्या है लेकिन यहां पर आपके इस कॉलेज में जल्दी ही एक महीने के अन्दर आपकी व्यवस्था करवा दूंगा।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पद तो हैं ही नहीं, रिक्त पद तो तब होगा, मैं डेपुटेशन की बात कर रहा हूं, हमारे जो पद हैं उनको डेपुटेशन पर लगा दिया और जगह। ...(व्यवधान)... दो मिनट।

श्री अध्यक्षः एक सेकंड।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): दूसरी जगह डेप्युट कर दिया उनको आप जब ट्रांसफर करोगे तब वो पद रिक्त होगा। हमारी परेशानी यह हो रही है कि हमारे रिक्त पद हैं ही नहीं, हमारे पद होते हुए भी हमारे विद्या सम्बल योजना से गेस्ट फैकल्टी लगायी जा रही है। यह कितना बड़ा अन्याय है। फैकल्टी है उसको डेपुटेशन पर लगा दिया। मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि जो डेपुटेशन पर आपने हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरी जगह लगाये जरूरत को देखते हुए, जरूरत तो हमारे है तो आप उन डेप्युटेड फैकल्टी को वापस इटावा गवर्नमेंट कॉलेज में लगायेंगे या नहीं लगायेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य व्यवस्था के अनुसार क्योंकि हमारे पास रिक्त पद हर कॉलेज में सब जगह हैं, लेकिन कार्य व्यवस्था के लिए किया गया, जल्दी ही आपके ये भी करते हैं। एक अशैक्षणिक कार्मिक आपके डेपुटेशन पर था उसको हमने कल ही वापस इटावा में लगा दिया है। आप कह रहे हैं उन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात तो हम जल्दी ही आपके इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण राम।

मेड़ता में मनरेगा के तहत कार्य

329. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 तक श्रमिकों को कितने कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाकर पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से स्थाई महत्व के कार्य करवाए गए तथा उन पर कितनी-कितनी राशि श्रम एवं सामग्री पर व्यय हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) विधानसभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में श्रमिकों को 1 करोड़ 79 लाख 92 हजार 5 सौ कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में ग्राम पंचायतों में करवाये गये कार्यों की संख्या व उन पर व्यय श्रम एवं सामग्री मद की राशि का वर्षवार व ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): यह सही है कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में नरेगा रोजगार श्रमिकों को विसंगतिपूर्ण तरीके से कार्य बांटा गया, जिसमें कई मजदूरों को लगातार कार्य दिया गया, कई मजदूरों को कार्य से वंचित रखा गया। क्या सरकार नरेगा मजदूरों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है, जिसमें सभी पात्र श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सके, न कि चुनिंदा व चहेते लोगों को?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आपकी आज्ञा से बताना चाहूंगा कि रियाबड़ी और मेड़ता, जिस तरह से मेड़ता पंचायत समिति में हमने 24.17 लाख मानव दिवस सृजित किये थे और रियाबड़ी में 18.23 लाख का मानव दिवस सृजित किया है जिस तरह से 2019-20 से लगा कर 2024-25 तक अभी तक हमारे पंचायत समिति के माध्यम से कोई बकाया नहीं है। श्रम माध्यम से हमारे जिस तरह

से उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र की तरफ से और 25 प्रतिशत स्टेट की तरफ से है तो उसमें जैसे-जैसे भुगतान होता रहेगा उसी तरह से हम उनका भुगतान करते रहेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला कोई पूरक।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि नरेगा योजना में स्थायी व पक्के काम करवाये जायें। ताकि आम जनता को लाभ मिले। क्या सरकार इसका विचार रखती है?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी और डी, जिस कैटेगरी में जो काम आयेगा उसे हम उस प्रायोरिटी पर लेकर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्याः 330

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ में जल जीवन मिशन योजना

331. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विभाग को कितने कार्यों की स्वीकृति मिली तथा कितने कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक कितने ओवर हैड टैंक कहां-कहां पर बनाये गये तथा उक्त में से कितनों का कार्य पूर्ण एवं कितनों का अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक जल जीवन मिशन योजना के तहत कितनी ढाणियों में पेयजल कनेक्शन किये गए? ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पेयजल कनेक्शन से वंचित ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत किसी भी कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की गई। जल जीवन मिशन के अतिरिक्त अन्य विभागीय योजनाओं में कुल 17 कार्यों की राशि रुपये 452.42 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई। स्वीकृत समस्त 17 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर

संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत 17 विभिन्न जल योजनाओं में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में कुल 19 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक जल जीवन मिशन योजना के तहत किसी भी ढाणी में जल संबंध जारी नहीं किये गये हैं। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विभिन्न ग्रामों में माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में कुल 20614 जल संबंध जारी किये गये हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ की 50 चिन्हित ढाणियों में से 25 ढाणियां जो कि ग्राम की मूल आबादी के समीप होने के कारण विभिन्न विभागीय जल योजनाओं के अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित है। शेष 25 ढाणियों की आबादी बिखरी/एकल घर/खेतों में बसे होने के कारण इनको जल जीवन मिशन के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सर, जवाब आ गया है। मुझे पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): पूरक प्रश्न यह है कि आपने जवाब में मुझे यह कहा है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक दो साल की अवधि में विभाग द्वारा जन जीवन मिशन के अन्तर्गत किसी भी कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

दूसरा, खण्ड 3 में आपने कहा कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक जल जीवन मिशन योजना में किसी भी ढाणी में जल सम्बन्ध जारी नहीं किया गया, तो दो सालों में सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोई भी स्वीकृति जारी क्यों नहीं की गई? और किसी भी ढाणी को जल सम्बन्ध क्यों नहीं किया गया, जबकि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीस प्रतिशत आबादी ढाणियों के अन्दर बसती है तो सूरतगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जो ये जानकारी दे रहे हैं, जल जीवन मिशन में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 इस अवधि में जल जीवन मिशन में सैंक्शन नहीं निकली बाकी दूसरी योजनाओं के अन्दर कुल 17 कार्यों की राशि रुपये 452.42 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं तो जल जीवन मिशन की पूछ रहा हूं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जल जीवन मिशन में जो बाकी

योजना जो रह रही थी विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कुल 481 आबाद ग्रामों एवं 50 चिह्नित ढाणियों में हो सकता है जनवरी 2023 से पहले सैंक्शन निकल गई, पूरी में बता रहा हूं न आपको, बीच के अन्दर कोई टेन्डर कौन-कौन से, विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कुल 481 आबाद ग्रामों एवं 50 चिह्नित ढाणियों में से 413 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु 98 लघु योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति एस.एल.एस.एस.सी. की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की गयी है। इन स्वीकृत योजनाओं का मुख्य सतही जल स्रोत इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली एवं भाखड़ा नहर प्रणाली पर आधारित है। कुल स्वीकृत 98 जल योजनाओं में 35 जल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष: सूरतगढ़ की बता रहे हैं न?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: सूरतगढ़ की ही बताओ इनको।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सूरतगढ़ की ही बता रहा हूं। वो 61 जल योजनाओं का...।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं भी सूरतगढ़ की...।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ जाये फिर आप एक प्रश्न और पूछ लेना।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 61 जल योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है व 2 जल योजनाओं की निविदा अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष 68 ग्रामों में से 1 ग्राम प्रभात नगर स्थानीय निजी जल स्रोत विद्युत तापीय संयंत्र कॉलोनी, सूरतगढ़ लाभान्वित है तथा 67 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की 50 चिह्नित ढाणियों में से 25 ढाणियां ग्राम की मूल आबादी के समीप होने के कारण विभिन्न विभागीय जल योजनाओं के अन्तर्गत घर-घर जल सम्बन्धों द्वारा लाभान्वित है। शेष 25 ढाणियों की आबादी बिखरी/एकल घर/खेतों में बसे होने के कारण इनको जल जीवन मिशन के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सर, वैसे तो यह उत्तर जो मुझे दिया गया है लिखित में वही दुबारा पढ़ा गया है। मेरा जो आपने ही जवाब दिया है उसी का सवाल मैंने पूछा है पर उसका जवाब नहीं आया है।

Kas/rtm/07.03.2025/11.10/1b

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने लिख कर दिया है ढाणियों की आबादी बिखरी/एकल घर/खेतों में बसे होने के कारण विभागीय पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि ढाणियों में जल सम्बन्ध करने के

क्या मापदंड है और क्या इससे पहले जो कनेक्शन किये हैं, वो सब इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं? अब जो ढाणियां बाकी हैं, क्या वो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही हैं? अगर नहीं उतर रही हैं तो फिर 30 परसेंट आबादी को आप कैसे जल सम्बन्ध करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2019 को जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने हर घर पानी पहुंचाने के लिये जल जीवन मिशन चालू किया, तब उसमें गाइड लाइन बनी थी कि कोई भी 20 घर एक जगह हो या 100 की आबादी हो, तो वहां तक पानी पहुंचायेंगे, अगर अलग-अलग खेतों में है तो उनको इस योजना में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी कहीं ऐसा है तो लोकल हैंडपम्प है, ट्यूबवैल है, जहां आवश्यकता है, वहां लोकल सोर्स ही पानी पहुंचाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हर घर पहुंचायेंगे, तो फिर हर घर पहुंचाओ। 50 घर, 5 घर, यह क्या बात हुई? हर घर का मतलब तो हर घर ही है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में छितरी हुई आबादी रहने की वजह से जहां दूसरे राज्यों में प्रति कनेक्शन 50 हजार रुपये आ रहा है, यहां आज लगभग 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति कनेक्शन खर्चा आ रहा है। उसमें 10 परसेंट पैसा और करने के बाद एक कनेक्शन का 1 लाख 8 हजार रुपये अब राजस्थान सरकार भुगत रही है। अगर एक घर के लिये दूर जायेंग तो हो सकता है 5 लाख रुपये एक कनेक्शन का खर्चा आये। जब संसाधन होंगे, आर्थिक रूप से राज्य मजबूत होगा, तो वहां भी जोड़ेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही तो कह रहा हूं कि जब हमारा राज था और हम यही बात कह रहे थे कि राजस्थान में छितराई हुई आबादी है, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को अधिक पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो हम बार-बार लैटर लिख रहे थे, वो ही बात आप कह रहे हो।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न। डाक्टर शैलेश सिंह।

भरतपुर फीडर का जघीना माइनर तक विस्तार

332. डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार भरतपुर फीडर का विस्तार करते हुए जघीना माइनर व जाटोली रतभान माइनर तक जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला प्रशासन को वर्ष 2024 मानसून के दौरान जल भराव की समस्या के निदान हेतु निर्देश दिये गये । इसकी पालना में जल भराव से प्रभावित क्षेत्र एवं भरतपुर फीडर के कमाण्ड को

सम्मिलित करते हुए डीपीआर तैयार किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस डीपीआर में भरतपुर फीडर के कार्य अन्तर्गत जघीना एवं जाटोली रतभान माइनरों को जोडा जाना भी सम्मिलित है। डीपीआर तैयार किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को SOP के बिन्दु संख्या 6 अन्तर्गत समिति द्वारा दिनांक 06.03.2025 को स्वीकृत कर दिया गया है।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला प्रशासन को वर्ष 2024 मानसून के दौरान जल भराव की समस्या के निदान हेतु निर्देश दिये गये । इसकी पालना में जल भराव से प्रभावित क्षेत्र एवं भरतपुर फीडर के कमाण्ड को सम्मिलित करते हुए डीपीआर तैयार किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, यह पढ़ो मत।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): प्रश्न पर ही आ रहा हूं। प्रस्तावित डीपीआर कब तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भरतपुर फीडर की डीपीआर हेतु भारत सरकार के उपक्रम की दरें प्राप्त कर स्वीकृति कर दी गई है। कार्य शीघ्र ही प्रारंभ 6 माह में डीपीआर तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: और कुछ पूछना है?

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, जघीना माइनर जाटोली रतभान माइनर से कितने-कितने क्षेत्र में कौन-कौन से गांव लाभान्वित हो सकेंगे, यह बताने का श्रम करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जघीना माइनर से 4978 हैक्टेयर व जाटोली माइनर से 4606 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अंतर्गत तहसील भरतपुर व राहर के ग्राम ताखा, धोरमुई, सेंतरा, बिठोली, जाटोली, कोलीपुरा, पीपला, बाखोई, तमरोली, मोरोलीकलां, मोरोलीखुर्द, हथेली, नंगला, हथेली, जघीना, इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित हो सकेंगे।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): धन्यवाद मंत्री महोदय।

प्रश्न संख्या : 333

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। महंत बालकनाथ।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री कंवर लाल।

बारां नगर परिषद् में जारी फर्जी पट्टों पर कार्यवाही

334. श्री कंवरलाल (अंता): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, बारां द्वारा वर्ष 2021 से 2024 में पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में नगर परिषद, बारां की भूमि के फर्जी पट्टे जारी किये जाने के संबंध में नागरिकों द्वारा प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं? यदि हां, तो दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त फर्जी पट्टे जारी करने वाले अधिकारी तथा तत्कालीन सभापति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 तक कुल 1448 पट्टे जारी किये गये हैं। जारी किये गये पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :-

	स्टेट ग्रांट	69-ए	कच्ची बस्ती	राजकीय भूमि नियमन
2021	82	79	90	NIL
2022	NIL	348	NIL	25
2023	NIL	397	NIL	395
2024	NIL	05	NIL	27
	82	829	90	447

(2) जी हां। उक्त अवधि में 4 फर्जी पट्टे जारी हुए थे यह सभी पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं। फर्जी पट्टों के विरूद्ध आम नागरिकों द्वारा 2 प्रकरण दर्ज करवाये गये। दर्ज करवाये गये प्रकरणों का तथा निरस्त किये गये पट्टों का विवरण, पट्टा निरस्ती के आदेशों की प्रति, दैनिक समाचार पत्र में इस बाबत हुए प्रकाशन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरणों में एक प्रकरण संख्या 509/2024 में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कोटा से जांच करवाई गई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दूसरे प्रकरण संख्या 12/2025 में जिला कलेक्टर, बारां से जांच करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है, लेकिन पूरा जवाब गलत है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, जवाब में बताया है कि 4 फर्जी पट्टे जारी हुए थे, जिनको 10.11.2022 को निरस्त करना बताया है। जबकि इसी पट्टे की दिनांक 21.2.2023 को

रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद भी 7.6.2023 रजिस्ट्री विष्णु गर्ग के नाम से हुई है, उसके बाद दिनांक 6.10.2023 को नगर परिषद ने निर्माण स्वीकृति जारी की है। आप जवाब दे रहे हैं कि पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं। मेरे पास रजिस्ट्री एवं निर्माण स्वीकृति की प्रतियां हैं। क्या सरकार इस तरह से विधान सभा पटल पर गलत सूचना भिजवाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखती है? अगर हां, तो कब तक फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में इतने कागजात होने के बाद भी उस सभापति को एवं अधिकारियों को क्यों बचा रखा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले फर्जी पट्टे बनाये, फिर उनको निरस्त किया और फिर रजिस्टर्ड किया और फिर गलत जवाब दिया। क्या आप इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दें। माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि में विभिन्न श्रेणी में कुल 1448 पट्टे जारी किये गये थे। उक्त अवधि में 166.66 वर्ग गज के 4 फर्जी पट्टे जारी होने का तथ्य संज्ञान आने पर परिषद द्वारा कार्यवाही करते हुए इन पट्टों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 (ख) के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया गया। इन पट्टों के निरस्त करने के सम्बन्ध में संवाद के माध्यम से आमजन के सूचनार्थ दिनांक 10.11.2022 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवा दी गई थी। इन पट्टों के विरुद्ध आम नागरिकों द्वारा दो प्रकरण, प्रकरण संख्या 524-2024 परिवादी वार्ड नंबर 24 के पार्षद श्री शिवराज महावर द्वारा एवं प्रकरण संख्या 12/2025 परिवादी श्री तेजस सुमन, निवासी बारां द्वारा दर्ज करवाये गये थे।

इन प्रकरणों में परिषद् के तत्कालीन सभापति, पूर्व सभापति, आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, सम्बन्धित लिपिक और डाक शाखा प्रभारी के साथ-साथ पट्टा धारकों को पक्षकार बनाया गया था। विभाग को इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा से प्रकरण संख्या 524/2024 के सम्बन्ध में जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट एवं प्रस्तुत निष्कर्ष के आधार पर विभाग द्वारा परिषद के तत्कालीन आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, सम्बन्धित लिपिक और डाक शाखा प्रभारी लिपिक के विरुद्ध आरोप पत्रादि प्रेषित किये गये हैं। जिनके आधार पर इन सभी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रकरण संख्या 12/2025 में जिन कलेक्टर, बारां को जांच हेतु दिनांक 10.1.2025 को लिखे गये पत्र के क्रम में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि पट्टे निरस्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, डिक्री हुई और निर्माण स्वीकृतियां जारी हुईं। अगर ऐसा कुछ

हुआ है तो इसकी जांच करवा कर, जो भी दोषी कर्मचारी/अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा, उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, गत सरकार में चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में वर्ष 2023 में सरकारी भूमि के 395 पट्टे जारी किये गये, क्या आप इनकी जांच कराने की मंशा रखते हैं? पूर्व में 4 पट्टों की जांच हुई है, चारों पट्टे फर्जी निकले हैं। इन चारों में गत सरकार के मंत्री +++ का नाम दर्ज है ...

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, केवल गत मंत्री।

श्री कंवरलाल (अंता): एफआईआर में नाम दर्ज है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... यहां पर्सनल नहीं निकालना है। ....(व्यवधान).... सदन को हथियार मत बनाओ। ....(व्यवधान)....

श्री कंवरलाल (अंता): इन चारों पट्टों में एफआईआर में नाम दर्ज है। ....(व्यवधान).... आप बचाने के चक्कर में बार-बार खड़े मत हो जाया करो, एफआईआर में नाम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मेरे से बात करो। माननीय सदस्य, किसी का नाम नहीं लेंगे, आप प्रश्न पूछो। सदन में नाम नहीं ले सकते।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, फिर और लोगों का नाम क्यों लिख दिया, उसका नाम क्यों नहीं लिखा?

श्री अध्यक्ष: किसी का नहीं है, बैठिए। अगला प्रश्न। श्री ताराचन्द जैन।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): मेरा उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नंबर, पहले प्रश्न पूछो, प्रश्न संख्या।

उदयपुर में निगम बसों का संचालन

335. श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कितनी बसों का संचालन शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के किन-किन मार्गों पर बसें संचालित हैं? मार्गवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बस सेवा से वंचित मार्गों पर बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

Msk/rtm/07.03.25/1120/1c

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई बसों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित राजस्थान राज्य

पथ परिवहन निगम बसों का मार्गवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा मार्गों पर 20, नगरीय श्रेणी मार्गों पर 255, उप नगरीय मार्गों पर 292 तथा अन्य श्रेणी मार्गों पर 170 कुल 737 निजी बसों का संचालन किया जा रहा है।

(3) निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम द्वारा वर्तमान में संचालित बसों के अतिरिक्त बसों का संचालन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में की गई घोषणा ''प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जायेगी' के तहत परिवहन सेवा से वंचित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को लोक परिवहन सेवा की बसों से जोडा जाना प्रस्तावित है। राज्य में लोक परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन किए जाने हेतु वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निगम द्वारा दिनांक 31.01.2025 को निविदा जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अब पूछिये।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जितनी बसों की कमी है, वह तो जुटाने के लिए आपने उत्तर में बताया है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ और परिचालकों की है। उस कमी से भी विभाग गुजर रहा है, वह कमी कब पूरी होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहन और परिचालकों की, हमारे पास जितनी बसें हैं, वे परिचालकों और ड्राइवरों से चल रही हैं, यह कहना गलत है। मैं यह कह रहा हूं कि अब जो लोक परिवहन बस सेवा, आगे आपके कोई रूट है, कोई ग्रामीण बसें चलवानी हैं, उसके बारे में आप जरूर बतायें, निश्चित रूप से आप के चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपका जो जवाब है, दूरस्थ क्षेत्रों का हैं। मतलब दूर क्षेत्रों को जयपुर को या जिलों को आपस में जोड़ने की योजना है या ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर गांव और पंचायतों को जोड़ने की योजना है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): लोक परिवहन बस सेवा, जो ग्रामीण बस सेवा है, वह शहर से आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शिमला देवी।

अनूपगढ़ में डिग्गी निर्माण के आवेदन

336. श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2023 व 2024 में कितने किसानों द्वारा डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन किया गया? उक्त में से कितने किसानों को स्वीकृति जारी की गयी तथा

कितनों की किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से कितने किसानों को राशि स्वीकृत किया जाना शेष है? सरकार द्वारा शेष की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (माननीय कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में अब तक 2408 किसानों ने डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन किया, वर्ष 2023-24 व 2024-25 से पूर्व के वर्षो की लम्बित रही पत्रावलियों का विभागीय दिशा निर्देशानुसार आवेदन वरीयता क्रमाक के अनुसार चयन होने के कारण इन वर्षों की पत्रावलियों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी । डिग्गी निर्माण के सीमित लक्ष्य होने के कारण उक्त अवधि में वर्ष 2023-24 व 2024-25 से पूर्व वर्षो के 467 लम्बित आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृत जारी की गई है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 व 2024-25 के प्राप्त 2408 आवेदनों की स्वीकृति जारी किया जाना लम्बित है।

(2) उक्त 2408 आवेदनों की डिग्गी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना शेष है। शेष रहे किसानों की डिग्गी निर्माण हेतु स्वीकृति वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जवाब आया था, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2023-24..।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछ रही हैं कि जवाब पूछ रही हैं?

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सर, मेरे को जो उत्तर दिया है, उसका मैं बता रही हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक बोलें।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): उस उत्तर में मैंने 2023-24 का पूछा था, इन्होंने मेरे को 2020-21 से 2022 तक का डिग्गियों का दिया है। मैं मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में से कितने आवेदन हैं, जिनको डिग्गी से लाभान्वित किया गया है व अनूपगढ़ विधान सभा में कुल कितने आवेदन सिंचाई डिग्गी के आज दिनांक तक शेष हैं, जिनकी अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकली है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा, विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में अब तक 2408 किसानों ने डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन किया, वर्ष 2023-24 व 2024-25 से पूर्व के वर्षों की लम्बित रही पत्रावलियों का विभागीय दिशा निर्देशानुसार आवेदन वरीयता क्रमांक के अनुसार चयन होने के कारण इन वर्षों की पत्रावलियों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। डिग्गी निर्माण के सीमित लक्ष्य होने के कारण उक्त अवधि में वर्ष 2023-24 व 2024-25 से पूर्व वर्षो के 467 लम्बित आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृत जारी की गई है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 व 2024-25 के प्राप्त 2408 आवेदनों की स्वीकृति जारी किया जाना लम्बित है।

उक्त 2408 आवेदनों की डिग्गी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना शेष है। शेष रहे किसानों की डिग्गी निर्माण हेतु स्वीकृति वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

माननीय सदस्या जो जानकारी चाह रही है, पहले डिग्गी का रेंडमाइजेशन/लॉटरी के आधार पर स्वीकृति जारी करने का प्रावधान था, लेकिन वहां पर जब काफी अधिक मात्रा में जब आवेदन आने शुरू हुए और उसके अन्दर पूर्व के वर्ष 2021-22, 2022-23, 2024-25, आज वहां पर स्वीकृति के लिए आवेदन किया है, वहां पर कहीं पर भी क्रमांक ठीक नहीं होने के कारण इसको क्रमांक से पिछले वर्षों में लंबित सारी डिग्गियों के क्रम अनुसार आवंटन करना शुरू किया है। 2023-24, 2024-25, इनका भी क्रमशः नंबर आ जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 7 से 8 हजार लंबित हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसको शीघ्रातिशीघ्र करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः वहीं बैठ जाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको पहचान लूंगा।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): मेरा मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न है कि श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई डिग्गी के ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनका आवेदन करने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व निधन हो गया है। इन प्रकरणों में क्या आवेदनकर्ता के निधन के बाद उनके आवेदन को निरस्त किया गया है। अगर हां, तो ऐसे कितने आवेदन हैं और क्या सरकार मृतकों के वारिसों को आवेदन की वरीयता का लाभ देना चाहती है या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आप इस तरह से मृतकों के बारे में जानकारी लेना चाह रही हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हैं, क्योंकि पूर्व में जब लॉटरी का सिस्टम था। लॉटरी सिस्टम में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कोई आज वहां पर आवेदन करना है, उसका नंबर आ रहा है, चार वर्ष पूर्व वाले का.. इसीलिए हमने यह क्रम बनाया है। क्योंकि पहले वरीयता का मामला नहीं था, क्रमशः नहीं था तो एक ही परिवार से दो-दो तीन-तीन चार-चार लोग भी एप्लाई कर दिया करते थे। यदि आपको इसकी और भी जानकारी जुटानी है, तो मैं आपको। मृतकों के लिए अभी तक तो कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय जी, 3 तारीख का लैटर है, जिसमें विभाग से ऑर्डर निकला है। जिसमें कृषि विभाग की डीबीटी योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में इसमें पूरे विस्तार से मंत्री जी आपके विभाग की तरफ से लैटर जारी किया गया है कि मृतक के जितने भी वारिस हैं, उनकी आपसी सहमति करके उनको वरीयता दी जाये। यह लैटर आपके विभाग का है और इसी 3 मार्च का है।

श्री अध्यक्षः इसको चैक करें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): बिल्कुल, मैं इसकी जानकारी लेकर

आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सर, मैं आपसे भी निवेदन करती हूं कि वारिसों को जब हम जमीन का हक देते हैं तो डिग्गी का क्यों नहीं देते। जिसने आज आवेदन किया, वह दस साल तक वेट करेगा? डिग्गी अगर नहीं मिलती है, जहां पानी कम है तो ट्यूबवैल के माध्यम से किसान अपनी खेती करता है तो वह अपनी फसल को कैसे बचायेगा।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): इससे पूर्व सरकार के पास सिर्फ 4 हजार डिग्गियों का, इन चार जिलों में किया जाता है। अभी हमारी बजट घोषणा में, पहले 5 हजार थी, इसको डबल करके अब 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जा सके, यह भी प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह शेखावत।

थानागाजी पंचायत समिति की पंचायतों को आवंटित राशि

337. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पंचायत समिति थानागाजी के अधीन ग्राम पंचायतों को विगत पांच वर्षों में पंचायत समिति मद से SFC/FFC/United के अंतर्गत किस ग्राम पंचायत को, कितनी राशि आवंटित हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का आवंटन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति के अधीन आने वाली किन-किन ग्राम पंचायतों को उक्त अवधि में पंचायत समिति मद से SFC/FFC/United के अंतर्गत किन कारणों से राशि आवंटित नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पंचायत समिति थानागाजी के अधीन निम्नलिखित ग्राम पंचायतें आती हैं। जिनको पंचायत समिति मद से निम्नानुसार राशि का आंवटन किया गया है:

योजना SFC (राशि रुपये लाखों में)

ग्राम पं0	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बामनवास कांकड			10.00	20.00	
मुण्डावरा		5.00	15.00		
खरखडी कलां		10.00	10.00		
नारायणपूर			40.00		
कालाहेडा				10.00	
गढी		5.00			

योजना FFC/Untied

ग्राम पं0	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बामनवास कांकड		4.00			
मुण्डावरा					30.00
विजयपुरा	6.00				
खरखडी कलां		4.00			
अजबपुरा			10.00		
कानपुरा लॉज	7.00	9.00			10.00
चान्दपुरी	5.20	3.00			
गढी					10.00

(2) पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश, ब्लॉक पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन अनुसार उक्त राशि का आवंटन किया गया है। उक्तानुसार साधारण सभा की कार्यवाही संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) उक्त पंचायत समिति के अधीन आने वाली सभी 38 ग्राम पंचायतों (विधानसभा क्षेत्र थानागाजी की 29 ग्राम पंचायत एवं विधानसभा क्षेत्र बानसूर की 9 ग्राम पंचायत) को SFC/FFC/United के अन्तर्गत उक्त समयावधि के दौरान अनुदान राशि आंवटित की गई है। पंचायत समिति थानागाजी के अधीन ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, जिसको विगत पांच वर्षो के दौरान पंचायत समिति अनुदान मद से राशि आवंटित नहीं की गई है।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिल चुका है। पूरक प्रश्न के रूप में मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि हमारे वहां तीन पंचायतों में बिल्कुल पैसा मिला है और जिन पंचायतों में मिला है, उनमें ऐसा लगता है कि पूर्ण नियमों का पालन नहीं हुआ। उसके बारे में अलग से मंत्री जी से मैं मेरी जानकारी मांग लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, जो पूछना चाह रहे हैं।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी सीसी और इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, इनका जीवनकाल 10 साल होता है, ग्रेवल सड़कें जो कि पंचायत से बनती हैं, उनका जीवनकाल पांच साल का होता है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानकारी लेना चाहूंगा कि इस निर्धारित अवधि में कोई सड़कें दो बार तो नहीं बनी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने पूछा है कि तीन ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिला है। पंचायत समिति में माननीय सरपंच गण, माननीय विधायकगण, माननीय पंचायती समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण डिमांड करते हैं और वहां काम की आवश्यकता के अनुसार मिलता है। फिर भी इसमें पैसा नहीं दिया है तो

मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी मांग दें, इनमें मैं स्वीकृति कराने के निर्देश देता हूं। दूसरा निवेदन यह है, इन्होंने कहा है कि सड़क एक बार बन गयी, फिर उसकी अवधि नहीं हुई, उससे पहले दुबारा बन गयी। यदि ऐसे बनी है, या तो टूट गयी होगी। टूटी तो क्यों टूटी, टूटने पर बनाया तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा, जिसका सुपरविजन का काम था। इंजीनियर ने बनाया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यदि समय से पहले बना दी होगी, बिना टूटे ही, तब भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक सड़क को दो बार बनाना ठीक नहीं, जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाये कि कितने साल का उसका जीवनकाल है। उससे पहले बनाना ठीक नहीं। दुबारा जब ही बनती है, या तो वह टूट जाती है। या तो उन्होंने पहले लो क्वालिटी की बनायी होगी, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। यदि लो-क्वालिटी की नहीं थी, ठीक थी, फिर भी बना दी, तब भी उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, और पूछना है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे आपको प्रस्ताव दे दें और आप उसको करा देंगे तो क्या पंचायत समिति मद के पैसे में आप इंटरफेयर कर सकते हैं?

mdp/rtm/07.03.25/11:30/1d

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैंने निर्देश देने की बात की है। मैंने करा देने की बात नहीं की।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह आदेश गलत हो जाएगा। पंचायत समिति का बजट जो है, पंचायत समिति की साधारण सभा ही बांटती है। वह उनके जो सदस्य हैं, उनका अधिकार है। उस पर आप निर्देश नहीं करें, आपके पास कई फंड हैं, उनसे दे दीजिए।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अनियमित नहीं कर सकती कोई भी साधारण सभा। उनको भी विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आवश्यकता है तो करना ही पड़ेगा। ऐसे अनियमित नहीं कर सकते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, अनियमित की बात नहीं है। वह उनका विशेषाधिकार है, उन सदस्यों का। वे अपने आधार पर उसका बंटवारा करेंगे, पंचायत का पैसा सरपंच और उनकी ग्राम सभा करेगी। जिला परिषद का पैसा जिला परिषद की डीआरडी की बैठक करेगी। इसी प्रकार से पंचायत समिति की साधारण सभा करेगी। आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण न करें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कोई पंचायत समिति सदस्य अनुपस्थित हो और उसकी बिना राय के ही आप सब निर्णय कर लें। या तो उससे पूछो कि तुमने क्यों नहीं दिया है, आप दीजिए।

श्री अध्यक्षः सब नियमानुसार करें। अगला प्रश्न श्री अंशुमान सिंह भाटी।

भू-जल विभाग का जलदाय विभाग में समायोजन

338. श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जोधपुर व बीकानेर सम्भाग में भू-जल वेधन के लिए रोटरी व डीटीएच वेधन हेतु निर्धारित संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में कार्यरत कर्मचारियों को जलदाय विभाग में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भू-जल विभाग का जलदाय विभाग में समायोजन कर निजी क्षेत्र से नलकूप वेधन का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जी हां। जोधपुर एवं बीकानेर संभाग मे भू-जल वेधन के लिए रोटरी वेधन इकाई तथा डी.टी.एच. वेधन इकाई के लिए क्रमशः 125 मीटर तथा 500 मीटर वेधन का प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक रोटरी वेधन इकाई के समुचित संचालन हेतु विभागीय नॉर्म्स के अनुसार 13 कर्मचारियों की आवश्यकता रहती है। मीडियम तथा लो ड्यूटी डी.टी.एच. वेधन इकाईयों हेतु विभागीय नॉर्म्स 08 कर्मचारियों का है। जोधपुर एवं बीकानेर संभाग की वेधन इकाइयों में उक्तानुसार कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, अपितु स्वीकृत नार्म्स से काफी कम कार्यरत हैं, जिसकी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। भू-जल विभाग की ड्रिलिंग विंग के सुदृढ़ीकरण हेतु जलदाय विभाग की ड्रिलिंग विंग का समायोजन भू-जल विभाग में किया गया है। जिसकी सूचना परिशिष्ट -ब पर संलग्न है।

(2) निजी क्षेत्र में नलकूप वेधन कार्य औसतन कम समय में किया जाता है, जो नलकूप की गहराई भू-संरचनाओं के प्रकार पर निर्भर करता है तथा विभिन्न स्थानों पर वेधन अवधि भिन्न हो सकती है। भू-जल विभाग के समायोजन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार नलकूप वेधन कार्य भू-जल विभाग तथा निजी क्षेत्र दोनों से करवाया जा रहा है।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): भू-जल विभाग के भू-जल वेधन हेतु रोटरी मशीन से 125 मीटर व डी.टी.एच. मशीन से 500 मीटर प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि रोटरी वेधन इकाई में 13 कर्मचारी व डी.टी.एच. में 8 कर्मचारी निर्धारित किये गये हैं। परंतु बीकानेर खंड में 85 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कई मशीनों पर मात्र एक कर्मचारी है। जब हम किसी निजी फर्म से ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो 3 से 5 दिन में काम हो जाता है और हमारे ये काम एक महीने में होता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब हम वेधन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, न हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, न हम समय पर नलकूप खोद पा रहे हैं। क्या सरकार भू-जल विभाग को बंद कर मर्ज करने का विचार रखती

है? यदि नहीं, तो विभाग बीकानेर खंड के 85 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां तो कब व कैसे रिक्त पदों को भरा जायेगा?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में 30 वर्ष से पुरानी मशीनें हैं। जो आज नयी टेक्नोलोजी की मशीनें काम करती हैं, वे नहीं कर पा रही हैं और 85 परसेंट हमारे पद भी खाली हैं। उनके लिए हम भर्ती की प्रक्रिया के लिए फाइनेंस विभाग में भेज रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि विभाग को बंद कर देना चाहिए। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भू-जल विभाग का उद्देश्य केवल ड्रिलिंग करना नहीं है, पानी निकालना। ये काम जलदाय विभाग के पास है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के भू-जल संसाधनों का आकलन, संरक्षण एवं प्रबंधन करना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संस्थानों केलिए पेयजल स्रोतों की फिजिबिलिटी प्रदान करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए सतत पेयजल स्रोतों एवं विभन्न पुनर्भरण संरचनाओं का संचयन करना, राज्य के भू-जल संसाधनों का रासायनिक विश्लेषण करना, राज्य के भू-जल संसाधनों का सर्वे करना एवं भू-जल स्तर में परिवर्तन का मापन करना। एक्सप्लोरिटी नलकूपों, भू-जल मापन संरचनाओं का निर्माण करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य एवं केन्द्रीय विभिन्न संस्थानों हेतु नलकूप एवं हैंडपंप का निर्माण कार्य करना। कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण संस्थाओं का निर्माण तथा निर्माण कार्य हेतु तकनीकी परामर्श प्रदान करना। इसलिए इसको बंद नहीं कर सकते।

रही भू-जल विभाग में वेधन कार्यों, ड्रिलिंग में प्राइवेट क्षेत्र की तुलना में अधिक समय लगने का जो कारण है, भू-जल विभाग की अधिकांश वेधन इकाइयां 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, जिसके कारण इनकी मरम्मत व रख-रखाव में अधिक समय लगता है। इन इकाइयों की क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में कम है। निजी क्षेत्र की इकाइयां तकनीकी क्षमता से पूर्ण हैं।

श्री अध्यक्षः थोड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिए, समझ में नहीं आयेगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जितने पद हैं, इनको भरेंगे। इसको हम बंद नहीं कर सकते।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): एक पूरक प्रश्न और है कि जैसे हमारी जितनी भी नलकूप खोदने के लिए जो वेधन मशीन हैं, बीकानेर के अन्दर जोधपुर से एक मशीन आयी थी, वह पिछले डेढ़ महीने से बंद पड़ी है और जोधपुर में खड़ी है। साथ ही साथ जो हम केसिंग डालते हैं, अभी 8 इंच की डालते हैं, बल्कि जो हम घर में ट्यूबवेल खोदते हैं, उसमें 10 इंच की केसिंग डालते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं फिर कह रहा हूं पीछे मुडकर दूर बात

करेंगे, या तो पीछे जाकर बात कीजिए। आप वरिष्ठ हैं।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): मैं पूछना चाहूंगा की बीकानेर व पाली खंड में कितनी पुरानी डी.टी.एच. रोटरी मशीन कार्यरत है। क्या सरकार उक्त मशीन बदलने का और नयी मशीन खरीदने का विचार रखती है? केसिंग के लिए 8 इंच की जगह 10 इंच की केसिंग का उपयोग करने का सरकार विचार रखती है?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले कार्यकाल में केवल थोड़ी-सी ड्रिलिंग की वजह से उन ट्यूबवेलों को फेल बताते हुए जो नये लेते थे, उनके लिए हमने भू-जल विभाग की जो भी मशीनें हैं, उनको यूज में हम जोधपुर में व बीकानेर में ले रहे हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें होगी तो दिखवाकर ठीक करवा देंगे। माननीय सदस्य ने जो बताया है, वह मुझे लिखित में दे दीजिए, कोई संशोधन करना पडा तो संशोधन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भैरा राम।

माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने की योजना

339. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की डी.पी.आर. बनाने हेतु तकनीकी आंकलन करवाया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के जिलों में भी सिंचाई के लिए ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर डब्ल्यू.आर.सी.पी. लाने हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की डी.पी.आर. बनाने से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य भारत सरकार के उपक्रम वेपकॉस द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राप्त संशोधित इन्सेपसन रिपोर्ट का परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

(2) परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी उपादेयता के आधार पर डी.पी.आर. बनाने हेतु बजट प्रावधान बाबत विचार किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आ गया क्या?

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार उत्तर भारत की नदियों के पानी को डायवर्ट करके अपने मारवाड़ के सभी जिलों में किसानों को नहरी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने हेतु कोई अलग से वेस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना की डी.पी.आर. बनाकर लाभान्वित करने के बार में विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओसियां से आने वाले माननीय वरिष्ठ विधायक को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा देश की नदियों को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंक्स का चिन्हिकरण किया गया है। इन चिह्नित लिंक्स में प्रदेश से सम्बन्धित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना तथा हिमालय की नदियां अंतर्गत शारदा, यमुना राजस्थान तथा राजस्थान साबरमती लिंक के तीन चरण सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): हिमालय की नदियों के अंतर्गत राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा, यमुना, यमुना राजस्थान तथा राजस्थान साबरमती लिंक हेतु तीन अलग-अलग फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): परंतु इसमें कार्य आगे जैसा कि डी.पी.आर. बनाना आदि हेतु सभी सम्बन्धित राज्य यथा उत्तराखंड..।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उन्होंने जो पूछा है, वह उत्तर दीजिए, इसको पढ़ना नहीं है। जो पूछा है, उस तक सीमित रहिए। हम पूरे नियम, नियमावली...।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। दो देशों का मामला है। नेपाल के हित भी जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हित भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के हित भी जुड़े हुए हैं, इसलिए...।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने पूछा लूनी नदी का है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): नहीं, पूरे उत्तर भारत का पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। बस हो गया, दो लाइनें और हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु इसमें आगे कार्य हो जैसे कि डी.पी.आर. बनाना आदि सभी सम्बन्धित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा नेपाल के मध्य आपसी सहमति बनना जरूरी है और भारत सरकार इस हेतु लगातार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा गठित स्पेशल कमेटी ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर द्वारा बैठक कर सहमति के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में टॉस्क फोर्स का गठन भी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, वह तो अच्छा है। इसके साथ में ही जो मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा जो वेपकॉस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, उसके आने का समय कोई निर्धारित है? इसके अलावा मारवाड़ के सभी जिलों में गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए मरुस्थलीय किसानों के प्रत्येक खेत सिंचाई केलिए नहरी पानी पहुंचाने के लिए उत्तरी भारत की नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, जिनका पानी पाकिस्तान की ओर

जाता है और इसके अलावा घग्घर जो नदी है, यमुना है, इनका भी हरियाणा और पंजाब में जो नुकसान हो रहा है, उस पानी को डायवर्ट करके हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर खासकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): इन जिलों के अन्दर डब्ल्यू.आर.सी.पी. योजना आपके ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर बनाने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां या ना, नहीं पूरा बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2023 की अनुपालना में वेपकॉस संस्था को पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्यादेश दिया गया है। इस फिजिबिलिटी अध्ययन में माही बेसिन के अधिशेष जल को कड़ाना बांध से सुजलाम सुफलाम नहर के माध्यम से जालोर जिले को पानी उपलब्ध कराए जाने का अध्ययन किया जा रहा है। वेपकॉस द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 द्वारा राज्य में रन ऑफ वॉटर ग्रिड स्थापित करने के एक घटक के रूप में माही बेसिन के अधिशेष जल को अन्य रास्ते में पड़ने वाले बांधों का पुनर्भरण करते हुए जवाई बांध में अपूरित करते हुए जालोर जिले तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। इसकी डी.पी.आर. व पी.एफ.आर. बनाने की स्वीकृति भारत सरकार के उपक्रम वेपकॉस को जारी कर दी गयी है। जल्दी ही इसकी रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्रीमती गीता बरवड़।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष जी, एक आखिरी है।

श्री अध्यक्षः आपके दो हो गये। आपमिल लेना।

सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को समान वेतन श्रृंखला

340. श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड से चयनित कार्मिकों का वेतन किस पे-बैंड के आधार पर निर्धारित किया गया है?

(2) क्या परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर कार्मिकों को समान वेतन श्रृंखला से निर्धारित वेतन दिए जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित कार्मिकों को संबंधित समिति में लागू वेतनमान के अनुसार वेतन देय है।

(2) जी नहीं। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित कार्मिकों को संतोषप्रद परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत संबंधित समिति में लागू वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है।

राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में समान रूप से वेतनमान लागू नहीं है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका है। मेरे दो पूरक प्रश्न हैं। क्या सहकारी समितियों पर रेप्सर एक्ट, 1999 लागू होता है?

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

Ans/rtm 11.40 1e 07.03.2025

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि सहकारिता की भर्ती है वह सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से होती है, उसके अपने सेवा नियम है, उसके आधार पर लागू होता है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): मेरा दूसरा प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक का उत्तर आ जाने दो।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): अगर लागू होता है तो राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा दिनांक 24.03.2022 को परिपत्र के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 का लाभ सहकारी समितियों को अभी तक क्यों नहीं दिया रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि सहकारी समिति में जो समितियां हैं वे स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और उनके अपने एक आधार बने हुए हैं। राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में विभिन्न वेतन मान लागू है, उक्त समितियों में निम्न शर्तों की पूर्ति होने के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत वेतनमान का लाभ उनके स्थाई कर्मचारियों को दे सकती है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति विगत तीन वर्षों से लाभ में अर्जित कर रही हो तो, विगत तीन वर्षों से उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो तो, क्रय-विक्रय सहकारी समिति संचित हानि की स्थिति नहीं हो, संस्था द्वारा नियम, अधिनियम एवं उप विधियों के अंतर्गत गठित कोषों में आवश्यक वि-निधान कर दिया गया हो, संस्था द्वारा अपने सदस्यों को नियमानुसार लाभांश का भुगतान कर दिया गया हो अथवा इस आशय के प्रावधान कर दिये गये हो।

कर्मचारियों को उक्त के इस सम्बन्धित लाभ दिये जाने के पश्चात भी संस्था हानि की स्थिति में नहीं आये। समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि समिति आगामी वर्षों में अपना व्यवसाय इस प्रकार बढ़ायेगी कि व्यवसाय से होने वाले लाभ उक्त व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो तथा समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त वेतन सम्बन्धित लाभ दिये जाने के पश्चात वेतन एवं प्रशासनिक ख़र्चे वर्ष के सकल लाभ से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। कर्मचारियों को प्रस्तावित वेतन मान का लाभ दिये जाने के पश्चात संस्था हानि की स्थिति में नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्या?

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

बगरू में गैर अनुमोदित कॉलोनियों पर कार्यवाही

341. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या नगरीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में गैर अनुमोदित अवैद्य कॉलोनियां काटी जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में कहां-कहां पर कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त कॉलोनियों पर कार्यवाही के उपरान्त भी वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बगरू विधानसभा क्षेत्र में दौराने भ्रमण एवं प्राप्त शिकायतों पर नवीन अवैध एवं गैर अनुमोदित कॉलोनिया संचालित होना पाये जाने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। पिछले 01 वर्ष में ध्वस्त की गई कॉलोनियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित किये जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही की जाती है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर अनुमोदित कॉलोनियों पर कार्यवाही के उपरान्त पुनः कार्य किया जाना संज्ञान में आने पर पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित होने से रोकने के लिए निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक क्वेश्चन है कि सोसाइटियों द्वारा कॉलोनियां काटी जाती है, उनमें एक ही भूखण्ड से अधिक पट्‌टे देने की शिकायतें जनसुनवाई के दौरान हमारे पास आती है। एक सोसाइटी ने एक जमीन के ऊपर पट्‌टे दे दिये और कुछ समय वह सोसाइटी ही उन्हें पट्‌टे दे देती है, क्या इन सोसाइटियों के ऊपर सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? मेरा पहला पूरक क्वेश्चन।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को तथा माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत होता है। सहकारिता अधिनियम में पंजीयन होने के बाद उनकी अनियमितता पर कार्यवाही करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है 1990 से 1998 के कालखण्ड में सरकार के समय इस विषय पर विस्तृत चर्चा, परिचर्चा मंत्रिमण्डल में व सरकार में होने के बाद जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां थी, उस अवधि तक उन्होंने जितनी कॉलोनियां विकसित कर रखी थीं

उनकी सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ-साथ नगर निकायों को उपलब्ध करवाई गई थी, जिसकी बुकलेट छाप कर आमजन को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाई जाती थी।

उसके बाद इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और यह बिलकुल सत्य है कि लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि एक-एक प्लॉट के दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पट्टे पुरानी तिथि में जारी किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतों पर मुक़दमे भी दर्ज हुए। कुछ सहकारी समितियों के कर्ता-धर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। कुछ कर्ता-धर्ताओं की मौत सज़ा के दौरान जेल में भी हुई है।

अभी पिछले दिनों इस बात को लेकर मेरी माननीय सहकारी मंत्री जी से चर्चा हुई थी। विभाग के अधिकारियों से भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। जैसा माननीय मंत्री जी ने और विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि नया सहकारिता अधिनियम बनाने का कार्य चल रहा है। मैंने उसमें उनसे आग्रह किया है कि गृह निर्माण समितियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रावधान किये जाए, ताकि इस प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने इन पर अब तक जो भी कार्यवाही की उसके विस्तृत जवाब को मैंने भी पढ़ा और जवाब से मैं संतुष्ट भी हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जयपुर का जैसे-जैसे विस्तार हुआ, विस्तार के अन्दर जो भी कॉलोनियां जहां कट रही है उन कॉलोनियों के माध्यम से जो भी नियम, कानून-कायदे उसके अन्दर आते हैं जैसे पानी, सड़क, पेड़-पौधे, नाली, डिवाडर, जो भी व्यवस्थाएं होती है। जो किसान उन सोसाइटियों को अपनी जमीन सरेंडर करता है, क्या सरकार उन सोसाइटियों पर ऐसी कार्यवाही करने का विचार रखती है? उस समय विधि के माध्यम से उन कॉलोनियों के अन्दर विकास कार्य कराए, ताकि वहां जो भी वहां प्लाट लेता है उसको पानी, सड़क, पेड़-पौधे, नाली, डिवाडर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आये, क्या सरकार इसके ऊपर विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को तथा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में जो कॉलोनियां विकसित की जाती है, वे दो तरह की होती हैं। कुछ अच्छी गृह निर्माण सहकारी समितियां या जो अच्छे सद्भावी विकास कर्ता हैं, वे सम्बन्धित नगर निकाय से अनुमोदन करवाने के पश्चात कालोनी विकसित करते हैं, उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं समाहित होती है। कुछ बिना अनुमोदन के कालोनी विकसित कर देते हैं और उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं। वर्तमान नियम, कायदे-क़ानूनों के अनुसार जब तक अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय के पास कालोनी का आवेदन नहीं आता है तब तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करने का

हमें अधिकार नहीं है।

जैसा मैंने पूर्व में बताया कि मेरी सहकारिता मंत्री जी से व विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है, मैं उम्मीद करूंगा नया सहकारिता अधिनियम 2025 में बनकर तैयार हो जाए, गजट नोटिफिकेशन हो जाए और उसमें सहकारी समितियों पर अंकुश के लिये विशेष प्रावधान किये जाए। उसके बाद निश्चित रूप से जो भी निजी विकास कर्ता या कोई गृह निर्माण सहकारी समिति नई कालोनी विकसित करेगी उसमें उसको समस्त सुविधाएं विकसित करनी आवश्यक होगी, अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह समस्या केवल बगरू की नहीं है यह लगभग पूरे राजस्थान के कई शहरों की है। केवल सहकारी समितियों के अलावा भी, एग्रीकल्चर लेंड लेकर प्लाटिंग हो जाती है, मकान बन जाते हैं। तो ऐसा कोई नियम, सरकार इस पर विचार करे कि इनको कैसे रोका जाए?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अधिकारियों का निर्देशित करूंगा कि चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगरपालिकाएँ हों, उनमें इस प्रकार की कॉलोनियां विकसित करने के लिए, उनमें किसी प्रकार की अनियमितता हो इसके लिए नये दिशा-निर्देश या नये नियम बनाकर आमजन के बीच प्रसारित करे, ताकि आमजन भी उसका अध्ययन करके निजी विकास कर्ता या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जो बेईमानी की जा रही है, उस बेईमानी से बचा जा सके।

VPS-RTM-07.03.2025-11.50-1f

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रेवन्तराम डांगा। हो गया, इन्होंने कह दिया। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियम तो ऑलरेडी बने हुए हैं और जब जागे तब ही सवेरा। जब जागे तब ही सवेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवैध कॉलोनियां ...(व्यवधान)... एक मिनट, डांगा साहब। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपकी ओर से मैंने कह दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपने तो कह दिया, पर वह आपने थोड़ा दबाव से नहीं कहा। आपने प्यार से कह दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दबाव से ही कहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है, यह बेतरतीब जिस प्रकार से कॉलोनियां कट रही हैं, मंत्रीजी, आप भी जानते हो, अब भी अपन रोक देंगे न उसके बाद ही मैं समझता हूं कि कार्यवाही हो जाये तो अच्छा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय नेता, प्रतिपक्ष, अभी तक अवैध कॉलोनी विकसित करने की शिकायत होने पर उसे तोड़-फोड़ करने का अधिकार हमारे पास है लेकिन अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाये? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, यह है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बनने से रोकने का अधिकार आपके पास नहीं है। बनने से रोकने का अधिकार नहीं है, उसके लिए आप करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं। बीच में नहीं। इन्होंने पूछ लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर इस दिशा में कोई ऐसी एस.ओ.पी. जारी करे कि अधिकारियों के ऊपर भी जिम्मेदारी हो और जो अवैध कॉलोनी विकसित करे, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने का उसमें प्रावधान हो। ताकि आम जन को ठगने से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि यह विषय पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है और आपका धन्यवाद है कि आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो। मैं दो दिन से देख रहा हूं कि आप लगातार खड़े हो रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह विषय नगरपालिका, नगर परिषद्, जे.डी.ए. के अलावा भू-राजस्व से सम्बन्धित भी है क्योंकि कई लोग खेत लेकर या खरीद कर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आज जो डिमांड है वह इसी विषय पर है। उस पर जिनको जो कुछ बोलना है, वे आराम से बोलें, सुझाव देना है वह मंत्रीजी को दे दें, उनसे उत्तर ले लें तो फिर इसी को अपन आगे क्यों चलाएं?

श्री रेवन्तराम डांगा।

खींवसर के औषधालयों में रिक्त पद

342. श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कहां-कहां व किस-किस श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? उक्त में किस-किस संवर्ग के, कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में कौन-कौनसी औषधियां उपलब्ध रहती हैं? विगत तीन वर्षों में

उक्त औषधालयों में आपूर्ति एवं वितरित की गई औषधियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 01 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, 01 चिकित्सालय एवं 16 औषधालय संचालित है, जिनका स्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त चिकित्सालय/औषधालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत सहित, रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वित्त विभाग की स्वीकृति तथा गुणावगुण के आधार पर चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर के 740 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है जिसमें चयनोपरांत, प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

चतुर्थ श्रेणी/ परिचारक के 1702 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विभागीय प्रस्तावों के आधार पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है जिसमें चयनोपरांत, प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) उक्त चिकित्सालय/औषधालयों में उपलब्ध रहने वाली औषधियां एवं विगत 03 वर्षों में आपूर्ति, वितरित औषधियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है और मैं जवाब से संतुष्ट हूं। मैं जवाब से संतुष्ट हूं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाये।

श्री अध्यक्ष: संतुष्ट है तो आगे बढ़ें? विराजिये।

अगला प्रश्न, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान

343. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड तय किये गए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदा से फसलों में कहां-कहां व कितना नुकसान हुआ? गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों द्वारा बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स दिनांक 10.10.2022 एवं आंशिक संशोधित नोर्म्स दिनांक 11.07.2023 के प्रावधानानुसार किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता देय है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान का, ग्रामवार विवरण परिशिष्ट - 'ब' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खंड 1 के जवाब में यह आया था परिशिष्ट-अ पर, फसल खराबे के मानदंड पूछे थे, आपने पॉलिसी दे दी एस.डी.आर.एफ. की, वह अंग्रेजी में है। क्या मंत्री महोदय उसका हिंदी रूपांतरण करके बता सकते हैं? नम्बर-एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से 2023-24 में विधान सभा क्षेत्र कपासन में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर से किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैंने यह पूछा था कि पॉलिसी जो दी है, वह अंग्रेजी में दे रहे हैं, इसमें हिंदी में नहीं है। अब अंग्रेजी की जानकारी सबको नहीं है। इसका कारण यह थोड़े ही है कि आप अंग्रेजी में ही इसको दोगे। अंग्रेजी में है तो अधिकारियों को आप यह निर्देश दें कि वे हिंदी में छाप कर दें, रूपांतरण करके दें।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक और है।

परिशिष्ट- ब पर जो जवाब दिया है, उसमें सारे गांवों की सूची है और सबको निल बताया गया है, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में 38 गांवों में 85 से ज्यादा किसानों की फसल का नुकसान हुआ है और वह भी आगजनी से हुआ है, जिसकी लिस्ट भी मेरे पास है। प्रकाश चन्द जाट पुत्र रतन लाल जाट, निवासी-भागल, तहसील भदेसर, नंदलाल, अमरचंद जाट, 15 बीघा में इनको नुकसान हुआ, किशन लाल गोगोई, इस प्रकार से मैं सबके नाम पढूंगा तो समय लग जायेगा। किशन लाल, भैरूंलाल जाट, रतन लाल, गमेड जाट, भैरूं, माना जाट, इस प्रकार से ऐसे 85 किसान हैं जिनके आगजनी हुई है और आगजनी होने के कारण उनके खराबा हुआ है तो क्या सरकार पुन: जांच करवाकर जिन-जिन के यहां आगजनी से फसलों का नुकसान हुआ है, उनको उचित मुआवजा दिलवाने की मंशा रखती है? और जिन अधिकारियों ने निल की सूचना दी है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो इन्होंने यह बताया कि इंग्लिश में दी है, उसको तो मैं हिंदी में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, पहली बात।

दूसरी बात, आपने यह बताई कि कपासन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में आकाशीय बिजली गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उसमें 12 लाख रुपये सरकार की तरफ से भुगतान किया गया और तीन पशुओं की भी मृत्यु हुई है, जिसमें 85 हजार रुपये उनको भी भुगतान किया गया। अगर आपके पास में ऐसी कोई लिस्ट है तो आप मुझे उपलब्ध करवा दें, मैं तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैंने फसल खराबे का पूछा था और फसल खराबे की निल रिपोर्ट है यह। मेरा यह निवेदन है कि क्या सरकार अधिकारियों को निर्देश देगी कि जिन-जिन काश्तकारों की फसल का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने की मंशा है क्या, उनकी भरपाई करने की मंशा रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप पहले मंत्रीजी का उत्तर सुन लीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक प्रश्न और आ जायेगा। मंत्रीजी, मैं भी यही पूछ रहा हूं कि यह परिशिष्ट-ब में जो जवाब दिया है फसल खराबे का तो इसमें जीरो-जीरो ही दे रखा है तो फिर एक ही पन्ने में जीरो लिख देते, यह लिस्ट क्यों लगायी? इन्होंने जब फसल खराबे का पूछा है तो जीरो, जीरो लगा रखा है तो इसका मतलब फसल खराब हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, पहले इनका जवाब तो आ जाने दें, फिर आप पूछ लेना। विराजिये।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को और प्रतिपक्ष के नेताजी को यह निवेदन करता हूं कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में 2023-24 में 33 परसेंट से ऊपर खराबा नहीं हुआ इसलिए आदान अनुदान देना अनिवार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। अगला प्रश्न श्री यूनुस खान।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

वेद विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय

344. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वेद विद्यालयों व वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कोई विशेष नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या तथा इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वेद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कम मानदेय दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के मानदेय में वृद्धि तथा अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने व वैदिक शिक्षा में शोध व अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? विवरण

सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में समग्र शैक्षिक और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) वर्तमान में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा वैदिक शिक्षा हेतु 39 वेद विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बजट वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 घोषणा संख्या 64.02.00 ''प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार एवं रैवासा-सीकर में संचालित आदर्श वेद विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की है। ''

उक्त घोषणा के क्रम में चरणबद्ध रूप से आदर्श आवासीय वेद विद्यालय खोले जाने हेतु प्रथम चरण में कोटा, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर संभाग में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत वेद विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के बिन्दु संख्या 64(iii) के अनुसार वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय 8000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किये जाने की घोषणा की है। बजट घोषणा की क्रियान्विति के अन्तर्गत नवम्बर, 2024 से इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित वेद विद्यालयों में वेदाध्ययनरत विद्यार्थियों को रुपये 500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति बढ़ाने के निर्णय पर वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर से कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित वेद विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन के दौरान संरक्षक संस्था द्वारा उसे निकटतम विद्यालय में प्रवेश कराकर आगे की शिक्षा जारी रखी जाती है तथा सुबह-शाम 2-2 घण्टे स्वाध्याय भी कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: चलो, आप प्रश्न पूछिये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में खाली संस्कृत शिक्षा का ही जवाब आया है, कला एवं संस्कृति का जवाब नहीं आया है। मैंने वैदिक एवं वैदिक शिक्षा के बारे में पूछा है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी सवाल लिखे, उसको सही पढ़े और मैं यह सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अलावा जो इसमें अध्ययन खाली यजुर्वेद का ही करवा रही है तो क्या बाकी वेदों

का भी अध्ययन करवाने का विचार सरकार रखती है? मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भी कुछ विद्यालय वैदिक शिक्षा के लिए चलाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर चाहिए तो आप सुनिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है, इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री समाराम।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष: अब आपने कहा है। आपने पूछा नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्षजी, एक प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न काल तक वहां पर ही बैठो, भाई, दस बार कहा है। ऐसी क्या अर्जेंसी है?

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

ssy/rtm/07.03.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले के स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नियमित विद्युत आपूर्ति किए जाने के संबंध में।

3. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के फसल खराबे का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

5. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।

भाई, उठ रहे हो, आप सदस्य को कहो कि आगे से बहस में लेने से डीबार करना पड़ेगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा, चाहे भले सचेतक नाम भी दे देंगे तो भी उसको नहीं बुलवाऊंगा। माननीय मंत्री लोगों, मैं खुद खड़ा हूं और बोल रहा हूं और आपस में 3 मंत्री बात करेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? यानी कम से कम यह 10-15 मिनट तो जब खड़ा होता हूं तब तो दोनों पक्ष शांत रहें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी ही बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हां, कोई बात हो। मेरी बात करनी है तो उसके लिए बहुत घंटे हैं। कृपया ना करें। अपन वरिष्ठ लोग हैं। कोई बात नहीं।

6. श्रीमती अनीता जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की ग्राम पंचायत कैलाश नगर में किए गए गबन के संबंध में।

7. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर में फसल खराबे का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

8. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रमोन्नयन की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

9. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम बिड़ास, रामपुर व देवाणी को छापर नगर पालिका में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

10. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण नियम अनुरूप नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से चौंमू में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में मूँगफली उत्पादक किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री रतन देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के विद्यालयों में विकास कार्य किये जाने के संबंध में।

13. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से गलती से सीमा पार करने वाले भारतीयों को पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन गैसावत, डॉ. शिखा मील बराला, श्री रतन देवासी एवं श्री रविन्द्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी का जो विषय है वह राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है, भारत सरकार से सम्बन्धित है, अतः इस पर दो मिनट बोलने की अनुमति देना संभव नहीं है। बाकी शेष लोग दो-दो मिनट अपनी विषय वस्तु रख सकेंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास बून्दी का गठन किये जाने के संबंध में।

2. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय विद्यालयों के नकारा घोषित भवनों का नव निर्माण किये जाने के संबंध में।

3. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पावर हाउस हेतु सिंचित कृषि भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में डिग्गी निर्माण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

5. श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति आबू रोड के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में।

6. श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से चूरू जिले के फसल खराबे का बीमा क्लेम दिलवाये जाने के संबंध में।

7. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के देवली कलां में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

8. श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलीनाड़ी को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

9. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए जाने के संबंध में।

10. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले के रावतसर स्थित बछड़ा पालन केन्द्र में पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

11. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में तालाबों को भरने हेतु नहर बनाये जाने के संबंध में।

12. सुश्री नौक्षम, सदस्य की ओर से कामां से पहाड़ी तक स्वीकृत सड़क पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

13. श्री महेन्द्र पाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मूलभूत सुविधाएं विकसित किये जाने के संबंध में।

14. श्री भैरा राम चौधरी, सदस्य की ओर से पूरे प्रदेश में एक समान कृषि मंडी टैक्स लागू करने तथा कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त किये जाने के संबंध में।

15. श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को अपना 295 पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 07/03/2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 36 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	डॉ. विश्वनाथ मेघवाल	खाजूवाला नगरपालिका में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में।
2.	श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी	राज्य सरकार द्वारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का

		उपयोग बढाने एवं सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करने के लिए एक विशेष ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकाई गठित किए जाने के संबंध में।
3.	श्री राजेन्द्र	प्रदेश में एवं दौसा जिले के साथ महवा विधान सभा क्षेत्र में तेज हवाओं से फसलों के नुकसान के संबंध में।
4.	श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर	किसानों द्वारा राशि जमा करवाने के उपरांत भी कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मकराना के खनन क्षेत्र में नियम विपरीत सड़क निर्माण

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मकराना के अन्दर विश्व प्रसिद्ध मार्बल निकलता है। वहां हजारों साल से मार्बल संचालित हो रहा है, ताजमहल, विक्टोरिया उस मार्बल से बना है। उस मार्बल पर आज इन सड़कों की वजह से संकट आ रहा है। 2004 के अन्दर स्टेट हाईवे 2बी की सड़क का निर्माण हुआ और 2015 में स्टेट हाईवे 2डी का निर्माण हुआ। 2बी सड़क मकराना से घाटी चौराहा, घाटी चौराहा से बोरावड़ होते हुए कालवा जाती है, जो कि नगरपालिका बोरावड़ और नगर परिषद मकराना की सिटी में होकर निकलती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठिये। माननीय सदस्य, जब एक बैठे हों तो उनके उठकर जाने का वेट करो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): दूसरी 2015 के अन्दर जो सड़क बनी वह विदियाद से घाटी चौराहा, घाटी चौराहे से होते हुए बोरावड़, कालवा जाती है। दोनों सड़कें पहले माइनिंग अप्रूवल सड़कें थी, उसको स्टेट हाईवे घोषित करके, खानों के और पीडब्ल्यूडी के नियम विरुद्ध यह सड़कें बनी हैं। जब एक सड़क बनती है तो माइनिंग के पास में जो 45 मीटर का एरिया होता है, सड़क वाले को माइनिंग से 45 मीटर दूर सड़क बनानी चाहिए, जो नियम विरुद्ध सड़कें बनी हैं। आज हमारी खानों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। बारिश के समय में जब खान गिर जाती हैं, क्योंकि हमारी खाने 90 डिग्री में नहीं कटकर 60 डिग्री पर संचालित होती हैं, तो यह जो नियम विरुद्ध सड़कें बनी हैं, इनकी या तो किस्म चेंज करें, माइनिंग अप्रूवल सड़क करें, नहीं तो इसका नया अलाइनमेंट करके नई सड़क बनायें।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

एक सड़क जो हमारी बनी हुई है, जो 3 वर्ष पूर्व मकराना, कालवा बाई पास सड़क जो कि करीब 18 से 20 किलोमीटर में बनी है, 60 मीटर चौड़ी है और 26 करोड़ की लागत आई है जिसमें 16 करोड़ सड़क में और 10 करोड़ रुपया उसका मुआवजा दिया गया है।

इस सड़क को जो 2बी है, स्थानांतरित हो सकती है, दूसरी पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक प्रपोजल बनाया गया उसके अन्दर बिजियास, सबलपुर और कालवा होकर के बनाया गया है। जसका 51 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बना है। पीडब्ल्यूडी विभाग बोलता है कि माइनिंग विभाग उसका पैसा जमा कराये। पीडब्ल्यूडी विभाग भी सरकार का है और माइनिंग विभाग भी सरकार का है, कृपया करके अगर आप इस पर पैसा खर्च नहीं कर सको तो इसकी किस्म चेंज कर दो।

spp/rtm/07.03.2025/12.10/1h

और स्टेट हाईवे किस्म हटाकर उसको साधारण सड़क घोषित कर दें ताकि हमारी मकान की खानें जीवित रह सकें। हमारे 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो हमारे ग्रामीण शहर है वह खानों पर निर्भर है। खानों का अलाइनमेंट चेंज नहीं हो सकता है। मकराना की खानों की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि एक ही बेल्ट के अंदर मार्बल निकलता है। सड़कों का अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। अगर इन दोनों सड़कों की किस्म चेंज कर देते हैं तो हमें जीवनदान मिलेगा और राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये का राजस्व मिलेगा। आपने बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। डॉ.शिखा मील।

चोमूं में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में मूंगफली उत्पादक किसानों को अनुभूत परेशानी

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। मेरा विधान सभा क्षेत्र चोमू प्रदेश भर में अपनी खेती, अपने फल-सब्जियों और बड़ी अनाज मंडी के लिए जानी जाती है। चोमूं कृषि उपज मंडी में हर साल तीन से चार लाख क्विंटल की मूंगफली जिंस की आवक होती है। इस साल भी यह कारोबार करीबन 200 करोड़ रुपये का रहा। इसे खरीद कर व्यापारी इसे बाहर के राज्यों में जैसे गुजरात, यूपी और जम्मू कश्मीर तक ले जाते हैं सिर्फ 10-15 परसेंट मूंगफली की ही खपत प्रदेश की कुछ फैक्ट्रियों में होती हैं। इसे देखते हुए चोमू में एक प्रोसेसिंग यूनिट की दरकार है। यदि सरकार चोमू में मूंगफली उद्योग को प्रोत्साहन देती है तो किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा और बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वर्तमान में मुख्य मंडी यार्ड में 111 दुकानें संचालित हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और हादसा होने की काफी संभावना रहती है। इसे देखते हुए मुख्य यार्ड में दुकानों के बेसमेंट,

प्रथम तल और द्वितीय तल सहित बरामदा निर्माण की स्वीकृति दी जाए। राजस्थान प्रदेश व बाहर के राज्यों से हजारों किसान और व्यापारी यहाँ हमारे कृषि मंडी में आते हैं, जिन्हें बेसिक फैसिलिटीज जैसे कमरें, सुलभ शौचालय आदि के अभाव में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पूरी मंडी में डोम शेड का निर्माण न होने से बहुत-सी कृषि जिंस का नुकसान भी होता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से आप के माध्यम से निवेदन है कि किसानों और व्यापारियों के हित को देखते हुए इस दिशा में सकारात्मक समाधान किए जाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

रानीवाड़ा के विद्यालयों में विकास कार्य

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, आपने स्थगन पर बोलने की अनुमति दी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आप के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है मेरे विधान सभा क्षेत्र जसवंतपुरा मुख्यालय पर एकलव्य आवासीय विद्यालय है, और उसका निर्माण का कार्य शुरू होना है। मगर उसमें क्या हुआ है कि कुछ तत्वों ने मिलकर तहसील मुख्यालय से जिला कलेक्टर को पूरा अंधेरे में रखकर और जो पूर्व में कोई जमीन स्कूल के लिए वहाँ अलॉट थी, स्कूल के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए, खेल मैदान के लिए, कॉलेज के लिए जिला शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उस जमीन को, जो आवंटित जमीन थी, उस आवंटित जमीन के ऊपर एकलव्य विद्यालय की जमीन आवंटित करा दी, क्योंकि उन लोगों का ये ध्येय था कि घोषणा हो जाए, मगर काम नहीं हो। वो क्षेत्र हमारे आदिवासी, भील, राणा समाज के जो भाई हैं, उनका बहुल क्षेत्र है। बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग वहां रहते हैं। ट्राइबल बेनिफिट उनको मिला नहीं है, इसलिए यह विद्यालय उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मगर जानबूझकर जमीन पर जमीन आवंटित कर दी, उस को लेकर छात्रों ने तालाबंदी कर दी। उसको लेकर पूरा कस्बा बंद रहा एक दिन और अव्यवस्था हो गयी है। मैंने जिला कलेक्टर जी से भी निवेदन किया और ये कहा कि एकलव्य विद्यालय का काम जल्दी शुरू किया जाए और जो जमीन पांच हैक्टेयर दी है, उसकी जगह आदिवासी भाई हैं, उनको आठ हैक्टेयर जमीन, जो प्रस्तावित है, वो आठ हैक्टेयर जमीन उनको दी जाए और आठ हैक्टेयर जमीन अगर वहाँ दी है तो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बालिका स्कूल के लिए अन्य जगह आठ हैक्टेयर जमीन वो आरक्षित कर लें तो ये धरना नहीं होगा, कस्बा भी बंद नहीं होगा। हमारा आवासीय विद्यालय एकलव्य है, वह शुरू भी हो जाएगा। हमारे आदिवासी भाइयों को भी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और वहाँ स्कूल में, कस्बे में सब जगह शांति हो जाएगी।

मेरा अंत में, एक ही मिनट में माननीय मंत्री महोदय से आप के माध्यम से तीन निवेदन है। पहला तो आवासीय विद्यालय जो है ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से आग्रह है जब चर्चा हो रही है तो आप आपस में बात करेंगे तो सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। आप सब ध्यान से सुनें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। एक तो एकलव्य आवासीय विद्यालय का कार्य जल्द शुरू किया जाए। दूसरा, जो जगह आवंटित की है, उसकी जगह स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल के लिए आठ हैक्टेयर जमीन प्रस्तावित की जाए और तीसरा, जिन लोगों ने जिला तहसील कलेक्टर को शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस जमीन को जमीन पर आवंटित कराया है उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अगर एक प्रिंसिपल पर कार्रवाई करके APO किया गया है तो जो तहसीलदार हैं, जो जिला शिक्षा विभाग के लोग हैं, जिन्होंने जिला कलेक्टर को अंधेरे में रखकर और आदिवासी भाइयों का हक छीनने की कोशिश की और जमीन पर जमीन आवंटित कर दी है, उन लोगों को भी APO किया जाए ताकि न्याय संगत बात होगी और बराबर न्याय हो। यह मैं आप के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं। आपने अनुमति दी, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापतिः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। श्री हरिमोहन शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बूंदी नगर विकास न्यास का गठन

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने विशेष परिस्थिति में मुझे यह पढ़ने का अवसर दिया।

मान्यवर, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कोटा विकास प्राधिकरण में बूंदी जिले के 64 गांव सहित नगरपालिका क्षेत्र केशवरायपाटन को शामिल किया गया। जब से ही हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। कोटा एयरपोर्ट के लिए बूंदी जिले की तीन हजार बीघा जमीन दी गई। केशवरायपाटन एवं तालेड़ा क्षेत्र की लाखों बीघा आबादी चरागाह सिवाय चक भूमि कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज कर दी गई। तालेड़ा क्षेत्र के कुल 48 गांव और केशवरायपाटन नगर पालिका क्षेत्र केशवरायपाटन के क्षेत्र के 16 गांव शामिल किए गए। केडीए में बूंदी जिले की लाखों हैक्टेयर आबादी चरागाह सिवायचक भूमि है। अभी तक केडीए के माध्यम से इतने वर्षों के बाद भी कोई योजना ग्राम पंचायतों के लिए नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं कर पा रही है और दोहरा प्रशासन हो रहा है।

साथ ही वर्तमान में नगर परिषद बूंदी का विस्तार किया गया, जिनमें 19 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। इन 19 राजस्व गांवों के साथ ही तालाब, गांव जो मेडिकल कॉलेज बूंदी है, दलेलपुरा फूलसागर के पास रामपुरिया और ठिकरिया पंचायत की गणेश घाटी को शामिल करते हुए बूंदी के सर्वांगीण विकास हेतु नगर विकास न्यास बूंदी बनाया जाए। वर्तमान में रोडवेज बस स्टैंड को पुरानी कृषि उपज मंडी के स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। रोडवेज की भूमि एवं वर्तमान में स्थापित जिला कलेक्टर एवं अन्य कार्यालयों सहित

न्यायालय परिसर को एक करते हुए मिनी सचिवालय की स्थापना की जाए।

अतः बूंदी जिले के 64 गांवों एवं नगरपालिका केशवरायपाटन को केडिए से निकालकर वापस पूर्व की भांति बूंदी जिले में मिलाया जाए और नगर विकास न्यास, बूंदी बनाकर मिनी सचिवालय की स्थापना की जाए। बूंदी में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम बूंदी एयरपोर्ट रखा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में राजकीय विद्यालयों के नकारा घोषित भवनों का नव निर्माण

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों की व्यवस्था नहीं हैं। उक्त कक्षा-कक्ष बहुत ही जर्जर हैं, जिसके लिए कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं पंचायत समिति डूंगरपुर ने भी यहां के विद्यालयों के क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए लिखकर भी दिया है, किंतु आज तक उक्त का निर्माण नहीं हो सका। उक्त क्षेत्र TSP क्षेत्र में आता है। उक्त विद्यालयों में जनजाति वर्ग के गरीब छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। माननीय बिछीवाड़ा ब्लॉक में 38 राजकीय विद्यालय तथा डूंगरपुर ब्लॉक में 12 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्षों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवन, जो विभाग द्वारा निस्तारण नकारा के आदेश दिए जा चुके हैं, उन विद्यालयों में भवनों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

jyg/rtm/07.03.25/12.20/1j

मुण्डावर में पावर हाउस हेतु सिंचित कृषि भूमि का अधिग्रहण

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. का पावर हाउस स्थापित करने हेतु ग्राम मंढ, गढ़ी, तिनकीरुडी व खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान के किसानों की कृषि भूमि 380 बीघा अधिग्रहण करने के लिये विभाग के अधिकारियों ने गांव में आकर सूचित करने पर उक्त चारों गांव के काश्तकारों में भारी रोष व्याप्त है।

दिनांक 23.02.2025 को पीपलासन माता मंदिर पर चारों ग्रामवासियों की मीटिंग का

आयोजन किया गया था, जिसमें चारों गांवों के लोगों ने अपनी सिंचित कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर नहीं देना तय किया।

जिस सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह बहुत ही उपजाऊ किस्म की है। जिसमें एक साल में तीन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। उक्त भूमि इतनी अधिक उपजाऊ है कि इनके पूर्वजों ने इसका आवास तक के लिये भी उपयोग नहीं किया है। उक्त भूमि परिक्षेत्र से चारों गांव को पीने एवं सिचाई के लिये पानी उपलब्ध करा रही है। चारों गांवों के अन्य क्षेत्र में पानी का बहुत भारी अभाव है। इसी भूमि परिक्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में पानी पाइप लाइनों के द्वारा करीब 50 वर्षों से पीने एवं सिचाई के लिये उपयोग कर रहे हैं। उक्त भूमि के अधिग्रहण होने से चारों गांव के करीब 300 परिवार भूमि विहीन हो जायेंगे। जिनके परिवार के पालन-पोषण के स्रोत समाप्त हो जायेंगे।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बहुउपयोगी सिचिंत कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं किया जाये तथा किसी अनुपयोगी या सरकारी जमीन पर उक्त पावर हाउस को स्थापित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेशराज बंसल।

हनुमानगढ़ में डिग्गी निर्माण की अवधि में वृद्धि

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की 'राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना' के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिनांक 31.03.2025 तक डिग्गी निर्माण पूर्ण किये जाने के दिशानिर्देश जारी किये गये है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है, जिस कारण वर्तमान में किसानों द्वारा निर्धारित तिथि तक डिग्गी निर्माण किया जाना संभव नहीं होगा और निर्माण नहीं होने के कारण अनुदान प्राप्ति से भी वंचित होंगे।

डिग्गी निर्माण की समयावधि दिनांक 31.03.2025 तक होने के कारण वर्तमान में डिग्गी निर्माण के निर्माणकर्ता/संसाधन कम होने के कारण किसानों को ऊंची दरों पर कार्य करवाना पड़ रहा है. जिससे किसानों पर अनावश्यक आर्थिक भार बढ़ रहा है।

हनुमानगढ़ जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु उपयोगी डिग्गियों की निर्माण अवधि में अभिवृद्धि किया जाना अति आवश्यक है, ताकि किसानों को सही समय पर डिग्गी अनुदान प्राप्त हो सके।

अतः माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि डिग्गी निर्माण पूर्ण किये जाने की अवधि में दिनांक 30.06.2025 तक अभिवृद्धि की जावे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री मोतीराम । श्री मोतीराम। (अनुपस्थित)

श्री हरलाल सहारण।

चूरू में फसल खराबे का बीमा क्लेम

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बीमा क्लेम नहीं दिलवाये जाने के विरोध में मेरे क्षेत्र के किसानों द्वारा अक्सर आंदोलन किये गये परन्तु कांग्रेस सरकार के कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंगी।

वर्ष 2022 में फसल खराबी के क्लेम के संबंध में बीमा कंपनी ने चूरू जिले के 80 प्रतिशत किसानों को बीमा देने से यह कहकर मना कर दिया कि यहां बड़े पैमाने पर इलाके में चने की फसल की बुवाई नहीं हुई। बीमा कंपनी की इस असत्य रिपोर्ट के कारण किसानों को 58 दिनों तक आंदोलन करना पड़ा।

खरीफ 2021 में जिले भर में बेमौसमी बरसात से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ। जिसकी पटवारियों और कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 700 करोड़ रुपए का क्लेम निर्धारित किया गया। परन्तु रिपोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी ने कांग्रेस सरकार की मदद से अस्वीकार कर दिया और किसानों के साथ धोखा करते हुए किसानों को सैटेलाइट से 60 प्रतिशत और क्रॉप कटिंग से 40 प्रतिशत का मानदंड मानते हुए क्लेम का 300 करोड़ का भुगतान किया जो न्यायसंगत नहीं था। मैं वर्तमान किसान हितैषी माननीय भजन लाल सरकार से मांग करता हूं कि पिछली सरकार द्वारा किसानों के साथ किये गये अन्याय से निजात दिलाते हुए किसानों को खरीफ 2021 का बीमा क्लेम क्रोप कटिंग के अनुसार दिया जाये।

खरीफ 2022 के कृषि बीमा क्लेम को पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पटवार मंडलों पर आपत्ति लगाते हुए रोक दिया गया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि खरीफ 2022 के पटवार हलकों की आपत्ति वाले कृषि बीमा क्लेम बीमा कम्पनियों से किसानों को दिलवाये जायें साथ ही खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम भी जारी करवाये। खासोली को वर्ष 2020-21 एवं लोहसाना बारा को वर्ष 2021-22 का भी फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाये।

ओलावृष्टि से चूरू जिले की चूरू, सरदारशहर, तारानगर एवं राजगढ तहसील के लगभग 200 गांवों में फसल नुकसान का सर्वे करवाकर बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाये।

श्री सभापतिः श्री मोतीराम कोली।

आबूरोड पंचायत समिति (रेवदर) के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे 295 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य पंचायत समिति आबूरोड की 20 पंचायतें जिनकी अधिकांश आबादी आदिवासी बाहुल्य है। यह

आबादी अधिकतर पहाडी के बीच अलग-अलग गांवों व फळों में बसी हुई है। राज्य सरकार द्वारा इन गांवों और फळों में विभिन्न राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जनजाति छात्रावास, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गये हैं, इन जगहों तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते नहीं हैं क्योंकि यहां की अधिकांश भूमि वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है।

माननीय सभापति महोदय, अतः मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इन आदिवासी बाहुल्य आबादी के गांव में विद्यालयों, आंगनबाड़ी, केंद्रों, छात्रावासों व उप स्वास्थ्य केंद्रो पर सुगम आवागमन हेतु वन विभाग के माध्यम से रास्ते तरमीम करवाकर सडकें बनवायी जायें ताकि इन गांवों की आदिवासी जनता को आवागमन में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती शोभा चौहान।

देवली कलां (सोजत) में उप तहसील कार्यालय का सृजन

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर उपखंड में देवली कलां ग्राम पंचायत स्थित है। इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 10 हजार है। इस ग्राम पंचायत के आसपास स्थित गांव यथा सिंगला, रामपुरा कलां, निबेंडा कला, करमावास मालियान, मोहरा कलां, बासिया, नोख, कुशालपुरा, बासनी दधवाडिया आदि सहित दर्जनों बेरों पर रहने वाले किसानों को उनके राजस्व संबंधी कार्य के लिए हरीपुर स्थित तहसील में आना-जाना पडता है। ग्राम पंचायत देवली कलां से तहसील कार्यालय हरीपुर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन मार्गों पर आवागमन के लिए कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, इस कारण बुजुर्ग किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों को राजस्व कार्य हेतु तहसील कार्यालय आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। राजस्व कार्यों के लिए इन क्षेत्रवासियों को एक कार्य के लिए कई बार चक्कर काटने पड़ जाते हैं, इससे इन लोगों का समय बर्बाद होने के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। खेती बुआई और कटाई के समय तो किसानों का एक-एक दिन महत्वपूर्ण होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि देवली कलां ग्राम पंचायत में उप तहसील कार्यालय स्वीकृत करवाकर क्षेत्र के हजारों किसानों को राहत प्रदान करावें। जय हिन्द जय भारत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री समरजीत सिंह।

पीपली नाड़ी (भीनमाल) के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की पंचायत समिति के

बागोड़ा के अन्तर्गत पंचायत नई मोरसिम के गांव पीपलीनाड़ी में वर्ष 1998 से प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

उक्त विद्यालय परिसर में सिर्फ एक कक्ष जो भी क्षतिग्रस्त है, में ही संचालित हो रहा है, जबकि उक्त विद्यालय में अध्यनरत छात्रों की संख्या तकरीबन 200 है व बच्चों को पढ़ाने के लिये 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नई मोरसिम के गांव पीपलीनाड़ी में उपरोक्त विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर वहां नवीन 5 कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाया जाये ताकि छात्रों को बैठने के लिये उचित स्थान मिल सके एवं अध्यापकों की संख्या भी बढ़ायी जाये।

MLS/RTM/07.03.2025/12:30/1k

श्री सभापति: श्री अनिल कुमार शर्मा।

सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारु विद्युत व्यवस्था

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कुओं की अधिकता के चलते अधिकांश किसान खेतों में ढाणियां बनाकर रिहायश करने लगे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निजी द्वाणियों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान नहीं है। कृषक द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर इन ढाणियों में कनेक्शन लेने पर लाखों रुपये की लागत आती है, जो कृषक वर्ग के सामर्थ्य से बाहर की बात है। वर्तमान में कृषि कुओं पर विद्युत सप्लाई छह घंटे दी जा रही है। कई बार विद्युत सप्लाई छह घंटे के स्थान पर केवल कम वोल्टेज की तीन-चार घंटे ही दी जाती है, जिस कारण कई बार किसानों के कृषि विद्युत उपकरण, मोटरें आदि जल जाती हैं। किसानों को दी जा रही विद्युत सप्लाई के तार काफी नीचे झूलते रहते हैं व पोलों की हालत जर्जर होने से आये दिन फॉल्ट की समस्या बनी रहती है व दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात भर किसानों को खेतों में कार्य करना पड़ता है और इस क्षेत्र में जहरीले जीव-जन्तुओं की बहुतायत होने से रात्रि के समय पर्याप्त विद्युत सप्लाई नहीं होने से किसानों को ढाणियों में अन्धेरे के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें मेरा निवेदन है कि विद्युत लाइनें सही करवाते हुए विद्युत सप्लाई व्यवस्थित की जाये तथा किसानों की ढाणियों में विद्युतीकरण करते हुए उन्हें कृषि विद्युत कनेक्शन के साथ ढाणियों में अलग से घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाएं।

अतः मैं नियम 295 के तहत सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करवाये जाने की कृपा कराएं।

श्री सभापति: श्री विनोद कुमार।

रावतसर (हनुमानगढ़) स्थित बछड़ा पालन केन्द्र में पदों का सृजन

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे 295 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 10 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार द्वारा हनुमागढ़ जिले की रावतसर तहसील में बछड़ा पालन केन्द्र स्वीकृत किया गया था। उसमें 5 करोड़ 44 लाख रुपयों से 37 बीघा 19 बिस्वा में भवन निर्माण, राजकीय आवास, पानी की डिग्गी, शेड, चारा शेड, फीड शेड लगभग तीन वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो चुके हैं और वर्तमान में धूल फांक रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त केन्द्र में पदों का सृजन नहीं किया गया है, जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है। पशु पालकों को जो लाभ मिलना चाहिये, वह मिल नहीं पा रहा है। राज्य सरकार का उक्त केन्द्र के निर्माण का पैसा व्यर्थ जा रहा है।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हनुमागढ़ जिले की रावतसर तहसील में बछड़ा पालन केन्द्र में पदों का सृजन कर उक्त केन्द्र को सुचारु रूप से संचालित करवाये जाने का श्रम कराएं।

श्री सभापतिः सुश्री नौक्षम।

कामां से पहाड़ी तक स्वीकृत सड़क की शीघ्र पूर्णता

सुश्री नौक्षम (कामां): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत कामां (बरसाना यूपी सीमा) से पहाड़ी (हरियाणा सीमा) तक स्वीकृत सड़क का कार्य पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां (बरसाना यूपी सीमा) से पहाड़ी (हरियाणा सीमा) तक 2 वर्ष पूर्व 75 करोड़ का बजट सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था, लेकिन आरएसआरडीसी की उदासीनता के कारण आज तक उक्त सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। चूंकि उक्त सड़क मार्ग न केवल स्थानीय निवासियों के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि विदेशी पर्यटकों और धर्म प्रेमी यात्रियों के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जो राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। उक्त सड़क मार्ग की खराब, क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति के कारण कई हादसे हो चुके हैं एवं आमजन को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। यहां तक की आरएसआरडीसी की लापरवाही के कारण 20-30 मिनट के सफर में दो घंटे लग रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों का आना भी कम हो गया है।

सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहूंगी कि उक्त सड़क मार्ग के अन्तर्गत कामां से बरसाना यूपी सीमा तक का जो मार्ग है, वह अति महत्त्वपूर्ण है। ब्रज दर्शन यात्रा पर आने वाले पर्यटक नन्दगांव बरसाना के उपरान्त दर्शनों के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्थली कामवन कामां आते हैं। उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने व सड़क खराब होने के कारण पर्यटक ब्रज क्षेत्र के अभिन्न अंग कामवन कामां की ओर आने में परेशानी महसूस कर

रहे हैं। अतः तत्काल उक्त सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण करवाया जाये।

श्री सभापतिः श्री महेन्द्र पाल मीना। (अनुपस्थित) श्री भैरा राम चौधरी।

प्रदेश में एक समान कृषि मण्डी टैक्स तथा कृषक कल्याण शुल्क की समाप्ति

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कृषि जिंसों पर 0.50 से 1.60 तक व 0.50 कृषक कल्याण शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। मण्डी टैक्स को कम करने की मांग लम्बे समय से चल रही है। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में राजस्थान प्रदेश की मण्डियों में टैक्स ज्यादा होने के कारण राज्य की बड़ी मात्रा में फसल गुजरात व अन्य राज्यों में ज्यादा बिक रही है, जिसकी वजह से राज्य के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है एवं उद्यमी भी पड़ोसी राज्यों के उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा में पीछड़ रहे हैं। यदि सरकार मण्डियों में टैक्स को कम करती है तो यहां की स्थानीय मण्डियों में आवक बढ़ेगी तथा किसानों को भी उनकी उपज का पूर्ण दाम मिलेगा और नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और स्थानीय जनों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश सरकार का राइजिंग राजस्थान का सपना भी साकार होगा। राज्य के (एसजीएसटी) राजस्व में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी और मण्डी टैक्स में इजाफा होगा।

मेरा सदन में इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार व विभाग से विशेष निवेदन है कि प्रदेश के किसानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए कृषि मण्डी टैक्स में एकरूपता लाने के लिए सभी जिंसों पर कृषि मण्डी टैक्स 0.50 प्रतिशत करने व कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लेकर राज्य व किसान हितों में राहत प्रदान कराएं।

श्री सभापतिः श्री लादु लाल पितलिया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर (सहाड़ा) का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रकिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उप-खण्ड मुख्यालय रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में कमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

माननीय, उप-खण्ड रायपुर का क्षेत्रफल लगभग 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके अन्तर्गत 21 ग्राम पंचायतें हैं। उक्त ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत लगभग 150 गांव, कस्बे व छोटी ढाणिया हैं, जिनके अन्तर्गत लगभग 2 लाख से अधिक की आबादी निवासरत है एवं उप-खण्ड क्षेत्र रायपुर नगरपालिका क्षेत्र है एवं नगरपालिका रायपुर की कुल जनसंख्या 20 हजार के आसपास है। वर्तमान रायपुर उप-खण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय चिकित्सालय है, जहां पर 50 बेड स्वीकृत हैं एवं कुल 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा 17 नर्सिंग कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 5 चिकित्सक कार्यरत हैं, बाकी रिक्त पद पड़े हैं। उप-खण्ड रायपुर की निवासरत आबादी के मद्देनजर उक्त चिकित्सालय छोटा है

तथा चिकित्सालय की क्षमता काफी कम है, जिस कारण उप-खण्ड रायपुर के व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उप-खण्ड मुख्यालय रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें।

श्री सभापति: पर्ची पर चर्चा। डॉ. विश्वनाथ मेघवाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खाजूवाला में अग्निशमन वाहन की उपलब्धता

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, नगरपालिका खाजूवाला में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र करीब 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ तीन उप-खण्ड कार्यालय हैं। एक नगरपालिका खाजूवाला में है, जिसमें भी अग्निशमन वाहन की उपलब्धता नहीं है।

सभापति महोदय, इसविस्तृत विधान सभा क्षेत्र में जब कोई आगजनी की घटना होती है तो यहां अग्निशमन वाहन बीकानेर या अनूपगढ़ से बुलाया जाता है, जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है। बीकानेर 120 किलोमीटर और अनूपगढ़ 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। अग्निशमन वाहन आने में करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं।

MKD/RTM/07.03.2025/12:40/1l

इस क्षेत्र में कॉटन मिल, ऑयल मिल, ईंट भट्टे, वेयर हाउस और कृषि उपज मंडी, विद्युत सब स्टेशन हैं। दंतो और पूगल, छतरगढ़, खाजूवाला, आरडी 465 के बाजारों में भी आगजनी की घटनाएं होती रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र के दूरदराज के गांव, ढाणियों में भी आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे काफी जान माल का नुकसान होता रहता है। पिछले एक वर्ष में आगजनी की तीन बड़ी घटनाएं घटित हुई।

अध्यक्ष महोदय, कॉटन मिल में आग लगने से हजारों टन कपास जलकर नष्ट हुआ। ट्रक में खाद्य ऑयल में आग लगने से तीन घंटे बाद अनूपगढ़ से फायर की गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया। मोटर गैराज में आग लगने से तीन कार व तीन मोटर साइकिल जलकर राख हो गई, जिससे काफी नुकसान हुआ था।

अत: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापक जनहित को देखते हुए नगर पालिका, खाजूवाला, बीकानेर में 5 हजार लीटर क्षमता का अग्निशमन वाहन, फायर स्टेशन एवं फायर कर्मियों के पद स्वीकृत कराने का श्रम करावें, ताकि जान माल की हानि पर समय रहते काबू पाया जा सके। धन्यवाद,

अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इकाई का गठन

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। राज्य सरकार को अपने सभी कार्यालयों में प्रोपराइटरी सॉफ्टवेर के स्थान पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे सरकार को करोड़ों रुपयों की बचत होगी, जो अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में निवेश की जा सकती है।

वर्तमान में, सरकारी कार्यालय में महंगे लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे सरकार की निर्भरता कुछ गिनी-चुनी सॉफ्टवेयर कम्पनियों पर बढ़ जाती है। इसके स्थान पर यदि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाया जाए तो सरकार को वित्तीय बजट के साथ डिजिटल आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। विंडोज के स्थान पर लाइनेक्स, एमएस ऑफिस के स्थान पर लाइबर ऑफिस, फोटोशॉप के स्थान पर जिम्प और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली को सुलभ और किफायती बनाया जा सकता है।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग से सुरक्षा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि इनके कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को एक समर्पित ओपन सोर्स डवलपमेंट इकाई गठित करनी चाहिए, जो सरकारी कार्यों के अनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित करे और कर्मचारियों को इनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करे।

यह पहल डिजिटल सशक्तीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इकाई से स्थानीय सॉफ्टवेयर डवलपर्स को सरकार द्वारा समर्थन भी मिलेगा, जिससे स्वदेशी प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगले, श्री राजेन्द्र।

महवा में तेज हवाओं से हुए फसल खराबे का मुआवजा

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिला। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीती रात को तेज हवाओं के कारण, जो गेहूं की फसल थी, साथ में चने की फसल थी, वह सारी जमीन के नीचे आड़ी होकर गिर गई है। किसान गेहूं के अन्दर पानी भी दे रहे हैं। अब वह फसल खड़ी हो नहीं सकती, इस कारण से काफी नुकसान होने की सम्भावना है और उसमें उत्पादन भी नहीं होगा। गेहूं का दाना भी पूरी तरह खराब हो जायेगा, जमीन पर गिरने के कारण।

इसलिए, मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र के साथ पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में दो दिन

से जबरदस्त हवा का दौर चल रहा है, इस कारण से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मेरे बेजूपाडा, नागल लोटवाड, कोठी, मउखेड़ा, अलीपुर, निहालपुरा, कंचनपुरा के साथ विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में किसानों के साथ यह बड़ी विपदा आई हुई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए सरकार फसल का जो भी मुआवजा दे सके, मौके पर जाकर अधिकारी उसका आकलन करें और किसानों को राहत दे। पिछले साल बहुत अच्छी बरसात हुई थी और बरसात के कारण किसानों की फसलें भी बहुत जबरदस्त अच्छी हुई हैं।

इसलिए, मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से यह जो फसल खराब हुई है, उसका कोई न कोई मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर।

राशि जमा कराने के पश्चात् भी में कृषि विद्युत कनेक्शन का अभाव

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं, बड़े-बड़े दावे कर रही है। हमारे जो गंगानगर के हालात हैं, किसान बड़ा दुःखी है, न तो उनको सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, न उनको विद्युत कनेक्शन मिल रहे हैं। आज किसानों की पकी हुई फसलें पानी न मिलने से बरबाद हो रही है।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि विभाग ने ये कनेक्शन चार कैटेगरी में बांट दिये है, सुपर स्पेशल श्रेणी, स्पेशल श्रेणी, सामान्य श्रेणी, लेकिन आज जो स्थिति है, सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं।

गंगानगर में निगम को करीब 10 करोड़ रुपये सामान्य श्रेणी के लगभग 4 हजार किसानों ने पैसे जमा करवा दिये हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जब विभाग में फोन करते हैं, पूछते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि अभी हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि गंगानगर के किसानों की सुध ले और उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलाये, ताकि उनकी फसल बच सके।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि ढाणियों के लिए सरकार के पास जो योजना है, वह योजना कागजों में है। हम 5-5 का समूह बनाकर विधायक मद से उनको कनेक्शन देते हैं, अनुशंसा करते हैं, लेकिन उनके भी कनेक्शन नहीं हो पा रहे, क्योंकि सरकार के पास ट्रांसफार्मर नहीं हैं, खम्भे नहीं हैं, तार नहीं हैं। पिछले एक साल से जॉब वर्क के टेंडर नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से काम रुके हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ताकि किसानों को कनेक्शन मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रेवन्तराम डांगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इजाजत दें तो 295 पढ़ लूं।

श्री अध्यक्षः अब बीच में नहीं। अब विषय, किसी और रूप में ले आओ, मैं दे दूंगा। अब 295 खत्म हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य उस समय आसन पर थे, इसलिए नहीं पढ़ पाएं।

श्री अध्यक्षः एक मिनट विराजो। श्री अर्जुन लाल जी, बोलो। आपकी सिफारिश मानूं या मैं आदेश दूं? आसन पर थे, बाकी तो कभी दोबारा नहीं आता।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चित्तौड़गढ़ में तालाबों को भरने हेतु नहर का निर्माण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के तहत प्रस्ताव कर जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्राम जावा, ग्राम पंचायत पटोलिया, जिला चित्तौडगढ़, ग्राम निलोद तालाब, जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम स्थित तालाब में पानी की आवक कम होने से यह तालाब प्रतिवर्ष खाली रहते हैं। यह तालाब ग्राम जावा, आजनखेड़ा, निलोद आदि गांव के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन है। अगर जावा तालाब ओवर फ्लो हो जाता है तो इसे आगे ग्राम पटोलिया का तालाब, कालिया तालाब पटोलिया, चोरवडी तालाब, आकोला, गुन्दली, गुन्दली खेडा होते हुए करुकडा में बेडच नदी में पानी जाता है और इससे ग्राम पटोलिया, आजनखेड़ा, मुण्डकटिया, जावा, चोरवडी, चोकड़ी, आकोला, गुन्दली, गुन्दली खेडा आदि गावों के सिंचाई एवं पेयजल में काम में आता है। इस तरह से अगर ग्राम चंगेडी से ग्राम लगभग 50 हजार लोग जावा तक एक आवक नहर बनाई जाती है तो लगभग 20 गांवों के लगभग 50 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है और किसानों को बहुत फायदा हो सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि एक आवक नहर बनाई जाए जो की चंगेडी से जावा एवं निलोद तक बनाई जाए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। समय दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रेवन्तराम डांगा, ध्यान आकर्षित करिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ताड़ावास (खींवसर) में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट की निरस्ती

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्षः बैठिये, इतना बहुत है। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे। फिर, आप जो पूछना चाहें, पूछना। बस, आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, अब विराजो।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): साहब, पूरा पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः पूरा नहीं पढ़ना है। विराजिये, आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। माननीय मंत्री जी।

Bhs/Rtm/07.03.25/12.50/1m

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स हँसदीप इंडस्ट्रीज एंड

ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (पेट्रियाट हाउस 4th फ्लोर, 3 बहादुरशाह ज़फर मार्ग रोड, नई दिल्ली, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 110002) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आई. ए डिवीज़न, भारत सरकार के पत्र क्रमांक IA/RJ/MIN/445238/2023 दिनांक 02/01/2025 द्वारा Tadawas Lime stone Mine (Auction Mine) for the proposed production capacity of 2.0 MTPA of Lime stone and 0.6 MTPA of OB/Waste in the mine lease area of 423.97 hectare along with the crusher capacity of 1000 TPH by M/s Hansdeep Industries and Trading Company Limited located at Tadawas, Berawas, Bhawanda and Khorawa Villages, Tehsil Khimsar, District Nagaur, Rajasthan For Reconsideration of Environmental Clearance reg. विषयक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित कंपनी द्वारा मुख्यत खनन कार्य किया जायेगा तथा खनन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु क्रेशर स्थापित किया जायेगा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार मैसर्स हँसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने न तो किसी प्रकार की औद्योगिक/खनन गतिविधि शुरू की है और ना ही स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को आज दिनांक तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: हां, अब बोलिये आप।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग ने इस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि खनन के लिए कम्पनी को जो जमीन आवंटित की गयी है उस पर जितने पेड़-पौधे लगे हुए हैं उनके बदले उतने पेड़-पौधे लगवायें। दूसरा, यहां पर गोचर भूमि है जिस पर प्रभावित गांवों के किसानों के पशु चरते हैं, अब गोचर के लिए चालीस किलोमीटर दूर जमीन दी जा रही है तो चरने के लिए पशु चालीस किलोमीटर दूर कैसे जायेंगे, इसलिये गोचर भूमि की व्यवस्था करायी जाये। तीसरा, आवंटित भूमि पर जो पीने के पानी के स्रोत तालाब, पोखर आदि बने हुए हैं उनको नष्ट नहीं किया जाये, उनको सही सलामत रखा जाये जिससे स्थानीय लोगों को और पशुओं को पीने का पानी मिलता रहे। चौथा प्रश्न मेरा यह है कि स्थानीय किसानों और लोगों को विश्वास में लेकर उनके साथ मिल बैठ कर बातचीत करके उनको उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिलाया जाये और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कम्पनी में नौकरियां दी जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहना है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम ताड़ावास में प्रस्तावित सीमेंट प्लाट के लिये ना कोई आवेदन प्राप्त हुआ है एव ना ही कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना/संचालन सम्मति) जारी की गई है। मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के द्वारा ग्राम ताड़ावास तहसील- खींवसर जिला-नागौर में एक सीमेंट प्लांट की स्थापना करना

प्रस्तावित है। परन्तु राज्य मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त कंपनी द्वारा ग्राम ताड़ावास में सीमेंट प्लांट को स्थापित करने हेतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है एवं न ही सीमेंट प्लांट स्थापना हेतु पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अथवा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में सम्मति हेतु आवेदन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी) की प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हैक्टेयर ग्राम ताड़ावास के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) से पूर्व जन सुनवाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेरावास के सामने खुले मैदान में गांव बेरावास तहसील-खींवसर जिला-नागौर मे दिनांक 18.05.2023 को आयोजित की गई थी।

तत्पश्चात मैसर्स हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 02.01.2025 को ग्राम ताड़ावास तहसील-खींवसर जिला-नागौर में चूना पत्थर क्षेत्र ब्लॉक के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

जन सुनवाई के समय उद्योग द्वारा वृक्षारोपण व स्थानीय लोगों को उनके शिक्षा, कौशल एवं अनुभव के आधार पर प्राथमिकता पर रोजगार उपलब्ध करवाये जाने बाबत प्रतिबध्दता दर्शाई गई एवं इसका उल्लेख पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02-01-2025 में उल्लेखित है। पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दु संख्या 29 पर उधोग पर पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु शर्त भी अधिरोपित की गई है। उधोग द्वारा कौशल ट्रेनिंग सेन्टर बनाए जाने हेतु प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी का राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा एक एम.ओ.यू. भी हुआ है जिसके अन्दर मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा तहसील खींवसर, नागौर में सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. किया गया, जिसमें चार हजार करोड़ का निवेश किया जाना है और लगभग चार सौ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला ध्यानाकर्षण।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): एक मिनट अध्यक्ष जी, पर्यावरण स्वीकृति में तीन पोखर बना कर जल संरक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना।

कोटा-मुम्बई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में क्षतिग्रस्त सड़कों,
भूमि व अधिग्रहित डोहली के पुजारियों को मुआवजा

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

सभा के नियम 131 के अन्तर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट कोटा-मुम्बई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में क्षतिग्रस्त सड़कों व अधिग्रहित मंदिर की डोहली का पुजारियों को मुआवजा दिलवाने बाबत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित करना है केवल एक लाइन में।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): कर दिया।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी। मंत्री जी जवाब दे दें फिर कुछ आपको उसमें जोड़ना हो तो जोड़ना।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में मुख्य जिला सड़क 252 से संबंधित है। उक्त सड़क किलोमीटर 16/500 भौरा से किलोमीटर 28/500 ग्राम सुरेला तक विधानसभा सांगोद में पड़ती है एवं किलोमीटर 28/500 ग्राम सुरेला से आगे सुल्तानपुर होते हुए किलोमीटर 57/900 निमोदा उजाड़ तक की सड़क विधान सभा पीपल्दा में पड़ती है।

उक्त सड़क पर सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रु 87.00 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए गए थे, जिसमें से राशि रु. 55.00 करोड़ की स्वीकृति हाल ही में परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 243 (12 महत्वपूर्ण कार्य) के अंतर्गत प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृति के अंतर्गत वर्तमान में सांगोद खण्ड के अन्तर्गत किमी 0/0 से 6/0 एवं सुल्तानपुर खण्ड के अन्तर्गत ग्राम भौरा (किमी 16/500) से ग्राम सुरेला (किमी 28/500) तक सड़क के निर्माण का कार्य ही सम्मिलित है, क्योंकि उक्त सड़क स्टेट हाईवे 70 को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे तौर पर जोड़ती है और यह सड़क मार्ग सुल्तानपुर कस्बे एवं उपखंड दीगोद में पड़ने वाले 18 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय राजमार्ग से आने की सुगमता प्रदान करती है।

पीपल्दा विधान सभा में पड़ने वाला किलोमीटर 28/500 से 33/700 तक जाने वाला हिस्सा नगर पालिका 2021-22 के कार्यों के अंतर्गत वर्तमान में गारंटी अवधि में है जिस पर स्वीकृति के अंतर्गत कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है तथा शेष सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु राशि रुपए 22.97 करोड़ के नवीन बजट घोषणा 2025-26 में राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत भिजवाए गए हैं तथा साथ ही में उक्त मार्ग के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण हेतु केंद्रीय निधि योजना के अंतर्गत राशि रुपये 58.83 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

भारतमाला प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई 8 लेन के निर्माण में भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों यथा निमली खेड़लीतनवरण, फतेहपुर खुश्क पीपल्दा सांड, कोटड़ापुरा एवं अन्य के विषय में भी लिखा गया है। परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के विषय में अवगत कराया जाता रहा है एवं उनसे उक्त सड़क की नवीनीकरण अथवा मरम्मत हेतु मांग की जाती रही है, उनके द्वारा भी पत्रांक (पीडी एनएचएआई) 3724 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा इस विषय में आश्वस्त किया गया था।

वर्तमान तिथि तक इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़कों के अति क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से इन सभी सड़कों को नॉन पैचेबल सड़कों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है एवं विभागीय योजनाओं में स्वीकृत करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा से गुजरने वाले दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे की भूमि अर्जन हेतु उपखण्ड अधिकारी, दीगोद को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) नियुक्त किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), दीगोद से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान मे मुआवजा राशि का जो वितरण किया गया है दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे में जो राशि जमा करायी गयी है 180.83 करोड़ रुपये और जो हमने वितरित कर दिये किसानों को 198.44 करोड़ रुपये। शेष जो राशि बची है 2.39 करोड़ रुपये।

उपखण्ड अधिकारी, दीगोद ने अवगत कराया है कि शेष रहे किसानों को मुआवजा राशि प्रभावित काश्तकारों के दस्तावेज अप्राप्त होने एवं नामांतरण संबंधी कार्यवाही के कारण प्रक्रियाधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्र ही इसका निस्तारण कर दिया जावेगा।

दीगोद तहसील क्षेत्र मे परियोजना के संरेखण से प्रभावित मंदिरो की कुल 18.0351 है। भूमि अवाप्त की गई है जिसके मुआवजे की राशि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), दीगोद द्वारा मंदिर माफी की भूमि/स्थलों का संबंध/स्वामित्व देवस्थान विभाग को होने से, प्रभावित भूमि/स्थलों की मुआवजा राशि 10.747 करोड़ देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.) को दिनांक 19.01.2021 एवं 01.07.2021 को जमा करा दी गई है।

(3) कोटा जिले से निकल रहे दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे की बाउन्ड्रीवाल के दोनों ओर सरंचनाओं एवं वन को छोडते हुये लगभग 155 कि.मी. में ग्रेवल रोड का निर्माण होगा, इस हेतु जिला कलेक्टर, कोटा को NHAI, पकाई कोटा के पत्र दिनांक 17.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर राजस्थान राज्य सरकार निशुःल्क भूमि (ROW) आवंटित करने की सहमति प्राप्त होते ही सक्षम प्राधिकारी NHAI से ग्रेवल रोड के निर्माण की लागत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

कमाण्ड एरिया डवलपमेंट विभाग, कोटा द्वारा अवगत कराये गये प्रभावित सिंचाई धोरों का पुनः निर्माण NHAI द्वारा करवा दिया गया है। शेष कार्य माह मार्च 2025 में नहर संचालन बन्द होने के उपरान्त करवा दिया जावेगा।

(4) निर्माण के समय स्थानीय नागरिकों की मांग पर अण्डरपास में से कम्बाईन मशीन 4.5 मीटर ऊंची (कृषि यंत्र) को निकालने हेतु अण्डरपास सड़क के साइड के Portion को नीचे कर दिया गया था, जहां पर बरसात में पानी जमा हो जाता है। वहां अब स्थानीय निवासियों की पानी भरने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए, एक्सप्रेस वे की ROW में कच्ची ड्रेन के माध्यम से बरसाती पानी के स्थायी निकासी का समाधान कर दिया गया है।

Kas/rtm/07.03.2025/13.00/1n

श्री अध्यक्षः मांग पर बोलने वाले आज भी अधिक लोग है, रोज-रोज अधिक लोगों की

संख्या आ रही है, तो 11 तारीख तक जब तक डिमांड्स हैं, तब तक भोजन अवकाश स्थगित किया जाता है। माननीय सदस्य, अब पूछिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतमाल 8 लेन दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केन्द्र में भाजपा सरकार है। मेरे और अन्य विधान सभा क्षेत्र में इस 8 लेन प्रोजेक्ट के द्वारा जो ग्रामीण सड़के हमारे विधान सभा क्षेत्र की टूटी हैं, प्रदेश में और जगह भी जहां-जहां से भी यह 8 लेन प्रोजेक्ट निकला है, इसकी वजह से जो सड़कें टूटी हैं, उसके लिये पीडब्ल्यूडी विभाग ने नेशनल हाइवे को अवगत कराया। जैसा कि जवाब में दिया गया कि 12.8.2021 को नेशनल हाइवे द्वारा आश्वासित किया गया कि इन सड़कों को ठीक करवा दिया जायेगा। आज 2025 चल रहा है, लेकिन छोटी से छोटी मरम्मत का कार्य भी इसमें नहीं किया गया है, जिसका विवरण भी जवाब में दिया गया है। डबल इंजन की सरकार है..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपसे एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट में यह पूरा कर लें, फिर आप बोल लेना।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): डबल इंजन की सरकार है, छोटी सी छोटी सड़क का भी श्रेय डबल इंजल की सरकार लेती है, तो जो यह 8 लेन सड़क की वजह से ग्रामीण सड़कें टूटी हैं, इसका श्रेय भी आप लोगों को लेना होगा। हमारा किसान परेशान हो रहा है। सड़कें ठीक कराने के लिये नेशनल हाइवे के पास जाते हैं, तो वो पीडब्ल्यूडी का नाम लेते हैं। पीडब्ल्यूडी के पास जाओ तो वह कहते हैं नेशनल हाई-वे के पास जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों की स्थिति फुटबाल जैसी कर दी है, परेशान हो चुके हैं। हमारे किसान ट्रेक्टर-ट्रोली लेकर 8 लेन पर नहीं जायेंगे, हमारे तो इन्हीं सड़कों पर जायेंगे, तो कृपया इस पर आप ध्यान देवें, पहला मुद्दा।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): साहब, दूसरा पुजारियों का है कि इस 8 लेन में जितनी भी पुजारियों की जमीनें गई हैं, मैं माननीय मंत्री जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बजट में पुजारियों का जो मानदेय बढ़ाया है, 3500 से 7500 रुपये किया है, उसके लिये मैं धन्यवाद करता हूं, पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने जो मानदेय बढ़ाया है वह केवल और केवल जो रजिस्टर्ड मन्दिर हैं, उनके पुजारियों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक मन्दिर भी रजिस्टर्ड नहीं है और इस 8 लेन प्रोजेक्ट में जिन पुजारियों की जमीन गई है, उनका एक रुपया मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया। जब यह पुजारी विभाग के पास जाते हैं कि हमको मुआवजा दो, तो उनको बोला जाता है कि आप इस मन्दिर माफी की जमीन के केवल संरक्षक हैं, आप इसके मालिक नहीं हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये पुजारी पुरखों के समय से डोलियों को करते आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बन गई है कि वो कर्जे में जाते जा रहे हैं, आत्म हत्या कर रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार

पुजारियों से, पंडितों से सिर्फ और सिर्फ भूखे पेट भजन करवा रही है, यह सोचने का विषय है। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्षः विराजो, विराजिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो मन्दिर अवाप्ति का मुआवजा जो देवस्थान विभाग को दे दिया गया है...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। मैंने 7-8 मिनट आपको दे दिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्षः विराजिए। मंत्री महोदय, आप कुछ कह रहे थे?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, जब भी कोई सड़क की घोषणा होती है, तो उसके साथ ही उसका बजट अमाउंट भी घोषित होता है। जो सड़कें इसमें बताई गई हैं, उसमें 06 से 500 में 16500 तक सड़क थी, वह गारंटी अवधि में है। इसी तरह 28500 से 33700 की सड़क गारंटी अवधि में है। फिर भी जो बाकी बच गई हैं, अभी कार्य चालू है, चूंकि बजट घोषणा में किया गया है, निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा। जहां तक पुजारियों के मुआवजे की बात है, जो शुरू से लेकर अभी स्थापित विधि चली आ रही है कि पुजारियों को सिर्फ अपने वहां के मंदिरों का संरक्षक घोषित किया गया है और आज तक जो मुआवजा दिया गया है, वो सिर्फ देवस्थान विभाग को ही दिया गया है। इस रोड में जितनी भी भूमि अवाप्त की गई थी, उसमें पुजारियों का मुआवजा देवस्थान विभाग को ही जमा कराना था, क्योंकि पुजारी सिर्फ संरक्षक होते हैं और मूर्ति के नाम उनकी जमीन होती है, वो सिर्फ उस पर काश्त कर सकते हैं। देवस्थान विभाग को 10.747 करोड़ रुपये जमा करवा दिये गये हैं। मंदिरों के रिगार्डिंग कोई मुआवजा बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप कुछ कह रहे थे, बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कुछ परिदृष्य बदला-बदला नजर आ रहा है। कुछ माननीय सदस्य पहले सक्रिय थे, वो आजकल विधान सभा में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य पहले थोड़े कम दिखते थे, मैं धन्यवाद देता हूं पायलट साहब को, सक्रियता बहुत बढ़ी है, आते रहते हैं।

श्री अध्यक्षः सदन तो बहुत सक्रिय है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मिनट मेरी बात पूरी कर लूं। यह करंट क्यों आ रहा है, जूली साहब? उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः इनको बोल लेने दो फिर आप जवाब दे देना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी सीट के पास आने-जाने वालों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। कहीं यही तो कारण नहीं है करंट का? इसलिए आप स्पष्ट कर दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शुरूआत यहीं से हुई

है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। यह उनके दोस्त हैं।

श्री अध्यक्षः चलो, विषयांतर हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह उनके दोस्त हैं और यह सारा षडयंत्र यहीं से रचा जा रहा है। हमारे अन्दर कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं।

श्री अध्यक्षः विराजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें। डाक्टर मंजू बाघमार।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन' पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का ''राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हरिसिंह रावत।

समिति प्रतिवेदन

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 व 2)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2024-25, समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.6.1, 4.6.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.1(अ), 5.3.1(ब), 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.6.2) पर समिति का प्रथम प्रतिवेदन; एवं
2. स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.6.1, 4.6.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.5, 10.2) पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्षः श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 से 3)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2024-25 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. शिक्षा विभाग के वर्ष 2015 एवं 2016 (14वीं विधान सभा) के आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन;
2. शिक्षा विभाग के वर्ष 2017 एवं 2018 (14वीं विधान सभा) के आश्वासनों से संबंधित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन; एवं
3. शिक्षा विभाग के वर्ष 2019 (15वीं विधान सभा) के आश्वासनों से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।

याचिका

आहोर के ग्राम भेटाला में श्मशान हेतु भूमि आवंटन

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम भेटाला में श्मशान हेतु भूमि आवंटन करवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ललित यादव।

ओ.बी.सी. व अन्य वर्गों के आरक्षण में कटौती

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ओ.बी.सी. व अन्य वर्गों का आरक्षण कम किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

सुल्तानपुर व बडौद में मुख्य सड़क पर नाला निर्माण के अभाव से जलभराव

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में टोल वसूली के बाद भी स्टेट हाईवे-70 पर सुल्तानपुर व बडौद में मुख्य सड़क पर नाला निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आज मांग संख्या 39 और 40 पर बहस है। दोनों सचेतकों ने माननीय सदस्यों के नाम दिये हैं और कुछ निर्दलियों के भी आ गये हैं। मेरा एक ही आग्रह है कि जितना समय आपके सचेतकों ने दिया है, उसमें अपना वक्तव्य पूरा करें और साथ में जो भाग लें, वो अंत तक बैठें। बाद में जब बोलने वाले ही नहीं होंगे तो मंत्री जी जवाब किसको देंगे? तो आज जो भी बोलें, वो अंत तक रहें, ऐसा मेरा सदैव के लिये, केवल इस मांग के लिये नहीं, सदैव के लिये आग्रह है। 9 बजे मंत्री जी जवाब शुरू कर देंगे और उस समय तक यदि कोई लंबा खीचेगा तो लास्ट वालों के नाम कटेंगे, तो फिर मुझे आप मत कहना, क्योंकि

आखिर कोई सीमा तो तय करनी पड़ेगी। ...

Msk/rtm/07.03.25/1310/1o

आप लोग 9 बजे तक बोल लें, घंटा भर मंत्री जी जवाब दे दें, ताकि 10 बजे तक अपन लोग सदन स्थगित कर सकें। पहले मंत्री जी मांग रखेंगे। ध्यान आ गया, दोनों बड़े-बड़े लोग बैठे हैं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन की प्रस्तुति

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,86,97,000/- (चौंसठ करोड़ छियासी लाख सत्तानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 125,60,46,17,000/- (एक सौ पच्चीस अरब साठ करोड़ छिंयालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

धन्यवाद।

(मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्षः चर्चा शुरू। श्री श्रीचन्द्र कृपलानी।

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए शहरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा लगातार नित नये नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से वे प्रयास सफल होंगे, जिससे आम व्यक्ति का जीवन आसान बनाया जा सके, शहरों का विकास हो,

शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। ट्रैफिक व्यवस्था की जो समस्या है, उसका समाधान हो। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई चुनौतियां हैं। सरकार उन चुनौतियों को विकास के रूप में बदलने का पूरा प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने पहले जब राजस्थान में पांच साल तक कांग्रेस का शासन था। उनके कर्मों की सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। पांच साल में इन्होंने जो कर्म किये, उनको आज भुगत रहे हैं। जो भ्रष्टाचार किया, जो गलत काम किये, विकास अवरूद्ध किया, निश्चित रूप से 13 महीने में हमारी सरकार ने इस बात का प्रयास किया। धारीवाल जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। जूली साहब, सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मेरे को ही कहेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी जोगाराम जी एक बात कह रहे थे कि सदन सुव्यवस्थित चल रहा है, उसकी वजह क्या है, सबको पता है। मैं चाहता हूं कि वे होते तो मजा ज्यादा होता।

श्री अध्यक्षः कुछ राज को राज रहने दो, आप तो बोलो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धारीवाल जी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राजेन्द्र पारीक जी भी खुश हैं, जूली जी भी खुश हैं। सबसे पहले तो अपनी खुशी के लिए यहां पर ताली बजा दो, यह निवेदन है। हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य इतने खुश हैं।

मुझसे ना पूछो कि तुमने क्या-क्या किया अपने समय में,
बताने लगा तो बौखला जाओगे।

और बौखला भी रहे हैं। धारीवाल जी के लिए भी, आपके लिए भी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप मत बौखलाना, बाकी सब ठीक है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नगरीय विकास आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग को अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचारी नीतियों की बलि चढ़ा दिया। सारे विकास को भ्रष्टाचार की नीतियों की बलि चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने के लिए कई चीजें हैं। जूली साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप विपक्ष के नेता हैं। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनें। समरजीत सिंह जी, प्लीज इनको सुनने दें। इनको सुनाना जरूरी है। अब ये राजस्थान में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। पिछले पांच-सात, दस दिन से। जब से इनको सदन में आराम मिला है, तब से। बोलने का भी पूरा मौका और अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कांग्रेस की करतूतों को भी सुनो, क्योंकि आप भले आदमी हो।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग यूडीएच के अंतर्गत पिछले कांग्रेस के राज में जिस तरह वित्तीय अनियमितताएं, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार हुए हैं। धारीवाल साहब, आपको सुनायी तो पूरा दे रहा है ना? आप उस समय कह रहे थे कि कम सुनता हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पूरा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धारीवाल साहब, आप मुझे यह बतायें कि कोटा में आपने चंबल रिवर फ्रंट बनाया, आपने 1,442 करोड़ रुपये लगाये। बहुत बड़ी परियोजना थी। आपने एन जी टी से परमिशन नहीं ली। आपने बिना एन जी टी की परमिशन के उस योजना को बनाया। सभापति महोदय, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी, जिनको उन्होंने उस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए बुलाया और जब लोगों ने शिकायतें कीं। संदीप जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तब गहलोत जी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी रखी थी, क्या गहलोत जी वहां पर आये थे? नहीं आये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जवाब दे दूं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, दे दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय कटेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जवाब देने दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय कृपलानी साहब, एक बात सुनिये, एन जी टी की परमिशन की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। जब कुछ लोग हमारे खिलाफ एन जी टी में गये और शिकायत की साहब, आपसे परमिशन नहीं ली और इन्होंने ऐसा निर्माण कर लिया। तो एनजीटी ने बाकायदा अपने डायरेक्टर्स भेजे, अपने इन्वेस्टिगेटर भेजे और भेजकर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देकर कहा कि वाकई कोई जरूरत नहीं थी और बहुत अच्छा बनाया गया। यह एन जी टी की रिपोर्ट है। रहा सवाल मुख्य मंत्री जी का, मुख्य मंत्री जी उस रोज बीमार थे, दूसरे रोज आ गये थे।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने पूरे कोटा में। लाडपुरा, कुनाड़ी, शकदपुरा, जितने भी नहरी क्षेत्र हैं। एन जी टी की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने कितने अवैध निर्माण कर दिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह बहस का विषय नहीं है। आदरणीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आये तब बोल देना। सीनियर सदस्य हैं। आप विराजिये। आपका नंबर आ रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं सभापति महोदय को ही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप इनको इनवाइट कर रहे हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पहले नियम समझ लें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके नियम मुझे नहीं समझने। मैं मेरी पार्टी के नियम समझता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं ? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप उधर हाथ ही मत करो। आप तो सामने देखें। प्लीज आप बहस मत करें, नहीं तो आपको बोलने में दिक्कत करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, न्होंने ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी के नाम पर 250 करोड़ रुपये पानी में बहा दिये कि कोटा में ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनायेंगे। जयपुर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनायेंगे। आप बतायें, बन गयी क्या? क्या तुम्हारा कोटा बन गया? ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है, कहीं भी? पूरी हालत इन्होंने बिगाड़ दी और 250 करोड़ रुपये का घोटाला इसमें किया है। सभापति महोदय, आर यू आई डी में टेंडर घोटाला हुआ। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो तकनीकी समिति बनी हुई है, के द्वारा असहमति जताने के बावजूद भी कम लागत वाली निविदाओं को इन्होंने निरस्त कर दिया और अपने चहेतों की फर्मों को ऊंची दरों पर टेंडर दिया। आप यह पता लगा लेना। आप चाहो तो मैं नाम भी बता सकता हूं कि किन-किन को टेंडर दिये हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जांच करा लो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इतना ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम जनहित याचिका, 2 अगस्त 2004 के आदेशों के अनुसार नदी क्षेत्रों पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, उस पर भी आपने सब जगह अवैध निर्माण कराये। यह लोगों से छिपा हुआ नहीं है। यह अखबारों में सब जगह छपा हुआ है कि आपने अवहेलना की।

सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में 'प्रशासन शहरों की ओर' चला।

mdp/rtm/07.03.25/13:20/1p

69ए स्टेट ग्रांट एक्ट की आड़ में पट्टे देने के नाम पर आपने जो जमकर बंदरबांट की ना, ये प्रशासन शहरों की ओर नहीं था, ये भ्रष्टाचार शहरों की ओर था, जो आपने किया।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिमिट तक आप पट्टे दे सकते हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मंत्री जी, बता सकते हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें अपने चहेतों को इस स्टेट ग्रांट के पट्टे के नाम पर दी गयी। मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा, इसकी जांच करवाइए। एकल पट्टा तो है ही, ...(व्यवधान)... इसके अलावा इन्होंने..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान)... आप कर लीजिए..

श्री सभापतिः प्लीज, आपका नंबर आ रहा है। सम्माननीय धारीवाल साहब, जब आपकी बोलने की बारी आए, तब बोलना।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आपका वक्तव्य आने के बाद मेरा जवाब सुनना।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, आपका भी नंबर आयेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति जी, माननीय सदस्य को कहें कि बाईनेम इनवाइट नहीं करें। अपनी बात बोलें, बार-बार इनको इंगित करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... जवाब तो देंगे, ...(व्यवधान)...कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री सभापतिः माननीय, आप भी पूर्व मंत्री महोदय हैं, आप पूर्व में मंत्री रहे थे, ये भी मंत्री रहे हैं, नाम से किसी को इंगित नहीं करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, पारीक साहब, यदि वे बाईनेम भी कह रहे थे, तो इनका जवाब आने वाला है। उस समय जवाब दे देना। ऐसे बीच में करेंगे तो हम भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): किसी का नाम नहीं ले सकते आप। ...(व्यवधान)... नहीं ले सकते।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नाम ले रहे हैं तो ...(व्यवधान)... आप जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सचेतक महोदय, आप इनवाइट क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दे दूंगा जवाब।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बार-बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कोई नहीं करेगा, आप नाम मत ...(व्यवधान)... इंगित कर रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज, यह बहस का विषय नहीं है। ...(व्यवधान)... आपका नंबर आए तब आप बोल देना। माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप हमें बार-बार ...(व्यवधान)... बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, आप लोग विराजिए। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं आपके। आपको अपने नेता प्रतिपक्ष पर भरोसा नहीं है। बहुत ही सीनियर और बहुत ही विश्वासपात्र जवाब देते हैं। यह सब नोट करते हैं, जब बोलने का मौका आता है, ये सारी बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए। प्लीज, बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मेरे को बहुत बोलना है, ये डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा?

श्री सभापतिः आपका नंबर नहीं कटा, शुरू अब हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं दो घंटे बोलूंगा। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात तो सुनेंगे। इनके भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनेंगे तो काम कैसे चलेगा? सभापति महोदय, सुनिए

आप, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये तो इन्होंने पट्टों में खाए ही हैं। जमीनें अवैध अपने लोगों को दी हैं। मैं झाबर सिंह जी खर्रा साहब मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने राज में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, नये शिविर लगाकर उन लोगों को राहत पहुंचाएं, जिनको 5 साल कांग्रेस के राज में यातनाएं भुगतनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और झाबर जी खर्रा बहुत जल्दी ये पट्टे देने काम और सस्ती दर पर पट्टे देने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, अब आप बताइए, कोटा नगर विकास, जो अब केडीए बन गया है। पांच हजार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं है उसमें। जो पैसा पहले था, बिलकुल दीवालिया कर दिया उसको, केडीए को, वह तो बताएंगे जब बताएंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। पूरे राजस्थान की जनता, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बजट आता था, उस बजट में कांग्रेस के राज में कोटा और जोधपुर, कोटा में भी दक्षिण कोटा नहीं था, न आपका लाड़पुरा जो इनका शहरी क्षेत्र है, वह भी नहीं था, खाली इनका ही कोटा है। सभापति महोदय, इस बात की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने आरटीपीपी नियमों के तहत जो टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पहले से ही कार्यरत कमेटी होते हुए भी एक नयी कमेटी बनायी और कांग्रेस ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया। इससे पहले अधिकृत टेंडर कमेटी के निर्णयों को उससे इन्होंने प्रभावित किया। नयी कमेटी में किस-किसको लिया, जूली साहब, आप देखना उसको। आप आश्चर्य करेंगे किसको लिया और किस तरह इन्होंने टेंडर, जो ज्यादा थे, महंगे थे उनको टेंडर दिए।

सभापति महोदय, कंसल्टेंसी के नाम पर बिना अनुभव वाली कंपनियों को कितने करोड़ दिए खर्रा साहब, 6 हजार करोड़ रुपये। 6 हजार करोड़ का घोटाला किया इसमें। 6 हजार करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं होता है। जनता को गाढ़ी कमाई को बिना किसी...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान)... रो क्यों रही है? जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये क्या है, सभापति महोदय?

श्री सभापति: माननीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आ रहा है, आप तब बोलना, कोई नहीं टोकेगा आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, भवन उप-नियमों का उल्लंघन करके 600 करोड़ रुपये आईपीडी बिल्डिंग के काम पर खर्च कर दिए और अब प्रोजेक्ट नियमों में उलझाकर अधूरा छोड़ दिया। जिसे आज हमारे मुख्य मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अधूरा छोड़ दिया उस प्रोजेक्ट को। सभापति महोदय, आ रहा हूं, अभी रुकिए। सभापति महोदय, इन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई,

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो मंत्री पूरे राजस्थान के रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो सरकार की, रहे हैं, परंतु आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राज में आपके मंत्री ने सारा पैसा हवाले कर दिया, एक रुपया आपके अलवर में

नहीं दिया। आपको सोचना चाहिए इस बात को। मुझे क्या कह रहे हैं आप?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अलवर में खूब काम हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, आपका कार्यकाल जिस तरह 800 करोड़ रुपये ट्रेफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट घोटाला हुआ। चम्बल रिवर में 1442 करोड़ का घोटाला हुआ। एकल पट्टे का जो घोटाला हुआ और सबसे बड़ी चीज है कोटा और जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का विनाश आप लोगों ने किया, इसके लिए राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, कोटा में, मैं फिर कोटा कहूंगा तो आप कहेंगे कोटा, चूंकि इन्होंने कोटा को ही राजस्थान बना दिया। इन्होंने सारे उत्तर कोटा की सड़कें, सारे कोटा उत्तर की सड़कों को तोड़-तोड़ कर एक लेयर बिछाकर करोड़ों रुपये उसमें खा गये। उसमें लेयर बिछा-बिछा कर करोड़ों रुपये खा गये और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उत्तर कोटा के पास में लाडपुरा का क्षेत्र है, दक्षिण कोटा का क्षेत्र है, उस सबको छोड़ दिया। कल्पना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कहीं पर भी कुछ नहीं किया। अब सफाई कर्मचारियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। वह राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है।

मैं राजस्थान पर आता हूं, अब मैं कोटा को छोड़ रहा हूं। सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में शहरों के मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नाम पर करोड़ों रुपये के भुगतान किये गये। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी भी आप जांच करवाएं और पूरे मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपको धन्यवाद देता हूं, ...(व्यवधान)... मेहरबानी करके जो आरोप हैं, वह सरकार को दे दें ताकि जांच हो जाए इनकी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा पर मैं तो बोल सकता हूं, साहब। मैं तो बोल लूं।

श्री सभापति: सदस्य, सम्माननीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आएगा तब बोल लेना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भ्रष्टाचार को भी खतम करेगी, राजस्थान का विकास भी करेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, देखिए, फिर धारीवाल जी मैं आपको कहूंगा, जूली जी आप सुन लो, आप विपक्ष के नेता हो, इस राजस्थान में पिछले पांच साल में जो करप्शन हुआ है यूडीएच के माध्यम से, कांग्रेस के राज में, पूरे देश ने देखा है इसको, पूरी दुनिया ने देखा है। आप तो यह बता दीजिए कि कोरोना के समय में ये फाइव स्टार होटलों में सारे एमएलए ठहरे थे, उसका खर्चा कौन कर रहा था? आपके दिल्ली के नेताओं को पैसा कौन भेज रहा था? आपका डिपार्टमेंट ही भेज रहा था। आप ही भेज रहे थे। ...(व्यवधान)... टेम्पो पता लग गये आपको, उसमें तो आपकी पोल खुल गयी।

सभापति महोदय, आप देखिए विकास का, जब भी बजट पेश होता तो उस बजट में जयपुर-कोटा और जोधपुर-कोटा के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं आज राजस्थान के

लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, हमारे मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने जो अभी बजट पेश किया, उसमें राजस्थान के सभी शहरों का जिक्र था। एक बार आप भी तालियां बजाओ जोरदार। इसके परिणाम भी आने शुरू हो गये हैं।

सभापति महोदय, बजट की घोषणाएं तो बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको निवेदन करना चाहूंगा। निम्बाहेड़ा तो मैंने खूब कर लिया, चिंता मत कीजिए। प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाइटें लगायी जाएंगी। 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण, 175 करोड़ की लागत से हमारे बजट में कराया जायेगा। प्रदेश के 296 शहरों में वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट तथा ट्रीटेट वॉटर का उपयोग उद्योग व कृषि ...(व्यवधान)... अब, ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन, निस्तारण, जी सी सी मॉडल पर 4000 हूपर लाये जायेंगे। ये हमारे बजट में पहले आ चुका है।

Ans/rtm 13.30 1q 07.03.2025

राजस्थान के 32 शहरों में सोलिड वेस्ट मैंनेजमेंट सम्बन्धी कार्य किए जाएंगे। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको रोको ना।

श्री सभापतिः आप उधर देखो ही मत, आप तो आसन की तरफ देखो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 100 रोबोटिक थ्री इन वन सीवरेज मशीनें लाई जाएगी। 30 नगर परिषदों में मेकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना, यह हमारे बजट में है। खर्रा साहब तो कई चीज़ें कहेंगे, परन्तु यह दिया कुमारी जी ने बजट पढ़ा उसमें है। संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज गैप को कवर करेंगे। दो हजार किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन का आगामी चार वर्षों में नवीनीकरण किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। द्रव्यनदी वसुंधरा जी का सपना था। यहां एक अमानी शाह नाला था जो गंदा, कीचड़ से भरा हुआ, दुर्गंध थी। पूरे जयपुर शहर वाले उससे परेशान थे। हमने द्रव्यवती नदी पर सौंदर्यकरण करने के लिए निर्माण किया, उसके एक फेज का उद्घाटन भी हुआ, कालीचरण जी आपको पता ही है। आपने क्या किया, पांच साल में उसको वापस वैसे ही कर दिया। आपको तो अमानी शाह नाम भी पसंद है, आपको द्रव्यवती पसंद भी नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने क्या किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमने किया वही तो बता रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मुख्य मत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी बजट में उन्होंने 50 करोड़ रुपये उसको वापस सही करने के लिए दिये और निश्चित रूप से द्रव्यवती का वही सौंदर्यकरण होगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लाई गई है। जिसके तहत जितने बिखरे हुए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वह ठोस कचरा हो, प्रबंधन हो, वेस्ट वॉटर मेनेजमेंट हो, सीवरेज हो, अन्य

सभी शहरी सुविधाओं को एक साथ करने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने बजट में 12 हजार 50 करोड़ का आवंटन किया है, उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, यह सही है कि हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार हमेशा कहती है कि राजस्थान के सपने को हम हकीकत में बदलेंगे और निश्चित रूप से बदलेंगे।

सभापति महोदय, अभी हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने घोषणा की थी वन स्टेट वन इलेक्शन। आप उसका भी मजाक बना रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में, यह झाबर सिंह जी खर्रा के नेतृत्व में पहली बार नगरपालिका, नगरपरिषद के वन स्टेट वन इलेक्शन होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपने क्या किया, आपने किया ..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): रोक कौन रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अलग-अलग टाइम चुनाव कराने हैं। जहां-जहां जीत सकते है पहले करा लो, फिर दादागीरी से चुनाव करा लो, वार्डों को बांट दो, अल्पसंख्यकों के वार्ड छोटे कर दो, बहुसंख्यकों के वार्ड बड़े कर दो, इस तरह करके कोटा को दो कर दिया, जयपुर को दो कर दिया, जोधपुर को दो कर दिया, कम से कम एक नगर निगम तो जीते। हम आपको फिर कह रहे हैं इस बार सब नगर निगम एक होने जा रहे हैं और एक भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप यह देखना।

श्री सभापति: प्लीज, आप समाप्त कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे मुख्य मंत्री जी ने अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारम्भ की है। सभापति महोदय, जिस समय वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थी उस समय भी अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी। उस अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर, फिर कह दूंगा लफड़ा पड़ जाएगा, किसके नाम पर रखा आपको पता है। इस बार मैं हमारे खर्रा साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रतिथाली वज़न कर दिया। यह गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): थाली का वज़न बढ़ाया, माल का वज़न बढ़ाया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माल का।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री आवास पर भी डेढ़ लाख से ढाई लाख रूपये कर दिये। आईयूआईडीपी योजना में कई नये शहरों को जोड़ते हुये इसका विस्तार किया। प्रधान मंत्री स्वनदी योजना जैसी योजना हमारे मुख्य मंत्री जी ने बनाकर स्वनदी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र की तर्ज पर यह योजना बनाई है, उसका लाभ आने वाले समय में स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा।

सभापति महोदय, आपको पता होगा कि जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने पूरे

हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान के 36 राज्यों में, केन्द्र शासित सहित स्मार्ट सिटी बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें राजस्थान के चार शहरों को सम्मिलित किया गया, अब उन चार शहरों में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मजबूत करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे यूडीएच मंत्री जी ने 675 नई इलेक्ट्रिक बसें प्रतिवर्ष प्रदेश के शहरों को देने के लिए घोषणा की।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी तो बहुत चीजें हैं, साहब। कांग्रेस वाले कहते हैं कि रिंग रोड़ हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। यह रिंग रोड उस समय वसुंधरा जी मुख्य मंत्री जी थी उन्होंने प्रयास किया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमने बनाया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं बनाया। सत्य बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)... अधूरे पड़े हैं, आप नहीं बना पाए।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हम लोग नितिन गडकरी जी के पास गये ...(व्यवधान)... रिंग रोड उन्होंने स्वीकृत किये। मैं आपको कह रहा हूं कि भजनलाल जी शर्मा और झाबर सिंह जी की टीम इस रिंग रोड को कम्पलीट करेगी। निश्चित रूप से जयपुर को, लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, जब यह असत्य बोलते हैं ...(व्यवधान)... मेरी आवाज में तो मजा आयेगा ही नहीं, मेरे गले का ऑपरेशन हुआ है। मेरा गला ठीक होता तो आपका सबका इलाज कर देता। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): प्रधान मंत्री के पीछे यशस्वी बोलो, मुख्य मंत्री के पीछे यशस्वी बोलो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आप सीनियर सदस्य है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक-एक चीज का जवाब मिल जाएगा, आप आराम से विराजो,तसल्ली से विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप कहते हो मेट्रो प्रोजेक्ट हमारा है। आपका है मान लिया। पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट का आपने सत्यानाश कर दिया, अधूरा छोड़ दिया और आज उस काम को हमारे मुख्य मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अभी बजट में उन्होंने घोषणा की है कि मेट्रो फेज-2 में जगतपुरा, वैशाली नगर में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट लगेगा, लोगों को राहत मिलेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य। समाप्त कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पांच मिनट। सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि किसी भी सरकार की योजना चाहे हमारे खिलाफ सरकार हो, उसकी

अगर अच्छी योजना है तो हम बंद नहीं करेंगे, इसलिए आज इनको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी-मोटी कोई अच्छी योजना हुई तो जरूर रखेंगे। कांग्रेस ने इन पांच सालों में जो तुष्टिकरण की राजनीति की चाहे नगरपालिका में वार्ड के पुनः निर्माण में तुष्टिकरण किया। कोटा शहर में, फिर कोटा पर आ गया। कोटा शहर में 19 जमीनें इन्होंने अल्पसंख्यकों, एक अलग-अलग संस्था बनाकर आवंटित की उससे कोटा की जनता आहत हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिए। सम्माननीय समाप्त कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महादेय, मेरा निवेदन है कि राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने छोटे-छोटे गांव को नगरपालिका बना दिया। आज वह गांव वाले राज़ी नहीं है। वह लिखकर दे रहे हैं कि हमें नगरपालिका नहीं चाहिए हमारे यहां विकास नहीं हो रहा, पट्टे नहीं मिल रहे, मकानों की परमिशन नहीं मिल रही है, सुविधा भी बंद हो गई। इन्होंने तो एक-एक तहसील को ज़िले बना दिये, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। छोटे गांव, छोटी नगरपालिका तो बहुत छोटी चीज है। पंचायत को जिला बना दे इनका भरोसा नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड में किसानों को मुआवजा मिलता था, हमारे राज में 25 परसेंट था फिर इन्होंने 15 परसेंट कर दिया। खर्रा साहब को मैं धन्यवाद देता हू कि इन्होंने वापिस 25 परसेंट कर दिया। कांग्रेस वाले हमेशा एक नारा लगाते रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी नारा लगाते थे, धारीवाल जी, जूली साहब, डोटासरा भी लगाते थे। काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। जनता ने नारा दिया, तुमने सत्यानाश किया दिल से, भ्रष्टाचार किया दिल से और कांग्रेस कभी नहीं आएगी फिर से।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा):दो मिनट। मैं खाली दो चीजें और कह देता हूं।

श्री सभापतिः बोल दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम राजस्थान को नये विकास की ओर ले जाएंगे।

VPS-RTM-07.03.2025-13.40-2a

चार पंक्तियां कांग्रेस के राज के बारे में मैं कहना चाहता हूं-
कांग्रेस खुद को बेच चुकी, असत्य के बाजार में,
लूट डकैती घर-घर चोरी, काले भ्रष्टाचार में,
शहर-शहर में अंधियारा था, छूट की सरकार में,
जादूगर का जादू था, होटल के दरबार में,
त्राहि-त्राहि मची हुई थी, जनता की चीत्कार में,

क्या छुपाते करतूतें अपनी घर के हाहाकार में,

अब भ्रष्टाचार किया दिल से, तो मुंह छुपाओ, बैठे रहो फिर से।

माननीय सभापति महोदय, हमारी भाजपा सरकार होटलों में नहीं, हौसलों में विश्वास करती है इसलिए देश में अब जनता केवल भाजपा को चुनती है। जय भारत। जय भा.ज.पा.। जय राजस्थान।

श्री सभापति: सम्माननीय शान्ती लालजी धारीवाल साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 एवं 40 पर आज अपने विचार रख रहा हूं।

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि शहरों की पापुलेशन दिन-पर-दिन बढ़ रही है और बढ़ते-बढ़ते कुछ ही सालों में पचास परसेंट लोग शहर के निवासी हो जाएंगे तो शहरों में पापुलेशन जब बढ़ रही है तो क्या सरकार के पास अपना कोई विजन है? यह क्या करना चाहती है सरकार उन लोगों की बसावट के लिए? कहां बसेंगे यह? कहां बसेंगे वह लोग? क्या उनको प्राइवेट डवलपर या भू-माफियाओं पर छोड़ दिया जायेगा? कहां जाएंगे? आपने जे.डी.ए. में तीन, पूरे सवा साल में तीन स्कीमें निकालीं और तीन स्कीमों में कितने निकाले? 627 प्लाट। एप्लीकेशंस कितनी आ गयीं आपके पास? लाख के ऊपर तो यह प्लानिंग तो करो भाई, कि कहां बसाओगे इन लोगों को?

कोटा की बात की आपने, कोटा में हमने 32 कॉलोनियां बनाईं और 32 कॉलोनियां बनाकर पैसा जनरेट किया, सरकार का एक पैसा नहीं लिया। राजस्थान सरकार का एक पैसा कोटा में नहीं लगा और सात हजार करोड़ रुपया हमने खर्च किया।

बात करते हो भ्रष्टाचार की, उसकी तो लाओ, लिखित में दो और अपनी सरकार से जांच करवाओ। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज, आसन को सम्बोधित करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जांच करवाओ अपनी सरकार से। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उस समय किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): या तो मुझे नोटिस दो। दो। अगर मेरे पर आरोप लगाते हो तो मुझे नोटिस दो और आ जाओ। आ जाओ मैदान में। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, इन जो 627 ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): धारीवाल साहब, आराम से बोलें, तसल्ली से बोलो, शरीर वाला मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब आप विराज जाओ। आप विराज जाओ। मैंने दे दिया, जवाब दे दिया। मैंने दे दिया एक लाइन का जवाब कि नोटिस दो और आ जाओ मैदान में और जो चार्जेज लगाये हैं, उनकी जांच करवाओ क्योंकि आपके टाइम पर कम चार्जेज लगे क्या? आपके टाइम पर आपने ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य, आसन को सम्बोधित करो। फिर बहस में उलझ झाओगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं तो यह कहता हूं कैसी, वसुन्धराजी की अक्ल को दाद देता हूं कि इनको यू.डी.एच. मंत्री बना दिया, यह +++ हैं इनके। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 627 प्लाट जो निकाले गये उनमें न तो बिजली का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है, न सीवरेज का इंतजाम है। आखिर बसेंगे कैसे लोग? ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे लिए कहा गया यह शब्द ठीक नहीं है। इसको आप निकलवाइये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह व्यक्तिगत आरोप है। इसलिए इस शब्द को डिलीट करवाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ शब्द असंसदीय है क्या?

श्री सभापतिः यह डिलीट कर दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): डिलीट हो गया तो ठीक है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं तो +++ कोई असंसदीय शब्द है क्या?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपने यह कहा था कि नाम नहीं लोगे तो आप भी ऐसे शब्द का उपयोग न करे जो पक्ष को कहीं आत्मा में ठेस पहुंचे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसको डिलीट करवाओ।

श्री सभापतिः इसको डिलीट कर दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जो जे.डी.ए. ने 627 प्लाट निकाले, उनमें न तो पानी का इंतजाम है, न बिजली का इंतजाम है, न सड़क का इंतजाम है, न नाली का इंतजाम है, न सीवरेज का इंतजाम है तो कैसे बसेंगे लोग? सिर्फ प्लाट काट दिये, ऐसे नहीं होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे आप तब जाकर लोग अपना मकान बनाएंगे और रिहायश वहां पर करेंगे तो भू-माफियाओं पर मत छोड़ो इनको।

अभी आपने हाउसिंग बोर्ड की बात करी तो हाउसिंग बोर्ड का टर्न-ओवर हमारे वक्त में सात हजार करोड़ रुपये था, सात हजार करोड़ रुपया। इस वर्ष आपने अपने रेवेन्यू का टार्गेट क्या रखा? 2500 करोड़ रुपया और आया कितना साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया, यह तो हाल कर दिया आपने। वह ही जो वसुन्धराजी कहती थीं कि साहब, इस हाउसिंग बोर्ड के ताला लगाओ, बंद करो इसको, वह ही हालत अब हाउसिंग बोर्ड की करने जा रहे हैं यह। एन.आर.आई., एन.सी.आर. में कोई नया प्रोजेक्ट, एन.सी.आर. क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट बनने चाहिए थे, सवा साल में आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई। अब कांस्टीट्यूशन क्लब की बात कर रहे हैं आप तो कांस्टीट्यूशन क्लब का हो चुका, भाई, शिलान्यास भी हो चुका, उद्घाटन भी हो चुका। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह बजट का पार्ट नहीं है। Constitutional Club is not a part of this budget.

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज। ऐसे मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो आप।...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह डिमांड का पार्ट नहीं है। आप अपने विषय तक ही सीमित रहिये आप। Constitutional Club is not a part of this budget.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाउसिंग बोर्ड का प्रगति प्रतिवेदन है, जिसमें बजट में ही आपने यह लिखा है और उसका प्रावधान है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अगर पत्थर लगाने का शौक है तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाओ, बनाकर खूब लगाओ, यहां किसने मना किया? करो वैसे ही कुछ तो करो। अब आप जे.डी.ए. का ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कल शुभारंभ कर रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, कोई भी वक्ता बोलता है तो टोकाटोकी नहीं करें और जो वक्ता बोलता है, वह भी आसन को सम्बोधित करे। जब अपना नम्बर आये तब उनका जवाब दे दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब जे.डी.ए. का हाल देख लीजिए आप। 2023-24 तक जयपुर की आमदनी कम से कम भी लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की थी और आज क्या हाल हो गया? 1,375 करोड़ रुपया ही आया है साल भर में, सिर्फ 1,375 करोड़ रुपया। वही हाल हो रहा जो आवासन मंडल का करने जा रहे हो अब आप। यह जे.डी.ए. भी उसी रास्ते पर जायेगा, देखना आप। जो कंगाली के रास्ते पर जायेगा, सिर्फ खाली जमीनें बेच-बेचकर काम चला रहे हैं अपना। कोई नहीं, कुछ नहीं।

ट्रैफिक, जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या की बात करते हैं, निजात की। हमने बनाया है कोटा को सिग्नल फ्री। सिग्नल फ्री बनाया है और जयपुर में भी हमने दो योजनाएं दीं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आसन को सम्बोधित करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप चाहे बी-2 बाईपास को ले लो और चाहे लक्ष्मी मन्दिर को ले लो, दोनों जगह जो है, सिग्नल फ्री किसने किया? हम कर रहे थे और हमने ही ओ.टी.एस. की, जे.डी.ए. की और रामबाग का सारा प्लान बनाकर रख रखा था, हम चालू करने वाले थे काम पर इलेक्शन आ गया, टाइम नहीं मिला, लेकिन आज भी वह योजनाएं सारी तैयार हैं, करो काम उनका। करो। करोगे तो यश पाओगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): योजनाएं इन्होंने बनायीं और काम आप करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई योजना बनाये पर काम तो करना ही है।

श्री सभापतिः प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शान्ती धारीचेवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सवाल था, जिसमें मुझे यह जवाब मिला कि 32 स्टेट हाइवे में से 20 हाइवे पर हमने खर्चा किया जीरो। 32 में से 20 पर तो किया जीरो और 12 पर सिर्फ 32 करोड़ रुपये खर्च किये, सिर्फ

32 करोड़ रुपया। 24 बाईपास सड़कों की घोषणा की थी आपने, उसमें एक पर भी काम शुरू नहीं हुआ और वह पैसा खर्च नहीं हुआ। 20 रेलवे ओवरब्रिज और अण्डरपास, अण्डरब्रिज बनाने की घोषणा की थी जिसमें 18 पर काम ही शुरू नहीं हुआ। 13 फ्लाई ओवर, एलिवेटेड रोड में से फ्लाई ओवर और एलिवेटेड रोड 11 पर खर्च किया सिर्फ तीन करोड़ रुपया। दो पर तो खर्च ही नहीं किया। तीन करोड़ रुपया खर्च किया 11 फ्लाई ओवर पर और एलिवेटेड रोड पर। 16 हाई लेवल ब्रिज में से एक पर भी काम चालू नहीं हुआ। यह हाल है। जो घोषणाएं आपने की हैं न उनका बहीखाता निकाल कर बता दिया मैंने आपको।

मंत्रीजी ने 26 जुलाई, 2024 को डिमांड की रिप्लाई देते हुए आपने यह कहा था कि 500 ई-बसें चलेंगी और सड़कों पर आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएंगी। मुख्य मंत्रीजी ने और एक कदम बढ़कर उसको हजार कर दिया। राजस्थान की एक सड़क पर, एक भी ई-बस आज तक नहीं चली। आज तक नहीं चली। कुल 303 निकाय है राजस्थान में, कुल 303 निकाय है राजस्थान में 180 शहरों में, बड़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस बात पर, सुनिये, वरना यह मुश्किल पैदा करेगा आगे जाकर।

ssy/rtm/07.03.2025/13.50/2b

303 निकायों में से 180 शहरों और कस्बों के मास्टर प्लान और जोनल प्लान हमने हमारे टाइम में बनाकर के नोटिफाइड कर दिये थे। अमृत 2 में भी मास्टर प्लान बनाने का आपको पैसा मिलता है। 2021 से लेकर के 2023 तक हमने 120 नई नगरपालिकाएं बनाई, अभी आदरणीय कृपलानी साहब कह रहे थे कि लोगों को आब्जेक्शन था कि क्यों नगरपालिकाएं बनाई जा रही हैं, हम तो गांव में ही रहना चाहते हैं, आब्जेक्शन था तो आप उनको दुरुस्त कर दो।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जिले काट दिये, नगरपालिकाओं को भी काट लो, सवा साल हो गया, क्यों नहीं करते फैसला? किसने रोका आपको? किसने रोका, भाई? करीब 120 नगरपालिकाएं बनाई लेकिन उनके मास्टर प्लान आज तक नहीं बने हैं। जब मास्टर प्लान नहीं बने तो जोनल प्लान बनने का सवाल ही नहीं होता और जब तक जोनल प्लान नहीं बनेगा तब तक हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आप उसको नोटिफाई नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते। 1 लाख से ज्यादा की आबादी के जो क्लास वन सिटीज थे 28 शहरों को, उनमें हमने मास्टर प्लान भी बनाया, जोनल प्लान भी बनाया और जोनल प्लान बनाकर के नोटिफाइड किया।

आप वाल सिटी जयपुर की बात करते हैं, वाल सिटी में हमने बाकायदा मास्टर प्लान बनाया उसका अलग से और जोनल प्लान बनाया और जोनल प्लान बनाकर के, उसको बनाया भी किस पर, यूनेस्को की टैग पर बनाया, मुझे अब डर यह है कि आपने सवा साल

में उस एरिये में कुछ नहीं किया। डर इस बात का है कि आपको जो हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ था, वह कहीं कैंसिल ना हो जाये, बड़ा खराब होगा।

अब आप यह देखिये, 20 शहरों के मास्टर प्लान की अवधि तो 2023-24 में ही खत्म हो गई, तो कुछ की 2025 में खत्म हो रही है और काम एक भी चालू नहीं हुआ नया बनाने का, वह एक रोज में नहीं बनता मास्टर प्लान, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, हमने जो 2023-24 में खत्म होने वाले थे उनको बाकायदा बनाने के लिए दे दिया था, लेकिन वह पड़े हुए हैं। नई सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार का कोई नया आदेश आवे तो काम चालू करें। काम चालू नहीं हो रहा, और तो और 15 शहरों के मास्टर प्लान अपडेट होने वाले थे, आपको करने थे, वह भी काम शुरू नहीं हुआ। यह बड़ा सीरियस मैटर है, इसको हाई कोर्ट फौरन लेता है, गुलाब कोठारी के मामले में आप सचेत हो, इसमें काफी कुछ इंस्ट्रेक्शंस लगेंगी।

मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज की बात की थी आपने, आपने जुलाई 2024 में कहा था कि मॉडल बिल्डिंग बाईलाज को संशोधित करेंगे। आपने आपत्तियां भी मांग ली। सब कुछ कर लिया। प्रस्ताव बनाकर के आपत्तियां मांग ली, सब कुछ कर लिया तो उसको 6 महीने से लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? जनता कनफ्यूज्ड है कि नया बिल्डिंग बाईलॉज आने वाले हैं तो उनके अनुसार मकान बनावें या नहीं बनावें। कहीं गलत बना देंगे तो बिल्डिंग बाईलॉज की अवहेलना हो जायेगी। वह 6 महीने से वैसा का वैसा पडा हुआ है।

टीडीआर की पॉलिसी हमने बनाई। उससे काफी कुछ फायदा हुआ। ई डब्ल्यू एस हाउसेज और एलआईजी हाउसेज में काफी कार्यवाही हुई। नये मकान बने लेकिन टीडीआर की पॉलिसी को आपने बंद कर दिया। TDR Policy which is the best policy for executing EWS Housing Policy and best to acquire amenities and facilities without paying any compensation. इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। इसमें एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ई डब्ल्यू एस हाउसेज बन जायेंगे और एलआईजी बन जायेंगे, इसको चालू करवायें। यह सरकार के हित की बात है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बाबत हमने 550 करोड़ रुपये का बजट रखा था। उसको काट-पिटकर के आपने 300 करोड़ की बात की और कर दिया 200 करोड़, बाद में और 200 करोड़ में भी क्या हुआ, आपने कहा कि हम 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे और दिया 1 लाख 83 हजार लोगों को। 200 करोड़ में से भी क्या किया, 300 करोड़ रखा, काटकर के 200 करोड़ कर दिया और 200 करोड़ में भी क्या किया आपने, 113 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ, यह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बाबत, नाम तो इसका बदल दिया, इसमें कोई एतराज नहीं है हमें, खूब बदल दो नाम, नाम बदलने में तो मास्टरी है आपकी।

इंदिरा रसोई के बाबत जो बात हुई कि अन्नपूर्णा रसोई हमने चालू की थी, वह बस आती थी और लाइन लग जाती थी, बारिश आ रही है, धूप तेज हो रही है तो भी लोग खड़े-खड़े खाना खाते थे। हमने उनको सम्मानपूर्वक, बड़ी प्राइम जगह पर हर इंदिरा रसोई को जगह दी

और बनाया, बाकायदा जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट के माफिक टेबल, कुर्सियां लगाकर, एसी और कूलर लगाकर के उनको खाना खिलाया जाता था। यह हमने शुरू किया। आप ऐसा करो इसको बंद कर दो। वह पुराना सिस्टम चालू कर दो ना, वही लाइन लगकर के खाना खाने का खुले में। मरम्मत के लिए, रसोई की मरम्मत के लिए हम 3 लाख रुपये देते थे, आप पता नहीं कितना देते हो, आपके प्रतिवेदन में तो लिखा हुआ है नहीं कुछ, देते हो, नहीं देते हो, मुझे पता नहीं, पर हम 3 लाख रुपया हर रसोई वाले को देते थे। जिससे रंग रोगन वगैरह, रख-रखाव वगैरह वह सब कुछ करे।

स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार देने की बात थी, 480 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन हमने वितरित किया। आपने कितना किया? 306 करोड़ रुपये का किया। उसमें भी आपने यह नहीं बताया कि कितने आदमियों को लाभ दिया है। कितने आदमियों को लोन दिया गया 306 करोड़ रुपया? आपका प्रतिवेदन कुछ नहीं कहता, वार्षिक प्रतिवेदन आपका, उल्लेख ही नहीं किया आपने। बात को छुपा ली।

अमृत के अंतर्गत जल प्रदाय योजना, ड्रेनेज के काम होते हैं। कितने किलोमीटर की सीवर लाइन आपने डाल दी है इन सवा वालों में? कितने सीवरेज कनेक्शन कर दिये? कितने एसटीपी आपने बना दिये? आपने यह कहा था, घोषणा जो आपकी थी 2184 किलोमीटर सीवर लाइन डाल देंगे और 25.1 एमएलडी के 5 एसटीपी बनाने की घोषणा कर दी थी, आपका प्रतिवेदन कुछ नहीं कहता इस बारे में, वह भी बात छुपा ली आपने।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे अभी, आपने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत 134 नगर निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट के कार्य आदेश जारी कर दिये। पूर्ण कितने हो गये? यह तो बता दो कम से कम। कितनी मशीनें आपने खरीदी, कितने उपकरण आपने खरीद लिये? कहां उपलब्ध करा दिये? इसका जवाब तो दे दीजियेगा।

वन स्टेट वन इलेक्शन की बात आप कर रहे थे ना, मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान को पढ़ लो, हम जो आरोप आप पर लगाते हैं कि आप संविधान की हत्या करना चाहते हो, इस संविधान को मानना नहीं चाहते, सबसे बड़ा एग्जामपल है यह। सभी नगरपालिकाएं, आज हालत यह है कि आप बार-बार जब कहते हो वन स्टेट वन इलेक्शन, तो सारी नगरपालिका संस्थाएं, सारा काम ठप पडा हुआ है, असमंजस में पड़े हुए हैं लोग-बाग़, पूरा तंत्र भ्रम की स्थिति में है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2006 में किशन सिंह तोमर में फैसला दिया था कि ज्यों ही नगरपालिका का टाइम खत्म होता है, उसके पहले आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसमें कोई अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। आप पता नहीं, धज्जियां उड़ा रहे हो। भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के।

मैं फिर आपकी बात पर आता हूं, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन सिटी पार्क है, वह कोटा का ही नहीं और ना केवल प्रदेश का बल्कि देश का एसेट है देश का। अगर कोई गड़बड़ी है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलता कि भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया,

लिखो और लिखकर के शिकायत करो और जांच कराओ। सोते क्यों हो? जांच कराओ उसकी। बेईमानी की है तो पकड़ो हमे।

एनजीटी की बात आपने करी, एन जी टी का कानून मालूम है आपको, 20 हजार स्कवायर यार्ड कवर्ड एरिया से ज्यादा होता है तब एन जी टी की परमिशन ली जाती है। वरना परमिशन नहीं ली जाती एन जी टी की, एन जी टी में गये, मेरे ही खिलाफ के लोगों ने जाकर के शिकायत की, एनजीटी ने बाकायदा टीम भेजी वहां से, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह सब आये।

spp/rtm/07.03.2025/14.00/2c

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा जवाब सुन लो, मेरा जवाब सुन लो, उसके बाद बोल लेना।

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़ सदस्य। प्लीज़ अनुशासन बनाए रखें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): और उसमें राजस्थान सरकार के अफसर भी शामिल रहे।

श्री सभापति: प्लीज़ सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): तीन रोज़ तक सारा अवलोकन करके उसकी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि इतनी बेहतरीन चीज़ बनाई है और बिल्कुल नियमों से बनाई गई है। ये एनजीटी की रिपोर्ट है। आपने कहा मुख्य मंत्री जी नहीं आए, दूसरे रोज आ गए, उस रोज़ बीमार पड़ गए, दूसरे रोज आ गये वहाँ पर। तो मैं आपको बुलाता क्या? अब मैं दो बातें आपको आपकी निगाह में डालना चाहता हूं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा? ये भी स्पष्ट बता देता हूँ आपको। लेकिन गड़बड़ियां तो हुई हैं या तो उसकी जांच कराओ और यहाँ पर ये आरोप लगेगा कि आप उस बात को छुपा रहे हो।

राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा गुलाब कोठारी प्रकरण में निर्धारित किया गया था कि किसी भी ग्रीन एरिया पर कोई नई योजना विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी मास्टर प्लान में नर्सरी ओर्च्र्ड भी ग्रीन एरिया का ही भाग होता है, जिन पर कोई भी अन्य योजना विकसित नहीं की जा सकती, ना ही 5% से अधिक का निर्माण किया जा सकता है। भू माफियाओं से साठगांठ कर यह प्रस्तावित किया आपने और राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में, अभी एक्ट नहीं बना उसका, लेकिन यह प्रस्ताव आया है, उस पर देखिए आप, इसमें क्या कार्रवाई हुई थी? ये जो आपकी तरफ से जो प्रस्ताव आया है, जिसके तहत नर्सरी ओर्च्र्ड भूमि पर एक एक-एक हजार वर्ग मीटर के प्लॉट काटे जा सकेंगे, उसमें प्रस्ताव है। एक में प्रस्ताव दिया है आपने और इस नर्सरी ओर्च्र्ड भूमि पर 60-40 के रेशो में कॉलोनी बनेगी। अब यह बताइए ग्रीन एरिया, जिसका फैसला आज हाइकोर्ट ने 8 साल के खूब मंथन के बाद में दिया था और जिस फैसले को हूबहू हमने माना। गुलाब कोठारी के फैसले को, यह प्रावधान करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की देन है। मेरा आरोप है। आज जयपुर

जयपुर के अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन,सैंदवाड़ा गार्डन खरीदने का एग्रीमेंट कर मौके पर लाल मुरम की सड़कें बिछा दी गई हैं और एक-एक वर्ग मीटर के भूखंड बेचे जा रहे हैं। 80 हजार रुपये प्रति वर्ग गज में। ये प्रावधान, जो प्रावधान जो आपने किया है गुलाब कोठारी प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसकी जांच करवाइये। जांच अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आप पर आरोप लगेंगे।

सहकारी समितियों के लिए आज एक कैलाश वर्मा जी का भी एक सवाल था। मैं भी उसको देख रहा था। आप कह रहे थे कि साहब सहकारी समितियों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट में प्रोविजन है। और कोऑपरेटिव एक्ट में उसमें काम होगा, ये होगा, वो होगा, ये डाला जाएगा। बिलकुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 17.06.99 को सरकार ने यह फैसला किया था जब 19 (b) इंट्रोड्यूज की थी। जब ये फैसला किया था कि 17.06.99 के बाद कोई गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर में काम नहीं करेगी और उसी फैसले को तोपखाना निर्माण सहकारी समिति के मामले को लेकर, जब गृह निर्माण सहकारी समिति तोपखाना हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने भी यह कहा कि बिलकुल गृह निर्माण सहकारी समिति नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसको दिखवा लीजियेगा, इस फैसले को दिखवा लीजिएगा और हमने 17.06.99 के बाद आज तक जेडीए ने किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति को एक पट्टा नहीं दिया। एक रेगुलराइज नहीं किया। सवाल यह आता है कि वर्मा जी ने पूछा था और और इसी के साथ साथ हमने क्या किया था 17.06.99 को, कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में, टीनेंसी एक्ट में, जेडीए एक्ट में, यूआईटी एक्ट में और म्युनिसिपल एक्ट में, सबमें अमेंडमेंट किये थे और सबमें अमेंडमेंट करके यह प्रोविजन डाला था कि गृह निर्माण सहकारी समिति की कोई चीज नहीं रहेगी। जो आज भी मौजूद है।

माननीय सभापति महोदय, सवाल यह आता है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं और इन अवैध निर्माणों को तोड़ तो दिया जाता है, जहां-जहां शिकायत आती हैं और जहां-जहां एनफोर्समेंट आफिसर समझता है कि जाऊं या नहीं जाऊं तो वहां तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, यह बात सही है। जो डवलपर है, जो बनाता है उसके खिलाफ सिर्फ इतनी सी कार्यवाही होती है कि जिस लैण्ड पर वह बना रहा है, चाहे वह उसके खाते की हो, उस खाते की ही लैण्ड को यह आदेश दे दिया जाता है कि यह सिवाय चक में दर्ज कर दी जाये। उसकी टीनेंसी खत्म कर देते थे। टीनेंसी खत्म करके उसको यह देते हैं। यह उसके लिये बहुत बड़ी सज़ा थी, लेकिन कोई पैनल सैक्शन उसके खिलाफ नहीं लगा हुआ होता था कि किसी प्रकार की उसको सज़ा हो। यह प्रोविजन आप कर दो। कर दो तो उसको जेल होगी। आपको किसने रोका है?

इसलिये गृह निर्माण सहकारी समिति का इश्यू बहुत ही टिकलिश इश्यू है। यह जितनी बड़ी बेइमानियां अगर इस जयपुर में हुई है वो गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा होती रही थीं और अब भी हो रही हैं। पुरानी डेट में अब भी हो रही हैं। हमने रोकने की खूब

कोशिश की और काफी कुछ रूक भी गया। 80-90 प्रतिशत रूक गया, अब केवल 10 प्रतिशत रह गया है तो उसमें आपकी इच्छा शक्ति से पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो?

पूर्व सरकार के द्वारा कई शहरों में STP के काम हमने पूरे करवा दिये थे और नगरपालिका को उनको हैण्डओवर भी कर दिया था। STP के कामों के लिये ओ एण्ड एम नगरपालिका को करना था। आप नगरपालिका को पैसे ही नहीं दे रहे हैं तो वह कहां से करेंगे। हालात खराब होते जा रहे हैं। सत्यानाश हो जाएगा एक-दो साल के अन्दर, यह देखना आप। नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। RUIDP के थर्ड फेज के, वाटर सप्लाई के, सीवरेज के, ड्रेनेज के इनके सबके काम हमने करीब-करीब हमने पूरे कर दिये थे। परंतु वर्तमान सरकार के द्वारा शहरों में PHED और ULB को आप हैण्डओवर ही नहीं कर रहे हो। हैण्डओवर नहीं करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा उनका। RUIDP का फोर्थ फेज का करीब-करीब खत्म होने वाला काम साल-दो साल में खत्म हो जाएगा। काम चल रहे हैं। किसी में 80 प्रतिशत काम हो गया, किसी में 70 प्रतिशत काम हो गया। फोर्थ के बाद में फिफ्थ फेज लेने के लिये आपकी क्या तैयारी है? या तो आप इस RUIDP को बंद करो, रूडसिको को, और या फिर आप अभी से तैयारी करोगे तब जाकर साल-दो साल में जाकर इसकी मंजूरी आयेगी, पैसा आयेगा और फिर काम चालू कर पाओगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दीजिये।

अफोर्डेबल हाउस, हमारी सरकार के द्वारा जो अफोर्डेबल हाउस योजना में हाउस तैयार किये गये। वह एक वर्ष से तैयार पड़े हुए हैं। उनका कब्जा ही आप नहीं दे रहे हैं। आप आवंटियों को कब्जा तो दो, वरना इनका भी सत्यानाश हो जाएगा। किसी जमाने में जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकानों का सत्यानाश हुआ था, जिसको हमें 50 प्रतिशत पर बेचना पडा था। ये चीजें हैं इन पर आप ध्यान दीजिये।

13 लाख पट्टे तो हमने बांट दिये, अब आप कितने बांट पाओगे और फिर दूसरी बात एक और है। पिछली बार आपने कहा था कि 13 लाख पट्टे बांटे, उसमें कई गड़बड़िया हुईं। आप बताओ कितनी गड़बड़ियां हुईं? वह तो बताओ, कोई हिसाब तो दो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आप जवाब तक यही बिराजे रहिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या कहा?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ये सारे जवाब मेरे जवाब में आएंगे, आप जवाब सुनने के लिये विराजे रहिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां बिलकुल। आप टाइम पर दे दोगे तो आ जाऊंगा, नहीं देर से दोगे तो नहीं आऊंगा।

मेरा निवेदन यह है कि अगर 13 लाख जो पट्टे बांटे गये हैं, आप सबकी जांच कराओ। एक-एक की जांच कराओ। किसी को भी मत छोड़ो। अगर मैंने गलती की है तो मुझे भी पकड़ो, लेकिन कुछ करो तो सही, खाली भाषण करो कि जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। आपने सवा साल में कितनी जांचें कर लीं? डेढ़ सौ बार तो आप बोल चुके हो कि जांच कराएंगे,

जांच कराएंगे, लेकिन आपकी एक बार भी जांच नहीं दिखी। करो न उनको कैंसिल। गलत पट्टा बांटा है तो, किसने मना किया है, कौन रोक रहा है आपको? 13 लाख लोगों को पट्टा दिया है, मालिकाना हक दिया है। बकायदा उनको हक दिया है जिससे वह बैंक में जाकर अपना पट्टा रख सकते हैं और कुछ न कुछ उन पैसों से मकान हो ...(व्यवधान)..

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): सरकारी भूमि पर कब्जे का दस-दस हजार वर्गमीटर का नियमन किया है आपने।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या कह रहे हैं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दस हजार वर्गमीटर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप कैंसिल करो न।..(व्यवधान)..

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दस हजार वर्गमीटर का मतलब होता है एक हैक्टेयर।

jyg/rtm/07.03.25/14.10/2d

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं यही कह रहा हूं कि कोरी बात करने से कुछ नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं मंगवा रहा हूं एक-एक नगर पालिका से। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार आपकी है जांच करवाओ न। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, विराजिये। ...(व्यवधान)... समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा टेक्निकल विषय है। इस विषय को समझने की जरूरत है, कई बार ऐसा ही होता है कि अनजान के हाथ में कोई काम आ जाता है तो उस काम का सत्यानाश होना ही होना है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): जैसा पहले हुआ था।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या विजन है आपका यह तो बताओ, करना क्या चाहते हो? कोरी घोषणाएं ही घोषणाएं करना चाहते हो, कोई बात उठे तो कह दो, जांच करायेंगे, जांच करायेंगे, जांच करायेंगे, एकाध की जांच तो करके दिखाओ या कुछ भी आरोप लगा दो, यह कर दो, वो कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे हैं तो समाप्त ही कर रहा हूं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिये, एक तो मास्टर प्लान का ध्यान रखिये, जो खतम हो गये मास्टर प्लान उनको वापस बनवाने की कोशिश कीजिये।

श्री सभापति: श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दूसरी बात यह है कि पापुलेशन बढ़ती जा रही है उसको कहां बसाओगे, कैसे बसाओगे, उसके लिए क्या विजन है, क्या सोच है, क्या योजना है, उनको अपने जवाब में जरूर बताइयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी बोले थे और ये भी बोले हैं, ये होता है पूर्व मंत्री, आप सब समझ गये होंगे। ...(व्यवधान)... आज आपकी बैठी नहीं सैटिंग। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका गला खराब रहता है, नमक के गरारे किया करो। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): रामबाग और गोल्फ क्लब के लिए आपने पिछली बार कहा था कि इसको हम कर देंगे फटाफट, तो मैंने कहा था कि नहीं कर पाओगे, तो कुछ किया क्या आपने?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य। आपका जब नम्बर आये तब जवाब दे देना। ...(व्यवधान)... आप बोलिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): दुबारा आयेगा क्या? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपनी सीट पर जाइये। आपके नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे। ...(व्यवधान)... आप उठिये, अपनी सीट पर जाकर बात कीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 39 और मांग संख्या 40 पर विचार-विमर्श हो रहा है, मैं भी इसमें अपने आप को शामिल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां पिछली सरकार में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री शान्ती धारीवाल जी थे और अशोक गहलोत जी जोधपुर के मुख्य मंत्री थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो इनके कामों से ऐसा लगा कि ये तो केवल कोटा के यूडीएच मंत्री हैं और गहलोत साहब के कामों से ऐसा लगा कि वो केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं। राजस्थान के विकास का कोई मापदण्ड, कोई रोडमैप इनके पास नहीं था। इन्होंने तो कोटा का विकास कर दिया और गहलोत साहब ने जोधपुर का विकास कर दिया, बाकी सब ठन-ठन गोपाल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपके पेट में जलन हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सुनो। सुनो। जयपुर में हमने बी टू बाइपास पर ट्रैफिक ठीक कर दिया, बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी मन्दिर को आपने ट्रैफिक फ्री कर दिया तो क्या ये दो ही काम होने थे? बताओ कोटा में कितने काम कराये आपने? कोटा में तो सारे काम करा दिये, आपने कहा कि कोटा अब बिलकुल ट्रैफिक लाइट फ्री हो गया है, कहा न आपने? पर जयपुर को करवाया क्या? क्यों नहीं करवाया? पांच साल तक केवल और केवल आपने कोटा के विकास पर ध्यान दिया और हमारे गहलोत साहब सीनियर लीडर हैं पर वो ऐसा कृत्य कर रहे थे कि जैसे जोधपुर के ही मुख्य मंत्री हैं। पूरे राजस्थान में उन्होंने कोई

काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल जी को कि उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आधारभूत ढांचा किस प्रकार से पूरे प्रदेश का बने, किस प्रकार से प्रदेश के शहरों का विकास हो, किस प्रकार से वहां आधारभूत ढांचा बने इसके लिए उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। वे जयपुर से विधायक हैं, पर केवल जयपुर का ही विकास कार्य करने का काम नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जयपुर का भी, जोधपुर का भी, कोटा का भी, उदयपुर का भी, बीकानेर का भी, सब जगह काम करने का काम किया। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप जब मंत्री थे तो आपको केवल दो ही अस्पताल नजर आते थे, एक जयपुरिया और एक एसएमएस। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजो, विराजो। ...(व्यवधान)... मेरा कहना यह है कि आपने काम तो बहुत कराये और मैं तो यह भी नहीं कहता कि आपने उसमें भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, यह तो जांच का विषय है। हमारे मंत्रीजी इसकी जांच करवा लेंगे और जो दोषी होगा, उसको वो कर लेंगे, परंतु श्रीमान जी यह तो बताओ कि आप मंत्री केवल कोटा के थे क्या? पूरे राजस्थान के मंत्री नहीं थे क्या?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जयपुर में जो काम मैंने करवाये वो किसी और ने करवाये क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब यहां पूरे प्रदेश में क्या-क्या काम कराये, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, कृपलानी जी ने सारा बता दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले जुलाई में बजट आया और 7 महीने के अन्दर विकास का इतना काम पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में हुआ है, मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि उतना काम आपने पांच साल में नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, आपने क्या काम किया। जयपुर शहर के दो टुकड़े कर दिये, एक जयपुर ग्रेटर और एक जयपुर हेरिटेज, क्योंकि यदि जयपुर शहर एक रहता तो आपकी नगर निगम कभी बन नहीं सकती। कोटा के दो टुकड़े कर दिये, जोधपुर के दो टुकड़े कर दिये। इसका परिणाम क्या हुआ, पता है आपको? इसका परिणाम यह हुआ कि जगह-जगह कचरे के ढेर लग गये। कर्मचारियों की संख्या आपने बढ़ायी नहीं, दो-दो नगर निगम आपने कर दिये तो कर्मचारियों की संख्या ज्यादा चाहिये, वो आपके पास थे नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि उन्होंने हमारी मांग पर यह कहा कि चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, इन तीनों जगह एक-एक नगर निगम रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब आपने कहा कि एक राज्य एक चुनाव हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब हम करके दिखा रहे हैं। चाहे पंचायत राज के चुनाव हों, चाहे

नगरीय निकायों के चुनाव हो, चाहे स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव हों, सबके चुनाव, हमारे मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम नवम्बर में करायेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा मैं बताऊं, हर छह महीने बाद चुनाव हम कराते थे, आचार संहिता लगती थी, विकास के काम रुक जाते थे। अब एक साथ चुनाव होंगे नवम्बर में तो सितम्बर में आचार संहिता लगेगी, नवम्बर में चुनाव हो जायेंगे, उसके बाद पांच साल तक केवल विकास, विकास, विकास। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात से सहमत हो न?

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, पर आपको यह तो ध्यान होगा कि यूनेस्को ने जयपुर शहर के परकोटे को विरासत में शामिल किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। जंतर-मंतर को किया, आमेर फोर्ट को किया, आपने क्या किया? आपके पांच साल के कार्यकाल में जितना परकोटे के अन्दर का सत्यानाश हुआ, मैं यह कह सकता हूं यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आज यूनेस्को की टीम आ जाये और वो सारा काम देखे तो मैं यह कह सकता हूं कि जो विरासत का खिताब दिया था, वो वापस ले सकती है। मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वो हमने वाल्ड सिटी का मास्टर प्लान बनाया, उसके काम होने चाहिए थे, आपने सवा साल तक कुछ किया ही नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने मास्टर प्लान बनाया, पर पांच साल में किया क्या? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आज लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं यहां, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वाल्ड सिटी का हेरिटेज स्वरूप बना रहे इसके लिए सख्ती के साथ आपको निश्चित रूप से काम करना चाहिए।

MLS/RTM/07.03.2025/14:20/2e

अब आप देखिये इनका पक्षपात, जयपुर शहर के सभी विधान सभा क्षेत्रों में सीवरेज की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, जगह-जगह पानी बह रहा है। सीवरेज लीकेज कर रही है, जयपुर हैरिटेज में जयपुर की 35 परसेंट और जयपुर ग्रेटर में 65 परसेंट जनसंख्या है। केन्द्रीय सरकार से पैसा मिला 1406 करोड़ रुपये। उसमें से आपने जहां 35 परसेंट जनसंख्या है, वहां तो 950 करोड़ रुपये दे दिये और जहां 65 परसेंट जनसंख्या है, वहां आपने 456 करोड़ रुपये दिये। जो मैचिंग ग्रांट थी, क्योंकि जयपुर हैरिटेज में आपका मेयर था, आपने वहां तो मैचिंग ग्रांट दे दी 136 करोड़ रुपये, पर जयपुर ग्रेटर में नहीं दी। इसका परिणाम क्या हुआ, जयपुर हैरिटेज में तो सीवरेज के टैंडर भी हो गये, उनका वर्क ऑर्डर भी हो गया और काम भी चालू हो गया, पर जयपुर ग्रेटर में अभी तक एक नये पैसे का भी काम नहीं हुआ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जेडीए का पिछले पांच साल का रिकॉर्ड निकलवाकर

देख लें आप, अगर जयपुर की छहों-सातों कॉन्स्टीट्यूएंसीज में सबसे ज्यादा पैसा कहीं खर्च हुआ है तो मालवीय नगर में खर्च हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखें, मालवीय नगर में तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे वीवीआईपी इलाका पूरे राजस्थान का यदि कोई है तो वह मालवीय नगर है। राजस्थान विधान सभा कहां है? मालवीय नगर में। एसएमएस हॉस्पिटल कहां है? मालवीय नगर में। एमएनआईटी का कॉलेज कहां है? मालवीय नगर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी, कानोड़िया कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कामर्स कॉलेज, ये सब कहां हैं? मालवीय नगर में। सैंट्रल पार्क, रामनिवास गार्डन, जवाहर सर्किल, ये कहां हैं? सब मालवीय नगर में।

मालवीय नगर तो वीवीआईपी इलाका है, उसमें तो काम करना पड़ेगा, पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 106 करोड़ रुपये केन्द्र से आये, उसमें 65 परसेंट जनसंख्या जहां रहती है, वहां तो आपने 456 करोड़ ही दिये और जहां 35 परसेंट जनसंख्या रहती है, वहां आपने 950 करोड़ रुपये दिये। यह पक्षपात है या नहीं है?

अब मैं मंत्री जी, आपको भी पूछना चाहता हूं, बात खराब करा दी आपने। रामबाग गोल्फ क्लब के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था और आपने 3 घोषणाएं की थीं। मेरे पास हैं। एक तो आपने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर गोल्फ क्लब चलाएंगे। पहले नम्बर पर था, सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पैंडिंग है, उसे महाधिवक्ता की राय लेकर पैरवी कराकर उसका निस्तारण करेंगे। दूसरा, गोल्फ क्लब को दिल्ली की तर्ज पर चलाएंगे और तीसरा, जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी एसओजी से जांच कराएंगे।

शान्ती धारीवाल जी खड़े हुए थे उस समय। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं करा पाएंगे तो मैं खड़ा हुआ कि नहीं, हमारे मंत्री जी जो कहते हैं, वह करते हैं और जो करते हैं, वह कहते हैं। कुछ नहीं हुआ। हमारी बात खराब करा दी आपने।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही बाकी 2 और 3 नम्बर की मेरी घोषणाएं थीं, वे भी पूरी होंगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, धन्यवाद। अब कर देना, जिससे हमारी बात खराब नहीं हो।

अब मैं बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आता हूं, क्योंकि ओपनिंग कर दी कृपलानी जी ने, चेक इन कर दिया आपने, इसलिए मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही बात करूंगा। अब लाल कोठी की 13 कॉलोनियां, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने पृथ्वीराज नगर जो एक्वायर्ड लैंड थी, उस तक के पट्टे दे दिये, पर लाल कोठी के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि वहां आपने पट्टे नहीं दिये, और क्यों नहीं दिये, ये 13 कॉलोनियां जो विधान सभा के चारों तरफ हैं, कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, फ्रैंड्स कॉलोनी, इन्द्रपुरी, ग्रेटर कैलाश, कैलाश विहार, एवरेस्ट कॉलोनी, सत्य विहार, रघु विहार, लक्ष्मी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, सॉल्ट कॉलोनी, 850

भूखण्डधारी हैं।

इसमें से आप देखिये, 225 को तो पहले ही मिल गये पट्टे और 2006 में जब नियमन की कार्यवाही चालू हुई तो 4 करोड़ 78 लाख रुपये लोगों ने जमा भी करा दिये, परन्तु केवल यह कहकर कि कोर्ट ने सरकार के 6 दिसम्बर 2001 के आदेश पर राज्यपाल के साइन नहीं थे, इसलिए इसको अमान्य कर दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने पक्षपात किया, पर भगवन, आप तो लाल कोठी के 13 कॉलोनियों के जो बाकी लोग हैं, उनको पट्टे देने पर विचार करें गम्भीरता से और उनको पट्टे देने का काम करें।

आप थे स्वायत्त शासन मंत्री। मालवीय नगर में सैक्टर 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 के बीच में एक बरसाती नाला बहता है। सरस संकुल का सारा दूध जो परिशोधित होता है, वह उसके अन्दर ही डलता है। उसमें पेड़ उग गये तो जो आसपास के मकान हैं, उसके अन्दर चले गये। गन्दगी, सारा सीवरेज वहां जाता है। मैंने कहा था कि गिरधर मार्ग पर कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्सेज हैं, उनके लिए पार्किंग भी नहीं है, बच्चों के खोलने का मैदान भी नहीं है तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने यहां घोषणा की थी कि 10 करोड़ रुपये इसके लिए हम स्वीकृत करते हैं। कुछ नहीं हुआ। 10 करोड़ रुपये कहां गये, क्या हुआ, आपने किये कि नहीं किये, केवल घोषणा ही की? पता ही नहीं।

अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये तो गये, क्योंकि वादा खिलाफी इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, अब आपकी सरकार आ गयी, इसका पूरा एस्टीमेट बनाकर ...(व्यवधान)... मैं केवल मालवीय नगर की बात करूंगा, क्योंकि वीवीआईपी इलाका है, जैसा इन्होंने कहा। इसी प्रकार से जब कृपलानी जी मंत्री थे तो गोपालपुरा बाइपास रोड ओवर ब्रिज के नीचे चन्द्र नगर करके एक बस्ती है, आपकी ऑथोरिटी की मीटिंग हुई। जोन 4 में योजना के भूखण्ड संख्या 7 से 25 के सम्बन्ध में ऑथोरिटी की बैठक 65/13 दिनांक 25.09.2018 में इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 7 से 25 को प्रभावित करने वाली 100 फीट रोड का कोई औचित्य नहीं मानते हुए रोड को विलोपित करने का निर्णय किया।

02.11.2028 को एक सदस्य ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया तो उस निर्णय को स्थगित कर दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनिमय, 1983 के नियम 12 के सब-क्लॉज 2 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों का 25 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम सदस्य आपत्ति करें तो अध्यक्ष को बैठक के निर्णय को स्थगित करने का अधिकार है। 20 प्रतिशत से कम सदस्य ऐतराज करें तो विनिश्चय करने के लिए अगली बैठक में रखा जा सकता है। मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि क्या ऑथोरिटी के निर्णय को मात्र 1 सदस्य के ऐतराज पर स्थगित या संशोधित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो मैं चाहूंगा कि ऑथोरिटी के निर्णय की पालना करते हुए इन भूखण्डों का नियमन किया जाये।

माननीय, अब कठपुतली नगर हमारे विधान सभा के पास में ही है। कई सालों से कठपुतली नगर बसा हुआ है। लगभग 3-4 हजार लोग वहां नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे

हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हमने मामला उठाया और अभी भी उठाना चाहता हूं। कोर्ट में केस चल रहा है। जयपुर के महाराजा तो कहते हैं कि यह हमारी जमीन है और सरकार कहती है कि यह हमारी जमीन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट का निर्णय तो क्या पता कब होगा, और कई साल लग जाएंगे, आपने जो फ्लैट्स बना रखे हैं, उनमें यदि इनको शिफ्ट करेंगे, फ्लैट्स तो खाली पड़े हैं, कोई उसकी खिड़की ले गया, कोई उसका दरवाजा ले गया। वहां यदि कैम्प लगाकर इनका नियमन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।

मोती डूंगरी गणेश जी पहले गणेश चतुर्थी को जितने लोग आते थे, वे अब हर बुधवार को आने लग गये और जो बुधवार को लोग आते थे, वे रोज आने लग गये। हजारों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं, परन्तु वहां कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तख्तेशाही रोड की नुक्कड़ पर और एक जगह है नगर निगम की, यदि वहां पार्किंग बन जाये तो निश्चित रूप से जो दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए फायदा हो जायेगा। इसी प्रकार से जब मालवीय नगर योजना बनी थी तो उसको विकसित करने के लिए 1024 बीघा जमीन अवाप्त की गयी थी।

MKD/RTM/07.03.2025/14:30/2f

उसमें 562 बीघा 10 बिस्वा भूमि झालाना डूंगर ग्राम, तहसील सांगोनर, जिला जयपुर से अवाप्त की गई थी। उस समय यूआइटी थी तो यूआइटी और खातेदारों के मध्य आपसी राजीनामे के आधार पर यह तय हुआ था कि जो काश्तकार हैं, उनको 250 वर्गगज का भूखंड आवंटित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन खातेदारों की ज्यादा जमीन है, उनको 195 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से वह जमीन आवंटित कर दी जायेगी। 50 साल हो गये, वे इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ।

मैं चाहूंगा कि आप उन काश्तकारों का निश्चित रूप से कोई न कोई फैसला करें। अब आप देखिये, बापू नगर, शिवाड़ एरिया। शिवाड़ एरिया में कुछ लोगों को पट्टे मिल गये। जब धारीवाल जी थे तो इन्होंने देखा की पट्टे मिल गये, श्रेय बीजेपी को मिल जायेगा तो इन्होंने जेडीए में एक फाइल ट्रांसफर कर दी। जेडीए में जाकर फाइल डम्प हो गई। जब दोबारा सरकार आई तो हमने वह फाइल वापस नगर निगम में करवा दी, परन्तु अभी तक पट्टों का कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि शिवाड़ एरिया में भी आप पट्टों का काम करें।

इसी प्रकार से, उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी गणेश मन्दिर के पीछे की बस्ती, गुर्जर बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवास जी का बाग़, यानी जो पुरुषार्थी आये थे...।

श्री सभापतिः प्लीज, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, अभी तो चालू ही नहीं किया, आप कहते हो बन्द कीजिये। 25 मिनट पूरा बोलूंगा, एक सैकंड भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप डिस्टर्ब मत करो, भाई।

ओझा जी का बाग़ में, जो वर्षों से भूखंड कब्जेधारी थे, उनको आप पट्टे दीजिये।

राजापार्क, आदर्श नगर, फ्रंटियर कॉलोनी जहां भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए पुरुषार्थी थे। आज राजापार्क बन गया। फ्रंटियर कॉलोनी बढ़िया करोड़ों का व्यापार हो रहा है, पर उनके पास पट्टे नहीं हैं। पट्टे दो, उन सबको पट्टे दीजिये।

इसी प्रकार से हमने मालवीय नगर सेक्टर 9 में दीनदयाल मार्केट बनाया था। वहां जितनी थड़ियां थीं, उनको दो बाय दो मीटर की जगह आवंटित की थी। यह तय हुआ था कि इनसे 21 हजार रुपये लेंगे। पहली किस्त के रूप में पांच हजार रुपये ले लिये और उसके बाद बाकी के पैसे ही नहीं ले रहे हैं। अब आप बाकी के पैसे लेकर 16-16 हजार रुपये और उनको पट्टे दो, जिससे कि उनका निस्तारण हो।

अभी आपने देखा होगा, हमारे परकोटे के अन्दर 19 कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, उनको सीज करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिया। उसमें कम से कम 900 व्यापारी हैं, 900 दुकानें हैं। इतना ही नहीं, यह तो पहली किस्त है। यदि ये इम्प्लीमेंट हो गया तो लगभग 200 कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स हैं। मेरा यह कहना है कि इसमें कोई न कोई रास्ता निकालिए। रिव्यू पीटिशन लग सकती है तो रिव्यू पीटिशन लगाइये। जो एजी हैं, उनसे सलाह करके किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने की कार्यवाही करिये, क्योंकि व्यापारियों में बड़ा जबरदस्त दहशत का माहौल है।

अब आप देखिये, जयपुर शहर के परकोटे में 45 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं और मजेदार बात यह है कि ये जितने भी ई-रिक्शा हैं, उनमें लोकल जयपुर का कोई आदमी नहीं है। ये सब या तो बांग्लादेशी हैं या यूपी, बिहार के आए हुए लोग हैं। एक-एक व्यक्ति ने 100-100 ई-रिक्शा बना रखे हैं और किराये पर चला रहे हैं।

मैं यह चाहूंगा कि एक तो इनको जोन वाइज बांटो, जिससे ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो। दूसरा, मैं चाहूंगा कि आधार कार्ड के आधार पर इनका पुलिस वैरिफिकेशन करवाइये, इनकी पहचान करवाइये। एक व्यक्ति को एक रिक्शा, 100-100 रिक्शा का क्या मतलब है? यदि वह लोकल है और उसके पास आधार कार्ड है तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण करिये।

हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की मीटिंग हुई। उसमें यह तय किया कि हम ऐसा करेंगे, पर धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। आप इसको थोड़ा-सा पर्सनली देखकर करवाइये।

अब आप देखिये, द्रव्यवती नदी, हमारे कृपलानी जी बोलकर गये। यह वसुन्धरा जी की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 1981 में जब बाढ़ आई थी तो अमानीशाह के नाले के कारण जयपुर शहर में बरबादी हुई थी। हमने द्रव्यवती नदी बनाई, पर सरकार बदल गई। एक जेडीसी थे, उनका यह कहना था कि 2014 में जो बरसात आई थी, यदि यह द्रव्यवती नदी नहीं होती तो 1981 वाले हालात होते। परन्तु, इनकी उपेक्षा के कारण आज द्रव्यवती नदी एक नाला बनकर रह गई है। सीवरेज का पानी गिर रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं तो मैं चाहूंगा कि सीवरेज का पानी है, उसके लिए

एसटीपी प्लांट लगाया जाए और इसका कोई न कोई निस्तारण किया जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या आपने जयपुर शहर, इन्होंने मेट्रो चलाई थी असत्य वाहवाही लेने के लिए, मानसरोवर से चांदपोल गेट, 10 लाख रुपये प्रतिदिन का घाटा हो रहा है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने सीतापुरा से लेकर के विद्याधर नगर तक मेट्रो चलाये जाने की घोषणा की है। यह काम अब केन्द्रीय सरकार से जॉइंट वेंचर के रूप में कॉर्पोरेशन बनाकर चालू हो जायेगा।

मेरा यह कहना है कि केवल विद्याधर नगर तक नहीं इसको आप चौमूं तक ले जाएं और इधर शिवदासपुरा से इसको चालू करें। शिवदासपुरा से चौमूं तक यदि यह मेट्रो जायेगी, तो इसको नागरिकों को फायदा मिलेगा।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां बोम्बे की तर्ज पर, यदि हम छोटे-छोटे सैटेलाइट टाउन डवलप करेंगे। जैसे वहां पर है, मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, बोरीवली है, वैसे यदि जयपुर में चौमूं है, शिवदासपुरा है, बस्सी है, अचरोल है। ये जो आसपास के कस्बे हैं। उनको यदि सैटेलाइट टाउन्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे होंगे, इसके लिए रोड कनेक्टिविटी..।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सिर्फ दो मिनट लूंगा। रोड कनेक्टिविटी हो, वहां पर अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेज हों, अच्छे गार्डन हों। जो सुविधाएं शहर में होती हैं, वे यदि हम इन कस्बों में करेंगे तो वे सैटेलाइट टाउन के रूप में कन्वर्ट हो जायेंगे।

अब आप जयपुर शहर में देखिये कि किस प्रकार से श्वानों और बंदरों का आतंक। आपने देखा होगा, रोज अखबरों में पढ़ते हैं, आज फलां जगह कुत्ते ने बच्चे को काटा। आज मासूम को काटा, उसकी मौत हो गई।

अब क्या पता, हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे रखा है कि..। दो मिनट।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये। वक्ता बहुत हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कुत्ते या बन्दर को जहां से पकड़ते हैं, उसको वहीं छोड़िये। भाई, ये क्या बात हुई। इसके लिए सरकार को हाई कोर्ट में रिट लगानी चाहिए और इनको आप सरिस्का में छोड़ा या कहीं जंगल में छोड़ो तो समझ में आता है। अब ये गायें, गायें पकड़नें का अभियान रोज चलाते हो।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आपको 20 मिनट दिये थे, 26 मिनट हो गया। प्लीज, सदस्य, मंत्री जी को लिखा हुआ दे देना।

श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 और 40 पर

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

तीन-तीन पूर्व मंत्रियों के बाद मेरे जैसे एक सीधे-सादे व्यक्ति का नम्बर आया है। ये तो उलझे रहें कोटा डिवीजन में और तीसरे जो आए हैं, वे जयपुर से बाहर नहीं निकले।

श्री सभापति: आपको भी इनसे कम नहीं है अपेक्षा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि बात विभाग के स्ट्रेंथनिंग की होगी, लेकिन इनका आपस में जो वाद-विवाद चला, वह वाद-विवाद यहां तक पहुंच गया कि माननीय कोटा से आने वाले मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि आओ और जांच कराओ, पता चल जायेगा कि आपकी कितनी हैसियत है।

मेरा न तो कोई आरोप प्रत्यारोप का मामला है, न जयपुर और सीकर का मामला है। मैं पूरी तरह से कम्फाइन करूंगा कि विभाग कैसे स्ट्रेंथन हो और विभाग की आज जो परिस्थितियां बनी हैं, उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ करें।

माननीय सभापति महोदय, आज हम स्वयं भी महसूस कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि नगर पालिका और नगरीय निकाय का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है।

Bhs/Rtm/07.03.25/14.40/2**g**

उस शहरीकरण में लोगों की अपेक्षा है कि वहां लाइट की व्यवस्था हो, वहां सफाई की व्यवस्था हो। नगरीय निकायों की जो आमदनी है वो आमदनी दिनों-दिन घटती जा रही है और नगरीय निकायों को जो कुछ भी मिलता है वो उनके खुद के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गये कि उनमें खर्च हो जाता है और बहुत सी नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनमें आज यदि आप कर्मचारियों की तनख्वाह की भी बात करें तो उसके भी टोटे पड़ जाते हैं। उसके बावजूद सभापति महोदय, 18.01.1989 को एक स्पष्ट आदेश जारी हुआ था। यह आदेश था 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 सहपठित धारा राजस्थान के 1963 के नियम 32 एवं राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 32 एवं राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 के नियम 11 एतद्द्वारा प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार नगरपालिका अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं बोनस आदि राज्य सेवा के कर्मचारियों के समान प्रभावशील करती है। इसके बावजूद भी, क्योंकि नगर पालिकाओं को जो चुंगी पुनर्भरण जो होता है उससे कर्मचारियों को नगर पालिकाएं वह पैसा देती हैं।

नगरपालिकाओं का जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे-जैसे सफाई की व्यवस्था हो रही है, जैसे-जैसे लाइट वगैरह का जो उन पर खर्चा पड़ रहा है, उनके पास में साधन बहुत सीमित हो गये और उनको कई बार छोटी नगरपालिकाओं की स्थिति ऐसी है, माननीय सभापति महोदय, कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। तो मेरा आप के माध्यम से थ्रस्ट यह है कि जब राज्य सरकार द्वारा 18.01.1989 को ये निर्देश जारी कर दिए गये, एक ये ऑर्डर जो

है वो निकला हुआ है उसके बाद में नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी स्टेट ट्रेजरी से उनको नियमित रूप से मिलना चाहिए। ताकि वो हर छोटी नगरपालिकाओं की स्थिति है कि उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह सुनिश्चित करें आप और आज माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का धीरे-धीरे जो उनका खुद का कॉडर है वो समाप्त होता जा रहा है। नगर पालिकाओं के कॉडर को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आज हर कर्मचारी एक-एक नगर पालिका के जो ई.ओ. हैं उनके पास में 2-2,3-3 नगर पालिकाओं का चार्ज है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नगर पालिकाओं को माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपसे ये विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके नगर पालिका का कॉडर जो है उसको आप स्ट्रेंथन करें ताकि एक-एक ई.ओ. के पास में तीन-तीन नहीं हो। आज सब जगह कर्मचारी डेपुटेशन से आ रहे हैं। डेपुटेशन पर आया हुआ कर्मचारी इस बात को जानता है कि तुझे 2 साल रहना, 4 साल रहना, 5 साल रहना है, उसके बाद तुम अपने मूल डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो उसका जो है उस विभाग के प्रति कोई बहुत दायित्व नहीं रहता और जब तक आपकी सेन्स ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी माननीय सभापति महोदय, वो उस विभाग के प्रति उतनी अपनी तन्मयता से अपनी ड्यूटी परफोर्म नहीं करेगा जितनी विभाग का एक कर्मचारी, उसके भले-बुरे के बारे में विभाग का कर्मचारी है वो ज्यादा बढ़िया महसूस करता है।

अब माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं की जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे-जैसे दूरियां बढ़ी, लाइटों की व्यवस्था हो रही है। लाइट का खर्चा छोटी नगरपालिकाएं हों या बड़ी नगरपालिकाएं हों, आज नगरपालिकाओं के पास में संसाधन सीमित हो गये। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नगर पालिका और नगर परिषदों पर जो लाइट का खर्चा लग रहा है जो डिपार्टमेंट उनसे खर्चा चार्ज करता है उसको आप किसी दूसरे हैड से आप जोड़िये और यह पहले जो है वो जितनी भी रजिस्ट्रियां बनती थी, उन रजिस्ट्रियों का 5% जो है, वो उससे होता था। पंचायतों का पैसा यदि कुछ है तो वो रजिस्ट्री का पैसा पंचायत को तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाओं ट्रांसफर नहीं होता। यदि यह पैसा जो रजिस्ट्री का 5% का जो उसमें से निकलता है वो यदि नगरपालिकाओं को चला जाये तो नगरपालिकाएं भी स्ट्रेंथन होंगी और नगर पालिकाओं के जो बिजली के बिलों में उनका खर्चा लगता है उससे भी वो बच जाएंगे। बिजली बिलों की पेंडेंसी रहती है तो बिजली विभाग वाले आकर के उनके कनेक्शन काटते रहते हैं। रोज़ अखबारों में यह छपवाते हैं कि साहब बिजली का बिल बकाया चल रहा है, हम ये काटेंगे, हम वो काटेंगे। आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं है कि नगर पालिका पैसा जमा करायेगी या विद्युत विभाग पैसा देगा या सरकार देगी। आम आदमी यह चाहता है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और शहरों में और ग्रामीण अंचल में लाइट की अच्छी व्यवस्था हो।

अब माननीय सभापति महोदय, आजकल अखबारों में मैं रोज़ पढ़ता हूं कि शहरों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा और यह एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि साहब कौन सा

शहर जो है वो नंबर वन आयेगा, जयपुर आयेगा कि जोधपुर आयेगा कि भरतपुर आयेगा कि कोटा आयेगा कौन आयेगा ये आप देख रहे हैं और सफाई करने वाला कर्मचारी कौन है? वाल्मिकी समाज का कर्मचारी है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के 20,000 की भर्ती पिछली सरकार निकाल कर गयी थी, कुछ कानूनी खामियां रही, आज दिन तक भी वो भर्तियां बाकी पड़ी हैं। हम उस व्यक्ति से यह तो अपेक्षा करते हैं कि वो वार्ड को साफ करे, बाकी पूरे शहर को एकदम चमचमाता हुआ छोड़े। कभी आपने उनके घरों में झांक कर देखा कि जो व्यक्ति पूरे शहर की सफाई का जिम्मा लेकर के बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के स्वयं के घर की उसकी क्या स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, जब वो रिटायर होता है तो उसका बाकी का बचा हुआ जीवन खटिया में निकलता है, क्योंकि जिन अनहाइजीनिक परिस्थितियों में वो काम करता है, सीवरेज में काम करता है, नालियों में काम करता है, बड़े नालों में उतर कर के वो काम करता है, धीरे धीरे उसकी खुद की जो शारीरिक क्षमता है वो क्षीण होती जाती है और उसका समय जो है लास्ट का समय, वो, माननीय सभापति महोदय, बड़ा मिजरेबल हो जाता है।

मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा। आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार की एक स्कीम है आर.जी.एच.एस. और आर.जी.एच.एस. के माध्यम से जो सर्विस इन कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका पहले जो 30,000 का कोटा था वो बढ़ा करके आपने 50,000 कर दिया तो क्या राज्य सरकार की स्कीम के हिसाब से वो जो नगर पालिका और नगर निकायों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं और मैं आप से स्पष्ट कह चुका कि वाल्मीकि समाज का वो कर्मचारी अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता क्षीण होने के बावजूद भी हम उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वो चाहे मरे चाहे जीये वो सफाई करेगा। क्या हम उसका पैसा जो है 30,000 से उसकी लिमिट बढ़ाकर के जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद में शारीरिक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है, उसका पैसा माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, उसका भी आर.जी.एच.एस. का पैसा जो है वो 30,000 के बजाय सरकारी कर्मचारियों की तरह से 50,000 करें आप।

माननीय सभापति महोदय, आज शहरीकरण बढ़ रहा है और लोगों के पास व्हिकल्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आज आप यदि सब्जी का थैला लेकर बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में यदि आपको वो कोई कार की एजेंसी वाला मिल गया, कहां जा रहे हो कि सब्जी लाने जा रहा हूं, भाई कार लेता जा, वो सब्जी के पैसों में कार घर ले आता है। उस कार को खड़ी कहां करेगा? आज जब शहरों में छोटे शहर का हो चाहे बड़े शहर का हो, ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि पार्किंग की कहीं कोई स्थिति नहीं है और नगर पालिकाओं की आय सीमित है। नगर पालिका में कहीं जगह नहीं बची हुई है तो क्या राज्य सरकार कोई अमृत योजना में या किसी ऐसी योजना में हर छोटे-छोटे जो टाउनशिप हैं, उसमें कोई मल्टीस्टोरी पार्किंग की

व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है? जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे, अब आए दिन होता क्या है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक जाम हो गया, अचानक जो है कोई एक पुलिस अधिकारी सिंघम बनकर के आता है और सबसे पहले उसका डंडा कहाँ चलता है? सड़क के किनारे ठेला रख करके जो अपना पेट पालने वाला जो मजदूर हैं जो सुबह सब्जी का ठेला लगाकर के शाम को इस उम्मीद में बैठता है वहां पर कि शाम को घर जाएगा तो तेरे बच्चे भी आम इन्सान की तरह से रोटी खा लेंगे, उसकी गर्दन दबोच करके उसको वहाँ से हटाता है। सबसे पहला काम वो करता है। बड़े लोगों की कार की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं। बड़े लोगों की कार कहां खड़ी है यह देखने की उसकी जरूरत नहीं लेकिन उसकी नज़र पड़ती है उस ठेले वाले पर और वो डंडे मार कर के उसको वहां से भगा देता है। क्या कभी हमने सोचा है इस बात को कि आम इन्सान की तरह से उसके बच्चे खाने की उम्मीद नहीं करते कि उसका पिता घर आयेगा और ला करके अपने बच्चों को खाना खिलायेगा? कौन चिंता करेगा इस बात की? जब आपके वेंडर्स का रूल बना हुआ है, वेंडर्स के जब कायदे-कानून बने हुए हैं तो वो व्यक्ति भी यह उम्मीद तो आपसे करेगा आखिर इस भारत का नागरिक है वो। नागरिक होने के नाते उसका यह अधिकार है कि वो अपना जीवनयापन करे और अपनी पूरी मान-प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन करे। उसका गुनाह यह है की वो सड़क के किनारे खड़ा हो करके, उसकी हैसियत नहीं है, वो कहीं से कर्ज लेकर के एक ठेला लाता है, ठेला लेकर के वो सब्जी का ठेला लगाता है वहां पर, उसका यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अचानक सिंघम प्रकट हो जाता है यहां खड़े नहीं होने दूंगा और भगा देता है, न कलेक्टर सुनता है न कोई अधिकारी सुनते हैं और बाकी सुनेगा तो सुनेगा कौन?

मैं आप के माध्यम से इस सदन में आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से, चिंता करिये उस व्यक्ति की जो आपसे यह अपेक्षा रखता है। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गरीब की पीड़ा को आप से ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा? आप उसकी चिंता करिये और सुनिश्चित करिये कि वो उस जगह बैठ करके यदि बाकी आम लोगों की गाड़ियां वहां पर खड़ी रह सकती हैं तो वो व्यक्ति भी अपना ठेला सड़क के किनारे लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि वाल्मीकि समाज की सफाई का जो है वो ठेका प्रथा चल रही है और ठेका प्रथा में ठेकेदार आता है, कॉन्ट्रेक्ट लेता है और कॉन्ट्रेक्ट लेकर के और पहले तो उनका पैसे देने में शोषण करता है फिर दो-दो महीने के उनके पैसे बकाया हो जाते हैं।

Kas/rtm/07.03.2025/14.50/2h

संविदा कर्मचारियों के लिये राजस्थान में रूल्स बने हुए हैं, शायद ये रूल्स धारीवाल जी के समय पर ही बने थे। हम क्या कोई ऐसी ऐजेंसी नहीं बना सकते? ठेका कर्मचारियों के

लिये जो टेंडर वगैरह होते हैं, उसके बजाय विभागीय स्तर पर कोई सहकारी सोसाइटी बने या कोई ऐसी संस्था बने, जिसमें कलेक्टर उसका चेयरमैन हो, ईओ या कमिश्नर उसका सैक्रेटरी हो और उसके माध्यम से वो आये। उसके माध्यम से आने से उसका पीएफ भी जमा होगा, उसका ईएसआई का कांट्रीब्यूशन भी जमा होगा और जो ठेकेदार उसका आर्थिक शोषण कर रहा है, टाइम पर पैसा नहीं देता है, दो-दो, तीन-तीन महीने के पैसे बकाया रख लेता है और कब वह उनका पैसा लेकर भाग जाये, यह भी सुनिश्चित नहीं है और वह मुंह ताकता रह जाता है। वह उस ठेकेदार को कहां ढूंढे, ठेकेदार तो उसकी पकड़ में है नहीं। क्या राज्य सरकार ऐसा विचार रखती है कि कोई कॉ-आपरेटिव सोसाइटी या कोई शहरी आजीविका के नाम से कोई संस्था बने, जिसके माध्यम से उन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो और उसमें उनका ईएसआई जमा हो, उनका पीएफ जमा हो, ताकि उनका शोषण नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज कई कुरीतियों में फंसा हुआ है और जब उनके कोई छोटा-मोटा कार्य पड़ता है, घर में कोई शादी हो, घर में और किसी तरह का प्रोग्राम हो, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। यह पीड़ा मैं इस बात से अनुभूत कर रहा हूं कि स्वयं मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि कर्ज के दलदल में वो इस तरह से फंसा रहता है कि इधर उसकी तनख्वाह मिली और 5-10 रुपये सैकड़े कर्ज देने वाला व्यक्ति नगर पालिका और नगर परिषदों के गेट पर बैठा रहता है, जैसे ही वह पैसे लेकर बाहर निकला, तो पैसे घर ले जाने से पहले वो उस सफाई कर्मचारी से पैसे वहीं ले लेता है और वह आंसू बहा कर रह जाता है। तो राज्य सरकार क्या कोई वाल्मीकि कल्याण कोष बनाने का विचार रखती है? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, वाल्मीकि कल्याण कोष बने और उसके माध्यम से उनको बिना ब्याज का पैसा मिले। उस कोष से पैसा मिलेगा, तो उसका शोषण नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, 20 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात कही। यह भर्तियां कैसे सुनिश्चित हों? वह व्यक्ति जो परम्परागत रूप से इस काम में लगा हुआ है, राज्य सरकार ने भर्ती के कलेंडर को एडजोर्न कर दिया। इस बात के लिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। उस वक्त भर्ती इसलिए नहीं हो सकी कि उस कर्मचारी से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट मांगा। जो कर्मचारी अपनी मां के साथ 15-16 साल का हुआ नहीं और अपनी झाड़ू लेकर चला जाता है, जो बच्ची अपनी मां के साथ झाड़ू लेकर चली जाती है, आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू अपना सर्टिफिकेट ले कर आ। सर्टिफिकेट कौन देगा, वो कांट्रेक्टर, जिसके पास वह संविदा पर काम कर चुका है। पहले शोषण हुआ उसके मेहनताने में, अब शोषण हो रहा है सर्टिफिकेट देने में। वह कांट्रेक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वह कह रहा है कि सर्टिफिकेट चाहिये तो पैसा ला। कब तक हम उसको इस तरह शोषित होते हुए देखते रहेंगे? माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों से पूछिये, एजी साहब से बात कीजिए, विधि विशेषज्ञों से बात कीजिए, उनके साथ बैठकर जो भी यह 20 हजार भर्तियां होंगी, उनमें आप सुनिश्चित करें कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले। मेरे

तजुरबे के हिसाब से यदि एक लाइन आप यह भी लिख देंगे, पहली बात तो यह कि आप क्या प्रोसिजर एडॉप्ट करते हैं, उसमें आप यह सुनिश्चित करें कि वाल्मीकि समाज को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, वह परम्परागत रूप से इस काम को करता आया है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वह शोषित परिवार है। 20 हजार भर्तियों की जब घोषणा हुई तो उन लोगों के घर में इस बात पर रोशनी हुई कि हमें भी नौकरी मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि नौकरी के नाम पर तो उनके साथ छलावा हो रहा है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): भर्ती का आपका जो प्रोसिजर बना हुआ है, उस प्रोसिजर के माध्यम से भर्तियां हो। सफाई तो करेगा वाल्मीकि समाज का कर्मचारी और जो व्यक्ति वहां पर नौकरी पा गया, वो उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को 5-7 हजार रुपये देकर, बाकी की सैलेरी लेकर वह अपने घर जायेगा। ये कब तक इस तरह से शोषित होते रहेंगे?

माननीय सभापति महोदय, यह मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। लोग कोरोना काल में अपने परिजनों को छोड़ कर भाग गये। अस्पतालों में डाक्टर्स के साथ-साथ ये सफाई कर्मचारी के लोग थे, जो मल्टी टास्क वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। ठेकेदार उनका पैसा लेकर भाग गया। कोरोना से मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को पूरी तरह से पॉलीथिन में लपेट कर घर पर देने वाला वह हरिजन कर्मचारी ही था।

श्री सभापतिः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी का शोषण रोकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुनः आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लाइन ऐसी डालिए कि इसमें जो भी भर्तियां होंगी, उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता होगी और वाल्मीकि समाज यदि नहीं करना चाहता है, माननीय सभापति महोदय, यह तो वाल्मीकि समाज है जो आप पर रहम कर के शहरों में सफाई कर रहा है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जिस दिन भी वाल्मीकि समाज यह तय कर लेगा कि हम इसका बायकॉट करते हैं, हम सफाई नहीं करेंगे, उस दिन आपके ये शहर नर्क बन जायेंगे और आपका रहना मुश्किल हो जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विधान सभा सत्र में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय सबको मिला है और मैं चाहती हूं कि मेरे साथी विधायक भी अपनी बात 9 बजे तक रख पाएं, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं अपनी राजसमन्द की बात आपके सामने रखना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां पर विराजमान पूर्व सरकार के मंत्री और हमारे

कोटा-उत्तर के विधायक साहब, हमारे उप चुनाव में आये थे और अभी उन्होंने बहुत तेज-तेज बातें करीं कि हमारी सरकार ने ये काम किये, वो काम किये। हमारे राजसमन्द में आकर उन्होंने मंच से काफी घोषणाएं करीं और वहां पर यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस को जिताओगे या हमको वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो हम हमारे और आप आपके। ऐसी ही भावना के साथ पूरे ढाई साल हमने निकाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं भजन लाल जी की सरकार को, यहां विराजमान हमारे मंत्री महोदय को, 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राजसमन्द में काम चालू हुआ था, लेकिन अपनी दुर्भावना की वजह से, यह कह सकते हैं कि डिस्आर्डर करते हुए उन्होंने वो पैसा वहां पर नहीं लगने दिया, जैसे ही उनकी सरकार आई, उस काम को बंद करा दिया। आज भजन लाल जी की सरकार में उनके नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मंत्री जी के आदेशों पर प्रशासन ने फिर से मुख्यमंत्री आवास योजना का काम चालू कर दिया और करीबन एक हजार परिवारों को अब राजसमन्द में यह सौगात मिलने जा रही है और एक महीने के अन्दर-अन्दर वो आवास उन सब जनों को मिल जायेगा। इसलिए मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को।

सभापति महोदय, आज जब राजसमन्द की हम बात करते हैं, तो राजसमन्द एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक रूप में भी बहुत आगे रहा है। राजसमन्द में रीलिजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये बहुत सारे अवसर हैं। पूर्व सरकार भी रही है, अब हमारी सरकार है, मंत्री जी, मैं तो आपको यही निवेदन करूंगी कि जितना ध्यान संभागीय मुख्यालय पर है, उतना ही ध्यान अगर आप टियर टू सिटी, टियर थ्री सिटीज पर दें, तो हम सब मिलकर उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। राजसमन्द में जब हम रिलिजियस टूरिज्म की बात करते हैं, वो द्वारकाधीश की नगरी है, यह वो सिटी है, जहां जब ब्रिटिश शासन था, तो राजसमन्द झील में हाइड्रो प्लेन उतरा करते थे। आज हम उस झील में बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं, ताकि हमारे वहां का रोजगार बढ़े, हमारे वहां का उद्योग बढ़े। इन छोटे-छोटे कदमों से भी हम वहां का उद्योग और रोजगार बहुत बढ़ा सकते हैं, वहां का टूरिज्म बढ़ा सकते हैं और राजसमन्द जो कि वर्ल्ड मैप पर है, उसको अलग ख्याति हम दे सकते हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि मेरी राजसमन्द झील के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराएं। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी जब मंत्री थीं, तब उसकी डीपीआर भी बनी थी, अगर उस रिंग रोड को बनवाने में आप हमारा सहयोग करेंगे या घोषणा करेंगे तो उससे हमारी उस झील के चारों तरफ रोड बनेगी, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोग आराम से उस झील तक पहुंच सकते हैं।

Msk/rtm/07.03.25/1500/2j

इसके साथ-साथ से एनएच से आप राजसमंद झील के लिए एक संपर्क सड़क दें, ताकि उस सड़क से डायरेक्टली हम लोग झील के पास पहुंच सकें और शहर के अंदर व्हीकल्स को

लेकर जो प्रॉब्लम्स आयेंगी, उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं और द्वारकाधीश मंदिर पर भी सीधे से लोग पहुंच सकते हैं और उनको सिटी ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा

इसके साथ-साथ, मैं आप से बोलूंगी कि हमारे यहां पर जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वहां सारा पुराना राजसमंद बसा हुआ है। वहां पर सड़कें चौड़ी करने की बिलकुल भी जगह नहीं है, तो वहां पर आप हमें अंडरग्राउंड केबलिंग, जिसके प्रस्ताव हम भेज चुके हैं। करीबन 39 करोड़ का वह पूरा प्रस्ताव है, जिसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग, फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीफोन लाइन, ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो हमें थोड़ी-सी पर्याप्त जगह मिल सकेगी। उसके साथ-साथ मंदिर में पहुंचने के लिए जिस तरीके से हम लोगों को इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह भी हमें उपलब्ध हो पायेगा।

इसके साथ-साथ झील के अन्दर, हम कैसे प्रयास करें कि हम अपने उस टूरिज्म को, नगर के विकास के तहत ही वह टूरिज्म बढ़ सकता है। जैसे-जैसे नगर बढ़ेगा, वैसे-वैसे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ नई पहल आपके द्वारा हो तो पूरा राजस्थान आपको याद कर सकता है और उसी के लिए वे राजसमंद आयें। जैसे कि मैंने आपको बताया की पहले हाइड्रोप्लेन्स यहां पर होते थे, उस झील के अंदर फिर से ऐसी व्यवस्था की जाये कि जैसे उदयपुर में फतेह सागर या पिछौला में स्पीड बोटिंग होती है, हमारे यहां पर उस झील के अंदर हाइड्रोप्लेन को घुमा सकें, वह भी एक नवाचार अगर आपकी तरफ से मिलेगा, बहुत बड़ी कोस्ट नहीं है, लोग निवेश करने के लिए तैयार भी हैं तो हमारे राजसमंद झील में एक नवाचार होगा और उससे जो टूरिज्म है, हम उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे।

उसके साथ-साथ हमारे यहां पर भवानी माता का एक मंदिर है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। उसके वहां पर अगर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाए, जो कि मास्टर प्लान के अंदर भी था तो वह इको टूरिज़्म पार्क से, वहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि नाथद्वारा तक तो अब उदयपुर नाथद्वारा तो एक हो ही गया है, प्रोजेक्शन राजसमंद की तरफ ही है। अभी से अगर कदम उठा दिए जाएंगे तो एक प्लांड-वे में वहां पर डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो राजसमंद का मास्टर प्लान है, वह 2005 में बना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे दो मिनट और लूंगी। मास्टर प्लान 2010 में बना हुआ है, 2010 का जो मास्टरप्लान है, यह नहीं देखा गया था कि किस तरीके से व्यवसायी आगे बढ़ेंगे। अब हमारी 100 फीट रोड और 50 फीट रोड पर व्यवसायी बस गये हैं, लेकिन क्योंकि वह अभी तक भी रेज़िडेंशियल पर्पज से है तो कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वह ज़ोनल प्लान चेंज करने की भी अनुमति आपसे मिले।

उसके साथ दशामाता, एक लास्ट बात, बाकी मैं अपना पूरा मैटर टेबल कर दूंगी। दशामाता का त्यौहार आने वाला है। कल महिला दिवस भी है। मैं आपसे ये मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं के लिए शहर के अंदर छोटे-छोटे चबूतरे बने होते हैं, दशामाता के, गणगौर माता पूजने के, उन सारे चबूतरों को आप एक घोषणा से पूरे प्रदेश में ढंकवायें, ताकि

महिलाएं आराम से पूजा अर्चना कर सकें। इसके साथ-साथ हर नगर पर गोवंश के लिए एक हमें एंबुलेंस मिले, गोवंश के जो ऐक्सिडेंट्स होते हैं तो हम आराम से उनको अस्पताल पहुंचा सकें। ऐसा भी आप उसमें करें। RUIDP के द्वारा करीबन 250 करोड़ की योजना राजस्थान राजसमंद के लिए बनी हुई है, सीवरेज की, वह भी पाइपलाइन में हैं, उसकी भी आप अनुमति प्रदान करें, ताकि हमारे यहां पर जल्द से जल्द सीवरेज प्लांट डल सके।

ट्रांसपोर्ट नगर की मैं मांग रखना चाहूंगी और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो कचरा पात्र पहले थे और कांग्रेस की सरकार में हटाये गये, उसकी वजह से रोडों पर कचरा रहने लग गया है, तो मैं वापस से बोलूंगी कि आप हर वार्ड में कचरा पात्र को वापस लगायें।

इसके साथ-साथ, जो आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात में आखिर में यही कहूंगी कि विकास, विश्वास और संकल्प के संग आगे बढ़ेगा राजस्थान और आगे बढ़ेगा राजसमंद। द्वारकाधीश की जय।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 39 और 40 पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। नगरीय विकास का एक अलग डायनेमिक्स होता है। माननीय सभापति जी, 1951 में प्रदेश की लगभग 14 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी और आज शहरों की आबादी राजस्थान में लगभग 30 से 35 प्रतिशत हो गयी है। पूरी दुनिया में शहरीकरण ग्रोथ का इंजन बना हुआ है और जीडीपी का 50 परसेंट शहरों से आता है। माननीय सभापति जी, पहले शहरों का विकास नदियों के आसपास होता था और आज सड़कों के आसपास शहरों का विकास हो रहा है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन के बाद में आप अरबनाइजेशन को पंख लग रहे हैं। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण अतिक्रमण, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इको-इम्बैलेंस की जो समस्या है, वह हमारे सामने मुंह फाड़ करके खड़ी हुई है, परन्तु यदि हम इस बढ़ते अरबनाइजेशन को अपोर्चुनिटी में अगर बदलना चाहते हैं तो हमें अरबनाइजेशन की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही होगा।

माननीय सभापति जी, आज दुनिया भर में नये-नये काम चल रहे हैं। रेज़िडेंस सिटी, इन्टेलिजेन्स सिटी, डिजिटल सिटी, आर्गेनाइज्ड सिटी, ग्रीन सिटी, फंक्शनल सिटी, फ्यूचर सिटी और इन सबको मिलाकर आप अगर कहते हैं तो स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी जहां गवर्नेन्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों का मिलन होता है और ऐसी स्मार्ट सिटी? मुझे गर्व है इस बात का कि 1727 में जब महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाने की कल्पना की थी। जो आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1727 में महाराजा जय सिंह जी ने यहां जयपुर को जब बसाने की कल्पना की थी तो चौड़ी-चौड़ी सड़कें और पूरी प्लानिंग के साथ में शहर को बसाने की योजना उन्होंने बनायी। उसी का परिणाम है कि आज जयपुर को पूरे वर्ल्ड में हैरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में जयपुर का नाम लिया जाता है, लेकिन जयपुर बसने

के बाद में आज हमारे ऊपर जो हमारे विकास प्राधिकरण हैं, उनके ऊपर, सरकारों के ऊपर जयपुर की सुंदरता को बनाये रखने का, जयपुर के विकास को पंख लगाने का, जयपुर के विकास को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आयी है, उस जिम्मेदारी को हमें उसी ताकत और उसी बुद्धिमानी के साथ में पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जयपुर की कल्पना करके और जयपुर को बड़ा सुंदर शहर बनाने की योजना बनाई, उस योजना को हम भी आगे बढायें, तब जाकर आगे आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए याद करेगी।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा की जब जयपुर शहर 1727 में बस रहा था, महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जो अतिक्रमण था और वहां पर बसावट थी, उस बसावट को हटाने का पूरा प्लान करके और तैयारी करके उस बसावट को हटाया। पूरे देश के जो वास्तु शास्त्री थे, बड़े-बड़े पंडित और विद्वानों को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ करके जयपुर को बसाने की योजना बनायी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब वरदराज की मूर्ति, जो कांचीपुरम में थी।

श्री सभापति: प्लीज, आवाज धीमी।

श्री रामकेश (गंगापुर): सारे पंडितों ने ये कहा कि भगवान विष्णु की मूर्ति जब तक जयपुर नहीं आयेगी, तब तक इस शहर की स्थापना नहीं हो सकती और उस मूर्ति को लेने के लिए यहां से हीदा मीणा को महाराज ने कांचीपुरम भेजा। हीदा मीणा अपनी बुद्धिमानी से उस मूर्ति को लेकर के आया, तब जाकर के यहां अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसके बाद में जयपुर की स्थापना हुई।

mdp/rtm/07.03.25/15:10/2k

ऐसा शहर जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बसा हुआ है, हमारे पंडितों और विद्वानों के अनुसार बसा हुआ है। हमारे चौपड़ और वास्तुशास्त्र को मिलाकर बसा हुआ है, जिससे आज तक इस जयपुर पर कोई संकट नहीं आया। ऐसे में ये खूबसूरती है कि हम ऐसे शहर की बसावट को, ऐसे शहर की प्लानिंग को, ऐसे शहर की सुन्दरता को हम लोग कायम रखें। इस सुन्दरता को कायम रखने का दायित्व आज जयपुर विकास प्राधिकरण पर है।

मैं जयपुर विकास प्राधिकरण की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे ढ़ंग से और प्लानिंग-वे में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां भी उनके स्तर पर रह रही हैं। जो सड़कों का नेटवर्क है, मास्टर प्लान जो उन्होंने बनाया, उस मास्टर प्लान के अनुसार जो सेक्टर प्लान है, वह सेक्टर प्लान को लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें पूरी की पूरी अगर कोई कमी है तो हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण में जो इंजीनियरिंग शाखा है और जो डीसीज हैं, वह क्षेत्र में नहीं जाकर सड़कों का निरीक्षण नहीं करते हैं। जो आप लोगों ने नियमन करवाया, जो भूमि आपने समर्पित करवा ली और समर्पित करवाने के बाद में भी आप उस पर डिमार्केशन नहीं करके, सड़कों का नेटवर्क नहीं जोड़ रहे हैं, इससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है। जब उस पर अतिक्रमण हो जाता है, उसके बाद में जा करके आप तोड़फोड़ करते हैं। तो यह सारी

की सारी चीजें, अगर जयपुर विकास प्राधिकरण ध्यान से पहले अगर इसमें पूरी तरफदारी करे, पूरी कार्यवाही करे तो मैं समझता हूँ जयपुर की सुंदरता और उसकी खूबसूरती और आगे बढ़ सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारे नगर परिषदों में आपने नगर पालिकाओं को नगर परिषद् में क्रमोन्नत तो सरकार ने कर दिया, लेकिन वहां पर जो आपके कमिश्नर की पोस्ट है, उस पर कहीं आपने एईएन को चार्ज दे रखा है, कहीं आपने एक्सईएन को चार्ज दे रखा है, कहीं ईओ को आपने कमिश्नर बना रखा है। वहां पर नगर परिषदों में रेवेन्यू अधिकारी नहीं है। आपने मास्टर प्लान लागू कर दिया, लेकिन मास्टर प्लान में लैंड यूज़ को समझने वाला कोई नहीं है और जब पट्टे देते हैं, फाइल चलती है पट्टे की, उस पट्टे पे जो भू, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है और राजस्व की जो रिपोर्ट होती है, तो जब तक राजस्व अधिकारी नगर परिषद में नहीं होगा, मास्टर प्लान का एटीपी अगर नगर परिषद में नहीं होगा, तो वहाँ पर उनका काम लगातार बाधित होता है।

ऐसे ही हमारे गंगापुर सिटी में, माननीय मंत्री महोदय, नगर परिषद् में हमारा काम रुका हुआ है और वहां पर जो आंतरिक सड़कें हैं, सीवरेज के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी की पूरी सड़कें टूट गई हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा या तो सीवरेज का जो ठेका कंपनी को दिया हुआ है, तो या तो वह ठेकेदार उन सड़कों को ठीक करें या अलग से कोई पैसे की ऐसी व्यवस्था करें, जिससे पहले से बनी हुई सड़कों का उसमें निर्माण हो सके। इससे जो पहले अच्छी सड़कें बनी हुई थी, वह अच्छी सड़कें भी सीवरेज के कारण टूट गई हैं। पूरा शहर हमारा अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां पर नियमन का काम रुका हुआ है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे नगर परिषद् में गंगापुर सिटी में जो भी वहाँ पर स्टाफ की कमी है और जो पैसे की कमी के कारण सड़कों का जो बिलकुल ही सत्यानाश जो उस सीवरेज कंपनी ने कर रखा है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वहां पर आप ध्यान दें। गंगापुर में मैं आपको एक और निवेदन करूंगा कि गंगापुर में जो हमारे पट्टों की भ्रष्टाचार की जो एक शिकायत आपके पास आई थी, उस एसडीओ ने आपके यहां वह जांच रिपोर्ट भी भेज दी और उसके खिलाफ़ जो आरोप प्रमाणित हुए, वह आरोप प्रमाणित होने के बाद में भी प्लीज़ यहां पर कोई कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं हो पाई है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं आपसे अनुरोध करूंगा उस पर ध्यान देकर कार्यवाही कराएं। गंगापुर में सड़कों का जो हाल खराब है, उन सड़कों को दुरुस्त कराने का काम कराएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री संदीप जी शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

कांग्रेस ने 2018 से 2023 तक 5 साल राज़ किया और इस राज में हमें स्वायत शासन

मंत्री के रूप में कोटा के माननीय धारीवाल जी मंत्री के रूप में मिले। यूं तो मंत्री जी पूरे राजस्थान के थे, लेकिन कोटा पर उनकी विशेष कृपा थी और हो भी क्यों नहीं? कोटा उनका गृह क्षेत्र था, परंतु अभी आदरणीय सराफ साहब एक बात कह रहे थे कि वह कोटा तक ही सिमट कर रह गए थे, कोटा के मंत्री बन गए थे। वह गलत कह रहे थे। मेरा मानना है कि उनका मन और ज्यादा संकीर्ण हो गया था। वह अपनी विधान सभा तक, कोटा उत्तर तक ही सिमट कर रह गए थे। वहीं के मंत्री बन कर रह गए थे माननीय धारीवाल साहब। और वह क्यों? सुनिए पहले पूरी बात, यदि आप पूरी निष्पक्षता के साथ कोटा आकर मेरे साथ चलें तो पोस्टमॉर्टम करवा दूंगा आपको एक-एक चीज का। सिर, धड़, पेट, उस पोस्टमार्टम में सब कोटा उत्तर ही नजर आएगी विकास के रूप में। उसके अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आने वाला।

माननीय धारीवाल जी ने पूरे 5 साल, हमने तो भुगता है हुकम, आप तो दूर बैठे हैं। हमने 5 साल भुगता है। हमारी तो विधान सभा का मंथन कर दिया पूरा। मंथन करके उसमें से अमृत निकाल दिया। अभी कह रहे थे कि 25 कॉलोनियां बेच दीं, 7000 करोड़ रुपये कमा दिए। सारे का सारा अमृत तो धारीवाल जी पी गए और हमारी कोटा दक्षिण, लाड़पुरा, कहां गये वह? सबको हलाल कर दिया, सबको, कुछ भी नहीं मिला, बाकी की जो विधान सभाएं थी उनको। ये सत्य है। आप सुनिए तो सही बैठकर, बड़ा मज़ा आएगा आपको। सारा पैसा रिवर फ्रंट के होम चढ़ा दियk। 1500 करोड़ रुपये तो वह बता रहे हैं कि वहां चढ़ा दिया उन्होंने। वहां जाइए एक बार आप देख के आइए रिवर फ्रंट को। रिवर फ्रंट की अभी खूब तारीफ कर रहे थे। उस रिवर फ्रंट के ये हाल हैa, अच्छा अभी जो 7000 करोड़ की बात वे कर थे, पारीक साहब, आदरणीय माननीय पारीक साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं जो 7000 करोड़ की बात अभी धारीवाल जी कह रहे थे, उसके बाद भी 1000 करोड़ रुपये अभी केडीए दे रही है ठेकेदारों को, भुगतान कर रही है 2018 से 2023 का तो 8000 करोड़। उनसे सही करवा लेंगे हम, 8000 करोड़ फूंके उन्होंने 8000 करोड़ बर्बाद करे।

बहुत चर्चे रिवर फ्रंट के, वह भी कह रहे थे, लोग-बाग भी कह रहे हैं, परंतु हमने वहां देखा है। वहां की प्राचीन मूर्तियों को हटा दिया, प्राचीन स्थानों को हटा दिया। आपके कांग्रेस के नेताओं ने, माननीय पारीक साहब, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया और जोरदार तरीके से इस बात को उठायाद्। यहां पर हालात ये हैं कि पूरे में इमारतें बन गई। उस चंबल नदी के किनारे जो आप रिवर फ्रंट बना रहे थे, वहां कम से कम हरियाली होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? एक पेड़ ढूंढ कर बता देना उस 1500 करोड़ के रिवर फ्रंट में। कोई ग्रीनरी नहीं है, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य खत्म कर दिया। इमारतें बना दी विभिन्न प्रकार की, कोई पाकिस्तान की, तो कोई मक्का मदीना की, कैसी कैसी इमारतें बना दी खूब सारी, लेकिन जो वास्तविक सौंदर्य था उस वास्तविक सौंदर्य को और 1500 करोड़ का जो हाथी खड़ा किया है साहब इन्होंने, दो करोड़ रुपये की मेंटीनेंस का चारा उस सफेद हाथी को हर महीने खिलाना पड़ता है, दो करोड़ रुपये। अब न तो उसकी कोई आय का इन्होंने सृजन

किया, न इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे लोग-बाग आकर देखे। कोई लोग देखने भी नहीं आते। किराया लगा दिया 200 रुपये। वहां रोजाना आते हैं मुश्किल से 100-50 रुपये, तो मतलब ऐसा रिवर फ्रंट, क्या फायदा हुआ, सात हजार-आठ हजार करोड़ रुपया, कोटा वालों को दे गए, लगाकर उड़ा गये, उसका लाभ क्या मिल रहा है कोटा वालों को? कोई लाभ नहीं मिल रहा।

कोई उद्योग जमा जाते या कुछ थोड़ा-बहुत वहां पर कोई ऐसा काम कर जाते जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाता। वहां पर आईएल की बढ़िया जमीन थी हमारी, उस जमीन में आधी तो इन्होंने बेच खायी और आधी में ऑक्सीजोन बना दिया, साहब, ऑक्सीजोन बना दिया। हमारे मिनी सचिवालय की मांग थी। उस पैसे को चूंकि आपको लगाना था वहां रिवर फ्रंट में। आपको तो बस पैसा चाहिए था, नालों में प्लॉट बेच दिए और आईएल के प्लॉट बेच दिए। 25 कॉलोनियां काट कर प्लॉट बेच दिए और 7000 करोड़, 8000 करोड़ रुपया फूंक दिया, लेकिन मिनी सचिवालय जो लोगों की आवश्यकता थी, उससे वंचित रखा आपने। लेकिन चूंकि मिनी सचिवालय का तो मैंने याचिका में लगा रखा था और जब कोई भी माननीय सदस्य याचिका में लगाता है तो उसको तो बनना ही बनना था। आप बना जाते। अब बन रहा है।

Ans/rtm 15.20 2l 07.03.2025

हमारे माननीय मुख्य मंत्री का आर्शीवाद लिखा था। आज कोटा की धरती पर मिनी सचिवालय का खाका तैयार हो गया है और बहुत जल्दी कोटा में मिनी सचिवालय बनेगा। कोटा में आप सिंगल फ्री रोड की बात करते हो, चौराहे की रोटरी आपने इतनी बड़ी कर दी कि सारी विजिबिलिटी आपने खतम कर दी। जितने अंडरपास, फ्लाईओवर आपने बनाये सारे के सारे टैक्नीकली रूप से गलत डिजाइन किये हुए आपके अंडरपास व फ्लाईओवर है। आपने खूब जमकर पैसा खर्च किया। हो सकता है एक रूपये की जगह आपने चार रूपये खर्च किए, पर लोगों के लिए आप सिरदर्द बना गये। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं।

आपने सपना देख कि ऐसा बनाना है, आप बना तो गये, सपने को साकार कर गये पर आपने प्लाट नालों में, कोने में, जहां आपको लगा वहां आपने प्लाट बेच दिये, 7000 करोड़ रुपये अपने उड़ा दिये। आपका सपना, सपना तो आपने साकार कर दिया, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, साहब, माननीय मंत्री महोदय, इस आनन फानन के विकास में हड़बड़ाहट और बेतरतीब विकास में पूरे 5 साल में इनके विकास के रुख के चलते शहर में 2022 में 444 सड़क हादसों में 111 लोगों की मौत हुई और 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 75 लोग अकारण काल के ग्रास में चले गए। यह क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली बार, यह क्वेश्चन इनके डिपार्टमेंट से आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, जब आप यूडीएच मंत्री थे तब का क्वेश्चन था यह। और जिस तरीके से आपने जगह-जगह ऐक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट बना दिए आज हम हमारे इंजीनियर से उनको

ठीक करवा रहे हैं। यह रोजाना देखो, मंत्री महोदय, रोजाना खबर छप रही है। यह देखो, आप अनंतपुरा थाने के निकट अभी नया चौराहा बनेगा, शहर में कई स्पॉट, हादसों के प्लॉट, ये देखो आप, इस तरह की स्थिती। जो सिंगल फ्री रोड की तारीफ कर रहे थे, यह हैं वास्तविकता सिग्नल फ्री रोड की। कभी आपने सोचा क्या लाभ मिलेगा कोटा वासियों को इस विकास से? कोटा का आर्थिक वातावरण और शैक्षिक वातावरण वह आपके सामने डगमगाने लगा था, डगमगाने लगा था ना? आपको उस समय सोचना चाहिये था कि कोटा को कुछ ऐसा देकर जाएं जिससे कम से कम इकोनॉमी तो सुदृढ़ रहे कोटा की, पर क्या करा आपने इसके लिए, कुछ नहीं। आप तो बहुत पॉवरफुल थे, आप तो सीएम साहब को जो कह दो वह बात मानी जाती थी, आप तो एक तरह से डिप्टी सीएम साहब थे, लेकिन फिर भी आपने कोटा के लिए कोई विशेष काम नहीं किया।

आपने तो 5 हजार करोड़ के काम करवा लिए होंगे, आठ के करा लिये होंगे पर हमारे एयरपोर्ट के लिए तो 40 करोड़ रुपये नहीं दे पाए और वह पूरे 5 साल तक अटका कर रखा। वह तो भला हो माननीय लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का। आपने शंभु पुरा में जमीन दे दी और उस जगह दे दी जो वन भूमि में थी, जो अभयारण्य के अंदर भूमि थी, उसको किस तरीके से वन विभाग से परिवर्तित कराकर जमीन को मुक्त करवाया और उसके बाद भी इन्होंने वहां ठेंगा दिखा दिया, 40 करोड़ रुपये नहीं दिए। बात कर रहे हैं 07 हजार करोड़ खर्च कर दिए। आप 40 करोड़ दे देते तो एयरपोर्ट पर हवाई जहाज चलने लगता। जैसे ही हमारी सरकार आई दो महीने में पैसा भी जमा हो गया और सारा काम भी हो गया और अब कोटा का वह एयरपोर्ट अतिशीघ्र चालू हो जाएगा, अप्रैल-मई में काम चालू हो जाएगा। देखना रफ़ीक साहब, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं, आपको लेकर चलेंगे वहां हवाई जहाज में बिठाकर।

मथुराधीश जैसी हमारी जो पीठ है, जो श्रीनाथ जी, बांके बिहारी जी और अपने गोविंददेव जी के मंदिर के पीठ के बराबर उनकी मान्यता है, परंतु वहां पर आपने 60 करोड़ ही नहीं दिए। कोटा इतना बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र हो जाता जैसे श्रीनाथ जी, सांवलिया जी, बांके बिहारी जी, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं था, उसके कोरिडोर के लिए, लेकिन अब हमने करवा दिया। आपको तो बस केवल कंकरीट के जंगल खड़े करने थे। आपको कोई विकास का आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक पक्ष, कुछ भी नहीं देखना था, बस बनाये जाओ इमारतें, परन्तु ईश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया था।

मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी, लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने उनसे कहा और 65 करोड़ रूपये की मथुराधीश जी की डीपीआर भी सैंक्शन हुई और बहुत जल्दी ही मथुराधीश जी का कोरिडोर भी बनेगा। आप भी यही हो और हम भी यहीं है, आपको दर्शन कराने लेकर चलेंगे।

मैं आभार व्यक्त करता हूं, कोटा की जिस तरीके से घोषणाएं हुई है, इस बजट 2025 में, पर्यटन, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास, धार्मिक पर्यटन और स्पोर्ट्स को लेकर यह

ऐतिहासिक घोषणा है, जो कोटा की समृद्धि की मिसाल बनेगी, ऐतिहासिक बजट हमारे कोटा को मिला है, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। कोटा की जनता से वादा था कि हम हर वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। ऐसे स्मार्ट पार्क कम से कम 500 पार्क तो मेरी विधान सभा में हैं। ऐसे स्मार्ट पार्क बनाएंगे जिनमें जिम, योगा भवन, बैंच, झूले हर पार्क को ऑक्सीजोन बना देंगे। सभी वार्ड के मोहल्लों में नाली, सड़क, लोगों की आधारभूत, मूलभूत समस्याएं, सुविधाओं को लेकर पूरा लोगों की डिमांड पर, उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल काम करेंगे, माननीय मंत्री जी के संरक्षण में काम करेंगे, उनका सहयोग लेकर काम करेंगे कोटा शहर को हम इस विज़न से स्मार्ट शहर बनाएंगे।

हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी एक अलग व्यक्तित्व हैं, अद्भुत कार्यशैली से आज स्वायत्त शासन विभाग में सुनियोजित विकास पर समग्रता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने फोकस किया है सम्पूर्ण राजस्थान के शहरी विकास पर। उन्होंने फोकस किया है शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए 50 करोड़ रूपये। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर के सेक्टर रोड्स के लिए 575 करोड़ रुपये। हमारे शहरी उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये। 65 नगरीय निकायों में जल भराव क्षेत्रों में बर्ड निस्तारण तंत्र की व्यवस्था के लिए 12 हजार करोड़ रुपये, 50 हजार स्ट्रीट लाइट, शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए फ्लाईओवर, सड़कों के निर्माण के लिए 361 करोड़ रुपये का कार्य।

आपने सम्पूर्ण राजस्थान में सैकड़ो भूखंड और वोटों की राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए सिर्फ एक वर्ग को 10 प्रतिशत या नाममात्र की राशि पर आपने भूखंड आवंटित कर दिए। कोटा में तो ऐसी स्थिति कर दी आपने, इन विवादों को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता आ गयी थी? कितनी तनाव पूर्ण स्थिति आज कोटा वासी झेल रहे हैं, आपके यह जो फ्री में भूखंड बांटे हैं। आपके पट्टो के शिविरों को लेकर आप बहुत बड़ी बात कर रहे थे की आपने 13 लाख पट्टे बांट दिये। यह पट्टों का खेल आपने किया, यह तो पट्टे लेने वाला ही जानता है कि दलाल को कितना पैसा दिया। 500 रूपये वाला आपका यह पट्टा उस बेचारे गरीब को, 13 लाख लोगों को कितने में उसको पड़ा, कितने हज़ारों रुपये में दलाल को देने पड़े। पता नहीं आपने दलालों की चांदी क्यों कराई और दलालों ने अधिकारियों की चांदी और फिर अधिकारियों ने ना जाने चांदी कराई, सोना कराया, क्या कराया, भगवान जाने। लेकिन मंत्री जी की निगाह पैनी है, वह कह रहे थे जांच क्यों नहीं कराते हो। आप कितनी सफाई दे दो, आपकी गलतियों पर सवाल पूछा जाएगा।

तुम कहां तक सही हो यह परखा जाएगा।
यह मत सोच लेना तुम असत्य बोलकर हकीकत छिपा लोंगे,
पैनी नज़रों वालों का शिकंजा हर कदम कसता जाएगा, कसता जाएगा कसता जाएगा।

निश्चित रूप से आप अगर ये सोच रहे हो कि बच जाएंगे, तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोटा में आपने दो निगम करी 150 वार्ड आपकी रणनीति से बनाये, पक्षपात इतना किया कि कांग्रेसी वार्डों के पार्षदों में वहां पर आप काम कराते रहे, बाकी

बेचारे हमारे पार्षद तो मूलभूत समस्याओं के लिए तरसते रहे। आपने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कुछ करा हो तो बताओ? लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विश्वकर्मा स्किल इंस्टिट्यूट स्वीकृत कराया। आपने तो कोटा के सीवरेज में, खुला भ्रष्टाचार का खेल हुआ। आरयूआईडीपी से यूआईटी, निगम इनको एजेंसी बना दिया। पूरे 5 साल तक सड़कें खुदी रहीं। लोग- बाग सीवरेज के गड्ढे में गिरते रहे, हाथ पैर तुड़वाते रहे, अस्पतालों में भर्ती होते रहे। इस सीवरेज को डालने में ना कोई नॉर्म्स, ना कोई वाटर लेवल, सीवरेज के चैम्बर कहीं तो तीन इंच ऊपर कहीं तीन इंच नीचे ऊपर। इतना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। सारा गंदा पानी आज भी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस जाता हैं, सड़कों पर चला जाता है। हमने तो वह व्यवस्था की है कि सीवरेज लाइन के अंदर का काम बिना सड़क खोदे ही ट्रेंचलेस तरीके से करेंगे। सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए, सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए 100 रोबोटिक। 95 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए थे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना में वह आप खर्च नहीं कर पाए। पूरा कोटा धूल धूसरित पांच साल तक प्रदूषण का शिकार होता रहा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट। आपने ड्रीम प्रोजेक्ट रिवरफ्रंट पूरा कर लिया, 18 गंदा नाले अभी भी उसमें गिर रहे हैं।

VPS-RTM-07.03.2025-15.30-2m

कोटा शहर के बीच बहने वाले नालों का ग्रीन सौन्दर्यीकरण व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाकर द्रव्यवती नदी के तर्ज पर विकास करने का, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नांता में ट्रेंचिंग ग्राउंड है, आपने पर्यावरण का प्रहरी घोषित कर दिया ऑक्सीजोन को बनाकर लेकिन उस नांता के ट्रेंचिंग ग्राउंड के जो कचरे का अम्बार जलता है, धुआं उठता है, प्रदूषण होता है और नांता के लोगों का रहना मुश्किल है, उसमें आप वहां पर कोई काम नहीं करवा पाये स्वायत्त शासन मंत्री रहते हुए और आपका घंटा, आपका 85 हजार किलो का घंटा, उस घंटे ने हमारे जो इंजीनियर थे उनकी जान ले ली, देवेन्द्र आर्य की और उनके सहयोगी था उसकी, दो जनें इस घंटे को निकालने के चक्कर में मर गये पर वह घंटा आपका निकल ही नहीं रहा। किस प्रकार का आपका यह घंटा है? क्या आवश्यकता आ रही थी उस घंटे की। नहीं लग पा रहा है, साहब, वह घंटा। वह घंटा ही है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हो गया, साहब। 85 हजार किलो का घंटा वह बाहर ही नहीं निकल रहा है। चम्बल नदी की अप-स्ट्रीम पर। यह मेरी कुछ मांगें हैं, वैसे तो माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं लेकिन हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी इतने सक्षम हैं और इनका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मेरी यह जो मांगें हैं, उन

मांगों को मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से उनसे निवेदन करूंगा।

श्री सभापतिः आप टेबल कर दीजिए। श्री रतनजी देवासी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा शहरवासियों को जैसा कोटा शहरवासी चाहते हैं, वैसा ही कोटा शहर बनाकर दिखाएंगे। धारीवाल साहब, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं पर आपकी गलतियां बताना जरूरी है जो गलतियां आपने पिछले पांच साल की हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): हो गया, साहब, हो गया। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सभापतिः आप समाप्त कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रतन देवासीजी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद और मांग संख्या 39 एवं 40 पर समय के अभाव के कारण मैं कुछ बिंदु माननीय मंत्रीजी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और उसी के साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

सभापतिजी, पिछला बजट जब हुआ और उसमें जब हम डिमांड पर चर्चा कर रहे थे 26 जुलाई को, उस समय मैंने एक सुझाव आपके समक्ष रखा था, सदन के समक्ष कि यह जो नगरपालिका है, जिस तरीके से यह पंचायत समितियों में और जिला परिषद में हमने सी.ई.ओ. बैठा रखा है, उसी तरीके से डी.डी.आर. ही काफी नहीं है, तो एक व्यवस्था ऐसी जिला स्तर पर भी होनी चाहिए जिसकी वजह से इसका काम सुदृढ़ हो जाये और अच्छी व्यवस्था हम लोग तय कर सकें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएशन बिल पर वे जवाब दे रहे थे, जब 29 जुलाई को उन्होंने एक घोषणा की थी कि समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सम्पादित हो सकें, इसके लिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है, यह सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी।

माननीय मंत्रीजी, यह दूसरा बजट आ गया, उसकी डिमांड पर हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुख्य मंत्रीजी एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलेंगे तो आप आपके हिसाब से यह तय कर लेना, बता देना, आपका जवाब आये तब कि कितने जिलों में आपने डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर बैठाये हैं? कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद जो हैं, उस पद के अतिरिक्त स्टाफ चाहिए, उसके कितने पद आपने सृजित किये हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो सम्पूर्ण क्षेत्र है, आस-पास के जो जिले हैं, मैंने उनमें पता किया कि कहीं भी आज तक जो है वह डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर नहीं बैठाये हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि अच्छा सुझाव था, धन्यवाद आपका कि आपने उस सुझाव को लिया और उसकी घोषणा भी की। निश्चित रूप से इसका फायदा सबको मिलेगा पर वह पद सृजित हो

जाने चाहिए थे, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिला नगरपालिका, आयुक्त जो हैं, वह बैठ जाने चाहिए थे, पद सृजित हो जाने चाहिए थे और उस पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बिलकुल बॉर्डर पर है। गुजरात के बड़े शहर, नामी शहर उसके बिलकुल संलग्न लगते हुए हैं। आज हम लोग राजस्थान में 'पधारो म्हारे देश' के नारे देते हैं और पर्यटक जो है, उस पर हमारी रेवेन्यू भी काफी आती है और मेरे उस विधान सभा क्षेत्र से जो रामदेवराजी जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, बाड़मेर जाते हैं, सुंधा माताजी जाते हैं तो वह सब लोग वहां से आते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी जगह भी हमने यह देखा है कि वह जो शहर है, वह जो नगरपालिका है, वह इतनी सुंदर और सफाई वाली होनी चाहिए कि आते ही जो हमारे प्रदेश के अन्दर पर्यटक आ रहा है, धार्मिक पर्यटक आ रहा है, दूसरा पर्यटक आ रहा है और वहां जो लोग रहते हैं तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि इतना साफ-सुथरा और नगरपालिका क्षेत्र में सारे संसाधनों के साथ में यह शहर जो है, उसको अच्छी तरह से स्थापित किया है। पिछली सरकार में उसको नगरपालिका बनाई। आस-पास तहसीलों में नगरपालिका है, आज वहां पर यह स्थिति है कि किसी प्रकार का वहां पर स्टाफ नहीं है। चार्ज पड़ोस की नगरपालिका वालों को दे रखा है और वह भी अधिशासी अधिकारी या आयुक्त उनको नहीं बल्कि अधीनस्थ स्टाफ को दे रखा है तो मैं यह समझता हूं कि जिस ध्येय से यह नगरपालिका बनायी और बॉर्डर की नगरपालिका है तो उसमें कामकाज पूरा नहीं हो पायेगा तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि उस नगरपालिका में सीवरेज जो है, उसकी योजना को लागू किया जाये ताकि उस शहर में सीवरेज की सम्पूर्ण व्यवस्था जो है, वह नगरपालिका के माध्यम से हो सके। नगरपालिका कार्यालय के लिए हमने भूमि आवंटित कर रखी है लेकिन अभी तक उसमें काम ही शुरू नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, बजट अलॉट नहीं हुआ है तो नगरपालिका चलेगी कैसे? तो उसके लिए जहां यह नगरपालिका बनी है, उसकी भूमि पर तुरंत नगरपालिका जो कार्यालय है, उसको स्थापित किया जाये और फायर ब्रिगेड नहीं है एक भी। इधर पड़ोस में गुजरात, सांचोर, उसमें दो दिन पहले आग लग गयी, सांचोर से पचास किलोमीटर से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। कभी-कभार ऐसी स्थिति होती है कि पड़ोस में यह कहना पड़ता है कि फायर ब्रिगेड भेजो और लाखों का नुकसान हो जाता है वह अलग, आगजनी हो गयी। माल-जान, सबका नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है तो कम से कम यह जो छोटी-छोटी बातें हैं, जिसको जल्दी हम कर सकते हैं, वह तो हो जानी चाहिए ताकि उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था है, वह हो जाये।

आज पर्यटक आते हैं इतने सारे, दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं क्योंकि वह तो एंट्री पाइंट है। मैंने पूर्व में ही आपको कह दिया कि इतने बड़े शहरों में और धार्मिक तीर्थ पर जो है, इतने हजारों-लाखों की संख्या में पर्यटक वहां आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं मगर हमारे पास में वहां पर वह व्यवस्था नहीं है। उसके मास्टर

प्लान की बात चल रही है, मास्टर प्लान को जल्दी ही करना चाहिए ताकि मास्टर प्लान अगर जल्दी हो जायेगा तो किस रूप में वह शहर बसाया जायेगा, कैसे काम होगा, उसकी एक रूप रेखा तय हो जायेगी इसलिए मेरा यह निवेदन है आपसे कि यह जो मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नगरपालिका, रानीवाड़ा बनी और वह आवाज और वह मांग पक्ष, विपक्ष, आमजन, सबने मिलकर की थी इसलिए पिछले कार्यकाल में सरकार ने उसको नगरपालिका बनायी थी, एक मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा।

दूसरा निवेदन, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि वह यह है कि माउंट आबू हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है और पूरे प्रदेश का एक टाइम का एंट्री, एग्जिट वाला पर्यटक जो है, वह सबसे बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में वहां पर आता है और सबसे पुरानी नगरपालिका है। बहुत सारी बातें हैं मगर दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। वह इतना पुराना शहर है। सबसे पहले पूरे भारत में और अपने स्टेट के अन्दर इको सेंसेटिव जोन उसको घोषित किया। इको सेंसेटिव जोन घोषित होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फोरेस्ट और स्टेट ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हुआ कि आप इस पर मास्टर प्लान बनाओ। 2015 में मास्टर प्लान उसका जो है, जोनल मास्टर प्लान, मास्टर प्लान नहीं जोनल मास्टर प्लान बनाया और उसको अधिसूचित किया। एन.जी.टी. ने कुछ डाइरेक्शंस दिये थे और पूरे स्टेट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी और उनको यह कहा कि आप इस मास्टर प्लान को जल्दी ही मोडिफाई करो और बीच में हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पडा कुछ महीनों पहले और हाईकोर्ट में रिट लगने के बाद, इंटरवीन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को यह डाइरेक्शन दिये जब जाकर पिछले डेढ़ महीने पहले यह मोडिफाइड जोनल मास्टर प्लान जो है, उसको लागू किया गया।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पिछले 20-30 साल, 35 साल से यह राइडर्स लगे हुए थे, लोग कंस्ट्रक्शंस नहीं कर पा रहे थे, जिनको रहना है वह बराबर रह नहीं पा रहे थे, व्यावसायिक उनके प्रतिष्ठान को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा संकट आ गया था मानव जीवन पर कि लोगों के शादी-विवाह के रिश्ते करने में भी तकलीफ आती थी कि यह व्यक्ति रहेगा कहां? उसको देखकर हाईकोर्ट ने यह डाइरेक्शन दिये, अब कोई राइडर नहीं रहा है, किसी प्रकार की कोई प्राब्लम नहीं रही है। दो-दो पीढ़ी, तीन-तीन पीढ़ी सफर कर रही है, 30-35 साल हो गये, अब हाईकोर्ट ने कहा है तो आपको तो इसको प्रायोरिटी पर लेने के बाद में यह तय करवाना चाहिए कि एक महीने के अन्दर जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जितनी पेंडिंग स्वीकृति हैं, जो प्लान पास करने हैं, एज पर बायलॉज और एज पर इको सेंसेटिव जोन के मास्टर प्लान के हिसाब से आप उसको पास करवा दो ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आये। 30-30 साल हो गये सफर करते हुए। उसकी वजह से ही इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हो गये। व्यक्ति जायेगा कहां पर? इतने सारे ट्यूरिस्ट आते हैं, उनको अपडेट करना है अपनी चीजों को तो वह कैसे कर पाएंगे। छोटी-छोटी परमिशन के लिए भी घूमते हैं। अब

एन.जी.टी. ने, हाईकोर्ट ने जब डाइरेक्शन दे दिया है तो मैं यह समझता हूं कि पीछे कुछ रहता नहीं है और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि क्योंकि यह एक मात्र ऐसा शहर है जिसकी एक विकास समिति बनी हुई है और उस विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं वह माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, आपके प्रिंसिपल सैक्रेटरी, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी वहां उसमें मैम्बर हैं, आप उसकी मीटिंग बुलायें। साल में एक बार मीटिंग होती है और एक बार यह मीटिंग हो जाये तो छोटी-मोटी जो भी समस्या है विकास की है, उसकी है, वह सारी पूरी हो जायेगी और जब तक वह मीटिंग नहीं होगी तब तक सकारात्मक डिसीजन नहीं हो पाएंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पांच साल में आपकी कितनी मीटिंग हुई आप बता दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं उसी पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

ssy/rtm/07.03.2025/15.40/2n

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)...सबसे बड़ा रहवासी कौन है? माउंट आबू का सबसे बड़ा रहवासी कौन है?

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मुख्य सचेतक जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा अच्छा प्रेम है इसलिए उन्होंने कहा है, टाइम बाकी है, अभी पूरा करूंगा। पिछले रिकार्ड उठाकर देखो, मैंने उस समय कहा, हमारी भी कमियां रही है, मैंने उस बात को स्वीकार किया था, स्वीकार इसलिए किया कि कमियां रही हैं उसको दूर आप करोगे, नहीं तो हम यहां बैठ गए, आप भी बैठ जाओगे कमियां रहेंगी तो।

उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप उस मीटिंग को बुलायें और उसके अतिरिक्त एक और मैं सुझाव उसमें देना चाहता हूँ कि रूडिप के माध्यम से जो आपका वर्ल्ड बैंक का है या एशियन बैंक का पैसा लेते हो, 20 करोड़ रुपये के विकास कार्य सैंक्शन हुए, अभी तक शुरू नहीं हुए।

तीसरा है पोलोग्राउंड, उसकी डीपीआर इसलिए बनी थी कि आपके 20-20 के मैच हो सकें, स्टेट लेवल के मैच हो सकें, फुटबॉल के और दूसरी एक्टिविटीज़ हो सके, 18 करोड़ का बजट पास किया था, काम नहीं हुआ। इस बजट में मैंने मांग रखी थी, वापस जब वित्त मंत्री जी ने रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने यह कहा है कि उसका उन्नयन कार्य करेंगे। मैंने मांग रखी थी कि उस बजट को आप करें, वह उन्होंने स्पोर्ट्स में बुलाये, खेल मामले में उन्होंने उसकी घोषणा की है, जबकि वह ग्राउंड नगरपालिका के अधीन है, डीपीआर नगर पालिका ने बनाई है, डीएलबी ने उसकी टीएस कर रखी है। एक बार आप उसको नगरपालिका में शिफ्ट कीजिये, आपके डीएलबी के उसमें ताकि वह काम हो सके क्योंकि एक्सपर्ट की कमेटी से उसकी डीपीआर बनाई हुई है, उनका जो एमओयू हुआ था वह 27 लाख के करीब हुआ था जिसमें से 10 लाख से अधिक का भुगतान कर चूके हैं उसके अन्दर, तो जब 10 लाख का भुगतान कर दिया है और उसकी डीपीआर बन गयी है, तो स्पोटर्स से आप उसको

नगरपालिका में कर दो, डीएलबी के अंडर कर दो ताकि उसका काम जल्दी हो जायेगा और राजस्थान स्टेट में पूरे विश्व के आने वाले लोग जो वहाँ आते है वह एक खूबसूरत नजारा उस ग्राउंड में देख सकेंगे। आप 20-20 के मैच वहां करा पाओगे, फुटबॉल के मैच करा पाओगे और संपूर्ण व्यवस्थाएं जो हैं वो आप करा पाओंगे।

श्री सभापतिः श्रीमती अनिता जी भदेल।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): इसके लिए मैं आप को धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए सभापति जी, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

(समयः बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं, समय की मर्यादा को देखते हुए सीधे ही अपने विषयों पर आना चाहूंगी, मेरा निवेदन है कि आप मुझे बीच में टोकियेगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य वाल्मीकि समाज की चिंता कर रहे थे। मैं भी अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से स्थानीय निकाय से आम व्यक्ति का संबंध है, हम सब लोग यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्थानीय निकाय से हर आम शहरी का संबंध पड़ता है। स्थानीय निकाय की जितनी संस्थाएं हैं चाहे वह नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वह घर के बाहर देखता है कि मेरे घर के बाहर सफाई हुई या नहीं हुई, तो नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका उसको याद आती है और रात्रि को, जैसे ही शाम ढलती है तो फिर उसको नगर निगम की याद आती है कि मेरे यहाँ की स्ट्रीट लाइट जली की नहीं जली, तो पूरे 24 घंटे व्यक्ति सोते समय और जागते समय नगर निगम, नगर प्रशासन को, नगर निगम के प्रशासन को याद रखता है।

इसी प्रकार से जैसे किसी परिवार में नए व्यक्ति का होता है, नए बालक का आगमन होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है तो नगर निगम की ओर मुंह ताकता है, और यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो 100 वर्ष पूरे होने पर यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है तो जीवन चक्र जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसको नगर स्थानीय निकाय के संपर्क में रहना ही रहना होता है।

ऐसे ही नगर निगम, स्थानीय निकाय का प्रशासन और उसमें काम करने वाले कर्मचारी वृंद, यदि उनकी मानसिकता ठीक नहीं होगी, यदि वह सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे अपने आप को, अपने वेतन भत्तों को लेकर के उनके मन के अंदर असुरक्षा का जो भाव होता है, उस भाव से वह ठीक मनः स्थिति से काम नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय का

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 01 अगस्त 1998 को तत्कालीन सरकार द्वारा चुंगी की समाप्ति की घोषणा की गई। चुंगी समाप्ति की जब घोषणा हुई तो उस समय नगर निगम को कैसे कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे, इसकी क्या व्यवस्था होगी और आने वाले समय में वह वेतन भत्ते कैसे पर्याप्त होंगे? इसकी भी व्यवस्था उस समय के तत्कालीन प्रशासन द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा की गई। 1997 और 1998 में जो चुंगी से अर्जित आय थी, हर वर्ष उसको 10 प्रतिशत से बढ़ा करके नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, नगर परिषद को दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं पिछले 5 साल का यह आंकड़ा देखती हूँ तो जानकारी मिलती है कि 2016-17, 1419 रुपये चुंगी पुनर्भरण के पेटे दिए गए, 2017-18 में यह राशि 1567 रुपये थी, 2020-21 में यह राशि 2084 थी और अभी इस वर्ष की जब मैं बात करती हूँ 2024-25 में तो यह राशि 3190 करोड़ रूपया है। यह 3190 करोड़ रुपया हम चुंगी पुनर्भरण के पेटे दे रहे हैं।

मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पंचायती राज़ संस्थान जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 73 और शहरी स्थानीय निकाय संशोधन अधिनियम 74 के तहत गठित स्वायत्तशासी संस्थान हैं, माननीय मंत्री महोदय, यह जो 73 संशोधन के तहत पंचायती राज़ संस्थानों का गठन हुआ तो अब पंचायती राज़ संस्थानों को स्वायत्तशासी संस्थान होने के बावजूद भी राज्य की संचित निधि से वेतन भत्तों का पुनर्निर्धारण पुनर्गठन किया जाता है। लेकिन 74 संशोधन के बाद में स्वायत्तशासी संस्था जो स्थानीय निकाय विभाग की स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, उनको संचित निधि से ना दे करके चुंगी के पेटे जो राशि दी जाती है उसी से वेतन भत्ते चुकाये जाते हैं।

फिर इसके अतिरिक्त उस समय तत्कालीन 2013 से 18 के बीच में जब वसुन्धरा जी की सरकार थी तो उन्होंने नए 30 हजार वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को भर्ती करने की घोषणा की। अब जब यह तय हुआ था कि 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी, उस समय नए कर्मचारी आएँगे, यह तय नहीं था कि नए कर्मचारियों को वेतन भत्ता कैसे देंगे, नगर पालिकाएं जो बनेंगी उनको वेतन भत्ता कैसे देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान की स्थिति में स्थानीय निकाय विभाग में लगभग 44,439 पद स्वीकृत हैं, इन पदों में निश्चित रूप से आज की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे-जैसे क्षेत्रीय विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, आबादी का विस्तार हो रहा है तो हमें नए-नए नवाचारों के तहत, कभी एटीपी का पद, डीटीपी का पद, अब जैसे कभी नगर परिषद हुआ करती थी अजमेर, आज अजमेर नगर निगम है, अब मैं डिमांड करूंगी कि नगर निगम को दो ज़ोनों में विभक्त किया जाए, एक उत्तर ज़ोन और एक दक्षिण जोन, तो दो ज़ोन आयुक्त भी होंगे, अधिशासी अभियंता भी होंगे, सब तरह के कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, इससे ज्यादा राज्य सरकार पर भार नहीं पड़ने वाला है। आप फाइनेंस मिनिस्टर को, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करें आपकी

सिफ़ारिश के साथ यदि यह बात जाती है तो निश्चित रूप से वह पूरा करेंगे। मेरा निवेदन है कि इन स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाए, और वह आश्वस्त होंगे कि हमें वेतन मिलेगा। वेतन की कमी से जूझ रही जो नगरपालिकाएं है, उनके कर्मचारी हैं, उनको ये बात नहीं भाती है कि हमें वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वजह से वह ठीक मन: स्थिति से नगरपालिका का काम करने के लिए निश्चित नहीं होता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी, मेरे पास यह बजट भाषण 2024-25 है, इस 2024-25 के बजट भाषण के पैरा नंबर 106 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कि पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा करती हूं, तो यह जो पेंशनर्स को देय राशि है वह 30 हजार से 50 हजार बढ़ाई गई है। जो नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जैसा मेरे से पुराने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनमें से 80-90 प्रतिशत सफाई कर्मचारी हैं और ये अनहाइजीनिक कार्य में लगे होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा उपचार की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में यदि इन कर्मचारियों की राशि को हम नहीं बढ़ाते हैं तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे होते हैं।

इसके अतिरिक्त जो आरजीएचएस लागू है, उस आरजीएचएस योजना में नगर निगम के कर्मचारियों का पैसा एकमुश्त कटता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अन्य कर्मचारियों का जो पैसा है आरजीएचएस की योजना में वह हर महीने कटता है। यदि किसी कारण वश उस कर्मचारी का पैसा एकमुश्त नहीं कटे या कटने से रह जाए तो फिर उसको वापस ऐक्टिवेट कराने में लगभग तीन महीने का समय लगता है। तब तक वह कर्मचारी कहां जाये उपचार कराने के लिए? तो मेरा निवेदन है की जिस तरह से अन्य राज्य कर्मचारियों का वेतन में से आरजीएचएस का पैसा कटता है, उसी तरह से नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में से भी हर महीने यह पैसा कटे ताकि वह निश्चिंत हो जायें कि हम जब बीमार होंगे तो हमें यह सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

spp/rtm/07.03.2025/15.50/2o

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी अजमेर में जीपीएफ के ऊपर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.12.2020 द्वारा राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधिक निधि नियम, 1997 के नियम 11 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड, निगम आदि के कार्मिकों के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधिक निधि नियम, 1997 के अंतर्गत एक नवीन योजना सामान्य प्रावधिक जीपीएफ स्लेब प्रतिपादित की गई थी जिसमें सभी निकाय के कर्मचारियों के डीए, एरियर और बोनस के अंशदान की राशि को अनिवार्य रूप से जमा की

जा रही है। परंतु, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि अंशदान की कटौती का प्रावधान इसके कर्मचारियों के अनुरूप वेतन से अनिवार्य अंशदान की कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जीपीएफ अंशदान राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा कराई जाए, न कि उनके PD खाते में। ये राशि उनके PD खाते में जमा कराई जा रही है जबकि जीपीएफ खाते में जमा करनी चाहिए। ये कर्मचारियों का निवेदन है और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय, अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में आती हूं। नगर निगम अजमेर में 2012 में माननीय सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई। 182 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई। किसी ने शिकायत की और शिकायत के कारण से वो भर्ती 2012 से लेकर आज 2025 है, अब तक अटकी हुई है। जिनका उस में चयन हुआ वो कर्मचारी कोर्ट गए। उन्होंने अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। स्वायत्तशासी संस्थान निदेशालय ने एक समिति का गठन किया। समिति के गठन की रिपोर्ट आने के बाद में उन 182 कर्मचारियों में से मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दो कर्मचारी जो वहाँ पर किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के घर पर काम करते थे, उन दो कर्मचारियों को तो 182 में से नियुक्ति दे दी गई, लेकिन बाकी 180 कर्मचारियों को ये कहकर रोक दिया गया कि आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कोर्ट से आप वापस लो तो हम करेंगे। मेरा निवेदन है कि जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो आप कोर्ट में तो वो अपील में गए है, तो मेरा आग्रह है कि ये 180 कर्मचारियों को भी नियुक्ति देनी चाहिए क्योंकि आप आने वाले समय में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं तो ये 2012 से ये कर्मचारी लटके हुए हैं, इनको भी नियुक्ति दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी अन्नपूर्णा रसोई के बारे में। ये अन्नपूर्णा रसोई का कांसेप्ट माननीय वसुन्धराजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और ऐसे स्थानों के लिए ये कांसेप्ट था कि ऐसे स्थानों पर जहाँ भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, आरपीएससी है या ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे यहाँ है, रेवेन्यू बोर्ड हमारे यहां है, जहाँ बाहर से लोग आते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था हो सके, उनको नाश्ते की व्यवस्था हो सके। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बदलकर इसको इंदिरा गाँधी रसोई कर दिया और इस कांसेप्ट को चेंज करते हुए स्थायी रसोईयां बनाईं। मेरे अजमेर नगर निगम के माध्यम से एक पत्र स्वायत शासन में आया हुआ है क्योंकि उस समय हम बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के वहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं था तो जिस कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा यहां खोल दो, तो वही वो खोल दी गई। हमारे बहुत सारे सामुदायिक भवन हैं, वहां पर एक भी थाली नहीं उठती है, लेकिन फिर भी वहां इंदिरा रसोई के नाम से, अब अन्नपूर्णा रसोई के नाम से संचालन है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजा साइकिल चौराहे पर और माखुपुरा पर दो रसोईयां बंद करने का आग्रह किया है, जनता ने भी किया और नगर निगम प्रशासन ने भी किया तो इन दो रसोइयों को तत्काल बंद करके

और लोगों को राहत दी जाए।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, जैसाकि पूर्व के मेरे वक्ताओं ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में, 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और 1998 से 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, जब जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पट्टों के नाम से जो भ्रष्टाचार किया, वो पूरा प्रदेश जानता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से, ये रखना चाहूंगी कि इनकी जांच कराई जाए और जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत दलाली हुई है, सरकार को नुकसान हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी। अजमेर के चौसाला खसरा नंबर 502 तथा वर्किंग जमाबंदी के नए खसरा नंबर 545 और 546 तथा नई आधार जमाबंदी के खसरा नंबर 835,836,837,838,839 की भूमि को नगर निगम के नाम से दर्ज करते हुए बिना किसी व्यक्ति के काबिज हुए फर्जी तरीके से कब्जा दर्शाते हुए नगर निगम द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं। मेरा निवेदन है कि इन पट्टों की जांच की जाए और जांच करके जो फर्जी तरीके से पट्टे जारी हुए हैं, उनको खारिज किया जाए।

इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण का खसरा नंबर 1412 और 3116 की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए इस को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, ज्ञान विहार गेट के पास वो चार बीघा जमीन कल्याण मंदिर के पास कोटरा योजना की है। इस कोटरा योजना पर भी भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से पट्टे जारी करवाए जाकर बेचान किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अजमेर विकास प्राधिकरण को 250 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान इससे होने वाला है तो इसको भी रोक करके इसकी भी जांच कराई जाए।

इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि ADA की 200 वर्ग गज के भूखंड का निगम द्वारा अपने एक जमादार कार्मिक की पत्नी के नाम से 28 दिसंबर 2021 को पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि ये भूमि ADA के नाम से स्थानांतरित है। ADA की भूमि पर नगर निगम कैसे पट्टा जारी कर सकता है? इसको भी देखने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगी कि हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड अजमेर में जेपी नगर योजना हाउसिंग बोर्ड द्वारा बसाई गई थी, हाउसिंग बोर्ड की जेपी नगर योजना और वैशाली नगर योजनाओं में अतिक्रमण हो गए। अतिक्रमण होने के साथ साथ जो आवासीय कॉलोनी थी, वो आवासीय कॉलोनी कॉमर्शियल कॉलोनी में तब्दील हो गई। पिछली बार मेरे द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह विषय उठाया गया था तो सरकार के जवाब में ये आया है कि हमने अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो लैण्ड यूज़ चेंज हुआ है, उसको रोकने के लिए एनफोर्समेंट का गठन किया है।

लेकिन एनफोर्समेंट के लिए जो आयुक्तालय है, पुलिस महानिदेशक के यहां से हमको फोर्स नहीं मिला है तो, माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि वो फोर्स भी उनको दिलाने की कृपा करें ताकि जो अतिक्रमण हैं, उनको रोकने के लिए वो काम कर सकें1

माननीय सभापति महोदय, जैसाकि हम सबको मालूम है, नगरों के विकास में व्यक्ति की आवास की समस्या का समाधान होना चाहिए और इस आवास की समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई। लेकिन अजमेर को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगी कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आज से 10 साल पहले एक योजना बसाई गई, जिसमें गोल्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा 536 आवासों को बनाना था, ये गोल्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 536 आवासों को नहीं बनाया और आज भी जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कराई हुई है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे आवास पूरे हो जाएं और हमें मिल जाएं, वो आवास अभी तक उनको ADA उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मेरा निवेदन है सरकार से आप के माध्यम से,कि ये आवास निर्माण का काम टाइम लाइन में पूरा हो ताकि जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों को आवास मिलने वाले हैं, वो आवास उनको मिल सकें।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, 2 मार्च 2021, सितंबर 2020, जून 2020 और जनवरी 2020 और दिसंबर 2021 में ये एआरजी डवलपमेंट द्वारा 236 मकान बनाने थे। श्री जयसिंह अपेक्षा टाउनशिप ग्राम चाचियावास में 956 मकान बनाने थे। मैसर्स शालीमार बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड माकड़वाली द्वारा 51 मकान ईडब्ल्यूएस के और 198 मकान एल आई जी के बनाने थे, 140 मकान मुकेश कुमार जिंदल द्वारा ईडब्ल्यूएस के बनाए जाने थे। ईडब्ल्यूएस के 71 और एलआईजी के 279 मकान युनिक श्री विनायक लैण्ड होम द्वारा बनाए जाने थे, लेकिन ये मकान 2020 में जिनको पूरा होना था, 2021 में जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं होता, ये प्रोजेक्ट आज तक भी पूरे नहीं हुए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से पूरा कराकर लोगों की आवास की आवश्यकता को पूरा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर में नगर निगम तो बना दिया लेकिन नगर निगम में संसाधन उपलब्ध नहीं कराये। मेरा निवेदन है आप के माध्यम से, कि अजमेर के आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अजमेर पुष्कर मेले के कारण से और ख्वाजा मोइनुददीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण से वहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन की संख्या अधिक रहती है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से आए दिन जाम लगता है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये आवारा पशुओं की.....(व्यवधान)..

jyg/rtm/07.03.25/16.00/2p

श्री सभापतिः आवारा नहीं, बेसहारा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बेसहारा। बेसहारा पशुओं की समस्या के

समाधान के लिए एक गो ग्राम के रूप में एक नयी टाउनशिप बसायी जानी चाहिए ताकि गो पालकों को वहां स्थान दिया जा सके क्योंकि व्यक्ति को दूध की भी आवश्यकता है, रोजगार की भी आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में उनको रोजगार भी उनसे नहीं छिने और आवारा पशु को काजी हाउस में भी नहीं ले जाना पड़े तो गो ग्राम की आवश्यकता है इसलिए उसको पूरा किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि अब नगर निगम का भी क्षेत्रफल बढ़ रहा है। पहले कभी 55 वार्ड हुआ करते थे, फिर 60 हुए, 80 हुए और अब और जनसंख्या के अनुसार वो बढ़ाये जा रहे हैं। जो संसाधन हैं, वो बहुत कम पड़ते हैं, कर्मचारी-अधिकारी कम पड़ते हैं तो अजमेर नगर निगम दो जोनों में, अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर जोन में बसाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त नगर निगम के बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं, तो नगर निगम में जिस तरह से बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं उसी तरह से फायर सेफ्टी के भी बायलॉज बनाये जाने चाहिए क्योंकि फायर सेफ्टी की एन ओ सी के लिए बहुत बार रिश्वत देनी पड़ती है तब जाकर फायर की एनओसी मिलती है। यदि बायलॉज बना दिये जायेंगे तो मुझे लगेगा कि लोगों को फायर की एनओसी बनने में आसानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां अवैध रूप से बहुत सारी मांस की दुकानें ओपन में संचालित हैं। जब दरगाह एरिया में जाते हैं तो लगता है कि किसी बूचड़खाने में आ गये हैं। मेरा निवेदन है चूंकि दरगाह एरिया में वी आई पी मूवमेंट भी होता रहता है, इसलिए दरगाह क्षेत्र कमंडसपुरा और अजमेर दक्षिण के जो मुख्य मार्ग हैं कम से कम उन पर तो मांस की दुकानों का संचालन करने का नियमों के अनुसार पालना होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो आते-जाते समय ठीक प्रकार से देख सकें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे नाका मदार में गाड़िया लुहार कॉलोनी बसी हुई थी, मैंने प्रयास करके उन गाड़िया लुहारों को कहीं और शिफ्ट कराया, उनको आवास दिलाया, क्योंकि वो मार्गाधिकार पर थे लेकिन गाड़िया लुहारों की कॉलानी शिफ्ट होने के बावजूद भी वहां से जो अतिक्रमण है वो साफ नहीं हुआ है उसके कारण से जो गुलाब बाड़ी एलसी 44 के ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है वहां इतना अतिक्रमण हो रखा है कि लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार से मेरे नारी शाला रोड पर जुड़ने वाला विज्ञान नगर का जो ओवरब्रिज है वो एडीए को बनाना है वो शीघ्रातिशीघ्र एडीए उस काम को पूरा करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात, मेरे यहां पर चूंकि दो योजनाएं एडीए द्वारा बसायी गयी थी, डीडी पुरम और पृथ्वीराज नगर योजना, डीडी पुरम में आज तक बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी, यही हाल पृथ्वीराज नगर का भी है। जिन लोगों ने महंगे दामों पर प्लॉट खरीदे हैं, वो महंगे दामों पर

प्लॉट खरीदने के दस साल बाद आज भी परेशान हैं किवो अपना मकान कैसे बनायें? मेरा निवेदन है कि वहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था सरकार करे। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 और 40 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो कल हमारे वरिष्ठ सदस्य कालीचरण जी सराफ ने एक मांग उठायी कि एसएमएस हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर के बीच अण्डरपास बनाया जाये, उसी तर्ज पर मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करूंगा कि विधायक आवास और विधान सभा भवन के बीच में अण्डरपास या कोई एलिवेटर, स्वचालित सीढ़ी बनायें, ताकि हमारे माननीय सदस्यों को, यहां आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस सड़क से निकलता है तो सब लोगों की भावना है पर किसी ने व्यक्त की नहीं तो मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि थोड़ा-सा अगर ये हो जाये तो अच्छा रहे।

माननीय सभापति महोदय, बजट पेश किया पर थोड़ी-सी शहरों के लोगों में निराशा है कि पिछली बार गहलोत सरकार के समय में हर बजट में नगरपालिका की आबादी के अनुसार पांच-सात-दस करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिये जाते थे जिससे शहर की सड़कों में सुधार हो सके पर इस बार भी पिछली बार की तरह कोई भी अलग से बजट सड़कों के लिए किसी भी नगरपालिका, परिषद या निगम के लिए नहीं दिया गया है कि एक मुश्त बजट हो जिससे वहां का काम हो सके। यह बहुत बड़ी निराशा है तो मेरी सरकार से मांग है कि हर नगर पालिका को आबादी के हिसाब से अलग से जो बजट देने का प्रावधान था उसको जारी रखा जाये ताकि सड़कें सुधरें। आप जानते हैं कि सड़कें सीवरेज में और दूसरे कामों से टूट रही हैं, वैसे तो नगर पालिका को सड़कों को पैसा देना ही नहीं चाहिए, मेरी यह भावना है। क्योंकि सड़क इतनी घटिया नगरपालिकाएं बनाती हैं, जे ईएन, ए ईएन इनके करते क्या हैं? समझ में आता नहीं, न तो किसी को ब्लैकलिस्ट करते हैं, एक साल सड़क चलती नहीं, पूरा पैसा बर्बाद होता है। सड़कें बनानी हो तो नगर पालिका मॉनिटर करे, पी डब्ल्यू डी या कोई और एजेंसी बनाये ताकि गुणवत्ता की सड़कें बनें, थोड़ी चले पांच-दस साल वरना नगर पालिका में क्या हो गया कि सारे पार्षद हो गये ठेकेदार, पूरा मिलीभगत का काम हो गया, ऐसी सड़कें बनती हैं, सीमेंट की बनाओ तो वो सीमेंट कौनसी कम्पनी की लगती है, क्या लगती है समझ में ही नहीं आता, थोड़े दिनों में ही कंकड़ निकल जाते हैं, डामर की बनाओ तो काली तो एकदम दिखती है बनती हुई पर उसके बाद में वो उखड़ती है तो यूं उखड़ती है कि हाथ से बिखेर लो। नगर पालिका की ही बात नहीं है, सब जगह हो गया, पार्षद बनता है, मैं विकास करूंगा और शुरू हो जाता है ठेकेदारी करने का, साठगांठ ठेकेदार से कर लेता है, इसलिए यह कंसेप्ट बंद करके पीडब्ल्यूडी या इस तरह की एजेंसियों से बनायें ताकि सड़कें

ढंग से बने, बढ़िया बने और चले इसलिए बहुत जरूरी है यह करना।

मानननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं में स्टाफ की बहुत कमी हो गयी है। एक तो नगर पालिका डबल हो गयी, जिस तरह से पंचायतों को नई नगर पालिकाओं में क्रमोन्नत किया गया तो स्टाफ वहीं का वहीं पड़ा है। काम बढ़ गये हैं, स्टाफ है नहीं, लोगों को बहुत भारी परेशानी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती लगातार स्थगित होती जा रही है। एक बार हमारे राज में स्थगित हो गयी, दो बार और स्थगित हो गयी, कब यह भर्ती होगी, कर्मचारी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, ठेके पर जो काम सफाई का करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा शोषण के शिकार हो रहे हैं तो वो कर्मचारी हो रही है और वो 99 प्रतिशत आप मान कर चलो, 100 प्रतिशत ही मानकर चलो कि वो वाल्मीकि समाज के ही हैं। जो काम करते हैं, काम उनसे पूरा कराते हैं और पैसा उनको नाममात्र का वो ठेकेदार देते हैं। इसलिए इस भर्ती को तुरंत करें और भर्ती में सरकार को किसी तरह से नियम में संशोधन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े पर कोशिश यही करे कि हण्डरेड परसेंट भर्ती वाल्मीकि समाज में आये। कोई भी अड़चन आ रही है, कोई नियमों में अड़चन आ रही है तो उनको दूर करें, नियम बनाना पड़े नियम बनायें, कोई विधेयक लाना है तो विधेयक लायें पर कोशिश यह करें कि वाल्मीकि समाज का अगर व्यक्ति उपलब्ध है तो पहली प्राथमिकता उसको दें, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरे लोगों को लगाते हैं, पिछली बार की भर्ती में लगे हुए हैं कुछ कर्मचारी, एक भी कर्मचारी सफाई का काम नहीं करता है या तो वह ड्राइवरी करता है या नगर पालिका में बैठकर बाबूगीरी करता है या किसी अफसर के घर पर काम करता है या और कोई काम करता है पर नाले में उतरकर सफाई कोई नहीं करता, सड़कों पर जाकर सफाई एक भी व्यक्ति उनमें से नहीं करता। जब वो काम करते ही नहीं हैं तो क्यों हम उनको लगायें, कोशिश करें कि जहां उपलब्ध हैं, इस भर्ती में उन्हीं को लगायें और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया दुबारा शुरू करें वरना आने वाले समय में धीरे-धीरे समस्या सफाई की और ज्यादा बढ़ जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक समस्या जो शुरू होगी शहरों की कि जो छोटे शहर हैं उनका नियोजित विकास बिलकुल नहीं हो रहा है। पुराने जो शहर बसे हुए हैं, वहां पुराने मकान टूट रहे हैं और उनकी जगह कॉम्प्लेक्सेज बनते जा रहे हैं, बिना नियमों के, बिना कोई पालना किये, पूरे धड़ल्ले से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्सों में सबसे बड़ी पहली समस्या आती है, पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं करते, दूसरा उसमें सेटबैक उसमें छोड़ते नहीं हैं, सड़के आप जानते हैं कि पुराने शहरों की कैसी होती हैं। हर शहर की सड़क जो पुरानी है, मैं मेरी नगर परिषद सुजानगढ़ की ही बात नहीं कर रहा, पूरी नगरपालिकाओं की कर रहा हूं, सुजानगढ़ की नगर परिषद का भी यही हाल है। धड़ल्ले से कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनते जा रहे हैं, उन सड़कों पर बन रहे हैं जो बीस फुट, तीस फुट चौड़ी सड़कें हैं मुश्किल से है और बिना कोई सेटबैक छोड़े बन रहे हैं। हालत यह है कि वाहन वहां से कोई निकल नहीं सकता, पार्किंग उन कॉम्प्लेक्सों की पूरी सड़क पर रहती है, कोई दूसरा वाहन वहां से गुजर नहीं सकता।

MLS/RTM/07.03.2025/16:10/2q

पूरा अवैध निर्माण इसलिए है कि उनकी परमिशन लेते हैं आवासीय की, आवासीय के नाम पर वे कॉम्प्लैक्स खड़े होते हैं, उसके बाद में वे बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, बेचने वाला अपना पल्ला झाड़ लेता है और उसके बाद में उसका कोई धणी-धोरी नहीं है। कुछ की शिकायत भी होती है, शिकायत करो तो एक बार उनको सीज भी कर देते हैं, डीएलबी से वो सील खुलवा देते हैं। सशर्त सील खोली जाती है। जो शर्तें हैं, वे कभी पूरी होती नहीं। वह सील भी खुल जाती हैं, कोई शर्तों की पालना भी नहीं करता। कोई नहीं देखता उसके बाद। वहां के प्रशासन से शिकायत करो, डीएलबी के आदेश हैं, उन्होंने कहा है खोल दो। उन्होंने तो सशर्त खोलने की परमिशन दी है। डीएलबी उसके बाद में उनकी तरफ देखती नहीं है और वो बड़े-बड़े कॉम्प्लैक्स बन जाते हैं और धड़ल्ले से दुकानें चल रही हैं।

मज़े की बात देखो, मन्दिरों की जमीनों में भी धर्मशाला, मकान आवासीय परमिशन लेकर बन गये और वो दुकानें, 200-300 दुकानें बन गईं वहां। वो बिकने जा रही हैं अब। कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार रुकी, वापस शुरू हो गयी। मन्दिरों को तो छोड़ दो। कोई कहता है कि आवासीय बन रही है, धर्मशाला बन रही है और थोड़े दिन बाद में पता चलेगा कि सबके शटर लग जाएंगे और सारी की सारी दुकानें बन जाएंगी। देखने में पता चलता है कि वो कॉम्प्लैक्स हैं। वे दुकानें हैं। मकान, दुकान और कॉम्प्लैक्स देखने में पता चलता है कि क्या बन रहा है, पर फिर भी सब आंख मून्दते हैं, प्रशासन आंख मून्दता है। शिकायत करो तो उस समय तो कह देते हैं, आवासीय बन रहा है और बन जाता है तो कह देते हैं कि अब तो बन गया, अब क्या करें।

करो क्या, उसको तोड़ो। और क्या करो? पहले सील करो और उसके बाद में उस पर कार्यवाही करो। उस समय आ जाता है कि किसी ने दुकान में पैसे देकर खरीद लिया यह। पहले अनुमति क्यों देते हो, जब इस तरह की आपकी व्यवस्था होती है। शहरों में प्रधानमंत्री आवास का एक अभियान चल रहा है। गांवों में तो यह सफल हो रहा है, पर शहर में नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसको भी प्रधानमंत्री आवास की जरूरत पड़ती है, समस्या आती है पट्टे की, क्योंकि वो लोग बसे हुए हैं बाहर के एरिया में, उनको पट्टा मिल नहीं पाता। उन गरीबों को उस प्रधानमंत्री आवास का हक नहीं मिलता। इसका कारण है कि कुछ ऐसी कॉलोनियां कट जाती हैं, उसके बाद में उनका पट्टा बनता नहीं। बात मैं कॉम्प्लैक्सों की कर रहा था तो कॉम्प्लैक्सों पर तो कोई कार्यवाही नहीं करता, पर काश्तकार के खेत में, कोई ढाणी में मकान बनाता है शहर के पास में तो उस पर जरूर कार्यवाही कर देते हैं कि आप मकान बना रहे हो बिना उसको कन्वर्जन कराये।

वो खेत वाला काहे का कन्वर्जन करायेगा? शहर के पास में खेत है, आबादी घर में बढ़ रही है, लोगों की बढ़ रही है, एक के चार-चार के अब 16 हो गये, वो अपने मकान बना रहे हैं, पर उन पर जरूर कार्यवाही कर देते हैं। उनको तोड़ने पर आ जाते हैं, पर इन कॉमर्शियल

कॉम्प्लैक्सों को तोड़ने के लिए कोई नहीं पहुंचता। बहुत बड़ी यह दुविधा है। अभी कल ही मैंने स्थगन के माध्यम से मुद्दा उठाया कि ढाणियों में जो 8-10 किलोमीटर का एरिया है, एक भी बसावट नहीं है, अलग-अलग ढाणियों में लोग रह रहे हैं, नया गांव बनाया, उसको तो आप नगरपालिका बीदासर में शामिल कर रहे हो, पर जिसकी हम मांग कर रहे हैं भाखड़ा कॉलोनी, पूरी कॉलोनी शहर में है, सुजानगढ़ शहर में, उसको आप नगर परिषद में शामिल नहीं कर रहे हो।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जमालपुरा पूरा शहर में बसा हुआ है, शामिल नहीं कर रहे हो, खानपुर पूरा शहर में बसा हुआ है, शामिल नहीं कर रहे हो, डीवाई एस पी और उसके आसपास की कॉलोनियां, वो पूरा शहर का भाग हैं, पर उनको आप शामिल नहीं कर रहे हो, उन क्षेत्रों को आप नगर परिषद क्षेत्र में शामिल करो। वहां के लोगों की मांग है, इससे उनको लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल शर्मा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय विद्वान सभापति महोदय, धन्यवाद, मुझे ऐसे शानदार पक्ष-प्रतिपक्ष के कार्यकाल में मौका देने के लिए, बोलने के लिए।

आज मेरा दर्द-ए-अहसान,
आज मेरा दर्द-ए-राजस्थान सुन ले,
कंपकंपाते होठों से शिकायत सुन ले,
आज इजहार-ए-खयालात का मौका दे दे,
सिर्फ दो-चार सवालात का मौका दे दे।।

नव निर्माण के पथ पर राजस्थान प्रधान मंत्री युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व और झाबर सिंह जी खर्रा के कर्मठतापूर्ण कार्य के अन्दर राजस्थान कांग्रेस शासन के कलंक मिटाकर इतिहास रचने की ओर बढ़ चला है। पहले साल में नव निर्माण की नींव रखी, दूसरे साल में भविष्य का विजन रखा। आदरणीय भजन लाल जी ने साबित करने की शुरुआत की, दुष्यन्त कुमार जी को याद करता हूं इमरजेंसी में जिनकी मौत हुई:-

कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।।

राजस्थान में नगरीय विकास का सबसे बड़ा बजट राजस्थान के पूरे इतिहास में भाजपा ने दिया। 2024-25 में 17 हजार करोड़ से अधिक के यूडीएच बजट के साथ भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 44 हजार करोड़ दिये और भजन लाल जी की सरकार ने 2 साल में 33 हजार करोड़ रुपये दिये। बजट में जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 250 करोड़ की विशेष घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में गाड़ियों की औसत रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घण्टा

होती है और जयपुर का व्यक्ति हर साल 83 घण्टे सिर्फ जाम में बिताता है, इसीलिए जयपुर के 6 एलिवेटेड रोड और एक फ्लाई ओवर की घोषणा दूरदर्शी प्लानिंग का हिस्सा हैं।

मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पिछले एलिवेटेड रोड्स की तरह इसकी हालत न हो। कांग्रेस शासन के अन्दर स्वच्छता का यह हाल था कि 2018 में जयपुर की स्वच्छता रैंकिंग 39 थी। 2023 में हैरिटेज 171वें नम्बर पर पहुंच गया और ग्रेटर 173वें नम्बर पर पहुंच गया। सभापति महोदय, इस अवधि में राजस्थान 16 पायदान नीचे चला गया।

यह आपकी सिर्फ पार्टी नहीं एक मुकम्मल बयान है,
इनके चेहरे पर भ्रष्टाचार का एक अनमिटा निशान है।।

भ्रष्टाचार का एक अनमिटा निशान है। आदरणीय शान्ती धारीवाल जी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत वरिष्ठ हैं मेरे से। प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सत्तापक्ष की आलोचना करते समय थोड़ी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दें। +++ एक शपथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं, ''मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार शासन करूंगा''। फिर इस कोटा प्रणाली का अनुकरण करके उन्होंने किस शासन की मर्यादा का पालन किया और किस शपथ का पालन किया? सभापति महोदय, इनके बाद के-थ्री स्कीम का अन्त हुआ। ''कमाओ, खाओ, खिलाओ'' और बीबीआईपी कल्चर, यानी भ्रष्ट, भू-माफिया, इम्पॉर्टेन्ट पॉलिटिशियंस का अध्याय समाप्त हो चुका है। भजन लाल जी के नेतृत्व में एक नया उजियारा नजर आ रहा है।

MKD/RTM/07.03.2025/16:20/3a

हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता, जिनके पिताजी ने भी यहां पर बहुत अच्छे कार्य किये थे, लेकिन उन्होंने उनको भुला दिया। वे कह रहे हैं कि पट्टे हैं फर्जी, तो शिकायत क्यों नहीं करते, चोर की दाढ़ी में तिनका। आइना देखेंगे नहीं और अपने को समझेंगे कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं।

आपके एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का पूरा परिवार फर्जी पट्टे के केस के अन्दर फंसा हुआ है। आपकी मांग उन तक पहुंचा देंगे। सावधान रहिएगा, बाहुबली हैं।

एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री सिंगल पट्टे में गिरफ्तारी से बचने की जुगत लगा रहे हैं। दो पूर्व मंत्री पेपर लीक के मामले में डरे हुए हैं। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अफीम की तस्करी से बचे हुए हैं। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जल जीमण मिशन में कब जेल चले जायें, कोई भरोसा नहीं है।

ऐसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे विधायक, जिन्होंने रेप के आरोपों में इस्तीफ़े दिए। जो जेल में रहे, बरसों तक। आप बात करते हैं, नैतिकता की। सरकार को सीख देते हैं। 3 साल तक देश के सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिलवाने वाली पिछली सरकार को कैसे भूल जाऊं? यूडीएच का अर्थ कर दिया, उल्टा धंधा। जयपुर विकास प्राधिकरण को बना दिया, विनाश प्राधिकरण। नगर निगम को बना दिया, नरक निगम। आदमी जाए तो जाए कहां? करप्शन का

कॉम्पीटिशन चल रहा था।

मैं पूर्व मंत्री जी, हमारे विद्वान नेता जी, जो चले गए। उनके बारे में कहना नहीं चाहता कि उनको कितनी बार हटाया जा चुका है। कितनी बार हटाया जा चुका है। जलील किया गया है और जब सौदा हो गया पक्का, तब से उनका पद हो गया पक्का।

हमारे +++ बोले, मेरा जीवन में इतना अपमान नहीं हुआ। खैर, छोड़िये। कांग्रेस की नीयत और नीति, हटा दीजिये, +++ का नाम। मैं कह रहा हूं, हटा दीजिये, हटा दीजिये। मैं कह रहा हूं, +++ का नाम हटा दीजिये, प्लीज़।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, नाम निकलवाओ, हाउस के मैम्बर नहीं हैं, हाउस के मैम्बर नहीं हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आप डिस्टर्ब मत करिये। मैं क्षमा मांगता हूं। मैं माफी मांगता हूं। मैं +++ के प्रति माफी मांगता हूं, बैठ जाइये, बैठ जाइए।

श्री सभापति: जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम हटा दें। एक्सपंज करवा दिया।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या बात कर रहे हैं, बैठ जाइए। नाम लेना शुरू करुंगा तो जगह नहीं मिलेगी, छोड़िये। ललित जी, मांग ली माफ़ी, बैठिये, माफ़ी, माफ़ी, माफी बस।

अब सुन लीजिये। अब चलिए, कथा आगे बढ़ाते हैं। +++ खैर, उसको भी छोड़िये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ संवैधानिक पद है। आप इस प्रकार से किसी भी पद के लिए, +++ गोपाल जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैंने क्या कहा है?, मैंने कहा क्या है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अपने को चर्चा में नहीं लेना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ठीक है, विराजिये। आदरणीय जूली साहब की सलाह का हमेशा ध्यान रखूंगा। पट्टों में धांधली के आरोपी आइ ए एस जे डी सी को अपना एडवाइजर बना लिया, क्योंकि उनको लेनदेन का सबसे ज्यादा अनुभव था।

मैं जनप्रतिनिधियों को, सरकार के हम निर्वाचित लोगों को, मैं कभी भी अफसरों की बराबरी के अन्दर नहीं मानता हूं। यह सरकार और सिस्टम का विवाद है। सिस्टम हमेशा चाहता है, मैं उन ईमानदार अफसरों की बात नहीं करता, जिन्होंने त्याग किये हैं। लेकिन यह जो सिस्टम है, यह हमेशा मकोड़े की तरह गुड़ के चिपकने की कोशिश करता है, शासन चाहे किसी का हो। जयपुर में ऐसे अरबपति अफसर मिल जायेंगे, कोई भी शासन हो, उनके चेहरे पर हमेशा लाली रहती है और दिल में खुशहाली रहती है।

सर, केवल 5 मिनट में, मैं अपने सिविल लाइंस पर आकर, मैंने लिखा तो बहुत था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे आदरणीय भजन लाल जी की सरकार को, जिसमें प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कहा है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। हम उसका विकास करेंगे।

क्या गरीब बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के लिए है? क्या गरीब थानों में थप्पड़ खाने के लिए है? क्या गरीब गालियां सुनने के लिए? अगर यही होता तो हमारे ऋषि मुनि तो कुछ कर ही नहीं पाते।

गरीबी अपराध नहीं है, गरीबी वरदान है। एक गरीब एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, लेकिन एक अमीर भैंरोसिंह शेखावत नहीं बन सकता। खैर, मैंने कहा ना कांग्रेस के लिए बोलना ही नहीं चाहता। मैं ऐसी कुछ बात बोल जाऊंगा कि चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे।

आप मुझे ये भी इजाजत दें कि आप हिन्दुस्तानी और आदरणीय +++ को छोड़कर, किसी ब्रिटिश की आलोचना कर सकते हैं, तो आपको अपने पार्टी के संस्थापक का नाम लेते समय शर्म आने लग जाएगी, शर्म आने लग जाएगी। उनको साड़ी पहन कर भागना पड़ा, 1857 के विद्रोह के समय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ का और उनका नाम लिया, यह नाम निकलवाओ।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इसको भी वापस ले लीजिये, वापस ले लीजिये, माफी मांगता हूं, आप लोगों से, लेकिन (..व्यवधान..) माफी नहीं मांग सकता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, ऐसी बात नहीं करें, जो सदन का सदस्य नहीं हो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आपकी भावना आहत हुई है, आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, कौन साड़ी, क्या है, क्या जिक्र है, ये सब हटवाओ, ये सब फालतू की चीजें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, एक्सपंज हो जायेगा, एक्सपंज करो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आपका न्याय यह था। जब आपकी सरकार में +++ की दीवार तोड़ी गयी थी। आप सभापति बन जाइए। आप व्यवस्था दे दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ का नाम ले रहे हैं। ये कोई मतलब है क्या?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम मत लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, एक्सपंज करवाओ।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): पूर्व मुख्य मंत्री कर दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गोपाल जी, टाइम हो गया।

श्री सभापतिः नाम को एक्सपंज कर दें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आपकी सरकार के दौरान एक तीन बेटियों के पिता को, इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने उसकी थड़ी को जेसीबी से उछालने का काम किया।

आप लोग कटिंग पढ़-पढ़कर अपना राजनीतिक जीवन चला रहे हैं। हम कटिंग नहीं पढ़ते। बस, दो मिनट अब मेरे क्षेत्र के लिए..।

श्री सभापतिः श्री जसवन्त गुर्जर। विराजिये आप। अंकित नहीं होगा, भाई।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

Bhs/Rtm/07.03.25/16.**30**/**3b**

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के अन्दर ...(व्यवधान)... बैठो गोपालजी, बैठ जाओ।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 100 साल हो गये नगरपालिका को, पूरी बिल्डिंग जर्जर है लोग तो विकास की बात कर रहे हैं यहां विनाश होने वाला है, कभी भी वह बिल्डिंग गिर सकती है। जमीन नगरपालिका के अंदर मौजूद है। आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा और चेतावनी भी दे रहा हूं कि वहां कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 100 साल से ज्यादा उस नगर पालिका को हो गये जर्जर बिल्डिंग है। अलॉटमेंट करा कर वहां पांच बीघा जमीन तो संत नगर रोड पर नगरपालिका की भू माफियाओं ने दबा कर रखी है। 15 बीघा से ज्यादा जमीन निधारा रोड पर नगर पालिका के नाम है, वो भू माफियाओं ने दबा कर रखी है, तो मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी से कि इसका तुरंत प्रभाव से और इस कार्य को करवायें नहीं तो आने वाली बरसात में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। एक बात।

सभापति महोदय, दूसरी बात, विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी मेरे बाड़ी से लगा हुआ है। नगरपालिका ने बसेड़ी क्षेत्र के गांव में सड़क बना दी और पेमेंट किया नगरपालिका बाड़ी ने। सभापति महोदय, मेरी ओर ध्यान है कि नहीं? यानी बसेड़ी क्षेत्र के गांव में काम किया और पेमेंट किया बाड़ी नगरपालिका ने आदमपुर गांव के लिए। सभापति महोदय, 2022 से 2023-24 तक बाड़ी नगर पालिका में पौधारोपण का 1 करोड़ का काम हुआ हरियाली के नाम पर जबकि एक भी पौधा वहां नहीं लगा है, एक भी सिंगल। असामाजिक तत्वों द्वारा बाड़ी संत नगर की पांच बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है सभापति महोदय, और हद तो तब हो गई है, बाड़ी शहर के अंदर लगभग 5 से 6 हजार गज जमीन संविधान रचयिता माननीय भीमराव अंबेडकर साहब की वह मूर्ति लगी हुई है। चारों तरफ से सड़क पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और नगरपालिका उनको खोखों से, उन दुकानों से पैसे लेने जाती है और उसे खाली नहीं करवा रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस जमीन को जो गुरु की बगिया के नाम से है बीच शहर के अन्दर, जिसकी कम से कम नहीं तो कीमत 30 से 40 करोड़ है, लोगों ने कब्जा कर रखा है उस जमीन से कब्जा हटाया जाये। उक्त नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री रामजीत और चैयरमैन द्वारा करोड़ों रुपये का, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने ही नहीं हैं, जांच करवाई तो नब्बे मकान तो ऐसे हैं जो बने ही नहीं और उनका पूरा पैसा उठा लिया गया है। यह मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, शहर के अंदर जर्जर सड़कें हो रही हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। 2018 से लेकर 2023 तक लूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सड़कें वहां बनी नहीं, पेमेंट हो गये और वहीं खरंजे उखाड़-उखाड़ कर और उन्हीं पत्थरों को लगा दिया गया, उनका पेमेंट ले लिया गया तत्कालीन अधिशासी अधिकारी रामजीत ने और वर्तमान चैयरमैन ने और विगत पांच सालों में एक रोड का दो-दो बार पेमेंट उठाया, दो-दो बार बनाना दिखाया है, जो नगरपालिका का बजट था सभापति महोदय, उससे 200% काम दिखा दिया। आज नगर पालिका से यहां से पैसा जाता है, काम कोई हुआ नहीं है, 200% कागजों में दिखा दिया और उन्हीं का आज पेमेंट हो रहा है जो पिछले 5 साल में लूट की है, बाकी विकास का कोई काम नहीं हो रहा है तो यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 200% काम पहले ही करा दिया, उनका पेमेंट अपने चहेतों को दे रहे हैं जो पैसा भिजवाते हैं और वर्तमान में कोई काम नहीं हो रहा है, मौके पर कोई काम नहीं है, इसकी जांच की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम (अनुपस्थित)। श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39,40 पर बोलने के लिये अनुमति दी उसके लिये मैं आपका और मेरे दल के नेताओं का धन्यवाद देता हूं। अभी जयपुर शहर से विधायक चुने मेरे साथी बोल रहे थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह जब बोले तो खुद के विधान सभा क्षेत्र की भी बात नहीं रख पाये और जयपुर की जनता की भी बात नहीं कर पाये। कृपया उनको भी थोड़ा सा बोलने का अवसर दे दें, चूंकि उन्होंने अपने साढ़े तेरह मिनट के भाषण में राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक की बात की, मगर मुद्दों की बात नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, सबसे पहले कि आपने जयपुर के विकास के लिए पिछले बजट में लगभग 21 सौ करोड़ रुपये की घोषणाएं की थी जिसमें सहकार मार्ग, ऋद्धि-सिद्धि फ्लाई ओवर, पृथ्वीराज दक्षिण के वंदेमातरम रोड, सांगानेर फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंबेडकर सर्किल से ओ.टी.एस. तक जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड और जयपुर कलेक्ट्रेट से लेकर राजमहल पैलेस तक की सड़कें एलिवेटेड। मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि यह जो बजट की घोषणाएं थी जो पिछले बजट में आप लोगो ने की थी, उस पर 1% भी काम आप लोग नहीं कर पाये और खासतौर से जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि सांगानेर की और मास्टर प्लान की जो सड़कें है, जो मिसिंग लिंक हैं और जो सड़कें नहीं बनी हैं उस पर आज हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, उसका कारण है कि अगर हम मास्टर प्लान की सड़कों को समय से नहीं बना पायेंगे तो शहर में मंत्रीजी, ये कन्जेशन होना ही है, शहर में भीड़ होनी ही होनी है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में हर महीने लगभग 4500 से 5000 व्हिकल सड़क पर आ रहे हैं हर महीने और मोटरसाइकिलें अलग हैं। सरकार हमेशा

उसके रेवेन्यू पर ध्यान देती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम सड़कों पर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए आप इसकी सड़कों पर ध्यान दें। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बातों पर आता हूं कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आज जयपुर में हैरिटेज नगर निगम में आप जांच करा लें कम से कम 350, 400 अवैध निर्माण चल रहे हैं और अगर किसी गरीब के 40-50 गज के मकान की बात करना चाहे जिसमें उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका प्रवर्तन दस्ता वहां पहुंच जाता है, वो गरीब आदमी 40 गज की बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है, 50 गज का मकान नहीं बना पा रहा और 1000-1000 गज, 800-800 गज की 500 बिल्डिंग्स का आपके जयपुर शहर में निर्माण हो रहा है अवैध और यह एक बात और कहना चाहता हूं, मंत्री जी कि आजकल क्या हो रहा है कि ग्रीन फाइल आप लगवाते हैं निर्माण के लिए। ग्रीन फाइल अगर एक महीने तक आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया तो वह कोर्ट में जायेगा और कोर्ट में जा करके वो डीम्ड परमिशन ले आता है। डीम्ड परमिशन लाने के बाद वो न सेटबैक का ध्यान रखेगा न किसी नियम-कायदे का ध्यान रखेगा और सरकार और आप भी असहाय हो जाते हैं। अधिकारियों को सिर्फ वह यह कहता है कि मेरे पास डीम्ड परमिशन है इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है ये नियम-कायदे आपको वापस बनाने पड़ेंगे कि डीम्ड परमिशन को आप कितनी महत्वता देते हैं। यह सारे रास्ते आपके नीचे के अधिकारी दिखाते हैं उनको कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं आप वहां जायें और डीम्ड परमिशन ले आते है इसलिए यह जयपुर का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है, जयपुर का हैरिटेज कल्चर बिगड़ रहा है उस पर हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे पास बड़ी मुश्किल से यूनेस्को अवॉर्ड है, जिसका रिन्युअल होना है अगले साल। हम सब को लगकर इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले बजट में सौ करोड़ रुपये के हैरिटेज संरक्षण की आपने बात की थी और जो चारदीवारी में परकोटे पर लगाने थे। आपने उस पर काम नहीं किया। एक रुपये की बात नहीं की आपने, वो सौ करोड़ रुपये लैप्स होंगे, पता नहीं क्या होगा, आप उसमें काम करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजे ऐसी हैं...

Kas/rtm/07.03.2025/16.40/3c

मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं, यहां एलएसजी सैक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि साढ़े चार करोड़ रुपये लगाकर पिछली सरकार के समय मैंने एक संज्ञान लिया, मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि जयपुर की सड़कें और जयपुर के मार्केट कंजेशन है। एक पुरोहित जी का कटला है, उसमें साढ़े चार करोड़ रुपये लगा कर हमने उसको फायर हाइड्रेंट से जोड़ा और घाटघेट से लेकर वहां तक लाइनें डलवाईं। हफ्ते भर पहले अख़बार में उसकी खबर आई कि वो हाइड्रेंट काम ही नहीं कर रहे हैं, उस पर व्यापारी अपने सामान रख देते हैं। कभी आगजनी होगी तो हम संभाल नहीं सकते। आज तक उसकी टेस्टिंग नहीं हुई। आपने उसका मॉकड्रिल नहीं किया, साढ़े चार करोड़ रुपया ऐसे ही जाया हो गया।

सभापति महोदय, अगर हम सड़कों की बात करें, जयपुर में जितनी भी सड़कें हैं,

हमने कई बार चाहे पी डब्ल्यू डी से बनवाईं, चाहे निगम से बनवाईं, कैसे भी करके हमने चार दीवारी की पूरी सड़कें बनवाईं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, 272 करोड़ रुपये की एक परियोजना हमारे टाइम में शुरू हुई, जिसमें सीवरेज का सुधारीकरण होना है। उस काम की आप जांच करा लें, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सारी सड़कें तोड़ दीं, जो हमने 100 करोड़ की सड़कें बनवाई थीं पिछले टेन्योर में, वो चार दीवारी की सारी सड़कें आज जर्जर हो गईं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी अधिकारी को कहें, तो वह असहाय हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो चीज हम एक बार बना दें उसक ओ.एण्ड एम. भी है, उसकी मेंटीनेंस भी है, लेकिन वो यह कहता है कि साहब, हम क्या करें, दूसरे डिपार्टमेंट ने आकर तोड़ दी। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूं कि जो हमारी प्राचीन ईदगाह है, उसका हमने पिछली सरकार में लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये से काम शुरू करवाया। जेडीए ने पैसा नहीं दिया, स्मार्ट सिटी ने पैसा नहीं दिया, फिर रफीक भाई ने और मैंने मिलकर प्रयास किया कि यह प्राचीन हैरिटेज बिल्डिंग है, इस ईदगाह को हम दुबारा बनाएं और हमने टूरिज्म विभाग से उसकी 10 करोड़ की व्यवस्था करा दी। उसमें डेढ़ करोड़ रुपये का काम हुआ और आपने आते ही उसको रोक दिया। पैसा भी जेडीए में आ गया। मैं यह समझना चाहता हूं कि आप यह बताएं कि इस तरह का दुर्भाव, इस तरह के काम से क्या फायदा होने वाला है? मैं वो विधायक हूं, जिसने स्मार्ट सिटी में साढ़े अठारह करोड़ रुपये से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। मंत्री जी, बड़ी तकलीफ होती है कि इस तरह की बात होती है और इस तरह की बातें जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चलेंगी, तो उनके आगे शर्मसार होने के अलावा कोई बात नहीं रहेगी। एक तरफ हम, एक माइनॉरिटी का विधायक होकर मैंने साढ़े अठारह करोड़ रुपये से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और आपने आते ही सरकार के 10 करोड़ रुपये पानी में लगा दिये। डेढ़-दो करोड़ रुपये का काम हुआ और बाकी काम आज उस ईदगाह का बचा हुआ है। वह ईदगाह हमारी साढ़े चार सो साल पुरानी ईदगाह है। कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। ....(व्यवधान).... बिलकुल रिकार्डेड है, आप मंगा लीजिए रिकार्ड जेडीए से, सारी चीजों का रिकार्ड है। यह सदन है, इसमे किसी बात को असत्य नहीं बोला जा सकता। इसकी गरिमा हम समझते हैं। कई लोग हैं, अभी मेरे से पूर्व विधायक सारी बातें बोल कर गये हैं, एक बात रिकार्डेड नहीं की उन्होंने, सारी अनर्गल बातें करी हैं। दुख होता है यह बात सुन कर कि हम जनप्रतिनिधि जो इतनी मेहनत करके जीत कर आते हैं, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिये और यहां आकर लफ़्फ़ाज़ी कर जाते हैं। इधर की, उधर की बातें करके चले जाते हैं। जयपुर में आपकी जो सारी नगर निगम की और जेडीए की सड़कें हैं और जो सरकारी जमीनें हैं, माफ करना, हमारे यहां विधायक बालमुकुन्दाचार्य साहब बैठे हैं, इन्होंने एक कटौती प्रस्ताव लगाया, मैं पढ़ रहा था, कि इनके क्षेत्र में भू-माफिया काम कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पर सोसाइटी के पट्टे काट रहे हैं। आप इसकी भी जांच करा लीजिए, यह क्या हो रहा है? यह एक बहुत गंभीर विषय है।

आज अख़बार में खबर आई कि जयपुर में जितने भी पार्किंग के ठेके हैं, उनको क्लस्टर में नहीं करके, एक साथ करके, बंचआउट करके ठेका बना दिया। जयपुर में 1250 गाड़ियों की पार्किंग के लिये रामनिवास बाग़ में हमने पार्किंग बनाई। आज आप उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। शहर के लोग कितने परेशान हैं। शहर में आबादी 10 लाख से ज्यादा है और 2 लाख से ज्यादा व्हीकल हैं जो डेली आते-जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि राम निवास बाग़ में जो पार्किंग बनाई है, उस पार्किंग का हमारा मंतव्य था कि शहर में रहने वाले लोगों को सुविधा मिले, उनकी गाडियां हमेशा नहीं खडी रहें। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ, उनको आप मिनिमम कॉस्ट पर वह पार्किंग अलॉट कीजिए, लेकिन उसकी समय सीमा निश्चित कीजिए कि आपको शाम को 8 बजे से लेकर सवेरे 7-8 बजे तक रखनी हैं। इस बात पर हम एग्री करेंगे, लेकिन यह पार्किंग शहर में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिये भी है और जो व्यापारी आते हैं, आप शटल बसें लगाने वाले थे, इसका कांसेप्ट यह था कि हम रामनिवास बाग़ से पूरी चारदीवारी के लिये शटल बस लगायेंगे, जो बाहर से आने वाले लोग है, जो खरीददार हैं .. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में खतम करूंगा। आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं ऐसी बातें कह रहा हूं जिन पर आपको संज्ञान लेना चाहिये। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कल भी बात की थी और आज पुनः कह रहा हूं आपसे, जब मैंने कल मुद्दा उठाया, तो आज एमआईरोड की सड़कबनना शुरू हो गई, आज वह सड़क बन रही है, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से जौहरी बाजार की, आज ही हम वहां गये थे, हमने जाकर देखा तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसको भी आप रिपेयर करा दें। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मेंटीनेंस वीयर-टीयर का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमारी सरकारी संपत्तियां इसी तरह से खुर्द-बुर्द होती रहेंगी।

अंत में एक बात कह कर खतम करूंगा। हमारी सरकार के टेन्योर में हमने शहर में, खालिस मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे लास्ट के तीन सालों में लगभग 4300 लाइटें हमने लगाई थीं। आज उनमें से कम से कम एक हजार लाइटें बंद हैं, कोई मेंटीनेंस पर ध्यान नहीं है। नई लाइट आप खरीद नहीं रहें, पुरानी लाइटें हम रिपेयर कर नहीं पा रहें, पूरा शहर अंधकार में है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस पर भी ध्यान दें।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): आखिर में एक बात कहूंगा कि हमने 2013 में पत्रकारों के लिये रियायती दर पर पत्रकार आवास के नाम से नायला में एक कॉलोनी बनाई थी, उस पर आप संज्ञान लें। पत्रकार साथियों को 12 साल बाद भी उसके पट्टे नहीं मिल पाये, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 39, 40 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय भजन लाल जी की भाजपा सरकार ने नगरीय विकास एवं

स्वायत्त शासन विभाग में अनेकों नवाचार किये हैं और दोनों ही बजट में विभिन्न सौगातें राजस्थानियों को दी हैं। हमारी मातृ अस्मिता की बात हो या नगरीय निकाय में ....(व्यवधान).... व्यवस्थाओं को देखते हुए बिजली की लाइन को अंडर ग्राउंड करने का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम किये हैं, इसके लिये मैं हमारे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब को और मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां विराजमान है, मेड़ता मीरा बाई की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध है और सावन-भादो में भारी मात्रा में यात्री बाबा राम देवरा जाते हैं, देश-विदेश से यात्री आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां एक बड़ा पार्क बनाएं जहां टॉयलेट वगैरह और रहने की सारी व्यवस्था हो, तो जो वहां लाखों यात्री आते हैं, वो आराम से रह सकें। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मेड़ता बहुत बड़ा शहर है और अभी नगर पालिका है, उसको नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा। मेड़ता में लंबे समय से सीवरेज लाइन की मांग है, उसकी भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि वहां सीवरेज लाइन बनाने का काम करें।

आदरणीय सभापति महोदय, मेड़ता शहर के चारों ओर बहुत बड़ी कॉलोनियां बसी हैं, डवलप हुई हैं, लेकिन विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं है। उनसे पट्टों के नाम पर पैसे लिये जा चुके हैं, लेकिन वहां सड़क-नाली नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए। मंत्री महोदय, 2015 में जब मेडता में कांग्रेस का बोर्ड बना, कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में सरकार चेंज हुई, कांग्रेस सरकार बनी।

Msk/rtm/07.03.25/1650/3d

2018 से 2020 तक वहां जितना भ्रष्टाचार हुआ। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि एक-एक लाख रुपये कोटेशन से करोड़ों का काम हुआ, बिलकुल फर्जीवाड़ा। वहां एक चौपाटी 10 करोड़ रुपये की बनायी। उसमें दो-तीन करोड़ की मिट्टी भर दी, वहां से खोदकर वहां डाली गयी, मैं दोनों ही। प्रशासन शहरों के संग में जो पट्टे दिये गये, गरीबों को 10 परसेंट पट्टे नसीब हुए हैं। 90 परसेंट पट्टे चेयरमैन ने अपने चहेते लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को और भू माफिया को दिये गये। मैं तीनों का इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं, आप उसकी निष्पक्ष जांच कीजिये और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करुंगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक कांट्रेक्टर हूं। नगर पालिका में कांट्रेक्टर हूं, मुझे पता है, वहां क्या-क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा रियां बड़ी उपखण्ड क्षेत्र है, बड़ा कस्बा है वहां कॉलेज व कृषि मंडी भी आपके आशीर्वाद से हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि उसको आप नगरपालिका में क्रमोन्नत करें, ताकि बहुत बड़ा व लम्बा क्षेत्र है, उसका विकास होगा तो यह भी मांग करूंगा। सभापति महोदय, पिछले बजट में, मेड़ता रोड मेरा बड़ा कस्बा है। जहां भारतीय रेल

का बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं कहना चाहूंगा कि वह एक मिनी भारत है। सभी प्रदेशों के लोग वहां रहते हैं, पहले लोको था। उसमें आप सफाईकर्मी भर्ती कीजिए। अभी उसे बने हुए सात-आठ महीने हो गये, लेकिन अभी बजट उसके पास नहीं है। बजट देकर और सफाई के लिए भर्ती करके विकास के काम के लिए आपसे मांग करता हूं। आप उस पर ध्यान दीजिये। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोटन औद्योगिक नगरी है, वहां दो-दो व्हाइट सीमेंट की फैक्टरी है, जेके बिरला और चूना कली का बहुत बड़ा काम है। पूरे भारत के लोग वहां रहते हैं, वह भी बड़ा कस्बा है, उसे नगरपालिका बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप उसको भी बनाइये।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, आवासन मंडल ने मेड़ता में एक एस सी की जमीन, 2014 में उनसे एक्वायर कर ली, लेकिन आज तक आवासन मण्डल ने न तो कोई डवलपमेंट किया है, न ही कुछ किया, उनकी जमीन ले ली और मामला वहीं का वहीं पड़ा है। मेरे एमएलए बनने के बाद में मैं वहां जाकर अधिकारियों से 10 बार निजी रूप से मिलकर आया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मैं निवेदन करूंगा आप संज्ञान लेकर आवासन मण्डल की जमीन का निस्तारण करें। गरीबों को पट्टा देने का काम करें या उन्हें मुआवजा देने के लिए मैं आपसे मांग करूंगा, उसका निस्तारण जल्दी करवाने का काम करें, क्योंकि वे सारे एससी परिवार के लोग हैं और वे भूमिहीन हो गये हैं। न तो उनको जमीन वापस मिली है और न ही मुआवजा मिला है, और न ही आवासन मंडल से उनको जगह का कोई फायदा मिला। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगा।

सभापति महोदय, अभी जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, अभी वहां पर कांग्रेस का बोर्ड है, जिद्दी अध्यक्ष है। अभी परसों ही हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसमें वे सस्पेंड हो गए थे। नगरपालिका मेड़ता की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सात-आठ करोड़ की मिट्टी भर दी, जबकि जमीन नगरपालिका की है ही नहीं, जमीन किसी और की है। बिना जानकारी के मिट्टी भर दी और नगरपालिका के पैसे चले गये। उसकी भी जांच कराने की मांग करूंगा कि आप उसको करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेड़ता में बहुत कुछ दिया। मेड़ता नगर परिषद में सीवरेज लाइन की मांग करता हूं। ये सारे काम, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, मंत्री महोदय और सभापति महोदय, आपके आशीर्वाद से हो जाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) समय कम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, आज नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन की डिमांड पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर की नगरी महाराजा सूरजमल की नगरी है, वे भरतपुर के संस्थापक रहे। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर का जो रियासतकालीन ड्रेनेज सिस्टम था? वह ड्रेनेज सिस्टम पूरे देश में एक अनुपमेय उदाहरण है। इर्रिगेशन विभाग, यू आई टी, नगर निगम तीनों विभाग होने के बाद बावजूद भी इन 60 से 70 वर्षों में उस भरतपुर को

जलभराव के क्षेत्र में डुबो दिया गया। क्या कारण है, हमें सोचने की जरूरत है। सारी एजेंसीज होने के बाद, सारे विभाग हैं, अधिकारी हैं, वहां अभियंता मौजूद होते हैं। क्या इसके लिए राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं? हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों नहीं वह ड्रेनेज का सिस्टम उसी तरह से चलता गया? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शान्ती धारीवाल जी को जो 70 साल की प्रॉब्लम थी, उसको आप भी जानते हैं, आप से भी मिला था, आपने कहा था। 362 करोड़ की योजना उस भरतपुर को जलभराव से मुक्त कराने की थी, जिस पर काम चल रहा है। उस काम में गति काफी धीमी है। मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाएगा। मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में काफी अच्छी घोषणाएं शहर के लिए की हैं, लेकिन वह भरतपुर के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। वह अगर प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जो फर्स्ट फेज और सैकण्ड फेज का पूरा होना था, लेकिन किन कारणों से उस सैकण्ड फेज का परिवर्तन किया? सरकार है, आपको अधिकारी सलाह देते हैं। परिवर्तन कर दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रखें, कैसा भी रखें, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करायें। मैं समझता हूं कि ये जो काम हैं, भरतपुर के नागरिक, भरतपुर की जनता आपको धन्यवाद देगी।

इसी संदर्भ में आगे कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप बहुत सजग भी हैं, मजबूत भी हैं और आपकी कार्यशैली से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न भी हूं। जो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, उसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। हम सब का कंसेप्ट सुशासन का है, गवर्नेंस का है, गवर्नेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं नगरपालिकाओं की बात कर रहा हूं, नगरपरिषद की बात कर रहा हूं। नगर निगम ले लो, जेडीए ले लो, बीडीए ले लो कौन जिम्मेदार है? कितने एमएलएज, 1 परसेंट हो सकते हैं, 2 परसेंट हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। मैं नहीं मानता कि वे ये कहते हों कि बिलकुल इल्लीगल काम कर दो, कभी नहीं कहते। होता है तो उसकी जांच करवाइये, कार्यवाही करिए, लेकिन ज्यादातर 98 परसेंट चीजें, आप भले ही जांच करवा लें। चाहे वह फर्जी पट्टों का मामला आया हो, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले हों, चाहे वह ऑर्केलॉजी डिपार्टमेंट की जमीनों के मामले हों उनके पीछे कौन हैं? इसकी भी जांच करायें और उसकी वजह से बदनाम पॉलिटिकल गवर्नेन्स के लोग होते हैं, एमएलएज होते है, एमपी होते हैं, मंत्री होते हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। क्या कारण है? एनओसी कौन देता है? स्वीकृति कौन जारी करता है? फायर एनओसी कौन देता है? सील लग जाती है, पर खोलता कौन है? सशर्त कौन देता है? एकाध परसेंट केस हो सकते हैं। कई बार हमारे पास आदमी आता है, आपके पास आता है, सिफारिश करनी होगी, लेकिन अधिकारी की हिम्मत क्यों नहीं है, उसको मना करने की? कि साहब ये इल्लीगल काम है, मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। विभाग ने भी सॉफ्टवेयर डवलप किए हैं। इसको और मजबूत करने की जरूरत है। क्यों नहीं सारी की सारी प्रक्रिया का ऑनलाइन सिस्टम हो जाये? 100 परसेंट ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। पट्टे ऑनलाइन क्यों नहीं दिए जा

सकते हैं? शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी जो लोअर लेवल की एग्जिक्यूटिव मशीनरी है, वे नहीं देना चाहते। जब तक आदमी नगरपालिका में 10 चक्कर नहीं लगा लेगा, यूआईटी में चक्कर नहीं लगा लेगा, बीडीए या जेडीए में चक्कर नहीं लगा लेगा? या जब तक उसको दलाल या जो वहां स्काउज घूमते हैं? वे जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होता। आप 10 बार फोन कर लीजिये, मैं भी फ़ोन करता हूं, काम नहीं होगा और फिर जब काम होता है, 10 दिन बाद, दो महीने बाद, कह देगा, साहब, मैंने आपका वह काम कर दिया। किया और किसी वजह से। एहसान करेगा, एमएलए और मंत्री पर। यह स्पष्ट है। मेरा आपसे मानना है कि जो नगर निगम में जो काम होते हैं, ज्यादातर निर्माण स्वीकृति के, पट्टे के, उप विभाजन के, पुरानी आबादी के पट्टे, विभिन्न प्रमाण-पत्र, यह सारा सिस्टम ऑनलाइन हो सकता है। चेकलिस्ट है, आप जाइये, कभी एक बार जाता है, एक ऑब्जेक्शन लगाएगा, दूसरी बार जायेगा, जो क्लर्क है, दूसरा ऑब्जेक्शन लगायेगा। अनपढ़ लोग होते हैं, जनता है, घूमती रहती है, घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है तो बुजुर्ग लोग भी घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दीजिये, मैं समझता हूं, गवर्नेंस देने के लिए इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। ये सरकार का भी कर्तव्य है। हम सब लोग सुशासन देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं तो इस सिस्टम को करवा देंगे तो मैं समझता हूं कि जरूरत ही नहीं है। एक बार चैक लिस्ट है, ऑनलाइन है, एक बार जो भी ऑब्जेक्शन हैं, वह लगा दीजिये और रिजेक्ट कर दीजिये। कोई सशर्त देने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम होगा और इसमें आम आदमी को जो लोअर मिडल क्लास है या गरीब लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। अमीर लोग तो करा लेंगे, संपन्न लोगों के तो ये चीजें घर ही पहुंच जाती हैं। उनको तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में कहना चाहूंगा।

mdp/rtm/07.03.25/17:00/3e

एक मैं प्रश्न करना चाहूंगा, भरतपुर के सन्दर्भ में। आज ही अतारांकित प्रश्न का जवाब जो मिला कि नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में, मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो जवाब दिया है, नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में बी नारायण गेट, बुद्ध की हाट, गंगा मन्दिर किले तक के मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वह कारण हुआ था। उसमें क्या लिख रहे हैं कि हमने 22 नोटिस दिए। अब दूसरा सुन लेना क्या जवाब दिया है कि सघन आबादी है। पुरानी आबादी से, पुरानी आबादी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तीसरा, फिर दिया है इन्होंने, मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान बना नहीं है, मतलब बनकर अभी तैयार नहीं है, मास्टर प्लान वहां उपलब्ध नहीं है। फिर दिया है मास्टर प्लान में उक्त मार्गों पर मार्गाधिकार ही तय नहीं है।

अब आप बताइए, मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए। आपका विभाग कोई और जवाब दे रहा है, अब फिर क्यों, लोगों में दहशत है। क्यों नोटिसेज उनको, दुकानदारों को

दिये गये हैं? इसकी भी आप जांच करा लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है, अभी सभी लोगों ने कहा मेरे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने कि हम जोनल डवलपमेंट प्लान की बात करते है, मास्टर प्लान की बात करते हैं। तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल डी.पी.आर. कर दी जाती है, जोनल प्लान बनाने की, डवलपमेंट प्लान बनाने की। डी.पी.आर. नहीं बनती है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होती है, कारण क्या है, अधिकारी आता है, डेढ़ साल में ट्रांसफर होकर चला जाता है। वह जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। फिर दूसरा अधिकारी आता है, वह डेढ़-दो साल में ट्रांसफर होकर चला जाता है। वह अपने हिसाब से काम करते हैं। पीड़ित कौन होता है? वहां के रहने वाले नागरिक, जिसके नाम पर काफी भ्रष्टाचार इन चीजों में किया जाता है। क्योंकि तीन-चार डिपार्टमेंट्स हैं, यूडीएच हुआ, स्वायत्त शासन हुआ, मेडिकल हैल्थ है, ये पब्लिक से डायरेक्ट अटैच करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है इस चीज को भी देखिए कि जो लोग जोनल डवलपमेंट प्लान फाइनल नहीं कर पाते हैं, मास्टर प्लान नहीं कर पाते हैं, एक अधिकारी को चार-चार विभागों का मुखिया बना रखा है। क्या यह एक व्यक्ति के लिए संभव है? मैं समझता हूं कि संभव नहीं है। इसको भी देखिए।

एक बात और कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, यूडी टैक्स, केन्द्र की नयी गाइडलाइंस आ गयी, आपको मालूम है कि अब जो ग्रांट मिलेगी, वह आपकी रेवेन्यू जनरेशन है, उससे मिलेगी। यूडी टैक्स, भरतपुर का उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा यूडी टैक्स वसूल हो रहा है, स्टडी करवा लेना। मैंने खुद अपील की थी कि यूडी टैक्स तो लगेगा। मेरे पास आते थे, नहीं यूडी टैक्स तो लगेगा। उसको पूरे राजस्थान में लागू कीजिए। एक रेवेन्यू तो जनरेट करनी पड़ेगी। एक नागरिक आपको इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, यूजर्स टैक्स दे रहा है, यूडी टैक्स दे रहा है। क्या चार्ज नहीं दे रहा और उसके बावजूद हाल ये है कि उसको नागरिक सुविधाएं नहीं मिले, सिविक फैसिलिटीज नहीं मिले, अच्छी रोड नहीं मिलें, नालियों का निर्माण नहीं हों, लाइट्स नहीं हों तो फिर किस बात की हम कर की बात करते हैं और टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो इस पर ध्यान देन की जरूरत है।

भरतपुर के संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक कच्चे परकोटे का मामला है, काफी पट्टे पहले दिए गए हैं, उसको भी दिखवा लें। जो वेटिंग में हैं, उनको भी पट्टे वितरित कर दिया जाए। तीसरा, सफाईकर्मियों की बहुत लोगों ने मांग की। इसमें भी बड़ा घोटाला है। जितने भी विभागों की आप स्टडी करवा लीजिये, मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से, हज़ार लोगों की सप्लाई दिखाते हैं, बिल उठाते हैं, लेकिन वर्चुअली काम करते हैं वहाँ 500 लोग, 600 लोग, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आते हैं, चाहे वह कांट्रेक्ट के माध्यम से आते हैं। यह बड़ा घोटाला है। सफर करता है वहां का, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल की मैं बात कर लूं, भरतपुर में जो कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से भी आधे लोग, आधे तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में से 20 लोग

कहां लगे हुए हैं, इसकी भी जांच करवा लीजिये, सफाई का काम नहीं करते। सब-लेटिंग का तो कई कई लोगों ने कहा है, वह भी मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा।

अब बीडीए, भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया। अच्छा है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बताइए जो यूआईटी पिछले 15-20 सालों में एक कॉलोनी को डवलप नहीं कर पाई? आप भरतपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद तो इन चीजों को देखें। टाउनशिप डवलप करें, पूरी जो कॉलोनियां हैं, उनके पट्टे दें। रियासतकालीन हमारी जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो महाराजाओं की लैंड थी, डोनेट कर देते हैं।

श्री सभापतिः श्री हरिसिंह रावत।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): उसके पट्टे नहीं दिए गए हैं, उन पट्टों को भी दिलवाने की कोशिश करें, उनको दिलवाएं। एक बात और करूंगा कि सिटी बस ट्रांसपोर्ट चलाने की बात की गयी थी, वह अभी तक नहीं चली है, उनको भी चालू करवा दीजिए भरतपुर के लिए। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 स्वायत्त पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो नगरीय व्यवस्था की सुदृढ़ विकास की परिकल्पना की है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे पूरे राजस्थान में आज सभी खुश हैं कि वास्तव में हमारी सरकार ने, जिसे हमने जिताया है, उसने हमें कैसा एक बजट दिया, जिससे हमारी पूरी जनता बहुत ही खुश हैं। इस बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश को सुनियोजित विकास है एवं सिविक एमेनिटीज, जिसमें पार्किंग, रिनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट, बस स्टैंड आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यों के लिए 780 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का एक प्रावाधन दिया है, जो एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, इसी बजट वर्ष में शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोज़ल हेतु 12 हजार 50 करोड़ रुपये की लागत से सात वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना किए जाने का प्रावधान भी एक सराहनीय कदम है। पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए इस बजट वर्ष में 500 पिंक टॉयलेट के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, यह भी एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, मैं कुछ मेरे क्षेत्र में, एक हमारे अधिशासी अधिकारी 16/05/23 को, जिनका नाम है गोपाल माली, नगर पालिका आमेठ में एसीडी द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था। तत्कालीन डीएलबी अधिकारियों की मिलीभगत और सरकार की मिलीभगत से, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नियमों से परे जाकर बहाल कर दिया गया। जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र

संख्या प.2(157)कार्मिक/के-3/शिकायत/97 दिनांक 22/03/23 के अनुसार बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के विचाराधीन रखने का, जो एक केबिनेट स्तर की कमेटी होगी, से निर्णय किया जायेगा। बहाली के लिए उसके बाद भी इस भ्रष्ट अधिकारी को फतेहनगर, सनवाड़, गंगापुर पालिका एवं भीलवाड़ा, फिर बांसवाड़ा नगर परिषद एवं वर्तमान में अकोला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया गया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बहाल करने वाले अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारी निलंबित करने का, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करें ताकि ऐसे अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को भी एक सबक मिले ताकि ऐसी हिम्मत न कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका देवगढ़ में जो कार्य करवाने हैं, उसके बारे में, इसका प्लान बन चुका है, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं निकली है, जिसकी वजह से हमारा पूरा काम रुका हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है की इसका कार्य तत्काल कराया जाए। साथ ही साथ, गत सरकार द्वारा गलत नीतियों के तहत अपने प्रतिनिधियों को लाभ देने, भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से भाजपा शासित नगर पालिका, नगर निगमों में चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दूसरी बार ऐसा दु:साहस न कर सके। सभी निगमों में पूर्व काल में चेयरमैन को बर्खास्त करने की कार्रवाई को निरस्त कर इनको भी बहाल करने का ऑर्डर जारी किया जाए।

सभापति महोदय, पूर्व बजट वर्ष 2024-25 में उक्त विकास कार्यों में विधान सभा क्षेत्र भीम की नव सृजित नगर पालिका भीम में ड्रेनेज सिस्टम एवं रोड लाइट आदि कार्य हेतु 10 करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसके लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ-साथ ही उक्त नगरपालिका का परिधि क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें सभी जगह विकास कार्य करवाने के लिए अतिरिक्त 50 हजार करोड़ की आवश्यकता है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन चीजों का ध्यान रखते हुए 50 हजार करोड़ की और हमें आवश्यकता है, सेंक्शन कराया जाए। नगर पालिका क्षेत्र भीम के अंतर्गत एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाए और वहां अतिक्रमणियों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटवाकर राहगीरों के लिए वापस सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय का निर्माण कराया जाए।

Ans/rtm 17.10 3f 07.03.2025

उसी अनुसार सूजाई चौक पर पिंक टॉयलेट और साथ ही सदर बाजार एवं तहसील के बाहर भी सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए प्रातः भ्रमण के लिए एक खुले पार्क की स्थापना करवाई जाए, जिसमें रातडी के तालाब पर आधुनिक गार्डन विकास विकसित कर, प्रात: भ्रमण के लिए पार्क की स्थापना करवाए जाने की भी मैं मांग रखता हूँ। तालाब की पाल पर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार

कराया जाए, वहाँ पर भी सुबह सुबह महादेव के दर्शन करने आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा नजारा मिलता है। इधर तालाब भरा हुआ है, सामने ही महादेव जी का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया जाए।

नवीन नगर पालिका के सुधार विकास करने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड का निर्माण किया जाए और नव सृजित नगर पालिका भीम में जनहित के कार्यों के लिये सभी सृजित पदों के अनुसार रिक्त पदों को भरा जाए। अभी तक एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है, जो एक ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती कराई जाए। नव सृजित नगर पालिका में सभी संसाधन, जिसमें फायर ब्रिगेड, ऑटो टिप्पर, कचरा संग्रहण वाहन, जगह-जगह कचरा संग्रहण बॉक्स की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान रखा जाए।

सभापति महोदय, नगर पालिका देवगढ़ और भीम में आए दिन बैंको के सामने एटीएम में चोरी होती है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे भीम में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि जो मनचले लोग हैं और जो बैंक में कोई गरीब पैसे लेकर आता है तो छीनकर भाग जाते हैं, हमेशा ऐसी घटना होती है। मेरे भीम में ही नहीं बल्कि सभी जगह यह घटना होती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन कहना चाहता हूँ की वहाँ सीसीटी कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि इसमें रोक लग सके।

दूसरा नगर पालिका देवगढ़ का मास्टर प्लान भी काफी समय से पेंडिंग चल रहा है, उसे भी तत्काल तैयार करके लागू किया जाए। नगर पालिका भीम में आधुनिक स्टेडियम बनाया जाए, ताकि खेलकूद में रुचि रखने वाले आदमी अपना कैरियर बना सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इतनी जल्दी समय हो गया क्या?

श्री सभापतिः आठ मिनट तय हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है कि जो भी मैंने मांगें रखी हैं उन पर गौर फरमाकर, इनको निष्पादन किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 39 व 40 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं मेरी पार्टी के नेता और आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, वैसे तो सामने सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री साहब बैठे है। खैर, यूडीएच मंत्री जी तो बैठे ही है। आज नगर और शहर पर चर्चा है। राजस्थान की सवा आठ करोड़ जनता के प्रति हम सबकी जवाबदेही है। एक कवि की कल्पना से मैं शुरू करूंगा। एक कवि जंगल से जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था तो एक पेड़ में आग लग गई, तो

कवि ने देखा कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं और वे जल रहे हैं। तो कवि ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष में जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। मैं यह सम्पूर्ण राजस्थान की बात कह रहा हूं। तो पक्षियों ने कहा कि फल खाएं इस पेड़ के पीठ लपेटी पाथ, अब जलना हमारा धर्म है इसी वृक्ष साथ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। विकास की बात करने की बजाय..

श्री सभापति: कौनसे विकास की?

श्री ललित यादव (मुण्डावर): प्रदेश का विकास, शहरों का विकास।

श्री सभापति: पड़ोसी की तो नहीं।...(व्यवधान)...

श्री ललित यादव (मुण्डावर): विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास सत्ता पक्ष वालों के उधर ही हो रहा है, इधर विकास आ नहीं रहा। विकास को पैदा होते हुए बहुत दिन हो गए। 14 महीने में तो विकास आपके यहाँ पैदा हो नहीं पाया, क्योंकि आपने तो केवल मजाक में 14 महीने निकाल दिए।

माननीय सभापति महोदय दो निगमों से एक करने का आप लोग काम कर रहे हो। दोहरा चरित्र आप लोग दिखाने का काम कर रहे हो। कहीं तो नई पंचायतें बना रहे हो, नई पंचायत समितियां बना रहे हो, और यहाँ दो से एक करने का आप काम कर रहे है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय अपनी स्थिति स्पष्ट करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय करीब 56 नगरपालिकाओं को आप समाप्त करने की बात, अखबारों के माध्यम से पता चली। भई, आप लोग कुछ बना नहीं रहे हो तो इनको खत्म तो मत करो कम से कम। जो चल रहा है उसको चलने दो, विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करो। चुनाव होना था, लेकिन आपने एक साल उसको आगे सरका दिया। मंत्री साहब ने कहा कि नवंबर में होगा। आपने तो संविधान के आर्टिकल 243 की भी परवाह नहीं की, जिसमें स्पष्ट है कि आप ना तो कार्यकाल घटा सकते हो, ना कार्यकाल ना बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संविधान को मानने वाले कहाँ हो। आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो जो कुछ करो वह करो। प्रदेश के बारे में कोई चिंता नहीं है।

माननीय समाप्ति महोदय पिछली सरकार में 13 लाख पट्टे देने का काम किया। मुझे यह कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि अब पट्टों की स्थिति यह है की पट्टा बनवाने के लिए गरीब आदमी जाता है, लोन लेना चाहता है, वह आपके दफ्तरों में चक्कर काट रहा है, उसको पट्टा नहीं मिल रहा है। वह 10-20 बार चक्कर काटता है फिर किसी से कर्ज लेता है, वो टेबल के नीचे से देता है, तो कहीं उसका पट्टा बनने की दिशा में आगे कोई बात होती है, तो माननीय सभापति महोदय, इस अवस्था को भी आप लोग सुधारने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री खर्रा जी, आपने फर्जी पट्टों की जिक्र किया था पिछले बजट सत्र के अन्दर, लेकिन 01 साल.... 14 महीने हो गए, आपने ना तो कोई फर्जी पट्टा पकड़ा, ना ही कोई बताया। मैं

चाहूंगा कि आप जवाब देंगे तो जरूर इस बात पर ध्यान देंगे, बताएंगे कि इन 14 महीने में आपकी रफ्तार कहाँ तक गई और आपने कौन-कौन से फर्जी पट्टे पकड़ने का काम किया, अपना वक्तव्य रखेंगे जब इस पर बताने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय अफसोस इस बात का होता है कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के पास में कोई फंड नहीं है, जाते हैं तो काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है और ना ही कोई कर्मचारी-अधिकारी वहाँ है। ईओ भी आपने भाड़े पर लाकर बैठा रखा है। आपने उसको डेपुटेशन किया हुआ है, वह काम नहीं करना चाहता। टेक्निशियन नहीं है, जेई नहीं है, स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि शहरी क्षेत्र में विकास हो तो इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी आप जरूर इस पर विचार करेंगे।

आपने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई कांग्रेस ने आप से छीन ली। यह बात सही है कि आपके शासन में चालू हुई, लेकिन उस समय टेम्पो में खाना आता था। लोग खड़े होकर खाना खाने का काम करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद बैठकर खाना खाने की व्यवस्था कराई गई। फिर दुबारा राज़ बदलते ही आपने 200 रूपये का पेंट लिया और फिर नया पेंट कर दिया और कह दिया। आप चाहें पेंट तो 200 का नहीं 100 रूपये का ही कर देते, लेकिन लोगों को सहूलियत देने का काम तो करें।

माननीय सभापति महोदय 14 महीने बीत जाने के बाद मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में एक भी कर्मचारी नहीं है। कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना तो पट्टा बन रहा है, ना सड़क बन रही है, ना स्ट्रीट लाइट मिल रही है, ना कोई सिटी बस हैं, ना कोई फायरब्रिगेड है, ना वहाँ साफ सफाई है, ना कोई ठेकेदार है, सब कुछ झोलम झोल चल रहा है और राम भरोसे काम चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से कहना चाहता हूँ की स्टाफ को लगाने का काम करें, जिससे जनता को राहत मिल सके, उनके काम हो सके। मुंडावर नगर पालिका अभी बनी थी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र है, भीड़भाड़ रहती है, वहां एक बाईपास बनाने का आप लोग काम करेंगे तो जनता को सहूलियत मिलेगी। नगर पालिका के भवन भी अभी तक नहीं बन पाए हैं, किराये के भवनों में चल रहा है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भवन बन जाए तो लोगों के लिए राहत का काम हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वार्डों का जो गठन हो रहा है उसमें बड़ी अनियमितताएं है। किसी गांव में तो वार्ड में वोट की संख्या 450 है, किसी गांव में उन्हीं वोट की संख्या 950 है, तो मेरा निवेदन है एक पैरामीटर बनाकर, 20-50 वोट कम-ज्यादा तो चल जाए लेकिन इतना बड़ा अंतर है, इसको मैं समझता हूँ कि आप इसको ठीक करवाने का आप काम करेंगे। नगरपालिका मुण्डावर और नीमराना दोनों जगह ही यह अनियमितताएं हैं, आप इनको ठीक करने का काम करेंगे।

VPS-RTM-07.03.2025-17.20-3g

माननीय सभापति महोदय, मुण्डावर कस्बे के अन्दर जो नाले बनाये हैं, वे सारे खुले पड़े हैं। उनमें भी दुर्घटना होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। नगरपालिका क्षेत्र नीमराना के अन्दर दो गांव जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है, सिलारपुर और नागौड़ी, ये गांव हमने भेज रखे हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि आप जोड़ने का काम करेंगे तो वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद में तोड़ने का आप लोगों का प्रयास चल रहा है, मेरा यह निवेदन है, मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि शाहजहापुर और बीजवाड़ जो सारे नोर्म्स फुलफिल करते हैं, तोड़ने की बजाए मेरे क्षेत्र में दो नगरपालिका और बनाएंगे तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा।

(समय: 17.20 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेरे प्रतापसिंहपुरा, नीमराना नगरपालिका के अन्दर पाइप लाइन टूटी पड़ी है, गांवों के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वहां पर वह सब ठीक करवाने का काम करें, जिससे कि लोगों को सही शुद्ध पानी मिल सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो पंचायतें जुड़ी थीं, नई नगरपालिका बनी, ग्राम पंचायत थी, अच्छा काम हो रहा था, सड़क भी बन रही थी, नाली भी बन रही थी और बाकी काम भी हो रहे थे, लेकिन नगरपालिका बनने के बाद उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा है और मेरा निवेदन आपसे यह है कि नगरपालिका की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लेकिन आप टैक्स पूरा लेना चाहते हो। आप टैक्स तो पूरा लो लेकिन सुविधाएं भी देने का काम करो। उनको बिजली के बिल के अन्दर फालतू पैसा देना पड़ रहा है, पट्टे की फीस फालतू देनी पड़ रही है। न बस है, न सफाई की व्यवस्था है। वह ठेकेदार है वह तो न जाने कहां पर मौज कर रहे हैं? किसकी व्यवस्था से लगे हुए हैं, राम ही जाने इस बात को तो। मेरा यह निवेदन है कि इसको भी आप ठीक करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ नगर परिषद बन गया और गांवों को जोड़ने का कोई एक तय पैरामीटर नहीं है तो मेरा यह अनुरोध है कि उसमें भी आपको तय पैरामीटर बनाकर उनको जोड़ने का काम करें। पिछले बजट में भी सरकार में भी बजट में पैसा स्वीकृत हुआ था करोड़ों में, उसका पता नहीं है, वह कहां पर लगा और अब फिर पैसा स्वीकृत हुआ है, वह न जाने कहां पर लगेगा तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस पर भी आप काम करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 2013 में वसुन्धराजी की सरकार थी तो पत्रकारों के लिए नायला में एक जगह चिह्नित की थी, जिसका पट्टा आज तक किसी को नहीं मिल पाया है तो मेरा यह निवेदन है कि आप इन पट्टों को भी बनवा कर देने का काम करेंगे। हमारी

सरकार थी तो हमने गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम किया लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि गरीबी वरदान है, गरीबी को वरदान बताया लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि गरीबी अभिशाप है, इसको मिटाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अगर वह गरीबी वरदान है तो माननीय सदस्य भी गरीबी की हालत में आकर जीवन जीने का काम करेंगे तो मैं समझूंगा कि सही मायने में उन्होंने सही कहा है। यहां आकर और जैसे रामायण, महाभारत हो रही हो, इस प्रकार का वक्तव्य रखा। एक भी उन्होंने क्षेत्र की बात नहीं रखी और इस प्रकार का भाषण देने का काम किया। मैं समझता हूं कि रामायण और महाभारत में बहुरूपिया का रोल करके जो लोग बोलते हैं, इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, गलत बोलते हैं और फिर मिनट-मिनट में माफी मांगते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि आप लोग जरूर इस बात को कहेंगे कि गलती एक बार होती है, बारबार नहीं होती। गलती करके तीन बार माफी मांगने का काम किया तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दुबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह आप लोग सदन में व्यवस्था देने का काम करेंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जिस प्रकार का घालमपेल प्रदेश में हो रहा है और विभाग में हो रहा है मेरे क्षेत्र में, उसमें अधिकारियों पर भी एक लगाम लगाने का आप लोग काम करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि विकास को और गति मिलेगी और यह सरकार जो काम करना चाहती है, वह काम हो पाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। आठ मिनट हैं आपको।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39- नगरीय विकास एवं आवासन व मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपका आभार।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना शहर में नगरपालिका है। दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को प्रस्तावित मास्टर प्लान को जारी करने के लिए आपत्तियां मांगी गयीं। मास्टर प्लान के सम्बन्ध में 299 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। मास्टर प्लान का सर्वे गत कांग्रेस सरकार के समय हुआ जो बिना खसरा इम्पोज मैप के जल्दबाजी में जारी किया गया। मास्टर प्लान में राजनीतिक द्वेषतापूर्वक कई किसानों की कब्जाशुदा कृषि भूमियों को पी.एस.पी.यू. के दायरे में लाया गया। डेगाना शहर के चारों ओर रिंग रोड एवं कटानी मार्ग के होते हुए भी क्षेत्र के किसानों की भूमि तथा पेट्रोल पम्प से रिंग रोड निकाली गयी तथा निजी भूमि पर बने वर्षों पुराने विद्यालय को पी.एस.पी.यू. के दायरे में लाया गया। रिक्त पड़ी भू-दान की भूमि को जानबूझकर ग्रीन बेल्ट के बजाए आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों एवं वर्तमान एवं पूर्व पार्षदों की एक टीम गठित करवाकर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करवाने का श्रम करें ताकि मास्टर

प्लान सही बने और क्षेत्रवासियों को भी स्वीकार हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना शहर की टोपोग्राफी बड़ी असमतल है और इस कारण से कई स्थानों पर बरसात का पानी भर जाता है तथा यहां पर नाला नहीं होने से गंदा पानी भी भर जाता है। विशेष तौर से पंचायत समिति के आस-पास, जयपुर-जोधपुर रेलवे लाइन के सहारे एवं रेलवे स्टेशन के सामने पानी भराव की समस्या बनी हुई है। गत कांग्रेस सरकार में समुचित बजट होने के बावजूद भी वित्तीय अनियमितता के कारण से नाले का निर्माण नहीं किया जा सका। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह है कि डेगाना शहर में बरसाती पानी एवं गंदे नाले के निस्तारण हेतु नालों के निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का श्रम करें ताकि बरसात आने से पहले नालों का निर्माण करवाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना शहर में नगरपालिका का गठन हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक नगरपालिका का कोई कार्यालय भवन नहीं है। हमारे पास नोर्म्स के अनुसार भूमि उपलब्ध है अतः माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि नगरपालिका के नवीन भवन के लिए दो करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का श्रम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत कांग्रेस सरकार के समय डेगाना शहर में पी.एच.ई.डी. की पानी की पाइप लाइनें बिछायी गयी थीं। ठेकेदार के द्वारा जगह-जगह सड़कों को खोद दिया गया एवं जिसे अभी तक पी.एच.ई.डी. द्वारा ठीक नहीं करवाया गया। इस समस्या को मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय के समक्ष भी ला चुका हूं, इसके लिए पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर नागौर को आप निर्देशित करें कि वह एक्स.ईएन., पी.डब्ल्यू.डी. के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इसकी जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा ठेकेदार को पुनः सड़क बनाने हेतु निर्देशित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना शहर में कोई बड़ा सामुदायिक भवन नहीं है। शहर में किसी भी आयोजन हेतु शहर के बाहर जाना पड़ता है। डेगाना शहरवासियों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न आयोजनों हेतु सामुदायिक भवन की अति आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह रहेगा कि नवीन सामुदायिक भवन के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत करने का श्रम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि पट्टों की अभी बात चली, शिविर लगाकर पट्टे देने आप शुरू करें और मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि तीन सौ गज तक के पट्टे तो पांच सौ रुपये या उससे कम में आप देने का आदेश निकालें, ताकि पहला-पहला जिसको भी नियमन किया जाता है, उसको आपको राहत देना जरूरी है, उसके बाद में तो ज्यों-ज्यों वह बिकता जायेगा तो उसकी पूरी स्टाम्प ड्यूटी आपको मिलेगी। इसके सम्बन्ध में आप इस तरह भी अधिकारियों को निर्देशित करें कि एक समय सीमा में वे पट्टा प्राप्त कर सकें।

मैं आपके संज्ञान में एक प्रकरण लाना चाहता हूं। जयपुर का ही यह प्रकरण है कि इसमें

सत्येंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जयपुर में जब प्रशासन शहरों की ओर, कांग्रेस के समय यह शुरू हुआ, उन्होंने पट्टे के लिए आवेदन किया। उसके बाद में 27 फरवरी, 2024 को भूखंड के नियमन की राशि जमा करवायी और आज डेढ़ वर्ष हो चुका है, अभी भी वह पट्टा उनको नहीं मिला है। यह सूरजनगर पूर्व में 67 नम्बर के प्लाट का पट्टा है और मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसी के चार प्लाट छोड़कर 72 नम्बर का पट्टा प्रशासन शहरों की ओर उसी समय जारी कर दिया गया था, लेकिन यह पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है तो मेरा माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह रहेगा कि आप अगले सप्ताह देखें और जो भी जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और कम से कम यह जो नगर निगम, हैरिटेज है, वहां से ऐसे अधिकारियों को हटायें और आप यह निर्देशित करें और हमें भी इसकी जानकारी कराये कि एक आवेदन अगर कोई पट्टे के लिए देता है तो उसको कितना समय लगेगा पट्टा लेने में? पांच दिन लगेंगे, दस दिन लगेंगे, पन्द्रह दिन लगेंगे? इसके लिए भी समय सीमा आप निर्धारित करें।

माननीय मंत्री महोदय, मेरी नगरपालिका भी अभी नई बनी थी और मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह बारबार कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हमारी नगरपालिका भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हमने नगरपालिकाएं तो बहुत बना दीं, उनकी आय बिलकुल नहीं है और मैं इसके लिए यह कहना चाहूंगा कि यू.डी.एच. विभाग क्या कर रहा है। उनकी भी तो यह ड्यूटी है कि वह आये, उसको देखें कि कैसे नगरपालिका की इनकम बढ़ायी जा सकती है। क्या वहां पर कॉम्प्लेक्सेज बनाये जा सकते हैं?

ssy/rtm/07.03.2025/17.30/3h

दुकानें बनाई जा सकती हैं, वहां पर मैरिज गार्डन बनाये जा सकते हैं, लाइब्रेरीज बनाई जा सकती हैं। केरल में इस तरह कि व्यवस्था है ग्राम पंचायतों के लिए कि जो ग्राम पंचायत की इनकम होती है, अगर किसी ग्राम पंचायत की इनकम साल में 25 लाख है तो सरकार उतना का उतना शेयर उसको और दे देती है। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि इस तरह के आप सेमिनार करें, ट्रेनिंग आप सब अधिकारियों को दिलायें और ऐसा प्रयास करें कि उन सबके कुछ ना कुछ इनकम हो। जो सी और डी ग्रेड की नगरपालिकाएं है वह जब इनकम करे तो उतना का उतना पैसा उनको दिया जाए।

इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नगरपालिका कार्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है, जैसे डेगाना के अंदर है, वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ कम से कम नगरपालिका के कर्मचारी आप लगाएं, ताकि उसकी व्यवस्था को बनाये।

अंत में, मैं, माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में लाना चाहूंगा कि आवासन मंडल के द्वारा कई भूमियां अवाप्त की गई जयपुर में, मानसरोवर योजना उसका उदाहरण है। आपने अवाप्त करके ले भी लिया, आप जमीन को यूज भी कर रहे हो, लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रकरण है, मेरे ख्याल से प्रदेश में हजारों प्रकरण हैं जिनमें अभी तक मुआवजा खातेदारों को

नहीं मिला है। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप यह तो बताइए कि कितने प्रकरण आपके ऑफिस में पड़े हुए हैं, आप उसके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और कब तक आप कार्यवाही कर दोगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत शासन और नगरीय विकास पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। जिस सदन में बैठकर के हम चर्चा कर रहे हैं, हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में निवास करते हैं। राजधानी में हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम रहता है तो हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखती जहाँ पर जल भराव नहीं रहता। इस जयपुर को बने इतने वर्ष हो गए और यह जयपुर बड़ा आकार लेता जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बारिश थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे हालात बन जाते हैं। कई बार तो ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं कि नौजवान, बच्चे, छोटे बच्चे नाले में बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह जयपुर का मानचित्र हमारी आँखों के सामने रहता है, फिर दुबारा कोई ना कोई विधानसभा का सत्र आता है और उसमें हम फिर नगर निकाय और स्वायत्त शासन की चर्चा करते हैं।

लेकिन इस बात कि चर्चा हम नहीं करते कि कैसा जयपुर हमको बनाना है, कैसी व्यवस्थाएं हमको करनी हैं, आज जयपुर में अगर आप दोपहर में निकल जाओ तो जाम कि स्थिति पूरे जयपुर में रहती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यही कांग्रेस शासन था, जो कांग्रेस शासन यहाँ पर मेट्रो लेकर आया है कि जाम से बचा जाए, कांग्रेस शासन ने, तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर ऐलिवेटेड रोड बनाये, भले ही भारत सेतू, हमारा एलिवेटेड रोड देख लें, जयपुर को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है।

आज जब हम चर्चा कर रहे हैं सदन में तो इस बात कि चर्चा आवश्यक है कि हम सब लोग यह तय करे कि जयपुर की बसावट और जयपुर का निर्माण अगर आगामी समय में होगा तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा आवश्यक है कि कैसे जयपुर आगे बढ़ेगा, कैसे राजस्थान का मानचित्र बनेगा, राजस्थान के शहर कैसे बनेंगे, राजस्थान के नगरों का विकास कैसे होगा?

आज हम नगर परिषद बनाते हैं, नगर पालिका बना देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नगरपालिका में आ जाता है, वह पट्टों के लिए चक्कर लगाता रहता है, दलालों के उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, पट्टे उसको नहीं मिलते हैं और वह हर जगह परेशान रहता है। नगर निकाय में जिसका घर है, ना पानी की सुविधा उसको मिलती है, ना सीवरेज लाइन की सुविधा उसको मिलती है, यह चर्चा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी शहरों में निवास करती है। शहर में रहने वाला व्यक्ति वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित रहता है, उसका जीवन जाम से लेकर हर स्थिति में परेशान रहता है। इसलिए इस बात को शामिल किया जाए कि हमें इस राजधानी को कैसे ठीक करना है, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे सुरक्षित करना है? भले ही बारिश का मौसम आए, कैसी भी तकलीफ आये लेकिन जयपुर सुरक्षित रहेगा, हमारे नगर सुरक्षित रहेंगे, हमारे नगर निकाय सुरक्षित रहेंगे, हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा। जन जीवन अस्त व्यस्त किसी भी मौसम में नहीं होगा, इस प्रकार की व्यवस्था और सुविधा हमको करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो दोनों निकाय है वह मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं, फिर भी तहसील के कुछ गांवों को जैसे रामपुरा, सांतवास, गौतम नगर, जाजे खुर्द, बिशनपुरा, अमरपुरा, खोरी, बिदारा, राजपुरा, मामटोरी खुर्द, नवलपुरा, शिवपुरी, प्रतापपुरा, मनोहरपुर, खोजावाला, लोचुकाबास, घासीपुरा, बावड़ी की ढाणी, कल्याणपुरा, उदावाला को जेडीए अपनी परिधि क्षेत्र में लेने की कार्ययोजना बना रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बे वासियों द्वारा भूमि संबंधी कार्य वहाँ स्थानीय निकाय में सम्पन्न करवा लिए जाते हैं, निकाय राजस्व उनसे लेता है, अगर यह जेडीए में शामिल कर लिया जाएगा तो हमारे भूमि संबंधी कार्य करना, करवाना उन लोगों के लिए चुनौती पूर्ण बन जायेगा। जब जेडीए अपने पूरे क्षेत्र को विकसित नहीं कर पा रहा है तो हमारे क्षेत्र के नये गांवों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को शहर में चक्कर काटना पड़ेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्य योजना में मेरे तहसील के गांवों को दूर रखा जाये। आज जेडीए द्वारा सिर्फ अवैध वसूली और बुलडोजर का पीला पंजा दिखाकर चौथ वसूली के अलावा कोई काम नहीं है। वह चौथ वसूली भी वहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि मेरे तहसील के जो गांव हैं, जिनकी कार्य योजना जेडीए में लेने की है, वह नहीं बने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो निकाय शाहपुरा व मनोहरपुर है। माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों शहरों में सीवरेज के अभाव में नालियों में गंदे पानी की निकासी हो रही है। आबादी के बढ़ने के साथ में जो नालियां हैं, वे गंदगी से अट जाती हैं। आपसे निवेदन है कि सीवरेज की व्यवस्था हमारे दोनों नगर निकाय में करें ताकि हमारे लोगों को निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी अव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे दोनों नगर निकायों में ऐसी स्थिति है और मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कई नगर निकायों में ऐसी स्थिति होगी जहाँ बंदरों के आतंक से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोग परेशान रहते हैं। नगर निकाय किसी को ठेका देते हैं तो वह 5-6 बंदरों को पकड़ कर के छोड़ देते हैं। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बंदरों के

काटने की और उनके आतंक से पीड़ितों की संख्या आये दिन बढ़ रही है। लोग आतंकित हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते है, लोग छतों पर अच्छे से नहीं घूम पाते हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसी कार्य योजना बने जिससे उनका शहर से दूर कैसे पुनर्वास किया जा सकता है, इस बात को लेकर के भी विशेष चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजस्थान के अधिकतर गावों में और हर जगह पर इस प्रकार के आतंक का माहौल बन चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खेजरोली ग्राम पंचायत हैं वहाँ के लोगों की डिमांड है, वहाँ 30 हजार से अधिक आबादी है, लोग चाहते हैं कि उसको नगर पालिका में क्रमोन्नत किया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई अनियमितताएं हैं, जैसे नगर निकायों में एनएचएआई द्वारा रोड के साथ रोड लाइटें लगाने के बावजूद कई रोड लाइटें निकाय द्वारा लगाई गई हैं, जिनकी कीमत अच्छी-खासी है, जिससे राजकोष को नुकसान हो रहा है।

मेरे विधानसभा क्षेत्र में रैन बसेरे की स्थाई आवश्यकता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। स्थाई रैन बसेरे के लिए आवंटन किया जाए। साथ ही जो आवारा मवेशी घूमते हैं, जिनकी वजह से भी लोग आतंकित रहते हैं, उनके लिए भी कोई योजना बने। विशेष रूप से नगर निगम की तर्ज पर नगर परिषद में पशु चिकित्सक का पद भी सृजित किया जाये, जिनसे उनका इलाज भी हो सके।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नगर निकायों में गरीब, मध्यम वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास रहवास की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी आवासीय कॉलोनियां विकसित की जायें ताकि लोगों को पक्का मकान मिल सके। मैं कहना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में 90ए, बिल्डिंग अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, पट्टा पत्रावली के आवेदन ऑनलाइन किये जायें। इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है। मेरा आग्रह है कि इनमें अधिक से अधिक पारदर्शिता की जाये। साथ ही इनको फीफो, फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट सिस्टम व्यवस्था के साथ लागू किया जाये।

विशेष रूप से, वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान सफाई में रहता है, जो आने वाले समय में भर्ती हो उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा, उनका पूरा कोटा होना चाहिए क्योंकि वह लोग दिन-रात लगकर के सफाई करते हैं। हम लोगो को अच्छा माहौल देने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बालमुकुंदाचार्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 8 मिनट हैं, 8 मिनट में सबको समाप्त करना है।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास, आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

spp/rtm/07.03.2025/1740/3j

और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है जहां के काम की जिम्मेदारी स्वायत्त शासन विभाग की है। जयपुर शहर की नगर निगम हैरिटेज के अधीन मेरा क्षेत्र आता है।

महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे जयपुर शहर को दो टुकड़ों में कर दिया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुन: एक किया जाये। पिछले कांग्रेस काल में कुछ क्षेत्रों का इस तरीके से तुष्टिकरण किया गया कि वहां पर विकास के नाम जीरो बटा जीरो रहा। जैसे बार-बार चर्चा आ रही है कि कोटा और जोधपुर को चमकाने का काम किया और सम्पूर्ण राजस्थान में न तो कहीं सड़क थी, न कोई डवलपमेंट था और जिस प्रकार से प्राधिकरण ने काम किया, वह हम सबको पता है कि जयपुर की सड़कों से लेकर जो भी सुविधा यूडीएच के द्वारा या नगर निगम या नगर पालिका में होती है, वह कहीं भी काम नहीं करा पाये।

परकोटा हमारा हैरिटेज है। जैसा पिछले माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर शहर अपने स्थापत्य कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों पूर्व बसे जयपुर के परकोटे की बसावट आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रही है तथा परकोटे स्थित ऐतिहासिक इमारतें जयपुर के पर्यटन की शान है और देशी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। परन्तु वर्तमान में परकोटे की स्थिति यह है कि इन ऐतिहासिक इमारतों को तोड़कर नयी इमारतें बनायी जा रही हैं और इनका जो हैरिटेज लुक था, वह खत्म किया जा रहा है। इससे राजधानी के पर्यटन पर वितरीत असर पड़ने की सम्भावना है। हैरिटेज इमारतों को तोड़कर नयी इमारतें बनाने से शहर का सौन्दर्य भी बिगड़ रहा है। सरकार एवं पुरातत्व विभाग को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर परकोटे में हो रहे इस प्रकार के निर्माण कार्य को तुरन्त रुकवाना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और जयपुर का वैभव बना रहे।

महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि हमारी पुरातत्व की धरोहरें, चाहे हवामहल हो या अन्य कोई स्थान हो, कई ऐतिहासिक धरोहरों के काफी अतिक्रमण कर दिया गया है। गुलाबी रंग की जगह कई जगह हरा रंग पोतने का पूरा प्रयास किया गया है। जयपुर की पहचान गुलाबी रंग है, कृपया वही बना रहे, यही निवेदन है।

पर्यटन का क्षेत्र भी है और आस्था का केन्द्र भी है और जयपुर को अपरा काशी भी कहा जाता है।

प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर को हिन्दुस्तान में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक आस्था की नगरी है। यहां के मन्दिर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं परन्तु इन मन्दिरों का वैभव बढ़ाने एवं इनका विकास करने की दिशा में सरकारों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। मैं अब उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री

भजनलाल शर्मा साहब और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे यूडीएच मंत्री खर्रा साहब, इनकी पूर्णतः मंशा सम्पूर्ण राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर और मंदिरा को नये स्वरूप में पुराने स्वरूप को बचाते हुए रखेंगे और उनका विकास होगा। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में मठ-मन्दिर हैं, वह आस्था के साथ एक पर्यटन केन्द्र भी है, उस तरीके से हमारे यहां भी डवलपमेंट किया जाये।

जयपुर शहर के नालों की स्थिति बड़ी बुरी है। बारिश के दिनों में जैसा अभी और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि शहर पूर्णतः डूबने लगता है और यहां का ड्रेनेज प्लान जीरो हो रहा है। मेरा यूडीएच मंत्रीजी से कहना है कि अधिकारियों को बोलें कि थोड़ा अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर शहर की स्थिति को जानने का प्रयास करें। ड्रेनेज प्लान को जानने का प्रयास करें। राजा-महाराजाओं के समय के ड्रेनेज प्लान बहुत बढ़िया था। आज थोड़ी सी बारिश आते ही शहर डूबने लगता है। नालों की स्थितियां बड़ी विकट है। मैं तो चाहूंगा कि जो बड़े नाले हैं, उनकी सफाई करवाकर उनको ढकवाया जाये और उनमें पेड़-पौधे इत्यादि बड़े-बड़े पेड़ खड़े हो गये, उनको निकलवाया जाये ताकि पानी सुगम तरीके से निकले और नालों के ऊपर की जो जगह है, उनका कोई और उपयोग भी हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तालकटोरे का जीर्णोद्धार कर बोटिंग शुरू करना चाहिये और वहां पर पर्यटक काफी संख्या में आते हैं।

जयपुर के ब्रह्मपुरी एवं कंवर नगर में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें। ड्रेनेज सिस्टम वहां का बिलकुल जीरो है। थोड़ी सी बारिश से काफी पानी भर जाता है।

प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर विश्वभर में विख्यात है। यहां शहर के मध्य में बहुत से ऐसे पार्क हैं जो देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जयपुर शहर में जयनिवास उद्यान, पौण्डरिक पार्क, तालकटोरा जैसे विख्यात उद्यान हैं जिनका विकास कर संरक्षण किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जयनिवास उद्यान, पौण्डरिक पार्क एक तालकटोरा शहर के मध्य में स्थित है और ऐतिहासिक महत्व के हैं। इन उद्यानों के पास ही विश्वविख्यात गोविन्ददेव जी का मन्दिर स्थित है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज आते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया जाये और पिछली सरकार में जिस प्रकार से इनमें करोड़ों रुपया लगा था और वह कहीं पर दिख नहीं रहा, उसकी जांच होने की आवश्यकता है। उन अधिकारियों की जांच होने की आवश्यकता है। वहां पर उन पार्कों में अध्यात्म से सम्बन्धित उसको डेकोरेट किया जाये। साथ में वहां पर योग केन्द्र भी खोले जाएं। इन पार्कों के साथ-साथ जयपुर शहर में जितने भी सामुदायिक केन्द्र हैं, वह जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि उन सामुदायिक केन्द्रों पर कब्जे भी हो रखे हैं, उनको अपने हाथ में लेकर उनको नये रूप में तैयार करें जिस प्रकार से महानगरों में होते हैं। नीचे पार्किंग होती है, ऊपर एक हॉल होता है, उसके ऊपर कमरें होते हैं, लिफ्ट होती है ताकि शहर के लोग अपने कार्यक्रम और उत्सव उसमें कर पायें और सरकार को उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो और उन

सामुदायिक केन्द्रों का सदुपयोग हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे शहर में पुराने पार्क हैं, उनमें तितली पार्क, मिनि चिडियाघर इत्यादि बना सकते हैं। पक्षियों के लिये स्थान बना सकते हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी जिस प्रकार से शहरों में पेड़ गायब हो गये, पक्षियों का बैठना बंद हो गया तो नई पीढ़ी, जो नये बच्चे हैं, या हमारे जो शहर के पक्षी हैं, उनको रहने को भी स्थान हो और उस स्थान पर काफी चहल-पहल हो और वहां प्राकृतिक वातावरण रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्मार्ट सिटी के किये गये कार्यों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपये के बजट केन्द्र सरकार का स्मार्ट सिटी के लिये मिला था जिसका कोई सदुपयोग पिछली सरकार में हुआ नहीं। स्मार्ट सिटी की हाल में स्थिति यह है कि बरामदे, जिनमें काम कराया गया था, वहां प्लास्टर गिर गये हैं और घटिया काम उसमें हुआ है। टॉयलेट्स की स्थिति यह है कि डिब्बे टूटे-फूटे पड़े हैं, उनकी स्थिति खराब है। स्मार्ट सिटी में पिछली सरकार के समय में हुआ था पैसे का दुरूपयोग हुआ था, उसकी जांच होने की आवश्यकता है। उन अधिकारियों की जांच होने की आवश्यकता है। भले ही वह ट्रांसफर कराकर इधर-उधर चले गये हों।

जयपुर सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत परकोटा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के काम किये गये, लेकिन जनता को फायदा कम ही मिला है। प्रोजेक्ट पर सैकड़ों रुपये खर्च किये गये हैं और उनकी स्थिति खराब है। स्मार्ट टॉयलेट डिब्बा बन गये हैं। स्मार्ट रोड भी अनुपयोगी साबित हो रही है। अधिकारी अपने मन की करते हैं। कभी इनकी गुणवत्ता की जांच करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट पर ध्यान दिया है। 800 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी परकोटे की स्थिति सुधार नहीं पाये।

गणगौरी हॉस्पिटल, तालकटोरा, जयनिवास उद्यान में विभिन्न कार्य और चांदपोल बाजार में बरामदों की मरम्मत का काम किया गया था। कुछ काम वर्तमान में चल रहे हैं। इन जगह पर मैं स्वयं मौके पर गया हूं और कई बार मैंने लाइव दिखाने का प्रयास किया है। इन सभी कामों में भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गईं। प्लास्टर गिर रहा है। यूनेस्कों द्वारा जयपुर शहर को खासकर परकोटे को विश्व विरासत माना था। परंतु कांग्रेस के पिछले पांच साल के शासनकाल में परकोटे की दुर्दशा कर दी गयी। परकोटे के रखरखाव पर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये केन्द्र सरकार के ले लिये। परंतु उनका भंयकर रुप से दुरूपयोग किया गया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

शहर के इस समय दरवाजे जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा परकोटे में व्यापार बढ़ाने के लिये व्यापार केन्द्रों को बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा गणगौरी अस्पताल हो या राधा गोविन्द कॉलेज हो या जय निवास उद्यान में जितने भी कार्य कराये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है, मैं कई बार पत्र भी दे चुका हूं

कि उन अधिकारियों द्वारा करवाये गये कामों की और जो बजट लगा है, कृपया उसकी जांच करायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र की नगर परिषद फतेहपुर और नगर पालिका फतेहपुर की ओर दिलाना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, आप भले आदमी हो, मंत्रीजी आप भले आदमी हो पर थोड़ा सा नीचे के स्तर पर अधिकारी हैं, उनकी थोड़ी मोनिटरिंग करो। फतेहपुर नगर परिषद में सीवरेज का काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था। एल एण्ड टी कंपनी के द्वारा काम हुआ था। वह बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा काम किया था। लेकिन अभी मोनिटरिंग न होने की वजह से शहर में हर गली में चैम्बर में पानी निकलता है और लोगों के घरों में पानी जा रहा है। मेरी आपसे एक ही अपील है कि डी एल बी के अधिकारियों को कहकर उस पर थोड़ा मोनिटरिंग करो कि सीवरेज की देखरेख करें। एक स्ट्रीट लाइट का कहूंगा। स्ट्रीट लाइट का माननीय मंत्रीजी पिछले सात साल से पूरा राजस्थान एक फर्म को झेल रहा था। इस फर्म का नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता सदन के अन्दर, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिकाओं में एक ही बात थी कि हमारे पास कोई पॉवर नहीं है स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने का और रिपेयर कराने का। अभी हमने एम एल ए कोटे से पैसा दिया था 15-15, 20-20 लाख रुपये कि चलो वह कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास कौन जाएगा? मैं खुद डी एल बी डायरेक्टर साहब से मिला था पिछली बार, तो उन्होंने उस टाइम यही कहा था कि एम एल ए साहब, कंपनी का काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब उस कंपनी का एग्रीमेंट खतम हो गया, उसका एम ओ यू खतम हो गया तो अब नगर पालिका और नगर परिषदों को दिया गया है कि नगर परिषद और नगर पालिकाएं अपने स्तर पर वह टेंडर करें। लेकिन उसमें शर्त ऐसी डाल दी है कि कोई छोटा-मोटा ठेकेदार तो काम ले ही नहीं सकता। और वही हाल हो गया दुबारा, कि बड़ी-बड़ी कंपनियां काम ले रही हैं और वह सब-लेट करके निकल जाएंगी और जनता फिर त्राहि-त्राहि करती रहेगी और अपना बिल देते जाएंगे और पैसा लेते जाएंगे। पब्लिक वहां परेशान रहेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मंत्रीजी नगर परिषद फतेहपुर में अभी एक टेंडर हुआ है स्ट्रीट लाइटों का तो उस स्ट्रीट लाइटों में टेंडर में मात्र एक फर्म शामिल हुई है और अन्य फर्मों को शामिल होने का मौका ही नहीं दिया। इसलिये आप उस पर ध्यान दीजिये कि एक ही फर्म शामिल कैसे हुई? आप इसकी जांच कराइये कि एक फर्म उस काम को कैसे ले सकती है?

jyg/rtm/07.03.25/17.50/3k

आप टेंडर लगाते हो तो दो-चार-चार फर्म तो आनी चाहिए तो इसलिए मेरा आपसे

निवेदन है कि उस स्ट्रीट लाइट के टेंडर की ओर ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ ठेले वाले, सब्जी या और कोई भी सामान बेचते हैं, गरीब मजदूर, 500 रुपये रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं और नगर परिषद, नगर पालिका वाले रोज आकर उनका ठेला उठाकर भगा देते हैं कि जाओ यहां से भागो यहां से, अतिक्रमण होता है हटाओ, शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, जगह बनाओ, रोडें खाली कराओ लेकिन उन ठेलेवालों का कोई स्थान तो चिह्नित करो कि आप इस जगह पर ठेले खड़े करके सब्जी बेचोगे, आप इस जगह पर ठेले खड़े करके और अन्य सामान बेचोगे, अब उनको यह जगह आप दे नहीं रहे हो और आप रोज ठेलेवालों को परेशान करते हो और दो दिन बाद अधिकारियों को कुछ न कुछ ले-देकर वो ठेले वापस वहीं के वहीं लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यह तो चौथ वसूली हो गयी, उस चौथ वसूली को माननीय मंत्रीजी बंद करो। यूपीए सरकार में ठेला लगाने वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया था लेकिन एनडीए सरकार ने इसे लागू नहीं किया। किसी भी शहर में ठेलेवालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जब सरकार का मन होता है तब इन्हें हटा दिया जाता है। नगरीय निकायों के अधिकारी ठेला लगाने देने के लिए इनसे वसूली करते हैं, सरकार इस नियम को लागू करे ताकि उन गरीब ठेले वालों को राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों की भर्ती कितने दिनों तक आप इसको सरकाते जाओगे, कैंसिल करते जाओगे, कैंसिल करते जाओगे, सफाई कर्मचारियों के वाल्मीकि समाज के लोगों के प्रमाण पत्र बनाने के कितने पैसे खर्च हो गये, मंत्रीजी, एक गरीब मजदूर ने ला-ला के पैसे और प्रमाण पत्र बनवाया और उसकी भर्ती हुई नहीं। एक और है, पिछली सरकार में भी यही था और अब भी यही है कि ठेका ले लेते हैं, ठेका मैं ले लेता हूं या कोई और ले लेता है, लेकिन काम नगर पालिका या नगर परिषद में उस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ही करना पड़ता है। उनको क्या मिलता है, आप और हम सब जानते हैं। ठेकेदार मोटी रकम लेकर अपने मजे कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप स्ट्रीट लाइट के अन्दर नियम डाल रहे हो, शर्तें डाल रहे हो तो सफाई कर्मी भर्ती या ठेके के अन्दर भी आप नियम डाल दो, शर्तें डाल दो कि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही ठेका ले सकता है, अन्य कोई ठेका नहीं ले सकता। ठेका मैं ले लेता हूं, सफाई मैं करता नहीं हूं, गंदे नाले के अन्दर मैं जाता नहीं हूं, चैम्बर के अन्दर मैं जाता नहीं हूं, चैम्बर के अन्दर जाता है वाल्मीकि समाज का आदमी, वो ही मरता है वहां और ठेके का पैसा, मजदूरों का पैसा ठेकेदार लेकर जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में पिछली सरकार ने विधायकों को फ्लैट दिये थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी उसमें फ्लैट लिया था, उसका हाउसिंग बोर्ड ने 1 लाख 65 हजार रुपये पर फ्लैट की कॉशन मनी ली थी कि आपकी जब सोसायटी बना दी जायेगी, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं ये भी उसमें शामिल हैं, सारे हम शामिल हैं, आज उस बिल्डिंग,

अरावली एन्क्लेव की यह हालत हो रही है कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, यह हालत है। हाउसिंग बोर्ड के पास गये तो हाउसिंग बोर्ड को कहा कि 1 लाख 65 हजार रुपये पर फ्लैट के पैसे दिये, तकरीबन दो करोड़ रुपये के समथिंग, वो कहां है, तो वो दो करोड़ रुपये भी वो कह रहे हैं सारे खर्च हो गये। अब कहां खर्च हो गये, यह उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। कहते हैं साहब मेंटीनेंस में हो गये। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: साफ-सफाई भी नहीं हो रही है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अर तो म्हारा बाप, हाउसिंग बोर्ड हाळा न पकड़, ब बैठ्या है जखा न पकड़, थे बानै पकड़ो, म्हाने पकड़ कर कै करस्यो? हाउसिंग बोर्ड में म्है नौकरी करां हां कै? अयां बैठ्या-बैठ्या एलिगेशन लगाण स कोनी होवे, बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं अधिकारयां क चाबी कसस्यो न जद होसी काम, अयां बैठ्या-बैठ्या थे-थे कर डेढ़ साल तो काढ़ दी और दो साल काढ़ देस्यो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बिल्डिंग की तरफ माननीय मंत्रीजी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड का ध्यान दिलाया जाये। मेरी मांग है कि नगर परिषद बने हुए तीन साल हो गये लेकिन उसका भवन अभी तक नहीं बना है इसलिए फतेहपुर नगर परिषद के भवन के लिए बजट दिया जाये। नगर पालिका रामगढ़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती है, उसमें न ईओ है, न जेईएन है, न एईएन है, न कोई बाबू है, मात्र तीन-चार कर्मचारियों के भरोसे नगर पालिका चल रही है। माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां नगर पालिका में कर्मचारी लगायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ में नया बस स्टैंड पर पानी भरता है, वहां श्मशान घाट भी है, स्कूल भी है, नगर पालिका का भवन भी है, आये दिन वहां पानी भरा रहता है, नगर पालिका को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास न हमारे पास जेईएन है, न हमारे पास एईएन है, तो रामगढ़ शेखावाटी के उस बस स्टैंड का होना न होना बराबर हो गया। लोग श्मशान घाट जाते हैं, अर्थी लेकर के, कब्रिस्तान भी उसी जगह है, वहां जाते हैं तो उस पानी में से लोग गुजरते हैं, एक आदमी अर्थी लेकर पानी के अन्दर से जा रहा है, इससे बडी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मेरी आपसे अपील है कि आप अधिकारियों से कहकर उसकी व्यवस्था करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों वाली भर्ती है उसमें वाल्मीकि समाज को ही महत्व दिया जाये, वाल्मीकि समाज को ही लिया जाये, यह मेरी अपील है। मेरे फतेहपुर शहर में वाल्मीकि समाज के दो मोहल्ले हैं उनमें अम्बेडकर भवन बना दिया जाये। पिछली सरकार ने दो भवनों के लिए बजट अलॉट किया था, 50-50 लाख रुपये, एक रामगढ़ में और एक फतेहपुर में वो दो बन गये लेकिन और दो मोहल्ले रह गये तो आप बजट की व्यवस्था करो क्योंकि उनको कोई शादी-ब्याह के लिए भवन नहीं देता है इसलिए उनके लिए भी भवन की व्यवस्था की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

लेकिन वो ही है समय, 9 बजे तक सब बोल लें, 9 बजे मंत्रीजी अपना रिप्लाई करेंगे और जो रह जायेंगे वो रह जायेंगे। ...(व्यवधान)... मैं बैठा रहा तो सभी के लिए पूरा होगा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 39 – नगरीय विकास एवं आवासन व

40 – स्वायत्त शासन पर विचार

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39 एवं मांग संख्या 40 पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय पर हम जो कोटा में रहते हैं, हमें बदनाम किया जाता था कि हम सारे विकास के कार्य अपने क्षेत्र में ले जाते हैं पर बहुत दु:ख के साथ मुझे बार-बार कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकार में कोटा का मतलब सिर्फ कोटा उत्तर था, लाडपुरा और कोटा दक्षिण उनके क्षेत्र में नहीं आता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी कोटा उत्तर के बाहर निकलकर विकास की सोचते तो आज लाडपुरा में भी विकास के नये आयाम स्थापित होते। मैं शायद महिला विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, इस वजह से इतना भेदभाव किया था मेरे क्षेत्र के साथ और मैं चार लाइनों के साथ मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी,

स्त्री नहीं हो असुरक्षित,
न ही समाज में असमता का स्थान रहे,
न विखण्डन, न विभाजन रहे,
(जो पूर्ववर्ती सरकार में हमारे साथ किया गया।)
समग्र यह राजस्थान रहे, राष्ट्र की शान रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के लिए मैं थोड़ा बताना भी चाहती हूं कि तथ्य के साथ कि मैं यह क्यों कह रही हूं। जो मेरे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं थीं, उनको भी मेरे क्षेत्र में नहीं दिया गया और मेरा क्षेत्र उनसे वंचित रहा। चाहे रोड हो, नाले हो और कोई भी ऐसा कार्य हो, लाडपुरा में नहीं किया गया। जहां आबादी नहीं थी वहां तो सीसी रोड बनाये गये,

चौराहे बनाये गये, यहां तक कि एक ऐसा फ्लाई ओवर बनाया गया, हमारे पूर्व मंत्रीजी तो बहुत विद्वान है किसी ने शायद उनको समझाया नहीं, एक अजूबा जैसा वहां पर बनाया गया है कि आप उस फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं और वापस उसी स्थान पर पहुंचते हैं तो यह पता नहीं किस लक्ष्य से यह फ्लाई ओवर बना, मैं तो उसको अजूबा ही कहती हूं। ऐसे बड़े-बड़े चौराहे बने हैं जो आपको आर-पार की जो ट्रैफिक आ रही है वो भी दिखायी नहीं देती है, मेरे ख्याल से एक हैजर्ड है किंतु करोड़ों रुपये खर्च किये गये। ऐसे ही बजरंग नगर एरिया में प्रगति स्कूल से 80 फुट रेलवे क्रोसिंग तक 6 करोड़ की लागत से निर्माण प्रस्तावित था एक नाले के लिए परंतु सीधे कोटा उत्तर तक जहां नाला था, वहां तक का निर्माण नहीं किया गया और डेढ़ करोड़ की राशि उस पर खर्च की गयी, बाकी एरिया क्योंकि लाडपुरा वहां से शुरू होता था तो वो छोड़ा गया। कहने के लिए दो नगर निगम बनाये गये, क्षेत्र को बांटा गया और ऐसे वार्ड बनाये गये ताकि उनके बोर्ड बने। मेरे क्षेत्र में कोटा दक्षिण के 18 साउथ में 5330 का वार्ड है और एक वार्ड है जिसमें 12307 वोट है तो कोई बैलेंस नहीं था, केवल एक द्वेषता के साथ ये वार्ड बनाये गये। सीवरेज की बात करें तो मेरे पहले भी वक्ताओं ने सीवरेज के बारे में बहुत बातें कही हैं, समय का अभाव है इसलिए दोहराना नहीं चाहती हूं पर कोटा दक्षिण के विधायक ने कहा कि तीन-तीन इंच सड़क से ऊपर है, मेरे यहां तो एक-एक फुट रोड के ऊपर सीवरेज के चैम्बर हैं, आये दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं और हमें बोला जाता है कि अब वो तो फेज वन का कार्य था, हो गया, वो एजेंसी चली गयी, अब फेज 2 में देखेंगे। जनता वहां की परेशान हो रही है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पहले वहां पर भूखण्ड आवंटित किया गया, जिसको 2016 में आवंटित किया गया।

MLS/RTM/07.03.2025/18:00/3l

इसके लिए 8 जुलाई, 2016 में 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये जमा भी किये गये और इसकी रजिस्ट्री भी की गयी और इसका कब्जा भी दिया गया, पर जैसे ही इनकी सरकार आयी, फिर उन्होंने 2020 में इस भूखण्ड की जो रजिस्ट्री थी, उसको निरस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, मैं मांग करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कोटा में खुले और जो यह निरस्त किया गया है, इस भूखण्ड को बहाल करने की मैं मांग रखती हूं और इसमें शायद हमारे विधि मंत्री का भी आपको सहयोग मिले तो बहुत अच्छा होगा और जल्द से जल्द हमारे यहां एक बहुत शानदार कार्यालय खुल जायेगा।

ऐसे ही स्मार्ट सिटी का पैसा, अब स्मार्ट सिटी का पैसा जितना आया है, उसका अगर अच्छे से यूज़ करते, सदुपयोग होता और कोई जन कल्याणकारी योजना लाते तो हम कुछ मानते, पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का जो चम्बल रिवर फ्रंट बना उस राशि से, उस राशि का दुरुपयोग हुआ। रिवर फ्रंट की बात करें तो अब वहां सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और यह पूरा भार केडीए पर है, जो लगभग डेढ़ से दो करोड़ का भार उन

पर है और वैसे ही पहले से उन्होंने लगभग 700-800 करोड़ का घाटा छोड़ रखा है केडीए में, ऊपर से अब इनको इस रिवर फ्रंट की सफाई भी करनी पड़ रही है।

मैं यह मांग करती हूं कि आप इसमें जरूर देखें की अगले फेज में अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो कोई जनहित में कार्य करें तो सबका भला होगा और उस टाइम भी अगर इस रिवर फ्रंट को शायद डाउन स्ट्रीम ले जाते, केशव राय जी मन्दिर के वहां बनाते तो भला होता, पर उनको शायद मन्दिर के नाम से एलर्जी है तो वो मन्दिर के चक्कर में वहां ये रिवर फ्रंट नहीं बनाना चाहते थे। मन्दिर से एलर्जी से यह ध्यान आता है कि जहां मन्दिर होता है, वहां उनको कचरा का पॉइंट बनाना दिखता है। मन्दिर के पास में कचरा का पॉइंट बनाना। पहले ही ये दाढ़ देवी मन्दिर के पास बनाना चाह रहे थे और मैंने उसको रोका। अब स्टेशन से मेन रोड कोटा का, वहां जिंद बाबा का मन्दिर है। वहां वो कचरा पॉइंट बना रहे हैं और मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि वहां आप प्लीज़ इस कचरा पॉइंट को शुरू नहीं होने दें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष जी, मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूं, महिला दिवस है कल तो आप महिलाओं को थोड़ी छूट दे दीजिये।

श्री अध्यक्षः सब बराबर हैं। महिला दिवस कल है, कल दे देंगे। कल आ जाना आप।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा)ः इन्होंने बहुत-बहुत ढिंढोरा पीटा कि पट्टे वितरण के कैम्प लगे। मैं असलियत आपको बताना चाहती हूं कि मेरे यहां लगभग 65 कॉलोनियां हैं, जहां कैम्प लगाकर उन्होंने करा, पर केवल लगभग 10 हजार 364 तो आवेदन थे और मात्र उन्होंने 2 हजार 912 ही पट्टे आवण्टित किये। मैं मांग करती हूं, ये जो शेष 7 हजार 452 बच रहे हैं और अब तो और भी हो गये होंगे, मंत्री जी से निवेदन है कि दोबारा कैम्प लगाकर पट्टे वितरित करने का कार्य करें।

ऐसे ही यहां आपकी टाउनशिप पॉलिसी बनी है, मास्टर प्लान है और सुओ मोटो के सब नियम हैं, पर इन सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कृषि भूमि पर अनऑथोराइज्ड ये कॉलोनी काटकर बिना कन्वर्जन किये प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि जो पिछली सरकार में ऐसी कॉलोनीज़ को स्वीकृति दी गयी है, इनकी आप दोरा जांच करें।

श्री अध्यक्षः हो गया आपका।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा)ः नहीं, नहीं। 'Cities are where dreams are made and futures are forged.', अर्थात् शहर वह स्थान है, जहां सपने बनते हैं और भविष्य गढ़ा जाता है और मैं धन्यवाद देती हूं मुख्य मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि लाडपुरा के जो अधूरे सपने थे, उन्होंने आते ही पहले साल में इतना कुछ दिया है, जिससे हमारे सपने पूरे हो सकें।

श्री अध्यक्षः वाइंडअप करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं हमारे क्षेत्र की सिर्फ डिमांड

बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: इतनी देर डिमांड ही बोलते न।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): नहीं, अब बोल रही हूं। झालावाड़ रोड कोटड़ी से दाईं मुख्य नहर के सहारे स्टील ब्रिज तक, ठेकड़ा पुलिया से डीसीएम चौराहे से डीसीएम गैस्ट हाउस तक, दाईं मुख्य नहर के सहारे के पुराने दाढ़ देवी तक सड़क निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे ही, बोरखेड़ा क्षेत्र में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाये। लाडपुरा में फायर स्टेशन की बहुत जरूरत है। इसकी भी आपके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाये। देवली रोड पर एक स्मृति वन है, जो कई सालों से बन्द पड़ा हुआ है और दो विभागों के बीच में तालमेल नहीं बैठने की वजह से ये वन जनता के लिए नहीं बना पा रहे हैं तो मेरी मांग है कि इसमें आप खुद इंटरफियर करके करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मोदी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष जी, मैं टेबल कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष: हां, जिसका बच जाता है, वह टेबल कर दे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द। मैं टेबल करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: यह सबके लिए है। जिनको समय से ज्यादा बोलना है, वे टेबल कर दें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नीम का थाना में डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समय रेलवे के फाटक नम्बर 76 पर एक ओवर ब्रिज बना। वहां फाटक पर पहले एक साइड में दो तरफ से सड़कें आती थीं, लेकिन आरओबी सिर्फ एक साइड की सड़क पर बना। दूसरी साइड की जो सड़क है, उस पर बहुत बड़ी आबादी, दूसरे जिले के और क्षेत्र के लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन है, पुलिस थाना है, वे सब उस आरओबी से फायदा नहीं उठा पाये, उलटा उनको नुकसान हो गया। वहां अंडरपास एक बना, उसमें भी एक ही बॉक्स बना, जबकि उसमें दो बॉक्स डलने चाहिये थे और उसमें भी सीढ़ियां बनेंगी, ऐसा उन्होंने प्रोविजन रखा।

जनता ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने जन प्रतिनिधियों ने मांग की तो रुडसिको जो एजेंसी थी, ठेकेदार तो काम करके रेलवे का चला गया था, लेकिन बाद में रुडसिको जो एजेंसी थी, उन्होंने उस पर सीढ़ियों की जगह रैम्प बनाने की स्वीकृति दे दी। अब उसके लिए कुछ जमीन एक्वायर की जानी थी। वो प्रस्ताव सारे बनकर एक अधिकारी के पास, एसडीओ के पास रखे हैं। डेढ़ साल हो गया, वह उस जमीन को एक्वायर करने का काम पूरा नहीं कर रहा और जनता को इससे बहुत बड़ी दुविधा हो रही है, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस काम को आप प्राथमिकता देते हुए जल्दी से पूरा कराएं, जिससे जनता को इसकी सुविधा मिल सके, जमीन का उसका कब्जा

दिलाएं, अधिकारी को निर्देशित करें और उसके खिलाफ़ इतनी लापरवाही करने के लिए कार्यवाही भी करें।

मंत्री जी, आप अच्छे, मजबूत और ईमानदार नेता हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। यह मामला आपके संज्ञान में भी होगा, मेरा आपसे निवेदन है कि इसे जरूर पूरा कराएं और मेरे यहां के क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी को इससे राहत दिलाएं।

मेरे यहां नगर परिषद् बनी और आपकी सरकार बन गयी। सरकार ने ईओ का ट्रांसफर कर दिया, जितने और कर्मचारी थे, सबका ट्रांसफर कर दिया। आज एक जेईएन के भरोसे मेरी नगर परिषद चल रही है। एकाध कार्यालय में और कर्मचारी हैं, बाकी पूरी नगर परिषद खाली है। ट्रांसफर आपका अधिकार है। आप कम से कम उन कर्मचारियों की जगह दूसरे कर्मचारी लगाओ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर सम्बोधित करें। सीधे मंत्री जी को नहीं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): जिसके भी कहने से लगाओ, लगाओ, लेकिन कम से कम जनता को ऐसा लगना चाहिये कि नगर परिषद् में भी सरकार बैठी है। आपकी सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरपंचों और पंचों की एक कमेटी बनाकर उन्हें व्यवस्था सम्भलायी। मेरा आपसे निवेदन है कि यही व्यवस्था आप नगरपालिका और नगर परिषद में भी करें। जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है और वह जनता को सरल सहज उपलब्ध भी रहता है। कृपया इस पर विचार करें और अगर यह ठीक लगे तो पंचायतों जैसा ही निर्णय आप नगरपालिका और नगर परिषद पर भी करें।

मंत्री जी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती लम्बित है। बार-बार उसकी प्रक्रिया बदलती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारी के पद पर सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाना चाहिये, क्योंकि सफाई यही लोग करेंगे, अगर आपने दूसरों को भर्ती किया तो सफाई नहीं होगी। मेरे यहां सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट एसटीपी लग चुका है, 12 महीने हो गये उसको लगे हुए, अभी तक वह चालू नहीं हुआ है, कृपया उसे चालू कराने की कृपा करें।

मंत्री महोदय, मेरे नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार होना है और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन जिस तरह के प्रस्ताव चल रहे हैं, उससे व्यवस्थाएं सुधरने की जगह बिगड़ेंगी। कृपया कोई ऐसी नीती बनाएं कि नगरपालिका की वर्तमान सीमा से इतने किलोमीटर का क्षेत्र हम नगर परिषद में शामिल करेंगे, तब तो वह ठीक रहेगा और नगरपालिका, नगर परिषद् सही बनेंगी और वहां पर सुविधाएं भी ठीक ढंग से दी जा सकेंगी।

MKD/RTM/07.03.2025/18:10/3m

महोदय, मेरे क्षेत्र में कोई नैचर पार्क नहीं है, जहां शहर के निवासी सुबह शाम जाकर सैर कर सके एवं ऑक्सीजन ले सकें। पेड़ों और ऑक्सीजन की महता और उपयोगिता हम सब लोग कोविड में समझ चुके हैं। नीम का थाना शहर के पास पंचायत समिति की एक नर्सरी

की जमीन है जो खुर्द-बुर्द होती जा रही है। अगर उस जगह नैचर पार्क बना दिया जाए तो बहुत ठीक रहेगा। मेरे यहां नीम का थाना के बाद पाटन एक बड़ा कस्बा है, वहां पंचायत समिति भी है और तहसील भी है, चारों और से सड़कों से कनेक्टेड है। मेरी मांग है कि इसे नगर पालिका बनाया जाना चाहिए।

मेरे इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में केवल एक नगर पालिका नीम का थाना है। अतः नई नगर पालिका बनाया जाना हर लिहाज से उचित है।

कृपया मंत्री जी, जो रैम्प का काम, अंडरपास का मैंने आपको बताया, सिंगल बॉक्स का, अगर आप उसको डबल बॉक्स करा दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आरओबी को भी आप ठीक ढंग से दूसरी तरफ और उतरवा दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हालांकि, इन दोनों काम में समय लगेगा, लेकिन अगर इनकी शुरुआत की जाए, तो नीम का थाना की जनता की बहुत अच्छी शुरुआत होगी।

डबल बॉक्स अंडरपास का बने और आरओबी दूसरी तरफ भी उतरे, अगर आप यह व्यवस्था कर दें तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मांग संख्या 39 और 40, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

विगत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया। 5 साल में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया। भूमि के बदले भूमि मुआवज़े के रूप में, उन्होंने दबाकर भ्रष्टाचार किया। सस्ती जमीन अवाप्त करके महंगी जगह मुआवज़े की राशि दी गई। नियम यह एकता है, जहां भूमि अवाप्त हो, उसी में मुआवज़े के रूप में विकसित भूमि दी जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 साल में भ्रष्टाचार, हर जगह लूट, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार में अधिकारियों ने जहां भ्रष्टाचार किया, भीलवाड़ा और पूरे राजस्थान में इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिह्नित कर एसीबी में उनकी जांच होनी चाहिए।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में हजारों पट्टे जारी कर दिए गए। आवेदक पात्रता ही पूर्ण नहीं करते थे, लेकिन पट्टे जारी कर दिए। किरायेदारों को लीज डीड जारी कर दी गई, जिनका नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं था। सरकारी भूमि पर पट्टे जारी कर दिए, कूटरचित दस्तावेजों से फर्जी पट्टे जारी कर दिए। एक ही भूखंड के दो-दो पट्टे जारी कर दिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरा सरकार

से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक विकास को रोकने का काम किया। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की गंगा बही है।

मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकसित जहाजपुर, विकसित राजस्थान और विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिया है, उसी तर्ज पर विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

मुख्य मंत्री जी ने जहाजपुर में खेल स्टेडियम दिया, रोडवेज बस स्टैंड दिया। चावण्डा से न्यू चौक तक हाई लेवल पुलिया, 15 करोड़ की सड़क दी है। हमको उप जिला अस्पताल दिया, 100 बेड से 200 बेड किया गया। कन्या महाविद्यालय खोला गया। स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल दिया गया है। बजट घोषणा में फल एवं सब्जी मंडी स्वीकृत की गयी। पेयजल हेतु अमृत मिशन 2 में पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे बजट को रोकने का प्रयास किया, 4 साल तक काम नहीं किया, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने आते ही, हमारी सरकार ने आते ही 10 करोड़ रुपये अमृत मिशन 2 में स्वीकृत किए। जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनजाति छात्रावास खोला गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरी जहाजपुर की जनता की ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की डिमांड्स भी रखना चाहता हूं। जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हमारे लोगों से पट्टों के नाम पर पैसे वसूले गये। शिवजी नगर में, 20-22 लोग ने पूरे पैसे जमा करा दिये, लेकिन उनको आज तक पट्टे जारी नहीं किये। मैं उनको नियमानुसार पट्टे जारी कराने की मांग करता हूं।

कोमचा बस्ती में कुछ गरीब किसान भाई थे, गरीब लोग, उनके 17-18 परिवारों को अतिक्रमण बताते हुए, उनका अतिक्रमण हटा दिया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन हैकि गरीब लोग हैं, एससी जाति के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, उनके रहने की जगह नहीं है, लेकिन द्वेषतापूर्वक उनको अतिक्रमण बताकर हटा दिया। उनको नियमानुसार डीएलसी रेट पर जैसे घुमंतू को दिया, मैं उसी तर्ज पर पट्टे जारी करने की मांग करता हूं।

मैं जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में पेंशनर्स समाज को नि:शुल्क पट्टा देने की मांग करता हूं, उनको नियमानुसार पट्टा जारी करें। अवैध अतिक्रमण जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में हटाए जाएं। मिट्टन शाह बाबा के आसपास अवैध अतिक्रमण कर रखा है, मजार के पास अतिक्रमण कर रखा है, उधर नागरी बांध के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। श्मशान रावतखेड़ा से जहाजपुर जाने वाला रास्ता जहां कब्रिस्तान के नाम पर, उन्होंने 20-25 बीघा में अवैध अतिक्रमण कर लिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से आम रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए।

ग्राम पंचायत, कोटड़ी उपखंड मुख्यालय स्तर का कस्बा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 हजार की आबादी है और मापदंड के अनुसार वह नगर पालिका बनने लायक है। मंत्री जी से मेरी मांग है कि इसी बजट में आप वहां नवीन नगर पालिका घोषित करें। इसी तरह ऊंचा ग्राम पंचायत, हनुमान नगर, कुचलवाड़ा खुर्द तीनों गांवों को मिलाकर नवीन नगर पालिका घोषित करने की मैं मांग करता हूं।

वहां का सारा रेवेन्यू देवली नगर पालिका क्षेत्र में जाता है। वहां विकास के काम बिलकुल नहीं हो रहे हैं। उन लोगों से जो पैसा वसूला जा रहा है, वह देवली में जा रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है।इसलिए ऊंचा ग्राम पंचायत को नवीन नगर पालिका घोषित करने की मांग करता हूं।

इसी तरह मेरे जहाजपुर कस्बे का नाम पूर्व में यज्ञपुर था। हमारे नगर पालिका बोर्ड और क्षेत्रवासियों की मांग है कि अंग्रेज आक्रांता आए और उन्होंने यज्ञपुर का नाम जहाजपुर कर दिया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव भिजवाया गया है। मैं जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में एक नागदी नदी है, पौराणिक नदी है, उस नदी का सौंदर्यीकरण करने की मांग करता हूं। जहाजपुर में एक पौराणिक किला है, मैं उस किले का भी सौंदर्यीकरण करने की मांग करता हूं।

मेरी डिमांड्स रखता हूं। जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में हमारे देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए हमको बजट दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए एक भी मकान पास नहीं होने दिया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जहाजपुर में जो पात्र लोग हैं, 1500-1600 की लिस्ट है, मैं वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने की मांग करता हूं।

वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, एजेंसी के मार्फत संविदा पर जो लगे हुए हैं, उनको हटाया जाए। उनको सीधा लाभ दिया जाए। वाल्मीकि समाज के ज्यादा से ज्यादा परिवार को नौकरी देने का काम करें और उनको मौका मिले। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके नाम से दूसरे लोग ठेका लेकर काम करते हैं, तो वाल्मीकि समाज को भी मौका मिलना चाहिए।

हमारे लिए वे सेवा का काम कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं वाल्मीकि समाज के लिए जहाजपुर नगर में सामुदायिक कम्यूनिटी हॉल के लिए भूमि आवंटन करने की मांग करता हूं।

कल्याणपुरा वार्ड, राजनीतिक व्यवस्था से कांग्रेस सरकार ने, वह एक माइनोरिटी का वार्ड है, कांग्रेस का वार्ड बनाने के लिए उसको ग्राम पंचायत से लाकर शहर में डाल दिया और बीच में ग्राम पंचायत का एरिया आता है। मेरी मांग है कि पुनर्सीमांकन चल रहा है, उस वार्ड को वापस ग्राम पंचायत में डाला जाए, ताकि हमारे वार्ड बन जाए।

मेरे जहाजपुर की और डिमांड्स हैं। नगर पालिका क्षेत्र में किसानों के आने जाने की

सुविधा, वहां ठहरने की व्यवस्था, किसान भवन का निर्माण करने के लिए, आउटडोर इंडोर बनाने के लिए मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री विकास चौधरी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, मांग संख्या 39- नगरीय विकास एवं आवासन और मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन पर चर्चा के लिए मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे नेता, प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब को, जो हर विषय पर हमें यहां अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करते हैं।

सभापति महोदय, इस विभाग के कर्णधार वाल्मीकि समाज को इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं प्रणाम करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारे शहरों को स्वच्छ रखने का काम वे लगातार कर रहे हैं।

मैं मांग करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि वाल्मीकि समाज के कार्मिकों को लगातार कम वेतन दिया जा रहा।

Bhs/Rtm/07.03.25/**18.20/3n**

और जब उनके परिवार में किसी प्रकार का सावा आता है या दुख-सुख की बात होती है तो उनको ऋण हेतु बैंको में चक्कर काटने पड़ते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहरों को स्वच्छ रखने वाले कार्मिकों के लिये वाल्मीकि कल्याण कोष की एक स्थापना की जाए ताकि वह दर-दर ना भटके। मैं आप से आह्वान करता हूं। संविदा पर लगे कार्मिकों का भुगतान समय पर हो, पी.एफ. और ई.एस.आई. कटौती पर उनके खाते में नियमित रूप से जमा करवाया जाये। मुझे पता है कि मैं जिस जगह रहता हूं वह आये दिन में ये लोग धरने पर आते हैं। पूछता हूं, क्या बात हुई? कि हम सुबह से लगातार काम करते हैं लेकिन जब वेतन की बात आती है तो वेतन हमारे को नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदकर पानी पीते हैं इन लोगों को यदि वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे आपकी विकसित भारत की संकल्पना परिभाषित होगी? इसलिए वाल्मीकि समाज का विशेष आप ध्यान रखें।

सभापति महोदय, मैं सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ पर आता हूं। ...(व्यवधान)... मैं आज कोई ज्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं, ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं और मैं कह सकता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शान्त रहें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मिनट। ईमानदारी तो पहले थी पर उधर जाने के बाद वो गड़बड़ हो गयी। वापस ठिकाने आ जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। वापस अपने धरातल पर आ जाओ।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको रोका जाये। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि जो मंत्री हैं, इतने आप मंत्री लोग हो, इतने मंत्री लोग हैं उनमें से सबसे कोई खरा जवाब देता है तो उनका नाम आदरणीय खर्रा साहब है, इसलिए हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं एक जिम्मेदार और जवाबदेह जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा पर सरकार भी जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी हो, यह आशा करते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर आमजन को राहत देने के लिए कैंप लगाकर पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की थी। आप की सरकार आने के बाद विशेष तौर से अजमेर जिले के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी पट्टा नहीं दिया गया। यहां तक कि विखंडन एवं नामांतरण की फाइलें भी पास नहीं हो रही हैं और कई लोगों की पैसे वालों की फाइलें लोग घर पर ले जाते हैं और गरीब आदमियों के पट्टे पूरे किशनगढ़ में नहीं मिल रहे हैं।

मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय, मैंने छह महीने पहले एक प्रश्न पूछा था कि हमारे इस किशनगढ़ शहर की सबसे सुंदर झील गुंदोलाव को आप संरक्षित करें। आपने कहा, मैं कलेक्टर से एक महीने में रिपोर्ट मंगवा लूंगा और उस झील को संरक्षित झील की श्रेणी में ला दूंगा, लेकिन छह महीने हो गये, आपके वादों का क्या हो रहा है? केवल असत्य ही नारे लगा रहे हो, इनके अलावा कोई काम आपका है नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झील को संरक्षित करके किशनगढ़ को सौगात प्रदान करें।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां अराई बेल्ट, कृषि प्रधान क्षेत्र है। रोज़ आगजनी हो जाती है। मैंने पिछली बार भी फायर ब्रिगेड की वहां आपसे मांग की। मैं और मांग करता हूं कि अराई में आप नगरपालिका खोल दें ताकि अग्निशमन केंद्र की वहां स्थापना हो जाए और मेरे किसान भाइयों का जो बड़ी मेहनत से..।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज तो आप इतनी जल्दी बजा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, सर। मेरी आवाज़ को सुनना पड़ेगा सर, आपको लगातार।

श्री सभापतिः सुनाओ, समय रहने तक सुनेंगे।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): हजारों लोगों ने कर्ज लेकर पट्टों की मांग की, लेकिन परिषद के चक्कर काट रहे हैं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किशनगढ़ नगर परिषद को लोग आज कल नरक परिषद् कहने लग गए। 15-20 साल से ऐसे कर्मचारी वहां बैठे हैं जो लगातार वहां केवल दलाली का काम करते हैं, न उनका स्थानान्तरण हो रहा है, न उनको वहां से हटाया जा रहा है।

मैं आपसे मांग करता हूं कि सिटी बस चले, हमारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दूरी पर है तो एक सिटी बस की भी आपसे मांग करता हूं। रात को हमारे किशनगढ़ वासियों को बड़ी तकलीफ होती है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं। नगर परिषद किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र की लाइफलाइन सराणा रोड का चौड़ाईकरण और डामरीकरण करें, उसको रोक रखा है किन्हीं कारणों से, आप पता करें। साथ ही, अंबेडकर सर्किल से खिड़की वाले बालाजी होते हुए सरवाड़ी गेट तक आप रोड का निर्माण करें। राजा रेड्डी, बजरंग कॉलोनी, मेहनत नगर, नया शहर, पुराना शहर, न्यू हाउसिंग बोर्ड में भी आप थोड़ा ध्यान दें।

आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे शहर में दो झील हैं, एक गुंदोलाव झील और एक हमीर सागर है। हमीर सागर की चादर लगातार चलती रहती है क्योंकि शहर के लगातार गंदे नाले उसमें आकर गिरते हैं। वहां से गुंदोलाव झील तक एक ड्रेन बने, जैसे पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने यहां अमानी शाह नाले को द्रव्यवती नदी जैसा स्वरूप दिया। मैं चाहता हूं कि किशनगढ़ को भी आप एक सौगात दें।

आदरणीय सभापति महोदय, वहां झील में मत्स्य विभाग द्वारा मछली का पालन किया जाता है, लेकिन कोई व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं दिया जाता है और मछलियां मरने के कारण पूरे शहर में दुर्गंध फैल जाती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर आप हमारा सहयोग करें, चाहे आप उद्योग विभाग से इसकी स्वीकृति लें। अतिशीघ्र आप इस पर हमारे को सहयोग करें।

आदरणीय सभापति महोदय, कल चिकित्सा पर हमने बात रखी और एक स्वस्थ नौजवान तब रह सकता है जब उसको खेलने के लिए मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिले, उसको खेल ग्राउंड मिले। आपके क्षेत्र में, नगर परिषद के क्षेत्र में शानदार जगह है उसको आप एक स्टेडियम का रूप दें, चाहे खेल विभाग से उसका सहयोग लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके।

आदरणीय सभापति महोदय, आजकल लगातार हमारे किशनगढ़ नगर में लाइटें बंद रहती हैं। विभाग कहता है कि यह पी.डब्ल्यू.डी. का काम है, पी.डब्ल्यू.डी. कहता है कि यह यू.डी.एच. का काम है और लगातार लाइट बंद रहती है। मुख्य मार्ग की लाइटें बंद रहती हैं, आप इस ओर ध्यान दें।

आदरणीय सभापति महोदय, ई.ओ., आर.ओ, आयुक्त का कैडर विस्तारण, सशक्तीकरण समयबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती निकायों की संख्या, आज लगभग 300 निकाय हमारे पूरे राजस्थान में हैं, उक्त पद पर पदस्थापन हो सके, जनता के काम को शीघ्रता से निभाया जा सके, प्रभावी तरीके से उनका निस्तारण हो सके, जनता को राहत मिल सके। वर्तमान में अतिरिक्त चार्ज के भरोसे निकाय चलाने की केवल खानापूर्ति हो रही है और कई पर तो ए.सी.बी. के केस चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपने वहां नियुक्ति दे रखी है, उस पर विशेष तौर से आप ध्यान रखें, आदरणीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मास्टर प्लान के नाम से हमारे किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मास्टर प्लान बनाते समय प्राधिकरण द्वारा भूमि के स्वामी को

सूचित किये बिना ही भूमि का उपयोग सुविधा क्षेत्र या अन्य उपयोग में रख लिया जाता है एवं सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसे आगे जाकर राजस्व जमा कर नियमित कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत कैसेज इस प्रदेश में आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्टेट फाइनेंस में शहरी निकायों की हिस्सेदारी कम है, जिससे बेसिक कार्य, सड़क, सफाई, लाइट सौंदर्यीकरण का काम इनमें नहीं हो रहा है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मैं बस 20 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं ...(व्यवधान)... 20 सेकंड में। +++

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री सभापतिः बैठिये आप। आप डिमांड पर बात करिये। श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर स्वायत्त शासन विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। नयी सोच के साथ सर्वजन कल्याण की भावना से इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा खुशहाल राजस्थान का अनुपम बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं एवं उनके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान भी किया गया है।

श्री सभापतिः डिमाण्ड के अलावा कोई भी विषय हो, हटा दिया जाये। डिमाण्ड के अलावा कोई भी विषय हो उसको हटा दिया जाये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): इस बजट में एक बार फिर से सोजत विधान सभा क्षेत्र में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रायपुर सी.एच.सी. को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया, इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रायपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत किया गया। सोजत रोड नगरपालिका क्षेत्र वासियों के लिए पेयजल समस्या निस्तारण हेतु कंटालिया बांध से सोजत रोड तक पाइपलाइन में फिल्टर प्लान्ट की स्थापना कार्य की घोषणा की गई। सोजत रोड में ही कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया जो कि सरकार की संकल्पना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को साकार करती है। सोजत सिटी में नये रोजगार अवसर सृजित करने हेतु उद्योगों के विस्तार हेतु व्यापारियों को राहत देते हुए एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई। सोजत सिटी में वर्तमान स्थित रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्धार एवं विस्तार हेतु भी घोषणा की गई। चंडावल नगर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई एवं पेयजल समस्या से राहत प्रदान करने हेतु क्षतिग्रस्त टूटिया बांध का जीर्णोद्धार हैं मरम्मत भी करायी जायेगी। इन सब कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा एवं माननीय उप

मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को मेरी ओर से विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों की ओर से बारम्बार धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, विगत बजट घोषणा में सोजत रोड ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है इसके विकास के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सोजत रोड नगर पालिका हेतु बजट जारी करने का सरकार से अनुरोध करती हूं। इसके साथ ही सोजत रोड बस स्टैंड का सौंदर्यीरण, सीआर तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए।

Kas/rtm/07.03.2025/18.30/3o

स्ट्रीट लाईटों का बिल भार नवीन नगर निकायों पर डाल दिया गया है। इनके पास अभी तक निजी आय का कोई स्रोत नहीं होने एवं नई नगरपालिका के पास कोई बजट नहीं होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि नई नगर निकायों का बिजली बिल या तो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए अथवा सरकार द्वारा विशेष छूट प्रदान करते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि बिजली बिल भार कम हो सके।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिन्हौंने नव गठित नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं FSTP स्थापना की घोषणा की है, इससे सोजत रोड नगरपालिका को भी यह सुविधा मिल सकेगी। साथ ही नव गठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। सोजत की प्रसिद्ध मेहँदी को देश भर सहित विदेशों में भी निर्यात की जाती है। इस बजट में सोजत सिटी में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कार्य करवाये जाने की घोषणा की गयी है। सोजत के औद्योगिक कार्य क्षेत्र में और अधिक गति लाने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सोजत सिटी में हवाई पट्टी को उड़ान योजना में सम्मिलित करवाकर विस्तार करते हुए हवाई सेवा प्रारम्भ की जाए। हवाई सेवा से सोजत के मेहंदी व्यवसायी एवं उद्योगपति जुडेंगे, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के माध्यम से सोजत क्षेत्र को विकास के नये आयाम होंगे। वर्तमान में जिन नगरपालिकाओं की निजी आय विभाग के तय मापदंड अनुसार नहीं है, उन सभी नगरपालिकाओं को टाइड व अनटाइड फंड जारी नहीं किया जा रहा है, सोजत सिटी नगरपालिका की स्थिति भी यही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस संबंध में पुनर्विचार किया जाकर न्यायोचित निर्णय लिया जाए।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं को चुंगी कर से पहले आय होती थी, इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर निकायों के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि सरकार से दी जाने लगी। वेतन भत्ते, समर्पित अवकाश राशि, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी, नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती सेवानिवृति के दौरान परिलाभ, इत्यादि

के समस्त व्यय सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुदान राशि से निर्वहन करने में नगरपालिकाओं को काफी कठिनाई हो रही है। इस अनुदान राशि को बढाये जाने के लिये भी सरकार को आग्रह करती हूं।

सभापति महोदय, भूमि निष्पादन नियम, 1974 के अनुसार नगरपालिकाओं में पहले खुली बोली करवायी जाती थी, इसके स्थान पर अब ई-प्रकिया के माध्यम से नीलामी की जाती है। व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में सीमित संवेदक इस प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं, इससे नगरपालिकाओं की आय कम ही होती है। अतः नीलामी प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा से नगरपालिकों की आय में और अधिक बढ़ोतरी हो सके।

सभापति महोदय, नगरपालिका द्वारा पेयजल पाइप लाइन विस्तार एवं पेयजल से जुड़े अन्य विकास कार्य नहीं करवाये जाते हैं। अनटाइड फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा पीएचईडी विभाग को पेयजल कार्य हेतु हस्तानान्तरण कर दिया जाता है। इस कारण शहरवासियों एवं नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आसपास के बेरों पर रहने वाली आबादी के लिए पेयजल की समस्या बनी रहती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल संबंधी कार्य हेतु नगरपालिकाओं को अधिकार दिये जाएं, ताकि संबंधित पार्षद अपने वार्ड में पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण करवा सके।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता कार्यरत होने पर भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाने हेतु कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को रखा जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पहले से ही विभागीय कार्यों का भार रहता है और नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों का भार अतिरिक्त डाल दिया जाता है। अतः इन कार्यों को पूर्ण होने में अनावश्यक देरी लगती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि निर्माण कार्यों हेतु नगरपालिकाओं में पदस्थापित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए समस्त निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका ही रखा जाए। साथ ही साथ कार्य बेहतर गुणवत्ता एवं समय पर पूर्ण करवाया जाए।

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के बाजारों में बेसहारा, निराश्रित गौ वंश काफी घूमते रहते हैं, इस कारण आये दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। सोजत नगर पालिका क्षेत्र के बीच से एनएच 162 गुजरता है, जहां घूमने वाले गौ वंश सड़क मार्ग पर आ जाते हैं, इससे दुपहिया वाहन टक्कर से चोटिल हो जाते हैं तो बड़े वाहनों की टक्कर से कई बार गौ वंश की मृत्यु हो जाती है। ऐसे गौ वंश को आसपास की गौशालाओं में छोड़ा जाए, ताकि आम नागरिक और गौ वंश दोनों सुरक्षित रह सके।

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में गंदगी और कचरा सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु शहर की बढ़ती आबादी की आनुपातिक प्रणाली के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ताकि नगर पालिका क्षेत्र को साफ एवं स्वच्छ बनाया जा सके। शहर के ठोस

अवशिष्ट के प्रसंस्करण एवं अन्तिम निस्तारण हेतु नगरपालिकाओं में व्यवस्थित व्यवस्था हो। नगरपालिका क्षेत्र में निर्मित गंदे पानी की निकासी हेतु बने नालों की सफाई समय पर सुनिश्चित हो, ताकि बारिश के समय कच्ची बस्तियों में रहने वाली कॉलोनियों में पानी भर जाने की समस्या उत्पन्न ना हो।

माननीय सभापति महोदय, सोजत की पहचान विश्व प्रसिद्ध मेहंदी के साथ सन् 1460 में राव जोधा के पुत्र निंबा जी के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दुर्ग के कारण भी है। सोजत के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा यह दुर्ग जीर्ण-शीर्ण होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उपदेश्य से इस दुर्ग का सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत करवायी जाए। विगत वर्ष में राजस्थान के 40 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की घोषणा में सोजत सिटी का नाम भी सम्मिलित था, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निवेदन भी करती हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस अमृत कालखंड में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है। इस दिशा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा मजबूत संकल्प के साथ राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा भागीरथी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): एक सेकण्ड। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी को यह कहना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित रायपुर ग्राम पंचायत नगरपालिका बनाये जाने के तय सभी मापदंड पूरा करती है। यह ग्राम पंचायत विधान सभा की ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसकी आबादी लगभग 30 हजार है। यहां उपखंड, तहसील, पंचायत समिति कार्यालय, उप जिला चिकित्सालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय संचालित है। मेरी सरकार से पुरज़ोर मांग है कि रायपुर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: टेबल कर दें, विराजिए। श्री भगवाना राम।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के बारे में ही बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी नगर पालिका 1952 की है, अभी तक उसमें सीवरेज लाइन नहीं है और आज जमाना कहां जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि वहां सीवरेज के लिये प्लान बनाया जाये। इसके साथ ही हमारी पहाड़ी बैल्ट है और वहां 3 नंबर चुंगी के पास इतना पानी भरता है और इससे आने-जाने में बहुत दुविधा होती है। मैं निवेदन करूंगा कि उस पानी को इकट्ठा करके किसानों को दिया जाये, तो अच्छा लाभ होगा और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। वहां नगर पालिका में पशु मर जाते हैं तो उनको गाड़ने की कोई जगह नहीं है, उसके लिये जगह निर्धारित की जाये।

अभी भाबुरा गांव में पशु वगैरह डाले जाते हैं, वहां घनी आबादी है। इससे बरसात और गर्मियों के समय बदबू आती है और इससे वातावरण इतना खराब हो जाता है कि वहां जीना मुश्किल हो जाता है। इसके लिये हम फाइल बना चुके हैं, एक धनावता गांव है, वहां बड़ी खाली जगह है, अगर वह जगह आवंटित की जाती है तो लोगों को सुविधा हो जायेगी। हमारी नगर पालिका पोंख और उदयपुरवाटी पहाड़ों में बसी हुई है। उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि यह जमीन किसकी है और वहां बस गये। मैं निवेदन करूंगा कि वहां प्लान बनाकर उन लोगों को पट्टे जारी किये जाए, जिससे उन लोगों को सुविधा हो सके।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि वहां अभी भी पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, मैंने बोला भी है। इसके अलावा हमारे जो यहां ईओ लगाये जाते हैं, वो इतनी लूटपाट इतनी भयंकर रूप से करते हैं। 90 बी में जमीन को कवर तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब कॉलोनी काटी जाती है तो उसमें वो पूरे नियम-कायदे एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन उसके पट्टे लेने में बहुत असुविधा होती है। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आवासीय कॉलोनी काटी जाये तो वह नियमानुसार हो, इसके लिये उनको पाबंद किया जाये। हमारे वहां गुढा नगर पालिका नई बनी है, उसमें गुढा ढहर को और जोड़ा जाये और दो और नगर पालिका हमारी बनाई जाये। हमारे बड़ा गांव बहुत बड़ा गांव है और एक छापोरी बहुत बड़ी पंचायत है। इनको नगर पालिकाएं घोषित की जाए।

सभापति महोदय, हमारे पहाड़ी बैल्ट होने की वजह से बंदरों की संख्या बहुत हो गई है। पहले वो बंदर ऊपर थे, लेकिन पैंथर छोड़ने के कारण से वो बंदर नीचे आ गये। इससे हमारे गांवों में बंदर ही बंदर हो गये। उदयपुरवाटी में इतनी तादाद में बंदर आ गये कि लोगों का जीना दूभर हो गया है।

Msk/rtm/07.03.25/1840/3p

बंदरों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि विशेष तौर पर प्लान बनाकर इनके लिए कोई विशेष योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि बंदरों के आतंक से वहां जीना दूभर हो गया है। मैं निवेदन कंरूगा कि बंदरों के लिए प्लान बनाकर पकड़ा जाये।

इसी के साथ मेरे शहरी क्षेत्र में नगर पालिका की आबादी का जो क्षेत्र है, उसमें हम जो ईओ लगाते हैं, जो हमारे टेंडर होते हैं, टेंडर की तारीख तय होती है, तारीख तय होने के बाद उस दिन न तो ईओ मिलता है, न और कोई मिलता है। इनकी शिकायत जब करते हैं तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। उन टेंडर में इतनी अनियमितता होती है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। विशेष करके मैं निवेदन करूंगा कि सफाई और बिजली के जो टेंडर हैं, बिल हैं, उन बिलों की जांच करा ली जाये तो आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी बड़ी बेईमानी करते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि इन बिलों की जांच करवायी जाये, विशेष करके और इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्लान बनाये हैं। इसके साथ हमारे 2010 में जो मास्टर प्लान बनाये गये थे, उनका धरातल पर कोई काम नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वहां प्लान बनाये गये थे, उनको धरातल पर उतारा जाये। इसी के साथ ही आपने जो मौका दिया, धन्यवाद, जय हिंद।

श्री सभापतिः श्री हंसराज पटेल।

श्री हंसराज पटेल (कोटपूतली): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39 और 40 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्रिमंडल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिले को यथावत रखा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, स्टैंड की तरह प्रयोग न करें, हाथ में ले लें।

श्री हंसराज पटेल (कोटपूतली): सभापति महोदय, मैं जूली साहब की सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार ने हमारे कोटपूतली को नगर परिषद् बनाया, परंतु, अब परंतु शब्द में बहुत कुछ आ गया है, सरकार। मेरा आपसे यही कहना है कि एक साइड में तो चार किलोमीटर और एक साइड में परिषद को 15 किलोमीटर ले गये। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की कम से कम हजारों बीघा जमीन थी। इस चक्कर में नगर परिषद को वहां पर 15 किलोमीटर ले जाकर, वहां पर सचिवालय की जमीन चिह्नित कर ली गयी। सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन है कि इस घोटाले में कोटपूतली की जनता को बहुत बड़ी परेशानी है। कोटपूतली के अंदर ही कम से कम 10 बीघा जमीन पंचायत समिति की खाली पड़ी हुई है। वहीं कलेक्टरी और एसपी बन जाये, बैठ जायें तो हमारी जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है, जिससे एसपी/कलेक्टर से मिलने पैदल जाने से हमारी जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी 15 ग्राम पंचायतों को नगर परिषद् में मिला लिया, 15 सरपंच जिनको जनता ने चुना था, उनको न तो नगर परिषद् में सदस्य बनाया और न ही उनको सरपंच रहने दिया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि या तो उनको उल्टा ही पंचायत बनाकर सरपंच बनाया जाए या नगर परिषद में उनको मेम्बर बनाया जाए। आप से निवेदन है कि कोटपूतली में जो नायड़ा है, वहां पर नगर पालिका बनाने की हमारी मांग है। आप से यही कहकर बैठता हूं। राम राम साहब।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती इन्द्रा मीणा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी कि सरकार के गठन के बाद में अभी दिसंबर, 2023 में जैसे ही आये। आज फिर मंत्री जी यहां गायब हैं। मैं जब बोलती हूं, तब मंत्री जी नहीं दिखते हैं।

श्री सभापतिः आप टीवी पर देख लें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मंत्री जी ने आते ही सबसे पहले कहा कि जो डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो लोग 15 सालों से लगे हुए थे, उन सभी कर्मचारियों को हटाने का काम किया। उन संविदा कर्मचारियों को हटाने का काम

इसलिए किया, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखिये, अब क्या हो रहा है। सवा साल निकल गया। उसके बाद जहां मंत्री जी तो एक तरफ तो यह बात कहते हैं और जेडीए में डेपुटेशन खत्म कर नियमित भर्ती करने की बात आये दिन करते रहते हैं। उसके बाद वहीं डीएलबी विभाग में 200 मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पदों को डेपुटेशन के तहत भरने की तैयारी चल रही है। डेपुटेशन पर भरने की तैयारी तो चल रही है। अब विभाग की और मंत्री जी की, दोनों की मिलीभगत है या अलग-अलग है, यह पता नहीं है। अगर अलग-अलग है तो जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी ने छुट्टी लिख दी, उसी तरीके से इनको भी लिख देनी चाहिए। क्योंकि मंत्री जी हर बार मीडिया को कहते हैं कि ये ऐसा हो जायेगा, लेकिन सिर्फ उससे उल्टा होता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय.. ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): जोगाराम जी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इन्द्रा जी, एक मिनट, ठहरें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): फिर मेरा समय रोक दिया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप अपनी आलोचना करें, समालोचना करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। इस डिमांड में किरोड़ी जी कहां से बीच में आ गये? आप जब भी खड़ी होती हैं, विवाद करती हैं। आप आलोचना करें, समालोचना करें, बाकी आपकी मर्जी।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैं यही कहना चाह रही हूं कि जिस तरीके से माननीय मंत्री किरोड़ी जी हाउस में छुट्टी लेकर बैठे हैं...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस में ही नहीं आने दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हाउस में आने दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं, यह भी प्रतिपक्ष के महोदय को जानना चाहिए कि इनकी सहमति से हाउस ने उनकी छुट्टी मंजूर की है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): हां ठीक। हमारी सहमति नहीं थी। अब या तो मेरा समय रोका जाये, या फिर मेरे को बोलने दिया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप तो डिमांड पर बोलें। आपका समय रुका हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इन्द्रा जी, डोटासरा जी कहां हैं? तो फिर आप क्यों बोल रही हैं?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप मेरे समय में बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपके समय में नहीं बोल रहे हैं। आपका समय रुका हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप अपनी डिमांड पर बोलें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार अभी जो डेपुटेशन पर भर्ती करने का काम चल रहा है, मैं यह जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से यह कार्य चल रहा है और उसी पर मैंने कहा कि मंत्री जी एक तरफ बोलते हैं और फिर उनकी बात आगे बढ़ती नहीं है। डेपुटेशन में कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये और बड़े स्तर पर मुझे

आशंका है कि इसमें बड़े स्तर पर भाई-भतीजावाद होने की शंका है। क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों से भी लोग आयात किये जाएंगे। अपने अलग-अलग डिपार्टमेंटों से इसमें लाये जायेंगे, जिसमें शिक्षा विभाग, पशु चिकित्सालय, उन्हीं में बहुत कमी है और उसके बाद भी इसमें लाने की तैयारी चल रही है।

मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि ये भर्ती क्यों नहीं करना चाहते? डर किस बात का लग रहा है? क्योंकि डेपुटेशन को खत्म करके वापस डेपुटेशन पर ले रहे हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बात करते हैं, नौकरियां देने की और डेपुटेशन के माध्यम से आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान भी नहीं है। उसके अलावा उसमें ट्रेनिंग करायी जाएगी, समय खर्च किया जाएगा और पैसा खर्च किया जाएगा, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं। क्योंकि 1 साल से 4 साल तक ही उनको डेप्युटेशन में रखा जाएगा तो यह पैसा और समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ये बहुत सारी चीज़े हैं, इस पर मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी अगर मेरी बात सुनें तो वे इस बारे में जवाब दें कि यह किस तरह का षड्यंत्र है और ये कहां जाएगा? युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, भर्तियां नहीं की जा रही हैं और आरक्षण वर्ग के साथ भी कुठाराघात है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि धीरे-धीरे इन चीजों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो नगर पालिकाएं हैं और दो नगरपालिकाओं के अंदर 27-27 पद हैं। बामनवास के अंदर दो पद भरे हुए हैं और बोंली के अंदर जीरो पद भरे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इन पदों को भरा जाये, नौकरियां निकाली जायें, भर्ती की जाये और भर्ती का सबसे मेन, डेपुटेशन भी आप कर रहे हैं और इन पदों पर भर्ती मार्च के अंदर होने वाली है। मार्च के बाद दो-तीन महीने में भर्ती में पोस्टिंग दे दी जायेगी, लेकिन विभाग एक तरफ यह बात भी कह रहा है कि 2 साल तक उसमें भर्ती नहीं होगी। ऐसा क्या कारण है कि 2 साल तक उसमें भर्ती पोस्टिंग नहीं दी जाएगी? यह सबसे बड़ा मुद्दा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने प्रश्न लगाया, उसका नंबर तो नहीं आया, लेकिन इसमें मैं बोल देती हूं कि श्मशान और चरागाह पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है, मेरे इलाके में बोंली क्षेत्र के अन्दर, जिसकी लंबी सारी लिस्ट भी सवाल के जवाब में आयी, लेकिन उसको कब तक ये तुड़वा देंगे, यह सवाल के जवाब में नहीं दिया। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि इस पर कार्यवाही की जाये और धड़ल्ले से जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जाये।

mdp/rtm/07.03.25/18:50/3q

मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बामनवास चूंकि पहले बन गया था तो उसमें सारी सुविधाएं हो गयी। अग्निशामक वाहन भी आ गया और जो भी कमियां थीं, वे कम्प्लीट हो गयी। लेकिन बौंली बाद में बना इस वजह से वहां ये अग्निशामक वाहन और अन्य जो

सामग्री हैं, वह नहीं आ पाई। सामग्री उपलब्ध कराने की मेहरबानी करें। दोनों जगह ही बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि जो हमने किया, उसके बाद में जो बाकी काम था वह आने वाली सरकार को ही करना है।

सफाई के टेंडरों में बड़ा घोटाला होता है। सवाल के जवाब में बता भी दिया। एक आईडी से दोनों जगह सफाई के टेंडर होते हैं और जांच के बाद में उस ईओ को एपीओ किया जाता है। तीन दिन बाद में वापस से उसको वहीं पर लगा दिया जाता है, जबकि वहां दूसरा आदमी लगा दिया जाता है ट्रांसफर करके। तीन दिन बाद में ऐसा क्या होता है? क्या वह सही है जो उसको दोबारा से वहां पर लगाया जाता है। शिकायतकर्ता जब शिकायत करते हैं तो उसमें मुझे दिया जाता है कि फलां-फलां व्यक्तियों की, इतने लोगों की इतनी शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन उसका विवरण नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब जगह पर उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है की उस कर्मचारी को साल भर वहां पर रखा गया और उसके बाद में वह वही काम करता रहा जो पहले करता था, क्योंकि फर्म भी उसी की थी, वह खुद पैसे बांटता था वहां पर।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मृत जानवरों के टेंडर होने के बाद भी उनके 500-500 रुपये गांव वालों से उगाए जाते हैं। ये भी शिकायत बहुत सारे लोगों ने जन-सुनवाई के माध्यम से बामनवास के अंदर दी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे समय में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। उसके बाद बाबुओं की भर्ती नहीं कराई जा रही है। कहां दिक्कत आ रही है इन भर्तियों को करने में? क्योंकि आप को डर है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए। आप लोग काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए ये बड़ी दिक्कत है।

सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगी कि इंदिरा रसोई हमने चालू की। उसके अंदर बामनवास व बौंली में सैकड़ों लोग खाना खाते थे, उनका पेट भरता था। जो बच्चे बाहर के उन कस्बों में रहते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई थी इंदिरा रसोई। लेकिन उसके बाद उसका नाम बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो बदल दीजिए, लेकिन उसको चालू तो करवा दो। सवा साल से वो बंद पड़ी है और आज तक वह चालू नहीं हुई। लोग कहते है की कब तक इसको चालू कराओगे। इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगी की रसोई को चालू कराने की आप की मंशा है तो कृपया जवाब के अंदर बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से नगर पालिकाओं का जो सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर बहुत ही पारदर्शिता की जरूरत है और मैंने तो कई बार जब सरकार पिछली बार कांग्रेस की थी, उस समय भी मैंने किसी भी मुददे पर, हमेशा मैंने ये नहीं कहा की, सत्ता पक्ष के लोगों की तरह ये नहीं की बड़ाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो गलत है, उसको गलत बताने का कार्य किया और आज भी मैं वही काम कर रही हूं। सभापति महोदय, इतनी ही मेरी जो समस्याएं थीं, जो बात थी मेरे नगर पालिका क्षेत्र की...,

अच्छा आ ही गए क्या।

श्री सभापतिः सुन लिया उन्होंने। सब सुन लिया। धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवास तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर चर्चा में भाग लेने के लिए और मुझे भाग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा कि जब इस पर चर्चा चालू हुई माननीय कालीचरण जी ने और कुछ सदस्य कोटा और जोधपुर की बात करते गए। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। जोधपुर की हालत भी वैसी ही थी। हमारे राजस्थान के उस समय के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और जोधपुर शहर में ही 09 किलोमीटर दूर उनको एक कार्यक्रम में जाना था। सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि उन्होने 09 किलोमीटर जाने के लिए भी हेलिकॉप्टर मंगाया और हेलिकॉप्टर से उस कार्यक्रम में गए। इससे ये बात साबित हो जाती है कि उनके समय में भी जोधपुर की हालत क्या थी? माननीय धारीवाल जी, जब उन्होंने अपने खुद के ही किये हुए काम की बड़ाई करने के लिए जब इस सदन में बोलना चालू किया, उन्होंने कहा कि नाम बदलने की भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है, नाम बदल-बदल कर आप हमारे ही कार्यक्रमों को कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमने तो सिर्फ नाम बदला है, आपने तो योजनाएं जो थी सरकार की, जो काम दिये गये थे, वह काम बदल-बदल कर पैसे खाने का और भ्रष्टाचार का काम किया। उसका उदाहरण है आरयूआईडीपी, जोधपुर, जिसमें 32 किलोमीटर लाइन, उसका काम बदलकर सिर्फ बिल उठाकर, जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि 35 करोड़-40 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार उसके अन्दर सिर्फ बिल उठाने का हुआ है। यह है नाम बदलने का और काम बदलने का।

बात करते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई की, आप बोलते हैं नाम बदल दिया। नाम तो बदला ही बदला उसके साथ गरीब की थाली में 600 ग्राम भोजन, जो आप देते थे, उससे लगभग डबल भोजन देने का भी हमने काम किया। आप बात करते हैं ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम की तो मैं बताता हूं कि आपके समय के अन्दर, 2018 से 2023 के बीच में ड्रेनेज, सीवरेज का रूडीप, रूडसिको, किसी के माध्यम से काम हुआ और कई सदस्यों ने भी बयान किया कि वह सड़कें टूटी हुई हैं, हम किसी को जवाब दे नहीं पा रहे हैं। रूडीप ने, रूडसिको ने जिसने किया या निगम, निगम कहता है उन्होंने किया, उनकी गारंटी है। आज तक इस मकड़जाल से निकलने में अधिकारी भी असमर्थ रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने खुद ने जोधपुर के अंदर एक मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रूडीप के अन्दर इस तरह के जितने भी घोटाले हुए हैं, उसकी जांच कर तुरंत प्रभाव

से एसओजी और एसीबी को ये मुद्दा सौंपे। मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो वादा जोधपुर में किया है, उस वादे को पूर्णतया निभाएं।

मैं आगे बात करूंगा, माननीय धारीवाल जी ने बात की थी नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव, आपने लोकतंत्र की, संविधान की हत्या की। आपने जिस दिन चुनाव होने है, उसके दो महीने पहले उसका नोटिस निकल जाना चाहिए, परंतु आपको वह समय याद नहीं है। आप 2018 में चुनाव जीते और आपने नगर निगम के चुनाव जो 2019 दिसंबर में, नवंबर में होने थे, वह चुनाव आपने 2020 नवंबर-दिसंबर के अंदर करवाए। क्यों किया आपने? क्योंकि जिस नगर निगम को आप जीत नहीं सकते थे, उनको उत्तर और दक्षिण में बांटा। जोधपुर उसका अनूठा उदाहरण है और आपकी खुद की मेयर जोधपुर उत्तर की कुंती देवड़ा, उन्होंने सदन के अंदर बजट अभिभाषण में कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे को ऐसे क्षेत्र दे दिए गए जहां पर हमको बजट ही नहीं है और हमारी आय नहीं है। परंतु चूंकि कांग्रेस को एक बोर्ड बनाना था, इसके लिए उन्होंने उस क्षेत्र को बांटा और उसको मेयर बनाया।

उसके आगे मैं धारीवाल जी की एक बात कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए क्या किया? मैं आज ये सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को और उन सरकार के मुखियाओं को जो पुराने थे, उनको कहना चाहूंगा कि आप के शासनकाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना पूरी चौपट हो गई। लगभग सभी आवेदकों के पूरे पैसे किस्तों में बैंक में जमा हो गए। हमारे जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण और भी जगह विकास प्राधिकरण के थ्रू मुख्यमंत्री आवास योजना में बुकिंग की गई और उस बुकिंग के अंदर सारे काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिन्होंने टेंडर लिए उन्होंने काम बंद कर दिए और आज गरीब का पैसा किस्तों में कट गया और किराये पर रह रहे हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है

सभापति जी, बात करते हैं मास्टर प्लान की। आपने मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सेक्टर प्लान, इनको अवोइड करके नई नीती के अंदर पट्टे देने का और रेगूलाइज करने का काम किया। आपने क्या किया? आपने असत्य शपथ पत्र दिये कोर्ट के अन्दर, गुलाब कोठारी केस के अंदर असत्य शपथ पत्र दिए। आपकी बात माने तो आपने सही शपथपत्र दिए। उन शपथपत्रों के हिसाब से आपको मास्टर प्लान को, जोनल प्लान को और सेक्टर प्लान को लागू करना था।

आपके समय प्रशासन शहरों के अभियान के समय जहां रोड नहीं थी उसको रोड मानकर, उसके ऊपर सुपर इंपोजिंग करके रोड मानकर आपने पट्टे दे दिए और वहां जाने का रास्ता नहीं है। ऐसा गलत काम आपने किया है? धारीवाल जी अभी यहां होते तो उनको खुद को समझ में आता है कि उन्होंने क्या बोला है?

इसके आगे एक मांग करता हूं मैं, जोधपुर में पत्रकारों के लिए जेडीए ने एक स्कीम लागू की, उसकी लॉटरी भी निकल चुकी है। उसमें कुछ आपस में डिस्प्यूट हैं। परंतु जितने लोग

उसमें सही है और जितनी जमीन है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पत्रकारों को उस कॉलोनी में जल्दी से जल्दी पट्टा दिया जाए।

दूसरा, एक बड़ा काम चल रहा है, जो जमीन नो-कंस्ट्रक्शन जोन की है, चाहे वह एयरपोर्ट के पास की हो, नहर के मुहाने पर हो या हमारे जोधपुर के अंदर नदी के कोने पर हो, उस जमीन के मालिकों को मालूम है कि उसके ऊपर निर्माण नहीं हो सकता। परन्तु चुपचाप उन जमीनों को, मतलब बिना पट्टे के जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि के रूप में बेच दी गयी, जिनका कभी भी आगे डवलपमेंट नहीं हो सकता। सरकार को उनको रोकना चाहिए।

Ans/rtm 19.00 4a 07.03.2025

एकल निर्माण के अन्दर, स्थानीय निकाय एकल पट्टे देती है और सब डिविजन का करती है तो 1500 गज का लोकल स्तर पर उसका अधिकार है। इस 1500 गज की सीमा है इसको बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि अभी प्लॉट बड़े होने लग गये और हर काम के लिए जयपुर आना पड़ता है।

तीसरी सबसे बड़ी समस्या। जब प्राइवेट डवलपर जमीन डवलप करके 90-ए, बी करता है तो उसके 12.5 परसेंट पट्टे वह सरेंडर करता है जेडीए के पास, निगम के पास, क्योंकि वह इंटरनल डवलपमेंट के 12.5 परसेंट के पट्टे रिलीज करते हैं। अभी हमने जन सुनवाई की थी उसमें प्राधिकरण में 12.5 परसेंट पट्टे बिना किसी डवलपमेंट को चेक किये, पटवारी या किसी भी अधिकारी की गलत रिपोर्ट उसके ऊपर कर दी है। अब कॉलोनी वाले डवलपर के चक्कर काटते हैं, नहीं सुनते तो हम जन-प्रतिनिधियों के पास आते हैं, इसका भी संज्ञान लिया है।

सरकारी कामकाज के अन्दर जो उचित अधिकारी हैं, 181 पर जो शिकायत दर्ज कराते हैं, नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण उनका उचित निस्तारण नहीं करता और उन कामों को वह निस्तारित दिखाकर कर देता है, जबकि सक्षम अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): भाई साहब, दो मिनट। आदूराम जी का दो मिनट समय कम कर देना, वे एग्री हैं। कच्ची बस्तियों के पट्टे का और जोधपुर में अंडर बाईपास के लिए..

श्री सभापतिः विराजिये। डॉ. शिखा मील बराला।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): लास्ट में एक मांग करूंगा। आर यू आई डी पी और कुटीर के लिए, मंत्री महोदय ने ए सी बी और एस ओ जी का वादा किया था, मंत्री महोदय, कृपया उस वायदे को अधिकारियों को निभाने का निर्देश दें। धन्यवाद।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या उन

39 और 40 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आभार। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी को वुमन एम्पावरमेंट की दिशा में और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने की दिशा में, पॉलिसीज इफेक्टिवली फ्रेम भी करनी चाहिए और उनको इम्प्लिमेंट भी करनी चाहिए।

कांग्रेस सरकार ने 2022 में ग्रामीण बेरोज़गारों की सहायता की तर्ज पर इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की। एज-यूजवल आपकी सरकार ने अपनी नाम परिवर्तन संस्कार पॉलिसी के तहत, उसका नाम बदल दिया और कर दिया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इस पॉलिसी को, इस योजना को फंड्स ना देकर, इसे कमजोर किया जा रहा है। बहुत सारे गरीब लोग शहरों में बसते हैं। इस योजना के तहत उन बेरोजगार को, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

जनवरी 2024 में राज्य सरकार द्वारा जेडीए और विभिन्न नगर निकायों में डेपुटेशन के सभी पदों को निरस्त कर दिया गया, ये बताते हुए कि भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा कारण है। अब आनन फानन में दूसरे डिपार्टमेंट्स से लोगों को लेकर, इन विभागों में डेपुटेशन पर लाया जा रहा है। जब वर्तमान में ई ओ और आर ओ की भर्ती प्रक्रिया, अभी वो प्रक्रियाधीन है, तो इस भर्ती में क्यों ना पद ही बढ़ा दिए जाते, क्योंकि ये जो आप पॉलिसी लागू कर रहे हैं डेपुटेशन वाली, उसमें पोटेंशियल चान्सेज है कि इसका राजनीतिकरण हो। जिन लोगों को नगर निकायों के नियमों का ज्ञान नहीं है और बाईलॉज का ज्ञान नहीं है, वो इफेक्टिवली काम भी नहीं कर पाएंगे। जनता इससे प्रभावित होगी।

सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें तो हाल ही में होने वाली भर्ती को अननॉन कारणों से निरस्त कर दिया गया। रामायण रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। इस सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रायोरिटी दी जाये और इनके लिए स्पेशल मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। सफाई कर्मचारियों का ठेकेदारों द्वारा काफी शोषण किया जाता है। इनका वेतन भी वक्त पर नहीं मिलता है, 4-4,5-5 महीने डिलेड रहता है। इतना कम कमाने वाले लोग बच्चों की फीस और आर्थिक ख़र्चों के लिए बहुत समस्या का सामना करते हैं, तो हमें इसका निराकरण करने की आवश्यकता है।

कचरा प्रबंधन सिस्टम को बेहतर और एफिशिएंट बनाने की योजनाएं बनाई जाए। मेरी यह मांग आपसे चौमू के लिए भी है। इल्लीगल अतिक्रमणों को चिह्नित कर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। पिछले सत्र में ही मैंने मांग की थी कि जेडीए की ज़मीनों को जियो टैगिंग कर, उनकी मॉनिटरिंग इफेक्टिवली की जाए। रियायती दरों पर पट्टे देने के लिए कैंप लगवाए जाएं, ताकि आमजन राहत की सांस ले सके।

आपके माध्यम से मेरा यूडीएच मंत्री महोदय से निवेदन है कि चौमूं जयपुर मार्ग पर अत्यधिक रोज़मर्रा ट्रैफिक रहने की वजह से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना करना

पड़ता है। अतः जयपुर को चौमू से, मेट्रो रेल से जोड़ने पर विचार किया जाए। चौमूं शहर में सीवरेज सिस्टम को डवलप किया जाए। बहुत बार कहा जाता है कि वहाँ पानी की समस्या है तो वह हमने हमारे पीएचईडी मिनिस्टर साहब से निवेदन कर लिया था, तो शायद दोनों मंत्री मिलकर हमारी दोनों समस्याओं का हल कर दें।

कॉलोनीज़ में बहुत सालों से नगर परिषद और जेडीए द्वारा नालियों का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए सड़कों पर कीचड़ और पानी भरने की समस्या रहती है। शहर में सफाई व्यवस्था को भी बेहतर करने के निर्देश दिए जाएं। मोरीजा क्षेत्र जो जेडीए के अंतर्गत आता है, उसमें सर्व समाज श्मशान भूमि के लिए मोडी डूंगरी वार्ड नंबर-दो में भूमि आवंटित की जाये।

बंदरों का आतंक, बहुत सारे सदस्यों ने अवगत कराया, उसका हमें भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ समाधान सोचा जाए। राधा स्वामी बाग तिराहा और चौमूं बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। कालाडेरा में हमें एक नगर नई नगरपालिका दी जाए, जो पिछले सत्रों में भी मेरी डिमांड रही है। शहर के पार्कों का विकास और सौंदर्यकरण किया जाये। नगर परिषद में जे ईएन के पोस्ट बहुत समय से रिक्त है, इसलिए शीघ्र ही हमारे वहाँ पर एक जे ईएन को पोस्टेड किया जाए। जेडीए क्षेत्र में आने वाली सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण कराया जाए, इसमें खासकर एक बड़ी सड़क है जो एनएच-52 अनंतपुरा जैतपुरा मोड़ से अनंतपुरा गांव तक जाती है, तो उसका भी नवीनीकरण कराया जाए। उम्मीद है कि हमारे यूडीएच मंत्री महोदय इन माँगों और सुझावों पर पॉज़िटिव रूप से विचार करेंगे और यह सारी चर्चा बहुत ही सार्थक साबित होगी। आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): सभापति महोदय आपने आज मांग संख्या 39 और 40, नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन पर सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सदन में बजट 2025 -26 में प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्य मंत्री दियाकुमारी जी द्वारा, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को साधा गया है और सभी क्षेत्रों के विकास को बराबर प्राथमिकता दी गयी है। बजट में अमृत-2 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में 5 हजार 123 करोड़ के कार्य पेयजल आपूर्ति के लिए कराने की बात कही है। साथ ही नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज एवं ड्रेनेज संबंधी कार्य, आवासीय योजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के द्वारा सरकार ने बजट के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देने का काम किया है। बजट में बारां के लिए सामुदायिक केंद्र की घोषणा की गयी है, उसके लिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बारां जिला मुख्यालय भी आता है।

हम यहां बात करें तो बारां शहर एक नगर परिषद क्षेत्र का भाग है, जहाँ 15 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस शासित नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग इस नगर परिषद को नरक परिषद कहने लगे हैं। आलम ऐसा है कि कोई भी आयुक्त पोस्टिंग होने के बाद आकर जोइन नहीं करता, जिससे परिषद का कार्य प्रभावित होता है। शहर विकास के नाम से पूर्ण रूप से अछूता है।

सड़कों की हालत खस्ताहाल है, आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती है। सड़कों के खस्ताहाल होने के कारण राहगीर एवं व्यापारी लोग प्रतिदिन धूल खाने को मजबूर हैं। वर्तमान में ऐसी हालत है की नालों के लिए ठेकेदार खड्डे करते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं करते। अधिकारी भी पल्ला झाड़ के बैठ जाते हैं। अतः अंत में आम आदमी ही पिसता है।

साफ सफाई व अन्य कार्यों के लिए दिए गए बजट का उपयोग ठीक से ना होने के कारण, शहर में सफाई व्यवस्था की हालत अत्यंत दयनीय है। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्षों में कोई कार्य नहीं किया, जबकि राज्य और परिषद दोनों जगह कांग्रेस का शासन था। इन सब समस्याओं के सुधार के लिए एक बेहतर मैगज़ीन की आवश्यकता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य दिए गए समय में पूर्ण हो सके।

VPS-RTM-07.03.2025-19.10-4b

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज को ही भर्ती किया जाये और बारां शहर में वाल्मीकि समाज के लिए सामुदायिक भवन बनवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, बारां की तेल फैक्ट्री में पिछले पांच वर्षों से आर.ओ.बी. का कार्य पेंडिंग है और इसके ठेकेदार को बारबार बदले जाने और बजट के अभाव में इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। लगभग पचास हजार से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित है और मुझ से यह शिकायत करती रहती है, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने बजट भी उपलब्ध करवाया था और साथ ही प्रभारी सचिव ने भी कार्य आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन इसका ठेकेदार कार्य को बार बार बीच में छोड़ देता है और अधिकारियों को समझाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करता।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में इस आर.ओ.बी. का लगभग 9 करोड़ 90 लाख का कार्य पेंडिंग है, यह इसकी कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी. को लोन के रूप में रूडसिको से प्राप्त करना है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि यह लोन रूडसिको से दिलाया जाये ताकि कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि ऐसे ठेकेदार जो कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कई बार हम यह देखते हैं कि सड़क बनने के बाद कभी पानी की लाइन के लिए तो कभी सीवरेज के लिए सड़कों को खोद दिया जाता है और उस गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है। कई बार तो ठेकेदार कार्यों को बीच में ही छोड़ देते

हैं, इसके लिए आवश्यक है कि सभी विभागों का आपस में समन्वय हो। जिला कलक्टर इसकी निगरानी करे ताकि सड़क बनने के पूर्व में ही सीवरेज और बाकी सभी कार्य पूर्ण किये जाये। इसके साथ ही, बीच में काम छोड़ने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाये, ताकि सरकारी काम बीच में अटके नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, बारां शहर में ड्रेनेज सिस्टम प्रोपरली ठीक नहीं होने के कारण शहर बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाता है। दुकानों में पानी चले जाने के कारण दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सुनियोजित तरीके से नालों की सफाई, मरम्मत तथा निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। शहरी गलियों में नालियों का गंदा पानी निकास नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है जो कि आने-जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। साथ ही, नालों की सफाई कार्य भी नहीं होने के कारण नालों से गंदगी का वातावरण बना रहता है। जो नगर निकाय कार्य ठीक से नहीं कर पाती है, उसके जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को दंड दिया जाना भी जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका, अटरू को बजट के अन्दर बस स्टैंड देने का पूरी जनता ने पटाखे चलाकर खुशी जताई है और माननीय मुख्य मंत्री, माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रेम चन्दजी बैरवा और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा साहब का आभार व्यक्त किया है। अटरू 2020-21 में नगरपालिका बना था और तब से पिछली सरकार ने इसको कोई बजट मुहैया नहीं करवाया और वर्तमान में यह राजीव गांधी सेवा केन्द्र में संचालित है। इसके भवन के लिए बजट की अपेक्षा है।

साथ ही, पर्यटन स्थल बुद्ध सागर तालाब जो अपनी अमिट छाप रखता है, को विकसित करें। क्षेत्र में मुक्ति धाम नहीं होने की स्थिति में लोगों को बरसात के दिनों में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए मुक्ति धाम का निर्माण करवाने और आम जनता शादी-समारोह कर सके, इसके लिए एक समुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट के माध्यम से पांच हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों में अटल प्रगति पथ और नॉन पेचेबल सड़कों के लिए विधान सभा क्षेत्रों को दस करोड़ रुपये की सुविधा देने से इस क्षेत्र की सड़कों के निर्माण से जनता को राहत मिलेगी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री का इसके लिए हार्दिक आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने देश को स्वच्छ भरत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना जैसी कई ऐसी योजनाएं दीं जिससे नगरीय विकास को गति मिली। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनने के साथ ही नगरीय शहरों के विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को बजट के माध्यम से राजस्थान के विकास को गति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्रालय की मांगों और

अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और सरकार से यह आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जरूरतों को भी इस तरह से पूरा किया जायेगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया। पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगमों को बहुत मजबूत करने का काम किया। चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे पट्टे देने का काम हो, पांच सौ रुपये में पट्टा दिया, डी.एल.सी. की रेट से दस परसेंट में पट्टा देकर प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किये और समय पर चुनाव करवाये। श्री अशोक गहलोत साहब ने 13 लाख से ज्यादा पट्टे राजस्थान प्रदेश के अन्दर दिये, लेकिन पिछले एक साल से नगरपालिका और नगर परिषद में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सूरतगढ़ नगरपालिका में एक रुपये का भी टेंडर नहीं लगा, विकास के कार्य रुके पड़े हैं। सड़क, नाली, सफाई, बिजली आदि के हालात खराब है। सूरतगढ़ नगरपालिका में जिन लोगों ने आचार संहिता लगने से पहले फाइल जमा करवा दी, फाइल का काम पूरा करवा दिया, रसीद कटवा ली, पैसे जमा करवा दिये, लेकिन पट्टा देने की समय सीमा भी आपकी 31 मार्च तक थी फिर भी आपने जरूरतमंदों को पट्टे नहीं दिये।

सूरतगढ़ में वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 26 व अन्य जगह, जहां कॉलोनियां बसी हुई हैं, तीस-पैंतीस साल से लोग बसे हुए हैं, बिजली-पानी, टेलीफोन के कनेक्शन हैं लेकिन फिर भी भू-माफिया लोग जमीनों पर केस लगाकर खातेदारी ले आते हैं। खातेदारी देने से पहले उनकी कब्जे की रिपोर्ट मांगी जाती है लेकिन यह भू-माफिया गलत तरीके से प्रशासन के साथ मिलीभगत करके फर्जी तरीके से कागजों में हेराफेरी करके फजीवाड़ा करते हैं तो इन सबकी जांच की जानी चाहिए एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाने की जरूरत है। 2015 में 315/2 खसरा जो सन सिटी रिसोर्ट के पीछे बताया गया, वह ही अब इस खसरे को वार्ड नम्बर 26 में निरंकारी भवन के पीछे बेशकीमती जमीन पर फिट करने की कोशिश की जा रही है जबकि खसरा नम्बर 315/1 स्थिति भूखण्ड 2021 में नगरपालिका द्वारा आवासीय योजना काट चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बहुत बड़ा भाग है और लगभग सत्तर हजार, अस्सी हजार की आबादी है। शिक्षा का बहुत बड़ा हब है। सूरतगढ़ नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा दिये जाने की जरूरत है। सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जेतसर कस्बा है, जहां पर धान मंडी है, पुलिस थाना है, बड़ा बाजार है, 20 से 25 हजार की आबादी है। जेतसर को नगपालिका बनाये जाने की जरूरत है। सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र के पास किशनपुरा अंडर ब्रिज के नजदीक लगभग सात वर्ष पूर्व सितम्बर, 2018 में भूमि नीलामी की

गयी थी आवासीय पट्टों के लिए। सभी ने पैसे भरवा दिये। नगरपालिका भूखंडधारियों को न तो पट्टे दे रही है और न कब्जा ही दे रही है और नीलामी के शत-प्रतिशत पैसे जमा करवाने के बाद भी वे आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसी तरह से मार्च, 2013 में वार्ड नम्बर-1 सैनी गार्डन के पास, चालीस-पचास आवासीय भूखण्डों की नीलामी की गयी। नीलामी के लोगों ने पैसे जमा करवा दिये, बीस से पच्चीस लाख रुपये एक-एक ने जमा करवाये लेकिन न तो पट्टे दिये और न ही आज तक कब्जा दिया गया। इसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव की वजह से विवेकानंद पब्लिक स्कूल, जाखड़ावाली को जमीन देने का प्रस्ताव नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा अगस्त, 2024 में भिजवाया गया जबकि इस जमीन से सम्बन्धित प्रस्ताव को जून, 2005 में नगरपालिका प्रस्ताव संख्या 3 में धान मंडी सूरतगढ़ व हाउसिंग बोर्ड के बीच की भूमि को खारिज किया गया। उच्च न्यायालय ने भी विधि विरुद्ध मानते हुए इसे निरस्त माना। इसी जमीन को 16 जनवरी, 2023 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के अन्दर सार्वजनिक उपयोग के लिए, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि बनाये जाने के लिए नीलामी करने का निर्णय लिया। फिर भी ऐसा क्या लालच व दबाव है, मंत्री महोदय, कि शहर के मध्य की बेशकीमती जो जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ के लगभग है, वह नगरपालिका प्रशासन द्वारा निजी संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का संकेत है। किशनपुरा की आबादी जो नगरपालिका सूरतगढ़ के सटी हुई है, उस किशनपुरा आबादी को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए। सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर हाउसिंग बोर्ड के तहत मकान बनाकर जरूरतमंदों को दिये जाने की जरूरत है।

राजस्थान प्रदेश के अन्दर पिछले दस सालों से सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई है। संविदा के द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से सफाई करवायी जा रही है जिससे सफाई कर्मियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्रमुखता दिये जाने की मांग मैं करता हूं।

सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने जमीन आवंटन के लिए आवेदन कर रखे हैं और मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जमीन आवंटन के नगरपालिका में प्रस्ताव भी आये हुए हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा तो चालान संख्या 1095, दिनांक 27.02.1996 को भूमि की कीमत भी 3 लाख 13 हजार 568 रुपये जमा करवा दी गयी लेकिन आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया। इसके अलावा राय सिख समाज, नायक समाज, स्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, कुम्हार समाज, जाट समाज, श्री करणी माता मन्दिर एवं धर्मशाला, तैली समाज, मदरसा, सिंधी समाज, छठ पूजा स्थल व बाबा दीपसिंह गुरुद्वारा आदि संस्थाओं को रियायती दर पर पट्टे देने की जरूरत आज महसूस की जा रही है।

ssy/rtm/07.03.2025/19.20/4c

सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर दो इंदिरा रसोई थी, आपने नाम बदला कोई बात नहीं, लेकिन एक बंद कर दी और एक जो चल रही है वह भी खिसक-खिसक कर चल रही है, अभी माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि हमने उनकी तादाद बढ़ा दी, लेकिन आपने हालात खराब कर दी। सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल की जगह निश्चित की जाये। सूरतगढ़ नगरपालिका में जीप, कार, टैंपो आदि के लिए दो और टैक्सी स्टैंड की जरूरत है।

सूरतगढ़ नगरपालिका के अंदर श्री अशोक गहलोत साहब के समय में आवंटित कियोस्क को रिन्यू किया जाये, और भी कियोस्कों की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है, निश्चित तौर पर उनको आवंटित किया जाये। सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के साथ-साथ शहरों के अंदर ठेला लगाकर के बहुत से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी योजना बनाने की जरूरत है, ताकि वह अच्छी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

मंत्री महोदय, 2013 के बाद सर्वे नहीं हुआ, नए सर्वे करवाये जायें ताकि आवासों का निर्माण किया जा सके और नए लोगों को भी पट्टे दिए जा सके। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ के साथ-साथ सभी नगरपालिकाओं में सीवरेज, ड्रेनेज व पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे बरसात के समय में सारा का सारा शहर पानी से लबालब हो जाता है, शहर में पानी की निकासी का पुख्ता प्रबंध किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: श्री देवी सिंह शेखावत।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय, राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा भू भाग है और 8 करोड़ लोग इसमें रहते हैं। आज जो मांग है वह नगरीय एवं स्वायत्त शासन के लिए है। लगभग 2 करोड़ लोग नगर और स्वायत शासन से सीधे जुड़े हुए हैं। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए नगरपालिकाएं, नगर विकास न्यास काम करते हैं, कहीं प्राधिकरण करते हैं, निगम के द्वारा भी यह कार्य किया जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं, एक बानसूर है, दूसरी नारायणपुर है। बानसूर की आबादी 2011 में 27315 थी और अब लगभग 50 हजार है, लेकिन उसकी श्रेणी अभी भी नगरपालिका में चतुर्थ है, उसको क्रमोन्नत कराके उसे तृतीय स्तर की नगरपालिका बनाई जाये, यह मैं आदरणीय मंत्री जी से मांग करता हूँ।

दूसरा, वहाँ आवागमन समुचित हो इसके लिए स्वास्थ्य मंदिर से नारायणपुर रोड होते हुए, कालका मंदिर रोड होते हुए, सुभाष चौक तक बाईपास का निर्माण किया जाये, ताकि वहाँ शहर के लोग एक्सीडेंट से निजात पा सकें और बाहरी आवागमन शहरी आवागमन से प्रभावित नहीं हो।

माननीय, मैं आपसे मांग करता हूँ कि वहाँ अभी सीएफसी का पैसा नहीं आया है, वह पैसा जल्दी से दिया जाये, ताकि वहाँ नगरपालिका में आर्थिक कुप्रबन्धन जो अभी हो रहा है, वह नहीं रहे क्योंकि यह नगरपालिका जब बनी उस समय उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण से वहाँ केन्द्रीय वित आयोग का पैसा, सीएफसी का पैसा नहीं आया था, उससे 3 करोड़ की आय नहीं हुई और वहाँ कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ गए।

हमारे वहाँ शहर के मध्य में किला हैं उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ, साथ ही वहाँ कर्मचारियों का अभी अभाव है, इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसे भी हो वहाँ कर्मचारी लगाएं, जे ईएन की वहाँ अति आवश्यकता है।

माननीय, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि वहाँ बाढ़, धुंधला और हरसोरा रोड पर पानी निकासी की विशेष समस्या है, इसके लिए मैं, मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसे हमारी अमृत योजना टू में जोड़कर, पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये।

दूसरा कस्बा हमारा नारायणपुर जहाँ नगरपालिका है, वहां 2011 के हिसाब से जो आबादी थी, वह 25818 थी और अभी उस नगरपालिका क्षेत्र में आबादी 40 हजार के आसपास हो गई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे सम्माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उसे तृतीय श्रेणी की नगर पालिका बनाया जाये, क्रमोन्नत किया जाये। वहाँ अभी फायर ब्रिगेड भी नहीं है, जगह आवंटित होने के बाद वहाँ बन पाए इसलिए जगह भी आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

साथ ही वहाँ स्वच्छ भारत मिशन का पोर्टल अभी नहीं चल रहा है, और भी पोर्टल वहाँ बंद है तो संबंधित विभाग के जो पोर्टल हैं उनको चेक करा के जल्दी आप चालू कराये ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। नगरपालिकाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, शहर की साफ सफाई हो, आवागमन हो, हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

सफाई का जो कार्य होता है वह हमारा वाल्मीकि समाज आज तक प्रमुखता से करता आया है, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी नीति बनायें जिससे वाल्मीकि समाज को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व स्वच्छता कर्मचारियों में मिले। हमारे यह जो संविदाकर्मी है, इनकी तरफ भी माननीय मंत्री जी ध्यान करें, कैसे इनको रेगुलाइज किया जाये ताकि वह मन लगाकर काम कर सकें।

माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामपुर, राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत पंचायतें हैं, उनमें हुआ करती थीं। पिछले सालों में वहाँ एक पंचायत को चार पंचायतों में बांट दिया गया, चार पंचायतें होने के कारण जो कस्बे का सेंट्रलाइजेशन था वह विकेन्द्रीकृत हो गया और कस्बे की रौनक खत्म हो गई। लोगों का मन भी नहीं लगता है। वह जो चारो के चारो पंचायतें हैं, यह चाहती है कि वहाँ नगरपालिका बने, ताकि वापस उसका विकास हो, कस्बे का पौराणिक महत्त्व भी बना रहे और सब लोगों की डिमांड है। मैं, आदरणीय हमारे मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से पुरज़ोर डिमांड करता हूँ कि रामपुर को नगरपालिका चारों पंचायतों

को मिलाकर बनाया जाये।

माननीय, आज हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं तो हमारा कांग्रेस से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कांग्रेस के समय में सरकार होटलों में बैठी रहती थी और हमारे मंत्री केक बनाना सीख रहे होते थे, पब्लिक का ध्यान नहीं था और 5 साल में प्रदेश को 15 साल पीछे कर दिया गया।

अभी भजन लाल जी के सामर्थ्यशाली, प्रेरणादायी नेतृत्व के अंदर कांग्रेस शासन की अपेक्षा तीन गुना तेजी से विकास हो रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, साथ ही हमारे मंत्री जी जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, नगरीय विकास मंत्री हैं, खर्रा साहब का भी मैं बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में कोई भी कार्य जब भी मांगा जाता है, बड़ी तत्परता से होता है।

मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी जो ये मांगे हैं इनमें रामपुर को नगरपालिका और अमृत योजना जो बानसूर, नारायणपुर में सीएफसी और एसएफसी का पैसा तुरंत दिया जाये और उस क्षेत्र के विकास के लिए बाईपास भी अलॉट किए जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

सभापति महोदय जी, पिछले बजट में, वर्ष 2024 में भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हिन्डौन को बजट से वंचित रखा गया, इस वर्ष भी हिन्डौन को कुछ नहीं दिया गया। आखिर मुख्य मंत्री महोदय जी, यह बताने का श्रम करें कि आप जनता से किस बात का बदला ले रहे हैं? हिन्डौन शहर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता इनको जानना चाहती है।

हमारी मुख्य मांग शहर के विकास जिसमें सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, शहर के बाजार में महिला शौचालय, बाजार में वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं सौन्दर्यीकरण की है।

spp/rtm/07.03.2025/1930/4d

मैं आपसे मांग करती हूँ कि हिण्डौन नगर परिषद को आप बजट देने की मंशा रखते हैं या नहीं? आप सदन में घोषणा करें, यदि बजट नहीं देना है तो इसका कारण बताएं और बजट देने की घोषणा कर रहे हैं तो कितनी? मेरी सरकार से मांग है कि हिण्डौन नगर परिषद को स्पेशल बजट जारी किया जावे।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप के माध्यम से सभा को अवगत कराना चाहती हूँ कि हिण्डौन नगर परिषद का कचरा निस्तारण के लिये शहर से दूर जगह आवंटित की जाए जिससे शहर को बीमारियों से छुटकारा मिले, क्योंकि वर्तमान में नगर परिषद शहर मात्र एक किलोमीटर दूरी पर जाट के तालाब के पास कचरा निस्तारण कर रहे हैं और वहां पर कचरे का पहाड़ बना दिया गया है, जिससे पास में निवासी गंदगी एवं दुर्गंध से परेशान हैं और कई बीमारियां फैल रही हैं। मुख्य मंत्री महोदय से मांग करती हूँ कि शहर से दूर कचरा निस्तारण

के लिए जगह आवंटन करने की घोषणा सदन में की जावे? नगर परिषद हिण्डौन में ड्रेनेज सिस्टम व खाली नाले के संबंध में कहना चाहती हूं। हम आप के माध्यम से सदन में पहले भी अवगत करा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय जी, हिण्डौन शहर में पानी की निकासी का उपाय कराएं, क्योंकि शहरवासी एवं व्यापारी मांग कर रहे हैं कि हिण्डौन के खाली नाले के पटाव होने से पानी का निकास बंद है, नालियां भी बंद हैं। पानी के निकासी का स्थायी समाधान करायें। अभी भी दिन में भी पानी भरा रहता है। बारिश ना होने के बावजूद भी, लेकिन नगर विकास मंत्री जी ने मेरी बात को गहनता से नहीं लिया जिसका परिणाम आपके सामने चार महीने बाद आ गया। व्यापारियों का 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण गरीब लोगों के घर ढह गए हैं। पूरा शहर बारिश के पानी से डूबा रहा। न सरकार ने और न ही प्रशासन ने इसका ध्यान दिया। खाली नाले में कई लाशें बाद में मिलीं। जब जनता ने शोर किया, उसके बाद पुलिस द्वारा खाली नाले से लाशें निकालीं। और न जाने कितनी लाशें खाली नाले के अंदर अभी भी होंगी। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हिण्डौन शहर को खाली नाले की समस्या से निजात दिलाने के लिए उसके पटाव को हटाया जावे और उसके ढलान को सही कराया जावे। शहर के पानी के निकास का ड्रेनेज सिस्टम सही कराया जाए तथा इसकी घोषणा सदन में की जावे। हिण्डौन शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सही कराने के लिए आप कितना बजट जारी कर रहे हैं? यह बताएं। आपातकालीन में आपके मंत्रियों ने हिण्डौन शहर नगर परिषद को 12 से 22 करोड़ की घोषणा करके आये थे, उसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। असत्य घोषणा से काम नहीं चलेगा मंत्री महोदय जी, नगर परिषद हिण्डौन को अतिरिक्त बजट आवंटन कराने की जनता की मांग है। आप सुन रहे हो ना?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं प्रधान मंत्री आवास योजना के भ्रष्टाचार के संबंध में बताना चाहूंगी कि गरीबों की हाय मत लो। माननीय सभापति महोदय जी, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। ठेकेदार और प्रशासन अपने अपने निजी जानकारों के, जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद उक्त आवास उन्हें आवंटित किया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? सीधा सीधा अपने गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आप गरीबों की हाय ना लेकर जो उनका हक है, उनको सर्वप्रथम आवास आंवटित का अधिकार दिया जावे और इस संबंध में एक कमेटी बनाकर यह जानकारी की जावे कि उक्त योजना के तहत किनको आवास आवंटित हुआ है और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जावे।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं यह मांग करती हूँ कि हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के महावीर जी, जो जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। साथ साथ अन्य लोग भी दर्शन करने आते हैं। शहर में रेलवे स्टेशन भी है और वहाँ समस्त ट्रेनों का ठहराव भी है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे छोटा शहर हो। महावीरजी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जावे। धन्यवाद। जय भीम। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री विक्रम सिंह जाखल।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर आज बोलने का मौका दिया, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान में वाल्मीकि समाज अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है क्योंकि यह समाज देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। यह कोई आजकल की नयी पहल नहीं है। यह समाज स्वच्छता के लिए अपने-अपने हर क्षेत्र में जाना जाता है। समाज स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परंपरागत कार्य करता है और गत राजस्थान की सरकार ने नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारियों की भर्ती से पहले वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के साथ सरकार की वार्ता और समझौता हुआ था। सफाई भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देगी। वह वादाखिलाफी करने वाली सरकार मुकर गई और वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया था। अगर ध्यान देती ऐसे धर्म, कर्म, शील और कर्मवीर समाज का ख्याल रखती तो आज इस समाज के लोगों को रोजगार मिलता और प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में और स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप पर होता। वाल्मीकि समाज ने वोट से चोट की और आज हमारे जनकल्याणकारी मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज की समस्त मांगों को स्वीकार किया गया। लगभग 24 हजार की संख्या में बड़ी भर्ती निकालकर रोजगार के अवसर सृजित किये और वाल्मीकि समाज का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा।

माननीय सभापति महोदय, साथ में, मैं आज आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के घटनाक्रम की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपका ध्यान मेरी नवलगढ़ विधान सभा में सीवरेज के कार्य की ओर दिलाना चाहूंगा। 2016 और 2017 के बजट में नवलगढ़ को 102 करोड़ रुपये का बजट का मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने दिया और 102 करोड़ रुपये के बजट की लागत से सीवरेज के कार्य का शुभारंभ भी तत्कालीन मंत्री, राजपाल सिंह शेखावत जी ने किया। आज वहाँ की यह स्थिति है कि ज्योंही 2017 से लेकर 2018 तक काम पूरा हुआ इससे ताबड़-तोड़ तरीके से काम करवाया कि नवलगढ़ की हालत आज के दिन इस स्थिति में आ चुकी है कि न कोई चल सकता है, न कोई जा सकता है। सड़कें टूट चुकी हैं। इसका कारण यह था कि जब 2016-17 के बजट में कंपनी को टेंडर मिला और ज्योंही 2018 के अंदर सरकार कांग्रेस की आयी और कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने राज़ के ताकत के बल पर अपने चाहने वाले लोगों को, ठेके को सब-लेट कराकर ऐसे लोगों को काम दिलाया कि जिनको काम करने का, ठेकेदारी करने का अनुभव भी नहीं था। इसी वजह से आज नवलगढ़ के अंदर सीवरेज का काम अच्छा नहीं हुआ। कहीं पर सीवरेज के ढक्कन उपर लगे हुए हैं कही पर सीवरेज के ढक्कन नीचे हैं। साथ में जो जमीन में भूमिगत पाइप लाइन डाली गई थी, उसका कोई अलाइनमेंट सही नहीं है। निरंतर लीकेज होती है और सदैव एक न एक शिकायत नवलगढ़ नगर पालिका की डेली आती है इस बात को लेकर के कि सीवरेज का पानी, पीने के पानी के अंदर मिल रहा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आप के माध्यम से सभापति

महोदय, मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आपको यहां पर सारे अधिकारी भी विराजमान हैं। सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

साथ ही नवलगढ़ के अंदर सारी सड़कें तोड़ी गईं। सड़कें टूटने के बाद नवलगढ़ शहर के आसपास की जो मैन हाइवे से कनेक्टिविटी है नवलगढ़ शहर की, वहां की सारी सड़कें टूट चुकी है। नवलगढ़ शहर को ज्यादा से ज्यादा रोड दे करके नगरपालिका को और लोगों के लिए आवागमन के लिए निजात मिले, यह मेरी आपसे मांग है। सभापति महोदय, आप के माध्यम से नवलगढ़ शहर के अंदर नवलगढ़ नगरपालिका में आज के दिन इतने आवारा पशु हैं।

jyg/rtm/07.03.25/19.40/4e

माननीय सभापति महोदय, उन आवारा पशुओं के लिए स्थिति यह रहती है कि दिन में कई बार माताएं-बहनें जब मन्दिर में या दुकानों पर या कोई शॉपिंग करने के लिए परिवार के साथ, फैमिली के साथ जाती है, वहां आवारा पशुओं का बहुत बड़ा आतंक है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी व्यवस्था की जाये और साथ में आसपास के जो भी पशु खतम हो जाते हैं उन पशुओं को लाकर कहीं भी अवसर देखकर आसपास के लोग, शहर के आसपास में डालकर चले जाते हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे इलेक्ट्रिक पशु शव दाह गृह की मांग करता हूं। नवलगढ़ शहर, नवलगढ़ नगर पालिका में हवेलियों को देखने के लिए ट्यूरिस्ट बरसों से, पीढियों से आते-जाते रहते हैं। नवलगढ़ के सौन्दर्यीकरण के लिए आपको अलग से भी कोई बजट देना चाहिए, यह मेरी आपसे विशेष मांग है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस 2025-26 के बजट में एक साधारण-सी मांग पर नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो नगर पालिकाएं दी, यह जिले में बहुत बड़ी मिसाल बनी और जिले में साथ में सुल्ताना में भी दी, जिस विकास का रिजल्ट आपने झुंझुनूं के उप चुनाव में भी देखा था। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये दोनों नगरपालिका जाखल और डूंडलोद को एमटीआर प्लान के तहत ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाये। नगर पालिका डूंडलोद में एक जोहड़ है, जिसके अन्दर साफ-सुथरा बारिश का पानी एकत्रित होता है, जिसको सौन्दर्यीकरण के लिए विकसित किया जा सकता है। नगर पालिका डूंडलोद में एवं जाखल में स्टाफ की व्यवस्था की जाये, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं। डूंडलोद उद्योगपतियों का नगर है, डूंडलोद में आये दिन कोई न कोई बड़ी कथा, बडे यज्ञ का कार्यक्रम होता रहता है, डूंडलोद में इतने मन्दिर हैं, इतने गो भक्त हैं, उन सबकी यह मांग है कि इस जोहड़ के सौन्दर्यीकरण के लिए क्योंकि डूंडलोद, नवलगढ़, मुकन्दगढ़, मण्डावा, रामगढ़ इस रोड से जाने वाले जितने भी ट्यूरिस्ट हैं उनका यह आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

श्री सभापतिः विराजें प्लीज। श्रीमती शिमला। आप टेबल कर दें कॉपी।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली बजट घोषणा में नव गठित नगरपालिका हमारी तीन पंचायतों का विघटन करके बनायी गयी थी, 24 एसीए, 2 एसटीआर, 3 एसटीआर, नगरपालिका तो बना दी गयी लेकिन वहां पर अभी एक ईओ है इसके अलावा वहां कोई स्टाफ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। बजट के नाम पर एक रुपया भी नहीं है तो वहां की जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है, अन्य कार्य हैं वो नगरपालिका कैसे करे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करती हूं कि आप घड़साना नगरपालिका में पूरे स्टाफ की व्यवस्था करें और 12 बीघा जमीन जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था उस नाले की मरम्मत करवाकर उसको चालू करें, सीवरेज की व्यवस्था करें और फूंकणी चौराहे से लेकर रीको तक जो हमारी सड़क पूरी टूटी पड़ी है, गंदा पानी पूरा फैला पडा है, इसको बनवाने का कष्ट करें। नगरपालिका से प्रस्ताव बनाकर लगभग छह करोड़ से ऊपर आपके मेज पर भेज दिया गया है तो नगर पालिका को आवंटन करवाने का आप कष्ट करें। जिन पंचायतों का विघटन करके आपने नगरपालिका को बनाया तो उन पंचायतों के शेष गांव हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था करें। उन ग्राम पंचायतों के गांवों में किस तरह से काम होगा, उसकी व्यवस्था आप करें। सफाई कर्मचारियों की नगरपालिका घड़साना के अन्दर व्यवस्था करें। नगरपालिका के भवन के निर्माण की मैं मांग करती हूं। कचरा संग्रहण की मैं मांग करती हूं। अनूपगढ़ नगर परिषद में 30 से 40 हजार की आबादी है, वहां प्रेम नगर के 6 और 7 नम्बर वार्ड में पूरे शहर का पानी इकट्ठा होता है वहां गिरता है, वहां गरीब जनता बैठी है, पिछली बार भी सदन में मैंने माननीय मंत्रीजी से मांग की थी कि आप इस गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था शहर से अन्यत्र जगह करें ताकि जो जनता नारकीय जीवन जी रही है वो उस जीवन से निजात पा सके। अतः मैं पुनः आपसे मांग करती हूं कि अनूपगढ़ में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करें। जो पट्टों से वंचित परिवार हैं उनको तुरंत प्रभाव से पट्टे देने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की वर्तमान में एक महत्वपूर्ण समस्या है वार्ड नम्बर 1 की, जहां की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, लगभग 400-500 घरों की वहां आबादी बसी हुई है, लगभग 3000-4000 लोग वहां रह रहे हैं लेकिन रेलवे विभाग कह रहा है कि यह भूमि उसकी है। जबकि उस पर बसे हुए लोग कह रहे हैं कि यह भूमि अराजी राज की है तो रेलवे विभाग लगातार इनको नोटिस दे रहा है, ये लोग डरे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं जबकि नगर परिषद ने वहां पर बहुत से काम करवाये हैं, उन मकानों का गृह कर भी नगर परिषद ले रही है, माननीय मंत्रीजी, मैं आपके मांग करती हूं कि यह जमीन रेलवे की है या

अराजी राज का रकबा है, यह स्थिति स्पष्ट करे और बार-बार रेलवे विभाग उन लोगों को नोटिस न दे, क्योंकि एक गरीब आदमी अपना मकान किस तरह से बनाता है, अगर वो 4000-5000 लोग अतिक्रमण के नाम पर हटाये जाते हैं तो उन लोगों की वो छत छिन जायेगी। वो लोग अपना परिवार लेकर कहां जायेंगे?

माननीय सभापति महोदय, वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, दसवीं और बारहवीं की बच्चियों की परीक्षा है, नोटिस दिये जा रहे हैं, उन बच्चियों का अध्ययन का कार्य प्रभावित हो रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उनको वहां से रेलवे विभाग खड़ा करता है तो मैं सदन से और मंत्रीजी से मांग करती हूं कि सबसे पहले उन 400-500 घरों की आबादी के पुनर्वास की व्यवस्था करें तभी उनका अतिक्रमण हटायें, नहीं तो वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वहां की जो जनता है वो मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी को झेल रही है। माननीय मंत्रीजी से मैं मांग करती हूं कि मेरी इस समस्या की तरफ आप ध्यान दें और वहां पर जो बसे हुए लोग हैं, वे चालीस-पैंतालीस साल से बसे हुए हैं, आज रेलवे विभाग कैसे जागा है, जब उन लोगों ने तिनका-तिनका कर घर बसाया है और आज रेलवे अतिक्रमण के नाम पर कह रहा है कि यह मेरी भूमि है, तोड़ने जा रहा है तो वो लोग कहां जायेंगे? तो मंत्रीजी, आप इस समस्या का समाधान करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सूचना

टोंक में गौकशी की घटना

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह की घटना है, 6 बजे की, टोंक में बीएसएनएल ऑफिस, महिला थाने के पास, गो माता के अवशेष मिले हैं, जहां आगे का भाग था और पीछे का भाग था। बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। सारी जनता में बहुत रोष है। यह पहले भी हो चुका है, आठवीं बार है, सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल दोषियों पर कार्यवाही करे, कठोर कार्यवाही करे, गिरफ्तार करे और आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आदू राम मेघवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की मांग संख्या 39 और 40 के विषय पर सदन में अपने विचार प्रकट करने के लिए सुअवसर प्रदान किया।

जन-जन के कल्याण एवं उत्थान को समर्पित प्रदेश की भजन लाल जी की सरकार द्वारा अपने एक वर्ष के कार्यकाल में एक सर्वश्रेष्ठ राजस्थान, विकसित राजस्थान की मजबूत

आधारशिला की नींव रखी है जो कि जन-जन के हृदय में आशा और उमंग के बीज अंकुरित कर धरातल पर सफल क्रियान्वित हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में सीमावर्ती चौहटन विधान सभा क्षेत्र की देव तुल्य जनता को बहु आयामी उपहार स्वरूप मूलभूत सुविधाएं तथा असीम क्षेत्रीय विकास की परियोजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचन्द जी बैरवा का मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, चौहटन एक धार्मिक नगरी है जहां डूंगरेबसा, परमेश्वरा, धर्म राखे भरम, जहां विश्व का, पश्चिमी राजस्थान का सूईया पोषण मेला, जिनको हम अर्द्ध कुम्भ भी कहते हैं, वैसी नगरी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, ...

MLS/RTM/07.03.2025/19:50/4f

उप मुख्य मंत्री प्रेम चन्द बैरवा जी को, जिन्होंने चौहटन की आम जनता की अति महत्त्वपूर्ण जायज मांग के अनुसार चौहटन ग्राम पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत किया, जो कि वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन उपहार है। माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि नवगठित नगरपालिका चौहटन में अनेक मूलभूत संसाधनों की अति आवश्यकता है। इस हेतु सर्वप्रथम नवगठित नगरपालिका चौहटन में स्थायी कार्यालय अतिशीघ्र खोला जाये तथा साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की अतिशीघ्र नियुक्ति की जाये, जिससे राजकीय और लोक हितकारी कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, नवगठित नगरपालिका चौहटन में मुख्य सड़कों, नालियों के निर्माण हेतु सुनियोजित योजना निर्मित की जाये तथा आवश्यकता अनुसार सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य करवाया जाये। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र चौहटन के अन्तर्गत सम्पूर्ण बाज़ार में वर्षा ऋतु या बारिश के दौरान बरसाती जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौहटन मुख्य बाजार में वर्षा जल बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है, जिससे बहुत-सी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इस हेतु माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से मेरा सादर निवेदन रहेगा कि चौहटन नगरपालिका क्षेत्र में जल भराव की इस भयंकर समस्या से निजात दिलाने हेतु बरसाती जल निकासी की उचित और सुदृढ़ व्यवस्था की जाये। जो हमारा पुराना चीफल नाड़ी, जहां से किसी जमाने के अन्दर चौहटन नगर की पूरी पानी की सप्लाई हुआ करती थी, उसका जीर्णोद्धार करके पानी यदि इकट्ठा हो तो आने वाले समय के अन्दर पानी की समस्या भी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, चौहटन नगरपालिका क्षेत्र महाभारतकालीन अति प्राचीन कस्बा है, जहां अरावली की पर्वत श्रृंखला के समान ही बड़े-बड़े पहाड़ हैं। बारिश के दौरान इन पहाड़ों से सार्वजनिक मात्रा में वर्षा जल ढलान की ओर गति करता है। इस हेतु वर्षा जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चौहटन नगरपालिका क्षेत्र में एनिकट का निर्माण किया जाये एवं मैंने जो चीफल नाड़ी की आपके सामने बात रखी, वर्षा जल का संचय कर भूजल स्तर को भी बढ़ावा दिया जाये, जिससे उसे बहूपयोगी कार्यों में लिया जा सके। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में कचरे एवं गन्दगी के कारण अनेकों परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। कचरा तथा गन्दगी के निस्तारण हेतु कचरा संग्रहण एवं परिवहन की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, बेहतरीन सफाई व्यवस्था के लिए स्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। समय-समय पर अवलोकन कार्य करवाये जाएं, इस हेतु एक सुदृढ़ कार्य योजना बनायी जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका चौहटन में पानी, चिकित्सा, यातायात आदि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्क स्थापित किया जाये, जिससे क्षेत्र में सौंदर्यीकरण की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र की मुख्य बाजार कस्बा रोड लाइटों का सुचारु रूप से संचालन करने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को बेहतर व्यवस्था मिल सके। माननीय सभापति महोदय, चाहती क्षेत्र में आये दिन बढ़ रहे चोरी, डकैती, लूटपाट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार में लगे कैमरों की भी देखभाल समय-समय पर की जानी चाहिये। बन्द तथा खराब पड़े कैमरों को ठीक करवाया जाये। मेरी मुख्य मांग आदरणीय नगरीय मंत्री जी से रहेगी कि हमारा सेड़वा जो कस्बा है, भारतमाला मुख्य सड़क के ऊपर स्थित है, जहां उप-खण्ड कार्यालय है, जहां पंचायत समिति है, जहां जनसंख्या भी पर्याप्त है। इसको नगरपालिका घोषित किया जाये।

मैं हमारे जैसे यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे उप मुख्य मंत्री प्रेम चन्द जी बैरवा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौहटन नगरपालिका बनने के बाद में अभी 2025-26 के इस बजट के अन्दर आपने जहां हमारा चौहटन विधान सभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, जहां गांवों के अन्दर ढाणियों के अन्दर लोग रहते हैं, जहां पक्के मकान बहुत कम हैं, जहां आगजनी की समस्या हो जाती है, अग्निशमन गाड़ी की इस बजट के अन्दर घोषणा की है,

श्री सभापतिः विराजें प्लीज। श्री श्रवण कुमार।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): इसके लिए मैं हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अन्नपूर्णा रसोई भी हमारे चौहटन नगर में स्थापित की जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः सोते रहते हो, जाग्रत अवस्था में बैठा जाये यहां। मैं कई लोगों को देख रहा

हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 और 40 नगरीय विकास एवं आवासन पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता,

हारता वही है जो फिर से खड़ा नहीं होता।

यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की रेखा, क्योंकि उसे लिखने वाला खूद ही है। आप तकदीर की बात करो, अभी हमारे सुबह से सब लोगों ने नगरपालिका और नगर निगम, ये बढ़ाते-बढ़ाते, मेरे देखते ही देखते 300 बना दीं और व्यवस्था इनके पास 150 की नहीं है। इनके पास न तो कोई ईओ है, न कोई जे ईएन है, न कोई बाबू है और मांग कर रहे हैं लोग कि नगरपालिका बना दो। पंचायतें पड़ी रहने दो। इनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। ये केवल टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पासर हैं, टाइम पासर हैं। अगर मंत्री होता तो 15 महीने में कोई अचीवमेंट बताता। अचीवमेंट कहां है इनका? नो अचीवमेंट। न इनका कोई काम करने का ढंग है।

हमारी नगरपालिका सूरतगढ़ में टिपर आये थे 40, 40 टिपरों को आज तक पास ही नहीं करवाया। कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल हमारे उप राष्ट्रपति जी आये थे झुंझुनूं में और फायर बिग्रेड की गाड़ी जा रही थी आगे-आगे, उसकी इंश्योरेंस ही नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता तो पूरे भारत में मुंह काला हो जाता। 35 करोड़ रुपये घाटे में नगर परिषद झुंझुनूं चल रही है। सारी नगरपालिकाएं घाटे में चल रही हैं। कोई मालिक नहीं, कोई ई ओ नहीं, जे ईएन नहीं। क्यों इस तरह के अव्यवस्थित काम कर रहे हैं आप? आपके पास में संसाधन नहीं हैं तो बेकार में समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों बेकार में समय खराब करते हो? ...(व्यवधान)...

मैं बोलूंगा तो सही, और क्या करूंगा? बोलने के लिए ही तो आये हैं। आपकी तो आत्मा मरी हुई है, मेरी थोड़ी मरी हुई है। आप तो हां में हां मिला रहे हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय भजन लाल जी को, उन्होंने पिछली बार मेरे को 20 करोड़ रुपया सड़क के लिए दिये, परन्तु मैं धन्यवाद उनको तो दूंगा, लेकिन मंत्री जी को मैंने कह दिया 10 बार, उसकी डीपीआर ही आज तक नहीं बनवायी। ...(व्यवधान)... तो फिर भजन लाल जी बनावाएं उसकी डीपीआर। और मैंने तो अब भी उनसे कह दिया कि हमारे गार्डन नहीं हैं, पांच करोड़ रुपये देंगे, पर बनाने वाला कौन है, हमारा स्वायत्त शासन मंत्री है, वह नहीं बनवाये तो क्या करूंगा मैं? किस-किससे लड़ता फिरूंगा? इसलिए मंत्री जी, आप केवल यहां जवाब देकर चले जाते हो और अपने आप में खुश हो जाते हो कि देखो, मैंने जवाब दे दिया।

कोई नहीं बोलता है। सबकी आत्माएं मरी हुई हैं, आप कुछ भी बोल दोगे, वही मान लेंगे, पर काम जमीन पर दिखता है, लोगों को मालूम हो जाता है। आज आपको मालूम नहीं है क्या, एक-एक ए ईएन के पास तीन-तीन नगरपालिकाएं हैं। जे ईएन है नहीं, बाबू है नहीं। पंचायतों को खदेड़कर छोड़ दिया। पंचायतें हटा दीं। न किसी का पट्टा बनता है। हमारी

सरकार ने 13 लाख पट्टे दिये। आप कह रहे हो, ''चोरी की है'' तो आप पकड़ो। आपने क्या किया? आपने एक भी पट्टा नहीं दिया है। गरीब व्यक्ति अपने पट्टे पर जमीन को रखकर के अपनी बेटी की शादी कर सकता है, अपने बेटे को बाहर विदेश भेज सकता है, उससे पढ़ाई करवा सकता है। आपने एक पट्टा नहीं दिया, और कोई दिया हो तो आप बताओ न। एक भी पट्टा नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सबका मुंह बांध दिया, पट्टा मत दे देना, चोरी हो रही है।

चोरी कहां हो रही है, बताओ तो सही और चोरी जो कर रहे हैं, उनको आपने पकड़ा किसी को? आज तक यह सदन इतना बैठा है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों की बातें करते हैं, चोरी-चोरी, आप क्या करोगे? पकड़ो न। किसी की हिम्मत तो है नहीं पकड़ने की, बात करते हैं। बातों से पेट भर जायेगा क्या?

MKD/RTM/07.03.2025/20:00/4g

नो, आपने फिल्टर करने वाली मशीनें मंगवा रखी है। हम कहते हैं, (..व्यवधान..) पोल्यूशन वाले करेंगे और पहले क्या होता था, मशीनों के नगर पालिकाओं में टेंडर करते थे, अब नगर पालिकाओं ने टेंडर छोड़ दिये।

जैसे पीएचईडी में पूरे राजस्थान का पदम जैन ने किया था। उसी तरह ये भी पूरे राजस्थान का डीएलबी से करते हैं। डीएलबी वाले, मशीनें किनकी हैं, मालूम है, गुजरात की, गुजरात की मशीनें हैं, गुजरात के ठेकेदार हैं। आज मशीन से फिल्टर किया, 10 दिन बाद वो ही पॉलिथीन उड़कर वहां आई, नाली में गिर गई तो नाली के ठेके हो गए और नाली साफ की तो दोबारा इकट्ठे हो गई। कहीं तो आप स्टैंड लो जिससे समाज को दिशा मिले, दिशाहीन कर दिया। हर आदमी बोलता नहीं है पर वह कहता है कि मैं पीड़ित हूं, पर what can I do. मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, आपने तो सबको डुबो ही दिया।

श्री सभापति: ये एजुकेशन पर बात चल रही है क्या, तो बात करो स्वायत्त शासन की।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं स्वायत्त शासन की, ये बीच में बोल गये ना, इनको मेरे से बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई न्योता दिया था क्या? ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं? इनसे पुराना आदमी हूं, मेरे को क्या ज्ञान बांट रहे हैं।

श्री सभापति: वे 1991 में विधायक बन गये थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा कि हमारी नगर पालिका, सूरजगढ़ है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): श्रवण जी, आप बोलते बहुत अच्छा हो, गुस्से में मत बोला करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बीच में आप डिस्टर्ब करते हो ना? माननीय सभापति जी, घंटी बजा देंगे। मेरा क्यों समय बेकार कर हो। नो, मैं टच नहीं करूंगा आपको, नो-नो, बैठ जाओ। अपना ज्ञानवर्द्धन करवाना गांव में जाकर, नो, बैठ जाओ।

श्री सभापति: मैंने टाइम रुकवा दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने अग्निवीर हिन्दुस्तान में लिये। आपने अग्निवीर लिये, तब कहा कि हम गांवों को प्रायोरिटी देंगे। आप देखिये, अग्निशमन में प्राइवेट लोगों को ले रखा है। जो परमानेंट हैं, उनमें ज्यादा महिलाएं हैं। वे तो बाहर खड़ी रहती हैं और केवल 330 रुपये वाले व्यक्ति को आग में झौंकते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति, यह लड़का अग्निशमन में अग्निवीर था। माननीय सभापति महोदय, उसका पैर टूट गया, 11 लाख रुपये लग चुके हैं। ठेकेदार ने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आग में वह जा रहा है, अग्नि वह बूझा रहा है और 330 रुपये में अगर उसका पैर भी टूट जाए तो उसका कोई मालिक नहीं है। शर्म करो, ये अग्निवीर हैं।

इन्हें आगे में धकलते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में आग लगती है। केवल 330 रुपये में ठेकेदार रखते हैं और ठेकेदार लेते हैं, 18 हजार रुपये और उसकी बंदरबाट करके, नीचे-ऊपर करके उनको देते हैं, 330 रुपये, 9900 इससे बड़ी बेदर्दी की बात क्या होगी, किसी ने सोचा क्या कि आग बुझाने वाला कोई है और मजा लेने वाला कोई और है। लगाने वाले तो आप और हम ही हैं।

आप देखिये, अब राजस्थान में विभागों के टेंडर हो रहे हैं, 2024-25 की बीएसआर रेट चल रही है, लेकिन जेडीए में 2015-16 की बीएसआर रेट चल रही है। 15-16 साल के बाद कितना पैसा बढ़ा सीमेंट का, कितना क्रंकीट का बढ़ा, कितनी मजदूरी बढ़ी, कितना सरिया बढ़ा, कोई सोच नहीं है। उसके बाद उसकी हालत यह है कि सड़क बनाने से पहले, उसकी हालत यह हो जाती है, कोई देख ले ना तो उसको यह कहना पड़ेगा कि दूर हो जा, कहीं गिर तो नहीं जाएगी।

काम बड़े हैं आपके, समझ न पाये,
सड़क बनाई आपने, ले गई पवन उडाई

सड़क बनाई थी, हवा में उड़ गई।

पुलिया को मत छेडिये, पुलिया को मत छेड़िये,
ये नाजुक हैं अंग, पैर तक धर दीजिये, छूट जाएंगे अंग,
टूट पड़ेंगे जल्दी अंग, यहां से चलो, सरकारी है ये निर्माण

मतलब, कोई आदमी पुलिया पर चढ़ जाए तो मत चढ़ जाना, यह सरकारी बनी हुई पुलिया है, अगर ऊपर चढ़ गया तो दोनों साथ जाएंगे, ये हालत है पुलिया का। सड़क हवा में उड़ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पांच साल का मौका मिलता है, किसी को दस का मिल जाता है। जब तक मिलता है तब तक आत्मा से काम करना चाहिए। पैसे वाले तो बहुत बड़े, मैं बिडला जी सेठ का पड़ोसी हूं। बिडला जी मरे थे। माननीय सभापति, उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिली। उनके बाड़े में जलाना पडा। सुभाष चन्द्र बोस को जब जलाने के लिए ले गये तो लोगों की लाइन लग गई। भगत सिंह ने क्या कहा था, भगत सिंह को उसकी बहन ने कहा, भैया, मेरा भाई कौन होगा। उसने कहा, तू चिन्ता न कर, जिसको तू बोलेगी,

वह तेरा भाई होगा। भगत सिंह बनना तो कोई नहीं चाहता है, सब कहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो, पर पड़ोसी के, घर में न हो जाये, नहीं तो मुझे रोना पड़ेगा। भगत सिंह घर में पैदा करना पड़ेगा। जो चोर, डकैत हैं, उनका इलाज करना पड़ेगा।

मैं कह रहा हूं, जब तक राजस्थान में, मेरी तो स्थिति यह हो रही है:-

प्यास लेकर आये थे, प्यास लेकर मर जायेंगे,

प्यास लेकर आये थे, प्यास लेकर मर जायेंगे

मरते-मरते बात कोई खास लेकर मर गये,

उनके मरने का विश्वास तो होता ही कैसे,

मगर वे सब विश्वास लेकर चले गये।

पानी नहीं, विकास की बात करते हो, विकास नहीं। सड़कों की बात करें तो सड़कों की बात नहीं। आखिर आप लोग को पांच साल का मौका मिला है। कुछ तो लोग बावले हो गये। आपने क्या किया, हमने नहीं किया ना, तभी ना की तरफ बैठे हैं। हां कहां है, हां तो वो है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब आपको मौका मिल ही गया, जब आपने सब कुछ सोच ही लिया तो कुछ करके तो दिखाओ।

श्री सभापतिः डॉ. शैलेश सिंह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो मिनट, देखो मेरा टाइम भी तो खराब हो गया था।

श्री सभापतिः नहीं किया आपका। डॉ. शैलेश सिंह। श्री जेठानन्द व्यास।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको मालूम है, नगरपालिका एक भी नहीं लूंगा। ये नगरपालिकाएं, राजाओं की। एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, प्लीज दो मिनट, अच्छी बात बताऊंगा, आपको मजा आएगा। ये हिन्दुस्तान में नगरपालिकाएं, पंचायती राज, ये स्वायत्त शासन संस्थाएं, इनसे मिलने वाले (..व्यवधान..) का कोई ट्रेजरी में बिल जाता है, अपने खुद तो ऑफलाइन करके पैसे निकाल लाते हैं, ये केवल राजाओं के जैसे, राजाओं के छोटे मुनीम होते थे, (..व्यवधान..) जो नीचे आवाज उठाते थे, उनको वे नजराना दे देते थे।

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वे दो-पांच गांव में नजराना से कमाकर खाते थे, अब क्या कर रखा है कि बड़े-बड़े नेताओं के तो नीचे होते हैं, वे जो शोर मचाते हैं तो नगरपालिका पकड़ा दी, किसी को पंचायत पकड़ाते थे। तो नजराने का खाकर के बड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो साढ़े तीन साल और है, काम करिये (..व्यवधान..)।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39-40 पर बोलने का समय दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिस पर हम चर्चा के लिए आए हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आज के हालात और 2011 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारी प्लानिंग 2011 की जनसंख्या के आधार पर चल रही है। 14 वर्ष हो गये और 14 वर्ष में, जो जनगणना 2021 में होने वाली थी, वो नहीं हो पाई 2025 आ गया। 14 साल बाद, आज हम यूडीएच और एलएसजी को देखें तो मुझे लगता है लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ चुकी है, लेकिन हम आज भी 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के आधार को देखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े शहरों के दो नगर निगम बनाए थे, जिसकी वजह से आमजन को कम समय में अच्छे कामों के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कम समय में हो सके, लेकिन आज हालात क्या है, आप देख रहे हैं। आपकी सरकार को बने हुए करीब सवा साल हो गए और सिर्फ आप समीक्षा के नाम पर या पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए, उन सब को बंद कर रहे हैं और एक नगर निगम बना रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत सीधे आदमी हैं। बहुत सीधे आदमी हैं। हमारे तो पड़ोस के हैं, 1983 में धौलपुर जिला बना था, पहले हम भरतपुर में ही रहते थे, भाई-भाई, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई का गला काट दिया।

हम लोगो को धौलपुर में कुछ नहीं दिया। कहने का मतलब है कि धौलपुर में बजट घोषणा में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बसेड़ी को तो दिया ही नहीं। उन्होंने चूंकि सरपंच से सीएम तक का सफर तय किया है तो हर चीज़ को मुख्य मंत्री जी सरपंच के नज़रिए से देख रहे हैं।

मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने 56 नगरपालिकाएं बनाई थीं।

Bhs/Rtm/07.03.25/**20.10/4h**

और आज समाचार पत्रों में जो आया था कि डबल इंजन की सरकार ने 56 नगर पालिकाओं को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी, क्या वास्तव में आप उन 56 नगरपालिकाओं को खत्म करके ग्राम पंचायत बनाने की सोच रखते हैं? तो कृपया जवाब में यह हमें जरूर बतायें। साथ ही, पट्टे के नाम पर बहुत बवाल हुए सत्ता पक्ष, विपक्ष हम सब ने किये और आपने कहा था जांच करेंगे। हमारी सरकार ने 13 लाख पट्टे जारी किये तो मैं आपके जवाब में ये भी चाहूंगा कि आप यह भी बता दें कि 13 लाख पट्टों में से कितने फर्जी थे और उनकी क्या कार्यवाही की गई है? यह भी आप हमें बताएं।

सभापति महोदय, साथ ही, हमारी सरकार ने जब पट्टे काटे थे तो यू.डी.एच., एल.एस.जी. को सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी और जिनसे हमने छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को फंड बांटा लेकिन आज के हालात क्या हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं भी चाहे वो नगरपालिका हो, नगर परिषद हो या ग्राम पंचायतें भी हों, सही समय पर उनको फंड नहीं जा रहा है तो आप यह भी बतायें कि ऐसी विकट स्थिति क्यों आई?

साथ ही, कांग्रेस सरकार में स्वच्छ भारत मिशन में हमने 3,68,000 घरेलू और 22,447 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया। आप यह भी बतायें जवाब में कि आपने कितना उनका निर्माण कराया?

सभापति महोदय, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में हमारी सरकार में 2023-24 में तीन लाख उन्नीस हजार परिवारों को रोजगार दिया और आपके 31 दिसंबर 25 तक 1.83 लाख परिवारों को रोजगार दिया, यह भी बड़ा सोचने का विषय है। साथ ही, राज. ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड पर 2024-25 में आपने ही बताया था बजट में कि 1 लाख 27 हजार 822 लाख बजट का प्रावधान है, लेकिन आज हम देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक सिर्फ 30,842 यानी केवल 24.12% की कामों की स्वीकृति हुई है, तो यह भी बड़ा सोचने का विषय है। साथ ही, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि हम टाउनशिप पॉलिसी लेकर आयेंगे। आज 1 साल हो गया, टाउनशिप पॉलिसी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई, न कोई फैसला हुआ। मैं यह पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जी, कि इसमें कितना समय लगेगा और कब तक ये लागू हो जाएगी? साथ ही, आपने बजट घोषणा 2024-25 में प्रत्येक नगर पालिका को एक करोड़ रुपये की सड़कें बनाने की दी थी उस क्षेत्र में जिसके प्रस्ताव भी जा चुके हैं, कृपया यह भी बता दें कि उन एक करोड़ रुपये का प्रत्येक नगर पालिका में क्या हुआ?

साथ ही, मैं कहना चाहूंगा, अभी नगर पालिकाओं के अंदर मेन पॉवर की बहुत कमी है। हर जगह डेपुटेशन पहले खत्म करने के लिए आपने 19 फरवरी 2024 में माननीय मुख्य सचिव जी का एक लेटर आया था कि सारे डेपुटेशन को खत्म किया जाएगा। कुछ हुए लेकिन आज वापस वही डेपुटेशन का खेल चल रहा है और नगरपालिकाओं में मेनपॉवर की कमी है।

मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि मेरे धौलपुर जिले के बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो नगरपालिका आती हैं सरमथुरा और बसेडी। आज उनके हालात देखें तो सरमथुरा नगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक है, वो भी थर्ड ग्रेड का ओनली बस, बाकी सारे प्राइवेट लगे हुए हैं या डेपुटेशन पर लगे हुए हैं। यही हालात हमारे बसेड़ी नगर पालिका के अंदर है।

सभापति महोदय, इसीलिए मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भर करके आमजन तक राहत पहुंचायें। साथ ही, माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि अभी इतनी बारिश...,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए। अभी बारिश के समय में धौलपुर के अंदर पूरे धौलपुर जिले में इतनी बरसात हुई थी कि उसकी वजह से सारी खेती चौपट हुई और अभी जो हमारा नगर परिषद धौलपुर है वो धौलपुर शहर की 36 कॉलोनियां आज भी पानी में डूबी हुई हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका 280 करोड़ रुपये का

प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया था कि जिससे उनमें नई सीवरेज लाइन डल सके, सड़कें बन सकें और जो जलभराव है कॉलोनियों का वो हट सके। तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री महोदय से अभी निवेदन है कि कृपया इस पर गौर करें और उसके लिए जो डीपीआर आई है जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए उसके लिए बजट जारी करें। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका, बसेड़ी और सरमथुरा में जैसे कि उनके लिए भवन नहीं हैं या नवीन आश्रय स्थल नहीं है और उनके लिए निकासी के लिए नवीन हर स्टेशन के लिए नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन पर विचार किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

श्री सभापतिः विराजें। श्री रामावतार बैरवा।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री जी महोदय व हमारे राजस्थान के उप मुख्य मंत्री महोदय डॉ. प्रेमचंद जी और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की तरह पक्ष-विपक्ष का भेदभाव किये बिना संपूर्ण राज्य के विकास को ध्यान में रखकर राज्य के चहुमुखी विकास को समर्पित करते हुए बजट प्रस्तुत किया। चाहे वह बजट 2024-25 का हो या वर्ष 2025-26 का दोनों ही बजट राज्य की तहरीर एवं तकदीर बदलने वाला प्रस्तुत किया।

माननीय सभापति महोदय, अगर बजट घोषणा में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो बताना चाहूंगा पहले बजट में चाकसू को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिस पर निरंतर कार्य किये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत चाकसू में एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनाने हेतु जमीन आवंटित कर स्टेडियम को मूर्त रूप देने की अग्रिम कार्यवाही जारी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जे.डी.ए. की बात कहूं तो बताना चाहूंगा कि जे.डी.ए. ने नगरीय विकास का दायरा 3000 वर्ग किलोमीटर के 725 गांवों से बढ़ाकर 633 नए गांवों को भी अपनी सुविधा क्षेत्र में लेते हुए उनका भी विकास करने की योजना बनाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायतों के 106 गांवों को सम्मिलित करते हुए शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना है। उक्त गांवों में जे.डी.ए. द्वारा आवासीय व वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि जे.डी.ए. ने अपने नगरीय विकास का दायरा बढ़ाते हुए चाकसू विधान सभा क्षेत्र के 106 गांवों को और सम्मिलित किया है एवं आगामी दिनों में चाकसू कस्बा हो या आसपास का क्षेत्र वहां नवीन कॉलोनियां विकसित करने की

कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, परंतु आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है चाहे वो नवीन प्रस्तावित कॉलोनियां हों या जे.डी.ए. द्वारा विकसित किया जाने वाला अन्य क्षेत्र, वहां कॉलोनी प्रस्तावित कर केवल पट्टे ही वितरित न करें बल्कि उस क्षेत्र का विकास करें, जिसमें सड़क, सीवरेज, पानी आदि की मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही जिस क्षेत्र के विकास के लिए आमजन की मांगों, दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहां पार्क, श्मशान, विद्यालय आदि को भी विकसित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मेरे चाकसू विधान सभा क्षेत्र में जे.डी.ए. में करीब 25-30 ग्राम पंचायतें आती हैं। अभी जो बारिश हुई थी उसमें कई गांव पानी की निकासी के बावजूद वहां डूब गये, कई विद्यालय डूबे हुए थे जैसे हमारे आलीवास उदयपुरिया है, इधर काठियावाला है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन ग्राम पंचायतों में जो जे.डी.ए. के अंतर्गत आती हैं उनमें रोड और पानी के निकास के लिए नाला बनवाया जाये। एक मेरे पदमपुरा पंचायत में पीपल्या बाई का बाड़ है वहां गांव वालों को पंचायत हेडक्वार्टर में आने के लिए 15 किलोमीटर के चक्कर लगाकर आना पड़ता है, अगर वहां एक पुलिया बन जाये तो वो मात्र दो किलोमीटर की दूरी में पंचायत भवन में पहुंच सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और मांग करना चाहूंगा कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें जे.डी.ए. में आती हैं वहां न तो लाइटें हैं, न रोड हैं, न पार्क हैं, न स्कूलें हैं और जो स्कूलों की जमीन के लिए हमारी जो फाइलें आती हैं, जे.डी.ए. में आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, वो पड़ी हैं, तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो जो हमारे उदयपुरिया स्कूल की फाइल है, रेनवाल हॉस्पिटल की है, कई श्मशान घाटों की है, हॉस्पिटलों की है तो वो उनके लिए जमीन अवाप्त करें और NOC दें।

Kas/rtm/07.03.2025/20.20/4j

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि JDA द्वारा लैंड पूलिंग सिस्टम RLPS एक्ट, 2016 के तहत जयपुर जिले की बात हो या मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू के पटवार हल्का राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चन्दलाई एवं बरखेडा की। सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों की काश्तकारी भूमि को RLPS एक्ट, 2016 के तहत अवाप्त किया जाकर बदले में उसी क्षेत्र में 55 प्रतिशत विकसित भूमि, जिसमें वाणिज्यिक एवं आवासीय भूमि देना प्रस्तावित हैं, परन्तु भूमि अवाप्ति को लेकर काश्तकारों में आक्रोश व्याप्त है कि वादे के मुताबिक न तो एक-एक काश्तकार से बात की गयी और न ही यह बताया गया कि अवाप्त भूमि के बदले में कहां और कितनी वाणिज्यिक भूमि और कितनी आवासीय भूमि दी जा रही है और न ही इसके लिए कोई लिखित आश्वासन दिया गया। साथ ही काश्तकारों की मांग है कि जमाबंदी के अनुसार नामजद खातेदारों को सम्मिलित पट्टा न दिया जाकर समस्त नामजद खातेदारों को अलग अलग पट्टे जारी किये जाये, जिससे उनमें आपस में विवाद की

स्थिति उत्पन्न न हो। स्कूल का खेल मैदान हो या अन्य सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र जो सड़क में लिए जा रहे हैं उनके बदले में अन्यत्र सुविधा क्षेत्र विकसित करके देवे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा और मैं आपको पत्र भी लिख चुका हूं, मेरी मांग है कि जिन काश्तकारों की जमीन इसमें ली जा रही है, जैसे उनकी 15 बीघा जमीन है तो 45 परसेंट या 48 परसेंट दे रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि उनको जो जमीन दे रहे हैं, वो उसको विकसित करके दे और जो जमीन के पट्टे दें, वो निशुल्क दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे चाकसू टोंक रोड पर जेडीए की जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा बड़ी-बड़ी स्कीमें काटी जा रही हैं। मैंने 31.8.2024 को शिकायत भी की थी। पानी के निकास पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह कटिंग भी है, लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जांच करवा कर भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये और पानी की निकासी के जो नाले हैं, उनको सुचारू रूप चालू करवा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेनवाल की एक मांग है और विशेष समस्या है। चाकसू के जयपुर-फागी स्टेट हाई-वे पर स्थित ग्राम रेनवाल माजी राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा वर्ष 2006 में 317 बीघा भूमि को अवाप्त किया गया, उसमें से 15 बीघा भूमि सरकारी स्कूल के नाम है और 7 बीघा आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये और 2 बीघा जमीन कोर्ट स्टे में है तथा इस पर अवार्ड जारी नहीं है। 4 बीघा जमीन जलदाय विभाग में चली गई और 3 बीघा जमीन में राजीव गांधी आईटी केन्द्र स्थापित है। 170 बीघा जमीन में कॉलोनी कटी हुई है, जिसमें निम्न वर्ग, ईंट-भट्टों वाले, किसान, मजदूर और एससी, एसटी के लोग रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो यह 317 बीघा जमीन है, इसमें कॉलोनी 1996 से बसी हुई है और 11.8.2011 में अवार्ड जारी किया गया। मैं खसरे नंबर बता देता हूं, अवाप्त भूमि खसरा नंबर 2280 से 2285 व 2250, 2277, 2286, 2236, 2247, 2252, सहित अन्य खसरा नंबर की भूमि को खातेदारों ने 1996 में गृह निर्माण सहकारी समितियों को बेच दिया था और वह गृह निर्माण समिति द्वारा जारी किये हुए हैं। मेरा निवेदन है उस जमीन में जो कॉलोनी बसी हुई है और 1996 से जो गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनको छोड़ते हुए बाकी खाली जमीन है, उस जमीन को आप अवाप्त करें और बाकी उन लोगों को वहां पट्टा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बाद में कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए दो मिनट का समय मैं आपसे और चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं चाकसू कस्बे के बारे में बताना चाहूंगा, चाकसू कस्बा एक निश्चित भू-भाग में 40 वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। धरातलीय स्वरूप की बात की जाये तो यह कस्बा उबड-खाबड़ व ऊंचे-नीचे स्थान पर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चाकसू कस्बे में सीवर लाइन नहीं है, मैं मांग करता हूं कि बजट में वहां की

सीवरेज लाइन को भी लिया जाये और चाकसू में सीवरेज लाइन डलवाई जाये।

इसी प्रकार अभी बारिश के दिनों में चाकसू कस्बा पूरा डूबा हुआ था, क्योंकि चाकसू कस्बे के दोनों तरफ दो तालाब हैं, उनकी निकासी के लिये नाले नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अलग से बजट देकर चाकसू में ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करके चाकसू के पानी निकासी की समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जाये।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए, बहुत बुलवा दिया, अब अंकित नहीं होगा। श्री घनश्याम।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39, 40 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा टोडाभीम नगर पालिका बाईपास का माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम उनका मुआवजा देंगे। मुआवजे की घोषणा होने के बाद आज तक वहां लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मेरा आग्रह रहेगा कि वहां के किसानों को मुआवजा दिलाया जाये। फाइल तो वहां गई है, लेकिन अधिकारी उस फाइल को लेकर बैठे हैं, आज तक उस पर क्रियान्विति नहीं हो पाई है। माननीय सभापति महोदय, टोडाभीम नगर पालिका में स्टाफ की कमी है। मैं पहले भी कई बार आपके माध्यम से मंत्री जी को कह चुका हूं, लेकिन वहां अभी तक नगर पालिका में स्टाफ नहीं लगाया गया है। नगर पालिका टोडाभीम 1967 नगर पालिका है और वो आज तक भी डी श्रेणी में है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उस नगर पालिका को बी काटेगरी में बनाया जाये, 50-60 से ज्यादा उस नगर पालिका को बनाये हुए हो गया।

माननीय सभापति महोदय, टोडाभीम में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, वहां ट्रीटमेंट का प्लांट आज तक भी नहीं लगा है। पिछली बार भी आपने कहा था कि ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया जायेगा और जल्दी से जल्दी वहां इसकी व्यवस्था की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन किया जाये। वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन होगा तो वहाँ वाल्मीकि समाज में देश-प्रदेश में सरकार का एक अच्छा मैसेज जायेगा कि वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन किया गया। नगर पालिका टोडाभीम करौली जिले में मेरे एक ग्राम पंचायत गुढाचन्द्रजीत, वह जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां 25 हजार की पापुलेशन है, उसको नगर पालिका बनाया जाये। हमारी पिछली सरकार में भी इसका प्रोसेस चला, पर वो किसी कारण वश नहीं बन पाई, तो उसको नगर पालिका बनाया जाये।

इसके साथ-साथ मैं आपसे जयपुर की बात करना चाहूंगा कि 2022-23 के बजट में इंदिरा गांधी नगर से बस्सी से रेलवे लाइन की तरफ जो समानांतर 200 फीट रोड बनाने की बात की थी, वो काम चालू भी हो गया था, पर किसी कारण से वो काम बंद हो गया है। आगरा रोड पर आवागमन की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, वहां एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते

हैं। अगर इस रोड को आप बना देंगे तो वहां एक्सीडेंट भी कम होंगे और पूर्वी राजस्थान के पूरे क्षेत्र को यह रोड बनने से बहुत भारी फायदा होगा। इसके साथ-साथ आगरा रोड पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, वह कम हो जायेंगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, आगरा रोड और कानोता के पास में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्वीकृति की थी और वह स्वीकृति अब वापस निरस्त कर दी गई है। क्या कारण रहा और उसको क्यों निरस्त किया गया है? पूर्वी राजस्थान के लोगों को उससे बहुत फायदा होता और इससे जयपुर के अस्पतालों का लोड भी कम हो जाता। इस सैटेलाइन हॉस्पिटल पर आप विचार करें, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यूडीएच या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक हम देश में, प्रदेश में जनगणना नहीं करायेंगे तब तक हम सही विकास नहीं कर पायेंगे। 15 साल पहले जनगणना हुई है और 15 साल बाद आज हम किस तरह से लोगों का मापदंड तय करेंगे, प्रदेश से कितने लोग जयपुर में आ गये, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक हम इस काम को पूरा नहीं कर पायेंगे। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जातिगत जनगणना इस देश में, प्रदेश में होनी चाहिये। इससे सही रूप से जो अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको लाभ मिल पायेगा।

Msk/rtm/07.03.25/2030/4k

एक तरफ आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फूड पैकेट देते हैं। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को आप फूट पैकेट दे रहे हैं तो इस देश की क्या स्थिति है? 80 करोड़ लोग उस फूड पैकेट पर जिंदा है तो यह देश कहां जा रहा है? एक तरफ हम देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फूड पैकेट देकर उनको जिंदा रख रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस देश को विकास के लिए हमको अगर आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से आपको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी और उस जनगणना के आधार पर ही हम देश में मापदंड तय करेंगे कि किस तरह से हमारे प्रदेश का विकास हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा ये हमारी नगर पालिका टोडाभीम में आपने एक जो ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा की थी, उस घोषणा को आप पुनः करेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आप जवाब देंगे तो उसको आप टेंडर करायें और उस ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करायेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल, पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे यूडीएच पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका पुन: आभार। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जबसे यह सरकार गठित हुई है, इस विभाग से

हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। माननीय मंत्री जी, गहलोत सरकार ने 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाकर 13 लाख से ज्यादा पट्टे दिये, करीब साढ़े 7 हजार करोड़ की आमदनी हुई, जिससे छोटी-छोटी नगर पालिकाओं तक को फंड दिया गया। हमारी जो नवगठित नगर पालिका है, सब कुछ गत गहलोत सरकार में बढ़िया चल रहा था, पर जब से यह सरकार आयी है। हमारी विधान सभा में दो नगर पालिकाएं हैं और दोनों ही नगर पालिकाओं के फंड में भारी कमी आ गयी है, क्योंकि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। पुराने कार्यों के बदले ठेकेदार हैं, उनका भुगतान नहीं कर रही है। और तो और, मंत्री जी, ये स्थिति बन चुकी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, आपकी सरकार बनने के बाद उनका वेतन भुगतान होता है, वही रुक गया। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, उसने सफाई कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया। आठ महीने जब दिवाली, राखी, रक्षाबंधन ये त्योहार आने वाले थे, आठ महीने बाद उनका हौसला टूटा, उन्होंने हड़ताल की, हड़ताल करने से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी और सुल्तानपुर नगर पालिका के अंदर स्थिति यह हो गयी कि बाजार बंद करना पड़ा। मुझे खुद को अनशन पर बैठना पड़ा। इतनी मशक्कत करने के बाद तब जाकर उन सफाई कर्मचारियों का आठ महीने का भुगतान दिया गया। नगर पालिका सुल्तानपुर है, इटावा है, इनको आप क्यों नहीं बजट दे रहे हो? क्या इनको विकास का अधिकार नहीं है? क्या ये आपको टैक्स नहीं दे रहे है? क्या कारण रहा? आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी दोनों नगर पालिका में फंड रिलीज करने का कष्ट करें।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह समाज और प्रदेश सोचता है कि आप गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनाएं रखेंगे, मगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती को सवा साल बीत गये, अभी तक उनकी भर्ती जो है, आपसे भर्ती शुरू नहीं हो सकी। जैसे हालात हैं, ऐसा लगता है कि सरकार में यह भर्ती हो भी नहीं पाएगी। आप इस पर चिंता करें, बहुत गंभीर विषय है। मैं कुछ गरीब सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मांगें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारी जो नवगठित नगर पालिकाएं हैं, जिसमें हमारी सुल्तानपुर भी नगर पालिका है, वहां के सफाई कर्मचारियों की यह मांग है कि सफाई कर्मचारियों का पिछले छह माह का वेतन व पीएफ एवं एरियर उनको दिलवाया जाये, वह उनको नहीं मिल रहा है। जो नवगठित पंचायत समिति है, जिसमें हमारी नगर पालिका का मैंने आपको बताया। नगर पालिका होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया, जबकि इनको समायोजित करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पंचायत को बनाया, उसको प्रमोट करके बनाया गया, नगर पालिका। सरपंच था, उसको प्रमोट करके बनाया गया चेयरमैन। जो वार्ड पंच था, उसको बना दिया गया पार्षद। तो इनका भी प्रमोशन होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को भी समायोजित करना चाहिए। इसकी आपको जरूरत है।

मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि यह भी एक प्रमुख मांग है कि जो 26 रुपये की जो पिछली गहलोत सरकार ने बढ़ोतरी की थी, उसको नगर पालिका में लागू नहीं किया गया है तथा अन्य विभागों में लागू कर दिया गया है, तो आप इस पर भी ध्यान दें। सफाई

कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाये, क्योंकि वाल्मीकि समाज जन्मजात से ही अच्छे से वह कर सकते हैं, उनका दायित्व बनता है। आप और जाति का लगायेंगे तो वह टेक्निकल हैल्पर में काम करेगा, कोई कंप्यूटर पर काम करेगा, पर वह सफाई की व्यवस्था नहीं कर पायेगा, जो वाल्मीकि समाज कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप सफाई कर्मचारियों की इस मांग पर ध्यान दें। एक हमारी नवगठित सुल्तानपुर नगर पालिका की प्रमुख मांग है। एक ही मांग मैं आपसे कर रहा हूं कि जो नगर पालिका सुल्तानपुर है, उसमें खाड़ी पर छोटी पुलिया का निर्माण कराने की बहुत आवश्यकता है। इस पर कृपया ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ने आते ही जो कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, जो इनके मेयर हैं, उन्हें सस्पेंड करने का काम किया। इतना भेदभाव होता है, एक छुआछूत जैसा बर्ताव ये करते हैं। जब आठ महीने तक गरीब सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो हमने धरना दिया। जब डीएलबी हमारी बात को सुनने आयी तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत गंदा महसूस होता है और जिस तरीके से आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह हालत न सिर्फ केवल यूडीएच में, सरकार के सभी विभागों की यही हालत है। पंचायती राज विभाग में देख लो, कोटा के अंदर लाडपुरा से प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को सस्पेंड, सरपंच नसीराबानो रजोपा को सस्पेंड, सरपंच बनियानी मोइनुद्दीन गुड्डू को सस्पेंड। ऐसा लगता है कि चेहरे देख-देख कर जनप्रतिनिधियों पर हटाया जा रहा है, जिन्हें जनता ने चुना है। इसलिए सबका साथ और सबका विकास बात करने वाली ये जो भाजपा सरकार है, कथनी और करनी में अंतर है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

एक मांग में यह भी आपसे करना चाहता हूं कि ये हमारी जो इटावा नगर पालिका है, उसके अंदर जो ठेले वाले हैं, उन ठेले वालों को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनका वीडियो वायरल हो गया और वीडियो वायरल होने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इनको ये अधिकार किसने दिया? ठेले वालों को अगर हटाने का काम है तो ये पुलिस वाले हटायें।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य। श्री शंकर सिंह।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारी यूपीए सरकार ने ठेले लगाने वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 बनाया गया था, एनडीए सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

श्री सभापतिः श्री शंकर सिंह जी, बोलिये। अंकित नहीं होगा।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): 000

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, आज जिस

प्रकार के हालात पिछली सरकार में रहे हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे ब्यावर में जिस प्रकार से पिछली सरकार में नगर परिषदऋ ने हमारे कॉम्पलेक्स फेल कर दिये और उसके ऊपर सारी कमियां निकालकर उसकी जांचें खड़ी दीं, रोक लगा दी, उसके बावजूद भी तत्कालीन सरकार में जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री थे, उनको जांच के लिए हमने लिखा तो एसीडी में फाइल मंगवा ली। फाइल एसीडी में रही। सभापति महोदय, कॉम्पलेक्स उधर चालू रहा। दिल्ली की बहुत बड़ी पार्टी थी। हमने उसकी शिकायत की। नगर परिषद ने शिकायत की, उसके बावजूद, मैंने यहां विधान सभा में भी उस पर सवाल उठाया तो जवाब मिलता है कि, साहब, फाइल तो एसीडी में पड़ी है। छह महीने तक फाइल वहां पड़ी रही और पीछे कॉम्पलेक्स बनता रहा है। ये उनके हालात हैं। मेरी सबसे पहली मांग है कि उसके ऊपर बारीकी से जांच होनी चाहिए। जितनी उसमें कमियां पायी गयीं कि 600 गज का तो उसने नक्शा पास करवाया, 6000 गज पर बना दिया। इतनी कमियां हैं, मैंने पूरी फाइल दी है। इसकी जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, इनकी सरकार में। आज ये कहेंगे, अब नामजद आ जायेगा, वह हो जायेगा। मैं अभी निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ब्यावर को जिला बनाया है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि समय का अभाव हो जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसी सरकार ने बनाया है? आप गहलोत जी को धन्यवाद दे चुके हैं।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): देखिये, साहब, आपकी सरकार ने तो सबको खुश करके कितने जिले बना दिए, लेकिन आखिर में वे ही रहते हैं, जिनकी वाजिब मांग होती है। हमारे क्षेत्र के हिसाब से, जूली साहब, हमारी तो 60 साल से मांग चल रही थी। हर अधिकारी के मुंह से कि आपका एरिया तो देखा हुआ है। 60 साल से मांग थी। अभी मैं हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल जी और हमारे प्रधान मंत्री महोदय को कि निश्चित तौर पर भजन लाल जी को चुना और भजन लाल जी ने सारे की छंटनी की, उसमें समीक्षा के अंदर ब्यावर सबसे सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है और हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं, उनसे निवेदन है कि ब्यावर जिला बन गया है। ब्यावर पुराने टाइम से नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ है। नेशनल हाईवे की जितनी चौड़ाई होती है, उस रूप में मैं चाह रहा हूं कि कम से कम ब्यावर सिटी के अंदर अजमेर रोड से जहां से निकलते है, वहां से चांग गेट तक, चांग गेट से वापस पाली बॉर्डर तक, चांग गेट से वापस सैंदड़ा रोड बॉर्डर तक और चांग गेट से उदयपुर रोड हाईवे तक। ये रोड सिक्स लेन के अंदर बनें, उसके लिए बजट भी अलॉट हो।

mdp/rtm/07.03.25/20:40/4I

जहां पर जो दूसरी रोड हैं, देलवाड़ा रोड है, श्री सीमेंट रोड है और अजगर बाबा के स्थान

से जालिया रोड है, ये सारी रोड कम से कम सिक्स लेन के अंदर बने ताकि ब्यावर का स्वरूप अच्छा हो और आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर जितनी रोड चौड़ी रहेगी उतना ही लोगों के पास आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं, भविष्य को देखते हुए ये रोड अच्छी चौड़ाई बननी चाहिए। ब्यावर के अंदर जो जिला कार्यालय बने हैं, जिला चिकित्सालय बना है और उसके लिए पूरा बजट अलॉट होने के लिए भी आ गया है। उसके लिए भी बजट मिलना चाहिए। ब्यावर के अंदर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, उसके लिए भी हमारा सरकार से निवेदन है कि निश्चित तौर के ऊपर जब भी मेडिकल कॉलेज आएगी तो मैं समझता हूं कि ब्यावर के अंदर सबसे पहले, नये जिलों के अन्दर जहां भी मेडिकल कॉलेज आयेगी, ब्यावर का नंबर सबसे पहले आये। ऐसी मेरी मांग है।

हमारे डॉक्टरों की कमी है, जिला चिकित्सालय में, ब्यावर विकास के लिए हमने माननीय मंत्री महोदय को, मुख्य मंत्री जी को दे रखा है, उसमें बजट अलॉट करें। पूरे जिले का अच्छा स्वरूप बने। स्वायत्त शासन विभाग में नगर परिषद के अंदर भी जो हमारे पद खाली हैं, उनको भी सबको भरा जाए। सफाईकर्मियों की जो अभी कमी है, उसमें भी हमारी सरकार ने लेने के लिए लिखा है, उसमें उसमें जो कमियां आ रही हैं, अड़चन आ रही है, माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुरूप सफाईकर्मियों की भर्ती की जाए, ताकि वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधार हो सके। हर चौराहे के ऊपर लाइटों की व्यवस्था भी हो। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए निश्चित तौर पर ट्रैफिक पॉइंट बनाकर उसमें भी सुधार किया जाए, ऐसे मेरी मांग है। जितनी भी जो व्यवस्थाएं हैं, वहां के जो अधिकारी काम देख रहे हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। कईयों को पुराने ढर्रे की आदत पड़ी हुई होती है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। सुधार करके अच्छा काम करे। जिले का स्वरूप अच्छा बने। आज मांग संख्या के ऊपर बोलने के लिए आपने बोला, आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी मांगों को जरूर आप स्वीकार करें धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मौका दिया, अरबन डवलपमेंट पर, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, करीब सवा साल पहले जब आप लोग सरकार में आए और बहुत बड़े-बड़े ऐड दिए गए 100 दिन की कार्य योजना और 100 दिन की कार्य योजना धरातल पर जब उतारने बैठे तो सिफर, बटे निल बटे सन्नाटा, कोई काम नहीं अभी आपके पूरे सदस्य गिना गए, सारा हाउस बोल गया और 100 दिन का एक अचीवमेंट कोई नहीं बता पाया आदमी यहां पर। एक आदमी नहीं बता पाया कि 100 दिन में क्या किया और 100 दिन बीते जब क्या हुआ? जयपुर शहर में क्या हुआ? हीटवेव आई, हीटवेव, 100 से ज्यादा आदमी मारे गए, 100 से ज्यादा, आप लोग प्रबंधन नहीं कर पाए जयपुर शहर के अन्दर, अकेले शहर में।

100 से ज्यादा आदमी जयपुर में मारे गए। बड़े-बड़े मुआवज़े देने की घोषणा की और सब फ़ाइलों में रह गए, लोग आज तक भटक रहे हैं मुआवजा लेने के लिए।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे यूडीएच डिपार्टमेंट में अभी आप खुद भी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम यह करेंगे, ऐसी योजना ला रहे हैं, ये हो जायेगा, ये आने वाले समय में कर देंगे, एक सेन्टेन्स आपका ये नहीं था, सभापति महोदय कि ये कर दिया हमने। एक नहीं बता पाये आप और मैं बताता हूं क्या कर दिया हमने? मैं बताता हूं, थ्यावस राखो, मैं बताता हूं, 1998 से शुरू हो रहा हूं जब पहली बार गहलोत साहब की सरकार आयी। राजस्थान का आदमी चाहे 1 करोड़ का मकान हो, चाहे 2 करोड़ का मकान हो, पट्टा लेने के लिए तरस जाता था। सोसाइटी के पट्टे होते थे, 1 रुपये का लोन नहीं मिलता था। धन्यवाद दीजिए मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और शान्ती कुमार धारीवाल को, जो उन्होंने ये प्रोसेस इजी किया और पूरे राजस्थान में पट्टे मिल सके। पहले ही नहीं मिले पट्टे, पिछले टेन्योर में 13 लाख लोगों को पट्टे बांटे हैं। आप हमारे अधूरे पट्टे भी आज तक नहीं दे पाए। अधूरे पड़े हुए पट्टे भी आज तक नहीं दे पाए। अभी एक विधायक बोल रहे हैं, जयपुर शहर के, माफी, माफी, माफी, सभापति महोदय, ओथ को तार-तार कर दिया। ...(व्यवधान)... वहां से बैठकर ओथ पढ़ रहे हैं। फिर माफी मांग रहे हैं, फिर एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं। आप पांच-छह बार के विधायक हैं, थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए, इनको थोड़ा समझाओ, इनको समझाओ कि ऐसे नहीं होता है। विधान सभा नियम और परंपराओं से चलती है, ...(व्यवधान)... इनके भाषण से नहीं चलती कि आप भैरोसिंह जी से शुरू होकर किसी पर एलिगेशन लगाने लग जाओगे?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... उठाता हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी बताता हूं आपको, ...(व्यवधान)...अभी बताता हूं आपको।

श्री सभापतिः विराजिए, माननीय सदस्य। आप भी विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): सभापति जी, ...(व्यवधान)...खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापतिः आप विराजिए, माननीय सदस्य, आप भी विराजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप क्यों खड़े हुए हैं? ...(व्यवधान)... खड़े हुए हैं।

श्री सभापतिः आपके सचेतक महोदय बोल रहे हैं। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठिए। इतना गुस्सा ...(व्यवधान)... हो रहे हैं। मैं एक शेर इनके लिए भी पढ़ देता हूं।

श्री सभापतिः कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। आप सभी विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जो खानदानी रईस होते हैं, मिज़ाज रखते है नरम अपना ...(व्यवधान)... तेरा लहजा बोल रहा है कि तेरी दौलत नयी-नयी है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री सभापति: गोपाल शर्मा जी, विराजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापति: आप सब विराजिए। सब बैठिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री सभापति: सब विराजिए। बैठा दिया। अंकित नहीं हो रहा है कोई। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप भी विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सीरियसली मत लो इनको। ...(व्यवधान)... ज्यादा तरजीह मत दो इनको।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप बैठिए, मैं बोलता हूं।

श्री सभापति: कोई बात अंकित नहीं हो रही है। आप भी बैठिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप बैठिए। सारी बात मैं बोलता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप सुनिए, आप सुनिए। मैं नियमों से आऊंगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, प्लीज। आप अपनी बात रखिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठिए नेता जी, मैं सब सलट लूंगा। एक शेर और पढ़ता हूं। आपने कहा, क्या कहा गरीबी वरदान है। गरीबी वरदान है, मैं बताता हूं गरीबी क्या वरदान है-

जब आदमी के हाल पर गरीबी आती है,
किस तरह सताती है गरीबी,
दिन तो रोजगार की याद में गुजर जाता है,
तमाम रात पहरों में रुलाती है गरीबी।

गरीबी देखी नहीं आपने। गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं यहां सदन में बैठकर। गरीब माफ़ नहीं करेगा आपको।

श्री सभापतिः बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। शांत रहिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर शहर की बात कर रहे थे हम। क्या अचीवमेंट किया है सवा साल डेढ़ साल के अन्दर, और हमने क्या किया? टनल किसने बनाई आगरा रोड पर? सारे लोग-बाग आ-जा रहे हैं। बताइए किसने बनाई टनल? मेट्रो कौन लेकर आया जयपुर शहर के अंदर? पूरे शहर के अंदर पहला एलिवेटेड रोड का मॉडल किसने रखा? भारत सेतु अभी बना, किसने बनाया? अन्डरपास किसने बनाया? बी टू बाईपास किसने बनाया? और जिस फ्लेट में रहकर कहते हों, संसदीय कार्यमंत्री से पहली मीटिंग हुई, मुलाकात हुई तो संसदीय कार्य मंत्री बोले फ्लेट इतने अच्छे हैं, बंगले में जाने को दिल नहीं करता। किसने बनाया फ्लेट, किसने बनाया?

Ans/rtm 20.50 4m 07.03.2025

कांस्टीटयूशनल क्लब किसने बनाया जिसको कल इर्नोग्रेट करने जा रहे हो, किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कांग्रेस ने बनाया। सेंट्रल पार्क अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल नहीं होते तो बीजेपी बेचकर खा जाती सेंट्रल पार्क को, जैन पार्क मिल रहा था। सिटी पार्क, मानसरोवर में आपके फ्लैट्स के आगे किसने बनाया? आपने सवा साल में क्या किया, यह बताओ। ...(व्यवधान)... एक चीज़ तो आपके भी गिनाने के लिए छोड़ दूँ, ताकि एक तो आप गिना सको कम से कम। मैं बुरा नहीं मानूंगा और इनकी तरह इतना उत्तेजित भी नहीं होऊंगा, आपसे हंसते-हंसते ही बात करूंगा।

हमारा लास्ट बजट था, हमने 100 करोड़ रूपये गोविन्ददेव जी मंदिर के लिए दिए। आपने क्या किया, रोक दिया सारा काम। महाराज, हवामहल वाले विधायक बैठे हैं 22 करोड़ रूपये, खोले के हनुमानजी की पार्किंग के लिए दिए थे। आपने क्या किया?

श्री सभापतिः आप विराजो। नीचे विराजो। ...(व्यवधान)... आप इधर देखकर बोलिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 35 करोड़ रूपये गलता पीठ के लिये, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, नाग तलाई के नाले के लिए, 35 करोड़ रूपये हमने दिए। आपने क्या किया, सारे काम रोक दिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, मंत्री महोदय जवाब देंगे ना साहब। माननीय विराजिये। मंत्री महोदय बोल लेंगे ना, आप विराजो।...(व्यवधान)... आपके मंत्री महोदय सक्षम है, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): गलता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो आने वाली थी। आपने डेढ़ साल से काम रोक दिया, यह भी नहीं बता रहे हो कि करेंगे या नहीं करेंगे। काम भी रोक दिया। दिल्ली हाईवे रुका हुआ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। काम चालू हो गया था, टेंडर हो गया था और आज काम डेढ़ साल से रुका हुआ है, और कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। मंत्री महोदय, जब जवाब दो तब जवाब देना की आप की क्या मंशा है उस उस मेट्रो को लेकर। काम कराएंगे या नहीं कराएंगे? रास्ता कब खोलेंगे? यह बात आप सदन को बताना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो कुछ भी बात कहें, आसन को संबोधित करें।

श्री सभापतिः आप इधर संबोधित करके बात कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें क्या दिक्कत है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप आसन को सम्बोधित करिये ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, नहीं, दिक्कत हो जाएगी ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी सक्षम हैं, आपसे ज्यादा विद्वान हैं, आपसे ज्यादा काबिल हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आसन को संबोधित करिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मंत्री जी खुद जवाब देंगे, आप जबरदस्ती उठते हो। ...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): मंत्री जी पढ़े-लिखे हैं।

श्री सभापतिः आप आसन की तरफ देखकर बात करो। ...(व्यवधान)... आप विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आगरा रोड़ पर जैन समाज का चूलगिरी मंदिर मैंने इन्हीं शांति कुमार धारीवाल से 80 लाख रुपये गेट के लिए मंजूर कराए और आप ने काम बंद कर दिया, रोक दिया। मंत्री जी जवाब दें, तब बतायें।

राजीव गाँधी आवासीय योजना, 1500 फ्लैट हमने पिछले टेन्योर में बनाएं, इसमें नहीं। 1919 से 2023 वाले में नहीं, हमने पिछले टेन्योर 2008 से 2013 वाले में। आपने 5 साल अलॉट नहीं किये। हमने इस पांच सालों में 800- 850 फ्लैट अलॉट कर दिये, अब बाकी आप फ्लैट अलॉट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो उन गरीब आदमियों से? एक शेर उनके लिए भी पढ़ता हूँ।

कहां तो तय था चिरागां जहां हर घर के लिए,

कहा तो तय था चिरागां हर घर के लिए,

कहां चिराग महेसर नहीं शहर भर के लिए

पूरे शहर में चिराग नहीं मिल रहा, कहीं रोशनी नहीं है। ...(व्यवधान)...

बगराना के मुतल्लिक एक बात और कहना चाहता हूँ। ना तो फर्दर अलॉटमेंट किये, जिनको अलॉट कर दिये ना उनको पट्टे दिए और आज भी लोग कच्ची बस्ती में गुजर बसर कर रहे हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कच्ची बस्ती में रहना है, या हमें राजीव गाँधी आवासीय फ्लैट में रहना है। बगराना के अंदर ही सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे है। खसरा नंबर 616, 642, 342, काफी सारे खसरे हैं, मैं मंत्री महोदय को डिटेल दूंगा। वहां क्लोवरलीफ बनना था और क्लोवरलीफ के अंदर काफी सारी सोसाइटी के मकान, पट्टे आ गए, उनको सरकार ने लिया, वह मुआवज़े के लिए भटक रहे। उनको कैश पैसा दोगे या उनको मुआवजा दोगे, जमीन दोगे, मकान दोगे उनकी स्थिति मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

वहीं भावना नगर है। मैं जेडीसी को फ़ोन करता हूं, जेडीसी बहुत बिज़ी हैं, आपने इतना मसरूफ़ रखा हुआ है कि उनको फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है। भावना नगर के अंदर कॉलोनी

पर 15-20 साल, 30 साल से कॉलोनी बसी हुई है। उन कॉलोनियों के ऊपर आप तोड़फोड़ कर रहे हो। हमारी पॉलिसी थी, पिछली सरकार की पॉलिसी थी, सरकार बदलती है, पॉलिसी नहीं बदलती है कि 2021 तक भी जिसने कनेक्शन ले लिया है, सरकारी डॉक्यूमेंट ले लिया है, उनको पट्टे दिए जाएंगे। उनको क्यों उजाड़ रहे हैं? तो वह तो खुद उसके ऊपर सोसाइटी के पट्टों पर बैठे हैं, तो उनको रेगुलराइज करो। आप बसा आ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? मंत्री महोदय जब जवाब दे तब इस बात का जवाब देना। बगराना सुमेल, विजयपुरा बहुत सारी पुरानी आबादी हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है, अब जेडीए लग गया, तो जेडीए पट्टा देगी या पंचायत देगी। पंचायत में रोक लगी हुई है। हमने एक कैंप लगाया, उसमें उनकी सबकी फाइलें जमा हो गयीं। फाइलें पहले से जमा हुई हुई हैं। उनके किसी अधिकारी को लगा करके उनकी प्रोसीडिंग तैयार कर आओ, ताकि उन सबको पट्टे मिल।

जवाहर नगर कच्ची बस्ती, यह यहीं पर है। डबल इंजन, डबल इंजन, हमारी सरकार आएगी यहाँ और वहां दोनों जगह, तो हम एनजीटी से भी क्लियर कराएंगे डिनोटिफाइ कराएंगे और जवाहर नगर कच्ची बस्ती को बेच देंगे। पिछले हमारे टेन्योर में आने से पहले, उसका बेचने का प्लान बन गया। मैं गुजारिश करता हूं मंत्री महोदय से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसमें। आपकी सरकार यहां भी है, आपकी सरकार वहां भी है। फॉरेस्ट लैन्ड के ऊपर ये 20 हजार से ज्यादा वोटर्स हैं 50 हजार के लगभग की आबादी है और बहुत बरसों से रह रहे हैं। मालवीय नगर से आने वाले विधायक कालीचरण जी वाकिफ हैं। अब इस को डिनोटिफाई कराओ। आप की सरकार यहां भी, वहां भी है, डबल इंजन, डबल इंजन करते हो आप। डबल इंजन की क्या देखी हमने पूरी दुनिया के अन्दर, पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां यह है डबल इंजन की ताकत। ऐसे आये हैं अमेरिका से आदमी। पैरों में बेड़ियां डालकर। छोटे सा कंट्री नहीं डरा अमेरिका से और हमने बेड़ियों में आदमी बुला लिये। यह है डबल इंजन? आपसे गुजारिश करता हूँ कि एनजीटी से बात करके, आप इनिशिएटिव लो, आपकी सरकार है आपकी पुरानी कांस्टीटयूएंसी रही है। इनिशिएटिव लो, वहां से एनजीटी से क्लियर कराओ, यहाँ लैन्ड सरेंडर करो और उनको वहीं पर पट्टे दो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: शांत रहेa।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आदर्श नगर ज़ोन और जेडीए। अभी 19 कॉम्प्लेक्स सील होने की बात चल रही है। एक हमारा डीसी तो ऐसा है। मैं तो दूसरी बार का विधायक हूं, ये आठ बार के विधायक हैं, इनका भी फ़ोन नहीं उठाता है, कहता है मुझ पर तो सीएस का हाथ है, किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा। इन्होंने उस पर सवाल भी लगाया, कुछ नहीं हुआ उसका आज तक। सील में डील हो रही है। कोई परवाह करने वाला नहीं है। सील में डील हो रही है। खुला आरोप लगा रहा हूँ और साबित कर सकता हूँ इस बात को और आपको भी मालूम है। आपको दो इंसिडेंट बता भी देता हूं। 40 साल पुरानी दुकानें जो आपने इश्यू उठाया। किराये की दुकानें, पीछे मकान, पीछे उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया नगर निगम से सेटिंग करके। आगे की दुकान नगर निगम की थड़ी बताकर, 40 साल पुरानी किराये पर दी

हुई दुकान को, नगर निगम ने जाकर सील कर दिया, कि आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 40 साल पुरानी दुकान, पीछे उसको फायदा देने के लिए। यह है सील में डील।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपसे दो मिनट और लूंगा। एक और था वह और बताता हूं मैं आपको। पिछले टेन्योर में हमने मेट्रो कंप्लीट करके छोड़ दी थी। हमारे पिछले टेन्योर में, 2008-2013 में। आपने डेढ़ साल तक इसलिए मेट्रो चालू नहीं की कि आपको मेडल मिल जाएंगे कि कांग्रेस सरकार ने मेट्रो कंप्लीट करके छोड़ी, इसलिए नहीं किया आपने। सेम काम आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कर रहे हो। हमने बना के छोड़ दिया, डेढ़ साल इसलिए लगा कि आप पूरा नंबर कांग्रेस पार्टी को, अब फिर उद्घाटन कर रहे हो। काहे का उद्घाटन कर रहे हो, उसका उद्घाटन तो हो चुका है। उद्घाटन तो हो चुका, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि हम इस बात का बहिष्कार करेंगे। एमएलए फ्लैट भी उसी का पार्ट है। उसको एन्जॉय कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय, विराजिये। सचेतक महोदय, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापतिः दो मिनट नहीं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कोटा में आपने कहा, मैं कोटा की तो इतनी सी ही बात बता देता हूँ, आपको सारा ज्ञान मालूम है कोटा का तो। रेड लाइट फ्री है, रिवर फ्रन्ट है। ज्यादा बात नहीं करके, मेरा नंबर काट देंगे आप।

VPS-RTM-07.03.2025-21.00-4n

श्री सभापतिः कोटा तो छोड़ो आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मंत्री महोदय, बीकानेर के अन्दर एक इश्यू है। आपके बीकानेर एम.एल.ए. ने भी यह इश्यू उठाया है। वल्लभ गार्डन में एक सीवरेज का नाला टूट गया है और बहुत सारी कॉलोनियां जल मग्न हो गयी हैं। मैं डिटेल आपको दे दूंगा तो आपसे मैं यह गुजारिश कर रहा हूं कि इसका जल्दी से जल्दी, पिछले बजट में, आपके ही बजट में 100 करोड़ रुपये दिये थे आपने ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): और अब हालत यह है कि कॉलोनियां वहां पर पानी में हैं, आदमी वहां पर रह नहीं पा रहे हैं तो आपसे यह गुजारिश करता हूं कि इस पर संज्ञान लें।

श्री सभापतिः समाप्त करें, साहब। माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था नौ बजे की थी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक गंगापुर सिटी का, एक लास्ट इश्यू है। लास्ट इश्यू। गंगापुर सिटी के अन्दर चेयरमैन और ई.ओ. दोनों के ऊपर अपराध साबित हो चुका है। दोनों को निलंबित कर दिया है फिर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं सदन से यह मांग करता

हूं कि आप पूरी जांच करें और जांच करके उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। धन्यवाद। श्री झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास राज्य मंत्री अनुदान की मांगों पर अपना वक्तव्य देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक यह फायर ब्रिगेड का एक और है। एक फायर ब्रिगेड और वाल्मीकि समाज, दो इश्यू है। फायर ब्रिगेड के अन्दर ट्रेंड आदमी भर्ती करो और वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन दो, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को जगह दो, उनके जो एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट आप दे रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बात आ गयी। बात आ गयी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पूरे वाल्मीकि समाज को ही उसमें भर्ती किया जाये।

श्री सभापतिः बात आ गयी। विराजिये, साहब।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री, नगरीय विकास।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): सर, इसमें मेरा भी नाम था। मुझे पांच मिनट दीजिए। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अब मैंने इनका नाम पुकार लिया है। अगली बार आपको मौका देंगे। आप यह टेबल कर दो, टेबल। टेबल कर दो आपका। टेबल कर दो, टेबल। अब मंत्रीजी खड़े हो गये हैं, अब आप टेबल कर दो।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): दो मिनट दे दो।

श्री सभापतिः अब टेबल कर दो आप। प्लीज, टेबल कर दीजिए। आज अध्यक्षजी की यह व्यवस्था थी कि नौ बजे हम करेंगे, अपन फिर भी लेट हो गये। प्लीज, आप टेबल कर दें। अगली बार समय देंगे आपको। अधिक समय देंगे। प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): कोठारीजी, कागज यहां दे दो। ...(व्यवधान)...

(समय 21.02 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः नहीं। नौ बजे के लिए मैंने कहा था। आप रिप्लाई शुरू करो। मैंने सुबह ही कहा था कि नौ बजे रिप्लाई शुरू हो जायेगा। आप रिप्लाई शुरू करें। ...(व्यवधान)...

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट ही दे दें।

श्री अध्यक्षः आप चिंता मत करो। आपका अपना काम हो गया। अब हो गया। अब आज नहीं, नौ बज गये। मैंने यह कहा था कि जो रह जाएंगे, वह रह जाएंगे। नहीं। कल आप बोल लेना सबसे पहले। परसों मंडे को। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खुशी है कि मांग संख्या 39- नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन विभाग की मांगों की चर्चा में इस सदन में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिये तथा कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बातें रखी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि जिन माननीय सदस्यों ने नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके उत्तर विभाग द्वारा भिजवाये जा रहे हैं जो उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, इसके साथ माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में एवं वित्त मंत्री के रूप में माननीया उप मुख्य मंत्री महोदया दिया कुमारीजी द्वारा जो जन आकांक्षा के अनुरूप जो शानदार बजट पेश किया है, इससे माननीय प्रधान मंत्रीजी के विजन और जनता से किये हुए वादे साकार होंगे, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा।

इस प्रदेश का हम सबको मिलकर सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करनी है। यह तब ही सम्भव हो सकेगा जब हम लोग इस सदन को मन्दिर मानकर अपने कार्य को राजस्थान की लगभग आठ करोड़ जनता की आशा, उनकी आकांक्षा व उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात सदन में रखने से पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदीजी की इन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा-

मनुष्य की टोली हो या मेला,
स्वजन और स्नेहीजन को ढूंढता हूं।
मेरे घोंसले के प्रवेश द्वार पर टाँगा है-
सत्य का स्वागत है।
सत्य चाहे विरोधी हो,
चाहे तिरछा बाँका हो।
बग़ीचे की खुशबू की अपेक्षा,
खाद की दुर्गंध महा मूल्यवान है।
विरोध में से भी सत्य को
ढूंढना मेरा धैय है/शांति है।
अफवाहों का राख-सा बिखरा देने का
विवेक भी है...
अफवाहों से कभी जीवन जीया नहीं
जा सकता,

दो किनारों के बीच के सत्य को
पाने की मुझ में क्षमता है।
हर बात का सत्य अलग हो सकता है
और होता ही है।
मैं, ... मैं सिर्फ सत्य से जुड़ा रहना चाहता हूं।
सत्य मेरे लिए सूर्य है
और..... मेरा जीवन
गायत्री मंत्र बन जाये,
ऐसी मेरी हर पल प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान समिट, 2024 के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा आज दिनांक तक कुल 574 एम.ओ.यू. स्वीकृत किये जा चुके हैं। जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा तथा राज्य में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख से अधिक रोजगार सृजित हो सकेंगे।

विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में अन्य विभागों के भूमि आवंटन के 55 प्रस्तावों में स्वीकृति प्रदान कर भूमि आवंटन किया जा चुका है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS), 2024 के अधीन स्थापित होने वाले पात्र उद्यमियों को देय प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट की अधिसूचना दिनांक 20.12.2024 को जारी की जा चुकी है। दिनांक 15.12.2024 को जारी अधिसूचना द्वारा दो नये विकास प्राधिकरण भरतपुर एवं बीकानेर का गठन न्यास को क्रमोन्नत कर किया जा चुका है।

विभाग द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए समस्त शहरों हेतु डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन (DPCR) लागू की गयी है जिससे भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण राज्य स्तर के स्थान पर स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा एवं इसमें लगने वाले समय व श्रम की बचत होगी, जिससे राज्य में निवेश की सम्भावनाएं प्रगाढ़ होंगी।

DPCR के अंतर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में भी सरलीकरण की दृष्टि से विभागीय अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया जा चुका है।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भर्ती का परिणाम दिनांक 07.12.2024 को जारी कर 239 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा चुके हैं।

नगर नियोजन विभाग द्वारा सहायक नगर नियोजक के 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

जयपुर मेट्रो परियोजना हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच 50:50 जे.वी. कम्पनी के गठन हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

नई टाउनशिप पॉलिसी- व्यापक जनहित में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करते हुए

नवीन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2024 तैयार की गयी है। आम जन से आपत्ति, सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 27.06.2024 को प्रारूप जारी किया गया था। नई टाउनशिप पॉलिसी को हमारी सरकार द्वारा एक माह में लागू कर दिया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनियम, 2024 का प्रारूप तैयार कर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा आम जन से आपत्ति, सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 05.12.2024 को प्रकाशित किया जा चुका है। पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनियम, 2024 को हमारी सरकार द्वारा एक माह में लागू कर दिया जायेगा।

टी.डी.आर. पॉलिसी (Transferable Development Rights Policy) वर्ष 2012 में जारी की गयी थी लेकिन गत कांग्रेस सरकार द्वारा इस पॉलिसी के तहत कोई योजना नहीं बनायी गयी। हमारी सरकार द्वारा टी.डी.आर. पॉलिसी का पुनरावलोकन कर नई टी.डी.आर. पॉलिसी तीन माह में जारी कर दी जायेगी।

राजस्थान मॉडल भवन विनियम 2024, नये भवन विनियमों का प्रारूप हमारी सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। नये भवन विनियम एक माह में लागू कर दिये जाएंगे।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2024- वर्तमान में लागू उक्त योजना के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं सरलीकरण कर निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आवास मूलभूत सुविधाओं के साथ उचित दर एवं समय पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2024 को नवीन योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2024 का प्रारूप जारी किया जा चुका है।

जयपुर विकास प्राधिकरण- राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जनहित के विकास कार्य हेतु बजट घोषणा में कुल राशि रुपये 2426 करोड़ की घोषणा की गयी है। प्राधिकरण द्वारा गत वर्ष में 326 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव का कार्य 170 करोड़ रुपये व्यय करते हुए निष्पादित किया गया है।

ssy/rtm/07.03.2025/21.10/4o

शहरों के 44 प्रमुख चौराहों का नवीनतम मानकों के अनुसार सुधारीकरण किया गया। यातायात को सुगम बनाने के लिए झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड एवं बी-2 बाईपास जंक्शन का कार्य त्वरित रूप से पूर्ण किया गया। सिविल लाइन्स पर आरओबी का कार्य प्रगतिरत है एवं आगामी वर्ष में यह यातायात के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

शहर में यातायात के बढ़ते हुए अत्यधिक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए गत वर्ष प्राधिकरण द्वारा 11 स्थानों पर एलिवेटेड रोड, आरओबी, फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी जांच कर डीपीआर तैयार करते हुए निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसरण में दो आरओबी की निविदाएं तो प्राप्त की जा चुकी है तथा एक एलिवेटेड रोड की निविदा शीघ्र ही आमंत्रित कर ली जाएगी। शेष की डीपीआर का शहर की अन्य परियोजनाओ एवं जयपुर मेट्रो के अलाइनमेंट के मद्दे नजर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात कार्य शुरू करवाया जायेगा।

सड़कों पर वर्षा काल में जल भराव के निराकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा सीकर और गोपालपुरा बाईपास एवं अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर कार्य प्रगतिरत है, इसके अलावा निवारु रोड से खिरणी फाटक एवं अजमेर दिल्ली 200 फीट बाईपास रोड से बैनाड रोड रेलवे स्टेशन तक, सीकर रोड पर मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर क्षेत्र में एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर में ड्रेनेज हेतु डीपीआर का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्राधिकरण द्वारा 100 करोड़ की अधिक लागत से सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नेवटा एवं सांझरिया में क्रमश: 30 एवं 43 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य, गजाधरपुरा में स्थित एसटीपी का उन्नयन कार्य, पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में आंतरिक सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य एवं सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र हेतु एसीईपीडी की शेष पाइप लाइनों एवं पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

32 हेक्टेयर क्षेत्र में नाहरगढ़ टाइगर सफारी का निर्माण किया गया, जिनमें टाइगर्स के रहने, पानी पीने और घूमने का स्थान बनाया गया। इस योजना पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग साढ़े 7 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस महत्वपूर्ण योजना का माननीय मुख्य मंत्री ने माह सितंबर, 2024 में लोकार्पण कर आमजन के लिए इसको खोला गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की नई योजनाएं, अटल विहार आवासीय योजना- जयपुर विकास प्राधिकरण के ज़ोन 12 क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड पर चक पीथावास उर्फ नारी का बास में अटल विहार योजना विकसित की गई है। उक्त योजना में 45 वर्गमीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 284 भूखंड उपलब्ध है।

गोविंद विहार योजना- जयपुर विकास प्राधिकरण के ज़ोन 10 क्षेत्राधिकार में गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में गोविंद विहार योजना विकसित की गई है। उक्त योजना में 45 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 202 भूखंड उपलब्ध हैं।

पटेल नगर आवासीय योजना- जयपुर विकास प्राधिकरण के ज़ोन 10 क्षेत्राधिकार में ही गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में पटेल नगर योजना विकसित की गई है। उक्त योजना में 76 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 220 भूखंड उपलब्ध हैं।

नवीन परियोजनाएं- इस सरकार द्वारा जयपुर शहर के विकास के लिए इस वर्ष भी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर, ऋद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड, अपेक्स सर्कल से जगतपुरा बालाजी तिराहे तक एलिवेटेड, झोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा आरओबी तक एलिवेटेड निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था सुधार पर 250 करोड़, सेक्टर रोड निर्माण पर 300 करोड़ से अधिक राशि व्यय की जाएगी। पर्यावरण सुधार के लिए भी स्वर्ण जयंती पार्क एवं द्रव्यवती नदी के अपग्रेडेशन कार्य पर 75 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

जयपुर मेट्रो- मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच 50-50

संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 25(II), 2024-25 के अंतर्गत जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जोइंट वैंचर में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन दिनांक 17.02.2025 को किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा अन्य घोषणा- बजट घोषणा संख्या 21(II) 2025-26 लेखानुदान, 2024-25 घोषणा संख्या 16(I) की अनुपालना में बजट घोषणा संख्या 21(II), 2025-26 के तहत जयपुर मेट्रो के फेज 2 को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्य के लिए सरकार द्वारा मेट्रो फेज 2 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर टोडी मोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु यातायात और परिवहन सलाहकार मेसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त कर लिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना का निर्माण नवीन 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार से सभी आवश्यक अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।

बजट घोषणा संख्या 21(II) 2025-26 जयपुर के जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनवाई जा रही है, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मेट्रो फेज 2 की पूरी तरह से नए सिरे से समीक्षा करने के साथ-साथ अन्य संभावित मार्गों की पहचान करने और तदनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए यातायात और परिवहन सलाहकार मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया जा चुका है एवं प्रस्तावित क्षेत्रों जैसे जगतपुरा एवं वैशाली नगर के मेट्रो कनेक्टिविटी हेतु डीपीआर तैयार करवायी जा रही है। यह कार्य भारत सरकार की सेंट्रल फाइनेन्शियल असिस्टेंस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

अजमेर विकास प्राधिकरण- वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा की स्थिति, 3 करोड़ 97 लाख की लागत से अजमेर में पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 4 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से पुष्कर, अजमेर में सूरजकुंड योजना में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 11 करोड़ 50 लाख रुपये में ब्यावर रोड, डीएवी हॉस्टल से आनासागर एस्केप चैनल तक वाया रामगंज से गढ़ी मालियान, अजमेर आरसीसी नाला निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। 11 करोड़ 50 लाख रुपये में ब्यावर रोड, दो बार छप गया। 10 करोड़ रुपये से श्रीनगर रोड से टेंपो स्टैंड तक जेपी नगर मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नाली व फुटपाथ अजमेर का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। 3 करोड़ 90 लाख की लागत से अजमेर में नसीराबाद रोड से अर्जुनलाल सेठी नगर योजना तक आरसीसी नाला एवं सड़क निर्माण करवाया जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अजमेर की तो मौज कर दी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जोधपुर विकास प्राधिकरण- 15 दिसंबर, 2023 से आज दिनांक तक लगभग 478.12 करोड़ के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जा चुकी है, जिनमें प्रमुख कार्य निम्नानुसार है-

पाल रोड स्थित नेहरू रोड चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, सिविल एयरपोर्ट के पास नाला कवरिंग कार्य, कायलाना झील पर म्यूज़िकल फाउन्टेन लाइट एंड साउंड वीडियो प्रोजेक्शन कार्य।

राजस्थान आवासन मंडल- विभाग द्वारा लगभग 750 नवीन आवासों का कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 1850 आवंटियों को निर्मित आवासों का कब्ज़ा सौपा गया है। मंडल द्वारा विभिन्न शहरों में यथा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भिवाड़ी, धौलपुर, नागौर, आबूरोड, उदयपुर, हनुमानगढ़ की 12 आवासीय योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3 हजार से अधिक आवासों की नई पंजीकरण योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी है। इस बजट वर्ष में भी लगभग 1 हजार नवीन आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है।

स्वायत्त शासन- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में शहरी निकायों में 1 हजार श्री अन्नपूर्णा रसोईयां संचालित हैं। प्रदेश में योजना अंतर्गत 1 हजार स्थाई रसोइयों के माध्यम से अब तक 23.93 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जरूरतमंदों को स्थाई रसोइयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार दो समय, दोपहर और रात्रि कालीन का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। जरूरतमंदों को 8 रुपये में एक समय का भोजन है और रसोई संचालकों को 22 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान देय है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार एवं अन्य मिलेट्स भोजन में शामिल किया गया गया है। भोजन मेनू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी और 300 ग्राम चपाती एवं अचार हैं।

बजट प्रावधान, योजना अंतर्गत वर्तमान में 1 हजार रसोइयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

spp/rtm/07.03.2025/2120/4p

रसोइयों में आधारभूत सरंचना हेतु 5 लाख रुपये की प्रति रसोई एकमुश्त सहायता दी जाती है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में दिनांक 06.01.24 से थाली में भोजन सामग्री का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी एवं आचार किया गया तथा राजकीय अनुदान ₹17 से बढ़ाकर ₹22 प्रति थाली किया गया। प्रदेश में

योजना अंतर्गत 1,027 स्थायी रसोइयों के माध्यम से दिनांक 6.1.24 से आज दिनांक तक 6.3 ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दो न। माननीय मंत्री जी,

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैंने तो आपसे कहा था अगर लेट हो तो मैं भोजन की व्यवस्था करूँ। आपने मना कर दिया मुझे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आज वो टू पॉइंट चल रहा है जल्दी खतम होगा। इसलिए आप भी बैठो, आप भी बैठो। अपन बीच में डिस्टर्ब न करें मंत्रीजी को। ..(व्यवधान).. आप अपने सारे भाषण टेबल कर दिया करो। जब मंत्री को ऐसा कहते हो तो, नो। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जोगाराम जी के लिये कह रहे हैं कि इनको आचार की मात्रा डबल करा दो।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप बोलो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आदर्श नगर से आने वाले माननीय विधायक ने विधान सभा में कहा तो जयपुर मेट्रो फेज वन सी परियोजना बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य पुनः परीक्षण की प्रक्रिया में है, जिसमें परियोजना के दीर्घकालिक लाभ, प्रासंगिकता एवं व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने हेतु इसका आर्थिक मूल्यांकन कोस्ट एण्ड बेनिफिट एनालिसिस, यातायात संबंधी विश्लेषण किया जा रहा है जिससे जयपुर की जनता को इसका अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य मंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र के सदस्यों को अकुशल कार्य की मांग किए जाने पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत श्रम एवं सामग्री मद का अनुपात क्रमशः 70:30 निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80% से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही है। मुख्य मंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कुल पंजीकृत जॉब कार्ड 6 लाख 58 हजार 68 हैं और कुल पंजीकृत सदस्य 10 लाख 31 हजार 201 हैं और रोजगार आवंटित 2 लाख 17 हजार 891 परिवारों को किया जा चुका है और 2 लाख 48 हजार 07 श्रमिकों को 2024-25 में रोजगार दिया गया है। जिस पर 140.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

विशेष पहल उपलब्धियां:-

वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण- वृक्षारोपण हेतु राज्य के नगरीय निकायों द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को पौधारोपण कार्यों पर प्राथमिकता से नियोजित किया गया। वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में 51.67 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0- आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का आवास निर्माण हेतु केंद्रीय अनुदान राशि रुपए 1,50,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माह जून, 2015 से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है, जोकि राज्य के सभी नगरीय निकाय

क्षेत्रों में संचालित है। शहरी नगर निकायों के विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं शहरी सीमा के परिधि क्षेत्र योजना क्षेत्र हेतु जिला परिषदों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त कुल अनुदान राशि 4 हजार 759.54 करोड़ रुपये में से राशि 4 हजार 627.93 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित की गई है। वर्तमान सरकार में भारत सरकार से राशि रुपए 724 करोड़ प्राप्त किए गए हैं एवं राशि 743.37 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिनांक 15.12.2024 को पांच हजार एक लाभार्थियों को केंद्रीय अनुदान राशि रुपये 20.21 करोड़ एसएनए द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की गई है। योजना की समयावधि भारत सरकार द्वारा माह दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

प्रधान मंत्री आवास योजना, शहरी 2.0- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रधान मंत्री आवास योजना, शहरी 2.0 की दिशा-निर्देशिका जारी की गई है, जो कि दिनांक 01.09.24 से लागू है। योजना की दिशा-निर्देशिका के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राशि रुपये डेढ लाख एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रुपए एक लाख, कुल राशि ढाई लाख का अनुदान देय है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 18.11.24 को केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट संपादित किया गया है। योजना के तहत आज आज दिनांक तक 01 लाख 07 हजार 453 आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन निकाय स्तर पर किया जा रहा है। 23,882 नवीन आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। योजना की अवधि वर्ष 2029 तक है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2.0 :

भारत स्वच्छ भारत, मिशन 2.0 की अवधि 2 अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2026 तक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के घटक निम्नलिखित हैं -

सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज़्ड वाटर मैनेजमेंट, आईईसी और क्षमता संवर्धन। लिगेसी वेस्ट का निस्तारण, लिगेसी वेस्ट प्रसंस्करण के अभाव में निकायों के डंप साइट पर कचरा एकत्रित होता रहा है, जिसे लिगेसी वेस्ट कहते हैं। इसके निस्तारण हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं:-

राज्य की कुल 176 डंप साइड पर लगभग 88 लाख क्यूबिक मीटर लिगेसी वेस्ट का आंकलन किया गया है और मार्च, 2025 तक यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसमें व्यक्तिगत और घरेलू शौचालय का लक्ष्य 41,059 का था, जिनमें से 24,389 पोर्टल अपलोड हो गए हैं, 5,686 स्थापित किए जा चुके हैं, 3,692 स्थापित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए 1.30 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त 110 नगरीय निकायों हेतु जारी की जा चुकी है। सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, डिजायरेबल शौचालय, कुल लक्ष्य 6,320 शीट्स का था। इसमें 1,988 सीट के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और 500 शीट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बजट 2025-26 में निम्न कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य समस्त संभाग मुख्यालयों के साथ ही चाकसू, फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, बिलाड़ा केशोरायपाटन सहित 32 शहरों के वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित कार्य इसमें सम्पन्न होंगे।

नगरीय निकायों के डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 55 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों पर व्हिकल पैकिंग सिस्टम लगाने तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों में ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु जीसीसी मॉडल पर 4 हजार लिये जाएंगे। आगामी तीन वर्षों में नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट से एफएसटीपी की स्थापना की जाएगी। 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना होगी। जिला स्तर की 41 नगरीय निकाय में मृत पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित होगी।

क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन पांच वर्ष से क्लाइमेंट चेंज अडॉप्टेशन प्लान, 2030 बनाया जाएगा। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेंट चेंज बनाया जाएगा। रिसाइक्लिंग एंड वेस्ट डिस्पोज़ल सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लायी जाएगी। इस स्कीम के माध्यम से रिसाइक्लिंग री-यूज के क्षेत्र में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।

सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

jyg/rtm/07.03.25/21.30/4q

प्रगति- जनवरी 2025 से जयपुर में वेस्ट एनर्जी प्लांट 600 टीपीडी का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, नगरीय विकास, सुमेरपुर में 40 टीपीडी का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन दिसम्बर 2024 से प्रारम्भ हो चुका है। साथ में ही इस प्लांट पर नगरीय निकाय तख्तगढ़ और शिवगंज के कचरे का भी प्रोसेसिंग किया जा रहा है।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संयंत्र, सी एण्ड डी, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना- पिछले एक वर्ष में राज्य के 5 शहरों, अलवर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्य प्रगतिरत हैं। मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति - पिछले एक वर्ष में विभाग द्वारा 28 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

नवाचार – मुख्य मंत्री सद्भावना केन्द्र खोले गये हैं जिसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा अपने अनुपयोगी वस्तुओं को दान या जमा करने एवं जरूरतमंद लोगों द्वारा उपयोगी वस्तुओं को

प्राप्त करने हेतु केन्द्र अभी वर्तमान समय में अभी तक 310 मुख्य मंत्री सद्भावना केन्द्र खोले जा चुके हैं।

अमृत 2.0 – सीवरेज कार्य – 29 शहरों में कुल 1490 किलोमीटर सीवर लाइन, 31 हजार सीवर कनेक्शन कर, 31 एसटीपी, मय क्षमता 212.35 एमएलडी का कार्य प्रारम्भ कर प्रगतिरत है।

जल निकायों के जीर्णोद्धार व पार्क कार्य – 9 शहरों में 13 जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं ग्रीन स्पेस के कार्यों का कार्यादेश दिया जाकर कार्य प्रगतिरत हैं, 13 कार्य राशि रुपये 40.68 करोड़ के पूर्ण किये गये हैं।

जलापूर्ति कार्य – राशि रुपये 5123.6 करोड़ की 183 शहरों में 183 स्वीकृत कार्यो में से 176 डीपीआर को एसएलटीसी द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी दी गयी जिनकी निविदा पीएचईडी द्वारा जारी कर दी गयी है।

राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना – आरयूआईडीपी। आरयूआईडीपी तृतीय चरण में राशि रुपये 3930.45 करोड़ के कार्य 12 शहरों में कराये जा रहे हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण कार्य – भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बीकानेर तथा कोटा में सीवरेज कार्य व टोंक में सीवरेज एवं जल प्रदाय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसम्बर, 2023 से फरवरी, 2025 तक कुल 337.63 करोड़ रुपये इन कार्यों पर व्यय किये गये हैं। आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच फस्ट के अंतर्गत राशि रुपये 3076.63 करोड़ रुपये के कुल कार्य 26 शहरों में कराये जा रहे हैं। वर्तमान शहर के कार्यकाल में फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में सीवरेज कार्य एवं बांदीकुई, जोबनेर एवं नीम का थाना में एफएसएसएन कार्य किये जा रहे हैं, पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसम्बर 2023 से फरवरी 2025 तक इन पर 606 करोड़ रुपये का सकल व्यय किया गया है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण फेज सैकेंड के अन्तर्गत 2450 करोड़ रुपये के कार्य 16 शहरों में कराये जा रहे हैं1 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 दिसम्बर, 2023 से फरवरी, 2025 तक 468 रुपये का सकल व्यय इन पर किया गया है। आरयूआईडीपी फेज फिफ्थ, राज्य सरकार इस फेज पर शीघ्र निर्णय लेने वाली है। एशियन डवलपमेंट बैंक तथा वर्ल्ड बैंक के साथ चर्चा एडवांस स्तर पर हो चुकी है।

पीएम स्वनिधि योजना, पथ विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करावकर आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 83 हजार पथ विक्रेताओं को लगभग 105 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाकर लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत गत सरकार में देश में 12वां स्थान था, जो अब वर्तमान सरकार में 9वें स्थान पर हैं। वर्तमान में सरकार का एक वर्ष कार्यकाल पूर्ण

होने के उपलक्ष में दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 को आयोजित कार्यक्रम में 11001 पथ विक्रेताओं को 14.82 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

मुख्य मंत्री स्वनिधि योजना, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में पथ विक्रेताओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से दिनांक 15.12.2024 को मुख्य मंत्री स्वनिधि योजना का शुभारम्भ किया गया है। मुख्य मंत्री स्वनिधि योजना का पोर्टल तैयार करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 23.12.2024 को आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को लिखा गया है। पोर्टल निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

स्मार्ट सिटीज मिशन, योजना का शुभारम्भ 25 जून, 2015 को किया गया, जिसकी मिशन अवधि मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों का नव-निर्माण करना, जहां नागरिकों को बेहतर जीवनस्तर प्रदान करना एवं जन आवश्यकता के कार्य यथा जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, चिकित्सा, ई-गवर्नेस, शिक्षा एवं स्पोर्ट की सुविधाओं के लिए स्मार्ट समाधान के माध्यम से मुख्य अवसंरचना स्वच्छ एवं स्थिर वातावरण उपलब्ध हो सके। मिशन अन्तर्गत राजस्थान के चार शहर उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा सम्मिलित हैं एवं देश के 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है।

स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान द्वितीय स्थान पर तथा 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर चौथे स्थान पर, कोटा 16वें पर और जयपुर 32वें स्थान पर तथा अजमेर 25वें स्थान पर है।

हाल ही में, जयपुर एवं उदयपुर का चयन आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित सिटीज 2.0 चैलेंज में हुआ है। जिसके माध्यम से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 100 करोड़ रुपये का लोन स्वरूप अनुदान प्राप्त होगा। जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमश 50-50 प्रतिशत होगी। सिटीज 2.0 चैलेंज की परियोजनाओं का समन्वय जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से 2028 तक किया जायेगा।

अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु रिड्यूज, रियूज एवं रिसाइकिल 3आर तथा सर्कुलर इकोनॉमी की संकल्पना। भारत सरकार द्वारा 12वें क्षेत्रीय 3आर एवं सर्कुलर इकोनॉमी इन एशिया एंड पैसिफिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्याशाला का आयोजन जयपुर शहर में दिनांक 3 से 5 मार्च, 2025 तक आयोजित किया गया। जिसमें जीरो गैज सोसायटी एवं सर्कुलर इकोनॉमी से सम्बन्धित योजनाएं एवं बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा कर वर्ष 2025 से 2034 तक दस वर्षों के लिए जयपुर डिक्लेरेशन जारी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए वर्ष 2025-26 हेतु पेश किये गये ग्रीन

बजट में राजस्थान सर्कुलर इकॉनॉमी इसेंटिव योजना 2025 की घोषणा की गयी, जिसकी सराहना अन्तरराष्ट्रीय मंच पर की गयी है।

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जेसीटीएल में वर्तमान में कुल 200 बसें संचालित हैं। वर्तमान में कुल संचालित रूट 27 हैं, जिनमें 26 नगरीय और उप नगरीय है। प्रतिदिन यात्री औसत भार एक लाख बीस हजार है। प्रतिदिन आय लगभग 23 लाख है। बसों की वर्तमान संचालन व्यवस्था जेसीटीएसल द्वारा वर्तमान में सभी बसों की जीपीएस, वीटीएस के माध्यम से ट्रेकिंग की जा रही है। यात्रियों द्वारा क्यू आर कोड के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पेमेंट किया जा रहा है।

महिला यात्रियों की सुविधा हेतु दो हजार महिला यात्रियों को कैशलेस यात्रा हेतु ट्रेवल स्मार्ट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। सभी दो सौ बसों में सीसीटीवी कैमेरे एवं रिकार्डिंग व्यवस्था रूट डिस्प्ले की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में सभी छात्र यात्रियों को उनकी कॉलेज, स्कूल आईडी के आधार पर छात्र रियायत पचास प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है। छात्र यात्रियों को मिलने वाली रियायत को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिये जाने हेतु पायलट मोड पर 1500 स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

पीएम ई बस सेवा, ई बस सेवा के अन्तर्गत राजस्थान के आठ शहरों में निम्नानुसार 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गयी हैं। अजमेर 100 बस, अलवर 50 बस, बीकानेर 75 बस, भीलवाड़ा 50 बस, जयपुर 150 बस, जोधपुर 100 बस, कोटा 100 बस और उदयपुर 50 बस। इस प्रकार पीएम ई सेवा में राजस्थान को कुल 675 बसें उपलब्ध होंगी।

MLS/RTM/07.03.2025/21:40/5a

...(व्यवधान)... भरतपुर का भी करेंगे। सीईएसएल द्वारा राजस्थान को प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिक बसों के लिए फर्म का चयन किया जा चुका है। 300 सीएनजी मिडी बसें बजट घोषणा संख्या 25, 2024-25 के क्रम में वित्त व्यय 111 विभाग की आईडी संख्या 172401766 दिनांक 10.12.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जेसीटीएल में कुल 300 सीएनजी चालित मिडी बसों के जीसीसी मॉडल पर उपापन की निविदा दिनांक 16.12.2024 को जारी की गयी। निविदा खोली जा चुकी है।

नगरीय सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया। नगरीय सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केन्द्रित शासन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न सेवाओं को सिंगल साइन ऑन एसएसओ मित्र तथा राज निवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस सेवाओं को बढ़ावा देते हुए डिजिटल इंडिया अभियान तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है।

नवाचार। यूनीफाइड पोर्टल। मौजूदा ई-गवर्नेंस तंत्र को और भी सुलभ एवं सशक्त करने के

उद्देश्य से यूनिफाइड पोर्टल का कार्य भी प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत शहरी सेवाओं, चाहे वे स्वायत्त शासन से सम्बन्धित हों, चाहे नगरीय विकास से हों या आवासन मण्डल से, को एक ही पोर्टल के माध्यम से दिये जाने का लक्ष्य है। इस यूनिफाइड पोर्टल से आमजन को विभिन्न पोर्टल्स पर न जाकर एक ही पोर्टल से सेवाएं मिलना सम्भव हो सकेगा। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, तेजी से शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या घनत्व के साथ शहरी क्षेत्रों में कुशल सम्पत्ति प्रबन्धन एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। जीआईएस आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सम्पत्ति रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करेगा।

मैं निवेदन करना चाह रहा था, बहुत से माननीय सदस्यों ने कई बातें सदन में व्यक्त की थीं। कोटा उत्तर से वाले आने वाले माननीय विधायक महोदय ने चम्बल रिवर फ्रंट को लेकर कई बातें कही थीं। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलकर दो-तीन बातें सदन को अवगत कराना चाहूंगा। कोटा शहर में चम्बल रिवर फ्रंट के निर्माण के अन्तर्गत पत्थरों से बने हुए घाटों का निर्माण कर 1500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा कर दिया गया, जिसमें हरियाली का तो नामोनिशान भी नहीं है। शायद तापमान में वृद्धि होने के कारण पर्यटक भी नहीं पहुंच रहे हैं। 138 से अधिक दुकानें बनायी गयी थीं, जिनमें से मात्र सात दुकानों का आवण्टन हुआ, जिसका भी किराया आवण्टियों द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह से ज्यादा का खर्चा रख-रखाव पर किया जा रहा है एवं प्रतिमाह आय 1 करोड़ रुपये से भी कम है और इस प्रकार 10 से 15 करोड़ रुपये का नुकसान प्रतिवर्ष कोटा विकास प्राधिकरण को हो रहा है। यह परियोजना राज्य के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही है।

साथ ही, माननीय विधायक ने अपने कार्यकाल में किये गये कामों का बढ़-चढ़कर उल्लेख किया था। राजधानी जयपुर में ही उनके कार्यकाल में घोषित 700 करोड़ की लागत के सात चौराहों के कामों में से तीन चौराहों का कार्य भी इस सरकार के दौरान पूरा किया गया है, जबकि चार चौराहों- रामबाग, जेडीए सर्किल, ओटीएस एवं चौमूं हाउस सर्किल के कार्य तो दुबारा प्रारम्भ ही नहीं किये गये? इसी तरह बस्सी-जगतपुरा लिंक रोड का कार्य एवं उत्तरी रिंग रोड का कार्य घोषणा उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किया गया था। चौमूं, बगरू, चाकसू, बस्सी, फागी एवं चन्दवाजी को सैटेलाइट टाउन की तरह विकसित करने की घोषणा का भी कोई प्रयास उनके कालखण्ड में नहीं हुआ।

उन्होंने एक बात कही थी कि टाउनशिप पॉलिसी में नर्सरी ऑर्चार्ड की योजना के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी 2010 में नर्सरी ऑर्चार्ड की योजना के प्रावधान कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के द्वारा किये गये थे और उसी के अनुसार वर्तमान सरकार काम कर रही है। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने फरमाया था कि जेडीए सिर्फ तीन ही योजनाएं 756 प्लॉट्स की लेकर आयी है।

मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में पूरे 5 साल में सिर्फ आठ योजनाएं लायी गयी थीं, जो कि शिव एनक्लेव, मूर्तिकला विहार, प्रियदर्शिनी नगर, मोहन लाल सुखाड़िया नगर, हीरालाल शास्त्री नगर, निलय कुंज, गोकुल नगर और एपीजे अब्दुल कलाम नगर हैं, जबकि हम इसी साल में कुल सात योजनाएं लाएंगे, जिनमें से तीन तो ला चुके हैं और शेष चार इसी वित्तीय वर्ष में लेकर आएंगे।

कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था कि हमारी सरकार ने एनसीआर के तहत कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में विद्युत वितरण निगम, जयपुर मेट्रो एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेतु स्पेशल असिस्टेंस के तहत लगभग 823 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित मास्टर प्लान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित पांच नगरपालिकाओं में से किसी का भी मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। हमारी सरकार द्वारा इनमें से तीन नगरपालिकाओं- डेगाना, रूपवास, खाटूश्यामजी के मास्टर प्लान तैयार किये जाकर इनके प्रारूप जारी कर दिये गये हैं।

उनके काल कार्यकाल में वर्ष 2021 से 2023 में कुल 103 नगरपालिकाएं बनायी गईं, परन्तु इनके मास्टर प्लान बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। हमारी सरकार द्वारा प्रथम चरण में 38 नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान बनाने हेतु 1 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है तथा सर्वे ऑफ इंडिया से शीघ्र ही एमओयू किया जाकर मास्टर प्लान बनाये जाने का कार्य शुरू करवाया जायेगा। मेरी इच्छा तो नहीं थी कि मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप करूं, लेकिन मैं दो बातें बता दूं, आप बहुत बढ़-चढ़कर बात करते हैं कि हमने 13 लाख पट्टे बांट दिये। पुश्तैनी मकानों के बारे में एक अलग प्रक्रिया है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कच्ची बस्ती नियमन। कच्ची बस्ती हो या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, कौन करेगा? आम गरीब आदमी। गरीब आदमी 50 वर्ग गज, 100 वर्ग गज, 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, वह दो झोपड़े से ज्यादा नहीं बनाता है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का नियमन और कच्ची बस्ती के नियमन में 100-200 वर्ग गज तो छोड़िये, 500, 700, 800, 1,000, 5,000 और 10,000 वर्ग गज तक के नियमन करके पट्टे जारी किये गये हैं।

MKD/RTM/07.03.2025/21:50/5b

नाम था, आम गरीब आदमी का, फायदा उठाया किन लोगों ने, उनके प्लॉट कब्जे के क्षेत्रफल के आधार पर, आप स्वयं निर्णय करें तो मैं समझता हूं, ज्यादा उचित रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप करो कार्यवाही।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): कर रहे हैं, सुनो तो सही, यूं फड़फड़ा क्यों रहे हो, मालिक। इस मामले में पट्टों के सम्बन्ध में अब तक 21 एफआइआर दर्ज हो

चुकी हैं। ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। इसके साथ ही आप बार-बार जांच की बात करते हैं।

आपके कार्यकाल में 50 शहरों में एफएसटीपी की बजट घोषणा 200 करोड़ रुपये की गई थी, उसके विरुद्ध 480 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर सिंगल टेंडर पर दिए गए और मजेदार बात ये थी कि इन 50 के बाद और 68 शहरों के लिए 600 करोड़ रुपये की बजट घोषणा करवाई गई, 2021-22 के बजट घोषणा में, गत से प्रति एफएसटीपी की दर तीन गुना थी और इसके टेंडर भी 700 करोड़ रुपये में दे डाले गए।

इस 1174 करोड़ रुपये के गड़बड़झाले में केवल एकमात्र फर्म थी, जिसका मात्र 30 करोड़ रुपये का टर्न ओवर था और उसे 870 करोड़ रुपये के वर्क आर्डर बिना टेंडर दिए जारी कर दिए गए। जैसे ही यह गड़बड़झाला मेरे संज्ञान में आया, मैंने जांच के आदेश किये। जिस तकनीकी अधिकारी के माध्यम से यह सारी कार्रवाई हुई। उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया, लेकिन जांच पूरी होने तक उसे कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी।

अच्छा, अब राजनीतिक विद्वेष, भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्रित्व काल की सरकार के समय राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को जिला मुख्यालयों पर और राजधानी में कार्यालय बनाने के लिए भूखंड आवंटन करने का एक नियम बनाया गया था। कोटा शहर में भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय के लिए आवेदन किया, भूखंड का चयन हो गया, भूखंड का आवंटन पत्र आ गया, मांग पत्र आ गया और लगभग पौने दो करोड़ रुपये से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जमा करवा दिये, रजिस्ट्री हो गयी और कब्जा भी दे दिया और उसके बाद राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे निरस्त कर दिया। उस समय के जो भी हों, अब हम इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करके वापस भूखंड का आवंटन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि ये बात करूंगा तो इतने लंबे-चौड़े मसले निकलेंगे, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को और सदन को ये अवगत करना चाहूंगा कि आज मेरे विभाग की मांगों पर जिन-जिन माननीय विधायकों ने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने कोई सकारात्मक मांग की है या सकारात्मक सुझाव दिए हैं। बजट सत्र की समाप्ति के बाद अधिकारियों को साथ बिठाकर, उन सभी सुझावों पर और सभी मांगों पर विचार करके, जो भी उचित निर्णय होगा, वह लेने का हम प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमने अपने विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण मनोयोग से कोशिश कर रहे हैं। हम सबके हौसले बुलंद हैं। हमारे इरादे भी नेक हैं और जनता के आशीर्वाद से हम सब मिलकर राजस्थान का सुनियोजित विकास करेंगे और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य भी निश्चित रूप से हमें सकारात्मक सहयोग देंगे।

हमारे मार्गदर्शक पूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों

को मैं सदन को समर्पित करना चाहूंगा:-

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक अरमानों को
ढलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।
तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा।

धन्यवाद जय हिंद। जय भारत।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन को पारित किया जाए।

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 64,86,97,000/- (चौंसठ करोड़ छियासी लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,25,60,86,77,000/- (एक सौ पच्चीस अरब आठ करोड़ छियासी लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

मंत्री जी को भी हां कहना है।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2025 के प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.58 बजे, सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

1. कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपस्ट्रीम में स्थित धार्मिक पुरातत्व के चम्बल गार्डन, गांधी उद्यान, भीतरीया कुंड, गोविन्द धाम, डियर पार्क एवं मोजी बाबा की गुफा का सौंदर्यीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
2. कोटा के मध्य से निकलने वाले बड़े नालों का सौंदर्यीकरण एवं हरित पट्टी के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

3. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत आवासन मण्डल की कॉलोनियों में रोड़ एवं नाली निर्माण नहीं होने के कारण आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में राजस्थान आवासन मण्डल की खाली पड़ी भूमि पर नियमानुसार कॉलोनी सृजित कर भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

5. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आवासन मण्डल की नवीन कॉलोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

6. जिला ब्यावर में यू.आई.टी. की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

7. प्रदेश में आवासन मण्डल द्वारा सरकारी जमीनों की नीलामी की पहुंच आमजन तक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. यू.आई.टी., पाली में सुओमोटो योजनान्तर्गत जारी किए गए पट्टों में अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अल्प आय वालों के लिए आवासीय फ्लैट बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की नगर परिषद, बहरोड़, नगरपालिका, नीमराना एवं बड़ौद को मिलाकर बहरोड़ विकास प्राधिकरण (बीडीए) बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नगरीय क्षेत्रों में विभागीय पहल कर बिजली के तारों को भूमिगत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

12. प्रदेश के शहरों में स्वच्छता, बिजली, पेयजल, सड़क आदि सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. बाड़मेर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
14. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में राजस्थान आवासन मण्डल की नवीन आवासीय कॉलोनियों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में नवीन कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

16. बून्दी शहर के समग्र विकास हेतु नगर विकास न्यास की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र बून्दी एवं आस-पास के गांवों को अवैधानिक तरीके से कोटा विकास प्राधिकरण में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति एवं के.डी.ए. से गांवों को बाहर निकालकर पुन: पंचायतों को देने के संबंध में चर्चा के लिए।
18. बून्दी शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नई आवासीय योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

19. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के मालवीय नगर में सेक्टर 5, 6, 7, 8, एवं 10 से 13 के कच्चे नालों को पक्का करवाकर कवर करने तथा खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. जयपुर के करतारपुरा नाले का सीमांकन करवाकर पक्का करवाने एवं इसी नाले पर जयपुर-दिल्ली रेलवे लाईन के पास राधा कृष्ण नगर को जोड़ने वाली पुलिया के नीचे ड्रेन बॉक्स लगाकर ऊँचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. जयपुर में फ्लाईओवर के नीचे बेशकीमती जमीन पर लैंड स्कैपिंग के साथ प्ले जोन एवं कैफेटेरिया बनाने तथा मालवीय नगर पीकॉक गार्डन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए उसका पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा एन.सी.सी., जयपुर की कब्जेराज ली गई भूमि, जो सिवाय चक घोषित कर दी गई है, का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने नाम खुलवाने की कार्रवाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (वि.सं.73)

24. श्रीडूंगरगढ़ में हाऊसिंग बोर्ड योजना लागू करने, सौंदर्यीकरण करने तथा पार्क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

25. विधान सभा क्षेत्र भीम के भीम एवं देवगढ़ में आवासन मण्डल द्वारा गरीब व्यक्तियों को सस्ती दरों पर घर देने की योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

26. जयपुर स्थित ज्योति नगर में आवासन विभाग के अधीन फ्लैटों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की करणी विहार एवं वैशाली नगर (पश्चिम) में स्थित हस्तीनापुर कॉलोनी का नियमन करने एवं मास्टर प्लान में आवासीय किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. बालोतरा स्थित आवासन मण्डल की आवासन कॉलोनी में सड़कें, सीवरेज एवं रोड़ लाईटों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. जोधपुर स्थित आवासन विभाग मण्डल की कुड़ी भगतासनी कॉलोनी एवं ईसरों के पीछे स्थित आवासन कॉलोनी में सड़कें, सीवरेज एवं रोड़ लाईट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. बालोतरा जिले के बालोतरा शहर में यू.आई.टी. बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

31. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के थेकड़ा पुलिया से राईट मैन कैनाल के दाईं तरफ केनाल के सहारे डीसीएम गेस्ट हाउस, श्रीराम कॉलोनी के पीछे से होते हुए पुराने ढाढदेवी कैनाल तक रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में मेन झालावाड़ रोड़ कोटड़ी के राईट मेन कैनाल के दाईं तरफ कैनाल के सहारे स्टील ब्रिज तक कैनाल रोड़ पर मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के रायपुरा चौराहे पर बढ़ते यातायात दबाव के मद्देनजर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के प्रेम नगर में स्थित बड़ी पुलिया एवं एस.एस.एफ. चौराहे से गोविन्द नगर तक नाला निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के बोरखेड़ा में ऑडिटोरियम निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

36. पिण्डवाड़ा में वर्ष 2011-12 से जर्जर सामुदायिक भवनों की मरम्मत कर एनजीओ वालों को किराए पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. पिण्डवाड़ा नगर के तालाब के ऊपर सौदर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

38. जोधपुर में बरसाती नालों के निर्माण के लिए बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. जोधपुर शहर में पब्लिक पार्किंग की सुविधा के लिए आवश्यक 50 करोड़ की धनराशि नीलामी अथवा जेडीए के माध्यम से उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.1)</u>

40. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में छतों के बरसाती जल का भूमिगत जल संचय एवं संग्रह की प्रभावी कियान्विति एवं सुचारू निगरानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गंदे पानी एवं सीवरेज के दूषित पानी से सब्जी उगाने पर जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

42. प्रदेश में फायर सेस के रूप में वसूली गई राशि का उपयोग फायर इक्विपमेंट खरीदने एवं अग्निशमन विभाग की व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

43. राजसमंद नगरीय क्षेत्र में निम्न मध्यम वर्ग के लिए नवीन आवासीय योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)</u>

44. विधान सभा क्षेत्र बगरू के विश्व प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, गोनेर क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु एकमुश्त 50 करोड़ रूपए की राशि आवंटित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)</u>

45. चित्तौड़गढ़ के भोईखेड़ा स्थित संगम महादेव में घाट और चौपाटी का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

46. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित आवास, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में सुधार करने तथा विधायकों को आवंटित फ्लैटों में हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

47. अजमेर में स्थित फूस की कोठी योजना, माखुपुरा एवं कल्याणीपुरा में लगभग 300 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में स्थित ब्यावर रोड़ एवं नसीराबाद रोड़ को जोड़ने वाली एक मात्र नारीशाला रोड़ पर स्थित विज्ञान नगर रेलवे फाटक पर फोरलेन आरओबी का निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के पश्चात नियमन कर, पट्टा जारी करने की पत्रावलियों का अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा लम्बे समय से निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. अजमेर में निजी भवन निर्माताओं द्वारा प्रधानमंत्री जन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं करने पर पात्र आवंटियों को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. अजमेर नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा एक नई आवासीय योजना 'गौ ग्राम' के रूप में बसाई जाकर, गौपालकों को वहां भूखण्ड आवंटित कर आबादी क्षेत्र से दूर बसाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामकेश (वि.सं.133)</u>

52. जयपुर शहर के मास्टर प्लान 2025 से 2045 तक के निर्माण एवं पिछले प्लान में सेक्टर रोड्स के निर्माण में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

53. सूरतगढ़ में आवासन मण्डल के मकान बनाकर गरीबों को आवंटित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर बेचान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुराखोर में खेल स्टेडियम हेतु भूमि का आवंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुराखोर में अस्पताल हेतु आवंटित स्थान में परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 में ग्राम धाबास स्थित विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना (विस्तार) में सड़क, सीवरेज लाईन आदि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

58. निम्बाहेड़ा में आवासन मण्डल की अटल नगर आवासीय योजना में आधारभूत सुविधाएं (चिकित्सालय भवन, कम्युनिटी सेन्टर, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवन आदि) उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत जेडीए, जोधपुर के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में लैंड कन्वर्जन रूल्स-2007 में संशोधन की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में भी सोलर फार्म आदि हेतु एस.सी. एवं एस.टी. जाति के कृषकों की कृषि भूमि के संपरिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत जेडीए, जोधपुर के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत जेडीए, जोधपुर के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में रोड़ लाइटों सहित विकास कार्यों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत जेडीए, जोधपुर के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में सीवरेज लाईन सहित ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

63. भरतपुर नगरीय सीमा में आने वाले श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में विभिन्न विकास कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. भरतपुर नगरीय सीमा में युवा गतिविधियों के लिए खेल मैदानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. भरतपुर नगरीय क्षेत्र में पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं नए पार्कों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. भरतपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईटें लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. भरतपुर के शहरी सीमा की कॉलोनियों में सड़क एवं नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.1)

68. प्रदेश में नगरीय एवं कस्बों के विकास हेतु टाउन प्लानिंग में सैकड़ों वर्ष पुराने गांव के मोहल्ले, चौक, ग्वाड़ की योजना को नजरअंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

69. संयुक्त गृह निर्माण समिति लि. जयपुर की धौलाई, मानसरोवर, जयपुर स्थित आवासीय योजना विधान सभा नगर, जोकि जोन-8 में है, का सृजन वर्ष 1994-95 में होने एवं 90-बी की कार्रवाई वर्ष 2008 में पूर्ण होने तथा बीपीसी की बैठक दिनांक 07.01.2010 के द्वारा संशोधित मानचित्र का अनुमोदित करने एवं जेडीए की बुकलेट में नामों के प्रकाशन के पश्चात् भी भूखण्डधारियों को संशोधित नक्शे के हिसाब से डिमार्केशन, नियमितीकरण, पट्टा आदि नहीं देने तथा भू-माफियाओं, पुराने नक्शे के हिसाब से मकान निर्माण करने वालों पर पाबन्दी के उपरान्त भी रोक नहीं लगाए जाने से मूल आवंटियों को मौके पर भौतिक कब्जा नहीं मिलने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

70. हाउसिंग बोर्ड, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा की समस्त कॉलोनियों की सड़क, पानी एवं बिजली की समस्या का निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिले के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नवीन योजना बनाकर आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिले के समस्त शहरी पानी के रख-रखाव एवं ओपन जिम लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिले को विभाग द्वारा विशेष पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

74. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नगरीय विकास के तहत बस स्टॉप, रोड़ लाईट एवं सौंदर्यीकरण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में रियायती दरों पर राजकीय योजनाओं के तहत गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए आवासों का निर्माण कर उन्हें उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)

76. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस में इनडोर स्पोर्ट्स एरिना के निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. जयपुर जिले में द्रव्यवती नदी पर सम्पर्क सड़क (सेक्टर कम मिनी रिंग रोड़ विद एलिवेटेड रोड़), वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट एवं लैंडस्केप कम वर्टिकल गार्डन विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
78. समसामयिक घटनाओं की विशेष कवरेज के लिए जयपुर आने वाले पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा से युक्त अत्याधुनिक मीडिया सेन्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
79. जयपुर जिले में सोडाला से अजमेर रोड़ पर वशिष्ट मार्ग के आगे से द्रव्यवती नदी के किनारे से यू-टर्न कर सुशीलपुरा रोड़ स्थित नलेश्वर मंदिर कट (अजमेर रोड़ से सोड़ाला की ओर) तक अण्डरपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
80. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस की कच्ची बस्तियों के नागरिकों को पक्के सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने के लिए टाउनशिप विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

81. झुन्झुनूं जिला हैडक्वार्टर नगर के विकास के लिए योजना बनाने तथा हाउसिंग बोर्ड की बिगड़ी हालत को दुरूस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

82. जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के विस्तार एवं प्रदेश में छोटे शहरों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं.29)

83. जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

84. करौली में नगर विकास प्रन्यास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

85. नगर परिषद, डीडवाना के पेराफेरी एरिया को मास्टर प्लान में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
86. जिला मुख्यालय डीडवाना के नगर परिषद, डीडवाना में आवासन मण्डल (हाउसिंग बोर्ड) की कॉलोनी बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
87. नगर परिषद, डीडवाना के पेराफेरी एरिया में आवासीय पट्टे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
88. डीडवाना शहर के पेराफेरी एरिया को नगर परिषद, डीडवाना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

89. भीलवाड़ा में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात हेतु एलिवेटेड रोड़ एवं आरओबी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

90. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत निजी कॉलोनियों को जारी पट्टों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा के लिए।

91. भीलवाड़ा में लैण्ड पुलिंग एक्ट के माध्यम से बहुउद्देशीय योजना के विकास पर चर्चा के लिए।

92. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा स्पोर्ट्स हेतु रिजर्व भूमि पर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

93. भीलवाड़ा में कोठारी रिवर फ्रंट निर्माण की प्रगति पर चर्चा के लिए।

श्री रामावतार बैरवा (वि.सं.137)

94. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में जेडीए द्वारा अवाप्त की गई भूमि पर एवं जेडीए के अन्तर्गत आने वाले गांव एवं कस्बों में सड़क, पार्क, श्मशान आदि मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)

95. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अथवा तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर से ले-आउट प्लान पास करवाकर 90-बी नियमों के अन्तर्गत प्राईवेट कॉलोनाइजर्स द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय अपनाने के पश्चात् सम्बन्धित कॉलोनी हेतु रिजर्व भूखण्डों को बेचकर कार्य करवाने की कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

96. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा एवं रावतसर में हाउसिंग बोर्ड की नवीन योजना लाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

97. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भूखण्ड हेतु योजना लाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

98. विभाग के समस्त कार्यालयों में विभागीय जांच के लम्बित प्रकरणों में लम्बित रहने के कारणों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

99. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के जवाहर नगर में हो रहे अवैध कंसट्रक्शन के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की ग्राम पंचायत बगराना में आबादी भूमि पर आवासीय कॉलोनी के आवेदकों को आबादी पट्टे दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के बगराना में राजीव गांधी आवासीय योजना में बची हुई लॉटरी निकालने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के बगराना में क्लोअर लीफ पर एक्वायर्ड किए गए प्लॉट्स का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (वि.सं.107)

103. पाली जिले में बहुमंजिला इमारतों के बिना स्वीकृति निर्माण एवं बिना सैट बैक छोड़े निर्माण होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

104. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के द्वारा निर्मित केशव हॉस्पिटल से न्यू आर.सी. विहार पर बने हुए पुल के टूटने की जांच किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के विगत तीन वर्षों की गतिविधियों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के नगर विकास न्यास क्षेत्र में किसानों को नि:शुल्क पट्टे दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

107. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय स्तर पर भी आवासन मण्डल का भवन निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)

108. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय योजनाएं आनन्द लोक, स्वप्न लोक, रजत विहार, राजारामपुरा, लोहा मंडी माचेड़ा एवं अन्य में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में पत्रकारों को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला, जयपुर के नाम से आवासीय योजना में पत्रकार आवास कमेटी द्वारा चयनित 574 पत्रकारों के भूखण्डों का आवंटन 12 वर्ष पश्चात् भी नहीं होने तथा पात्र पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन करवाने पर चर्चा के लिए।

110. जयपुर के बगराना, विजयपुरा, सुमेल में सरकारी भूमि पर अवैध पट्टे काटने वाले भू-माफियाओं एवं सोसाइटियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. राजस्थान आवासन मण्डल में आवासों की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन तथा आंकलन किए बिना ही सरप्लस आवासों के निर्माण के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. राजस्थान आवासन मण्डल की नीलामी में भाग लेने वाले आवेदकों के असफल रहने पर, उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को निर्धारित समयावधि में नहीं लौटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

113. पिलानी शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रैगर) (वि.सं.132)</u>

114. जयपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम-धाबास, अजमेर रोड़, जयपुर स्थित विधान सभा सचिवालय कर्मचारी समूह आवास योजना (जोन-7) में शिव मंदिर के पास प्लॉट नम्बर 150 के सामने खाली स्ट्रिप लैंड में पार्क विकसित करने तथा प्लॉट संख्या 182, 183, 184 के पास तिकोनी खाली भूमि को पार्क के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-8 में संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की ग्राम-धौलाई, मानसरोवर, जयपुर में स्थित विधान सभा नगर योजना का सृजन 1994-95 में होने एवं 90-बी की कार्रवाई 2008 में पूर्ण होने तथा बीपीसी की बैठक दिनांक 07.01.2010 के द्वारा संशोधित मानचित्र अनुमोदित करने एवं जेडीए की बुकलेट में नामों के प्रकाशन के पश्चात् भी भूखण्डधारियों को डिमार्केशन/पट्टा
/नियमितीकरण किए जाने तथा पुराने नक्शे के अनुसार कब्जा हटाकर मूल आवंटी को मौके पर कब्जा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)</u>

116. बीकानेर में नगरीय विकास हेतु चक गर्बी की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा गलत तरीके से कब्जा करने एवं आवासीय कॉलोनी बसाने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. बीकानेर की मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में भू-माफियाओं द्वारा आवासन मण्डल की जमीन पर किए हुए कब्जे खाली करवाने एवं कॉलोनियों का विस्तार करके बसाने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. बीकानेर में आवासन मण्डल की शिवबाड़ी आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि से भू-माफियाओं की गतिविधियों को रोककर उक्त योजना को बसाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

119. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-12 एवं 13 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नवीन सड़कों का निर्माण एवं पूर्व में बनी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र आमेर में संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र आमेर के अचरोल स्थित चिकित्सालय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित करने एवं मुख्य बाजार की सड़क के पुनरूद्धार की मांग पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

122. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के शाहपुरा, मनोहरपुर एवं खेजरोली में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

123. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के परतारपुर गढ़ी में रीको क्षेत्र स्थित आवासन मण्डल की कॉलोनी में बिजली, पानी एवं सड़क की सुचारू व्यवस्था के लिए विभागीय पहल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के परतारपुर गढ़ी में आवासन मण्डल द्वारा रीको क्षेत्र का विस्तार कर रियायती दर पर आवास एवं प्लॉट आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

125. नगर सुधार न्यास, आबू रोड़ द्वारा आवास निर्माण की स्वीकृति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

126. भीलवाड़ा के शाहपुरा में भूमि चिन्हित कर मास्टर प्लान की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)</u>

127. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अनतपुरा-एन.एच. 52 पर जैतपुरा से अनतपुरा ग्राम तक क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

128. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के गांधीनगर (चमड़ा घर) सराना रोड़ एवं इन्द्रा नगर कॉलोनी का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)</u>

129. प्रदेश में विधायक एवं पूर्व विधायकों को रियायती दर पर आवासन मण्डल, जोधपुर एवं जयपुर में आवास दिलाए जाने, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पेराफेरी एरिया में आवासीय पट्टे आदि दिलाने, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पेराफेरी एरिया में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनी में पानी की व्यवस्था एवं सी.सी. रोड मय नाली निर्माण करने तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में डामर रोड़ एवं सी.सी. रोड़ की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

अनुदान की मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–40 मुख्य शीर्षक स्वायत्त शासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)

1. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की नगरपालिका कुचेरा को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. नगरपालिका कुचेरा में सीवरेज एवं ड्रेनेज विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

3. कोटा में पर्यटन हेतु चम्बल नदी में क्रूज संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

4. विधान सभा क्षेत्र अटरू तथा बारां में सी.सी. रोड़ तथा नाली निर्माण नहीं होने के कारण आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की नगरपालिका अटरू तथा नगर परिषद बारां को बजट आवंटित नहीं होने की दशा में विकास कार्य रूके होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)

6. नगरपालिका आहोर के मुख्य मार्ग पर ड्रेनेज सिस्टम के तहत सड़क के दोनों तरफ नाले की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

7. विधान सभा क्षेत्र अंता की नगरपालिकाओं में बरसाती नालों का निर्माण व सौन्दर्यकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

8. नगरपालिका महवा को नगरपरिषद में क्रमोन्नत करने, नगरपालिका महवा में सीवरेज लाइन के लिए बजट की स्वीकृति एवं नगरपालिका महवा एवं मण्डावर के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

9. नगरपालिका क्षेत्र छबड़ा में सीवरेज डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर)(वि.सं.132)

10. नगरपालिका क्षेत्र निवाई में सीवरेज लाईन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

11. जिला मुख्यालय ब्यावर पर नगर निगम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

12. जैसलमेर शहर में वर्षा जल निकासी हेतु मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. जैसलमेर शहर की नई कॉलोनियों में सीवरेज की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।
14. जैसलमेर मुख्यालय पर इंटरेक्टिव विज्ञान प्रदर्शनी, शैक्षिक मॉडल आदि गतिविधियों सहित एक विज्ञान पार्क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में मैसर्स आरजीआई-आरबीआईपीएल जेवी, जालन्धर द्वारा किये जा रहे ड्रेनेज कार्य के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
16. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की नगरपालिका, नवलगढ़ में सीवरेज कार्य के शेष 60 प्रतिशत भाग के द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के मुकुन्दगढ़ कस्बे में गन्दे पानी की निकासी के लिए गत बजट 2024-25 में स्वीकृत 10 करोड़ के अतिरिक्त 6 करोड़ की राशि और स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की नगरपालिका, नवलगढ़ में शेष रहे सीवरेज कनेक्शनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

19. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता में शामिल ग्राम पंचायत बालेसर दुर्गावता के राजस्व ग्राम शहीद भंवर सिंह नगर को पृथक कर राजस्व ग्राम यथावत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. नगर निगम, जोधपुर द्वारा खोले गये आश्रय स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. नगरपालिका बालेसर सता एवं उपखण्ड मुख्यालय शेरगढ़ में नवीन अग्निशमन केन्द्र खोलकर एक-एक अग्निशमन वाहन व उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

24.नगर परिषद क्षेत्र बून्दी में विभिन्न अवैधानिक कॉलोनियों को नियमित करने और शहर की विभिन्न कॉलोनियों में सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

25.बून्दी शहर में सफाई के आवश्यक संसाधनों के अभाव तथा नये साधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

26.नगर परिषद क्षेत्र बून्दी में लम्बे समय से विचाराधीन विभिन्न श्रेणियों के पट्टे नहीं बनाने तथा निर्माण की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27.प्रदेश में घोषणा के अनुसार अभी तक भी सफाईकर्मियों की भर्ती नहीं करने के परिणामस्वरूप नगर परिषद और नगरपालिकाओं की सफाई व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28.नगर परिषद क्षेत्र बून्दी की पूर्व सभापति को हटाकर नई सभापति के मनोनयन के बाद चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं.165)</u>

29.विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थित सोजत सिटी एवं सोजत रोड़ नगरपालिका की वर्तमान स्थिति एवं ग्राम पंचायत, रायपुर को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

30.नगरपालिका, निम्बाहेड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

31. नगर निगम, जयपुर ग्रेटर व हेरिटेज में स्वयं द्वारा वसूले गये यू.डी. टैक्स पर भी यू.डी. टैक्स वसूली के लिए नियुक्त कम्पनी को कमीशन देने की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

32.नगर निगम, जयपुर हेरिटेज के चारदीवारी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइन को हटाकर डाली जा रही नई सीवर लाइन में घटिया कार्य की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

33.नगर निगम, जयपुर हेरिटेज के क्षेत्र में आने वाले जाट के कुंए का रास्ता व दीनानाथजी के रास्ते में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाने में निगम के अधिकारियों की भूमिका की जांच करवाने व व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34.नगर निगम, जयपुर हेरिटेज क्षेत्रान्तर्गत मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी में मंगला माता मंदिर के रास्ते पर बने सार्वजनिक दरवाजे के जीर्ण-शीर्ण होने के फलस्वरूप उसकी मरम्मत करवाने व यहां किये गये अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35.प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर निगम, जयपुर ग्रेटर व हेरिटेज में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)</u>

36.नगर परिषद, डीग को लम्बे समय से आर्थिक अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

37.विधान सभा क्षेत्र भीम की नगरपालिका, भीम के रातडिया में सार्वजनिक पार्क/सेन्टर पार्क विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

38.विधान सभा क्षेत्र भीम की नगरपालिका, भीम में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

39.विधान सभा क्षेत्र भीम के सुजाजी चौक के पास आधुनिक सुलभ कॉम्पलेक्स बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

40.विधान सभा क्षेत्र भीम की नगरपालिका, भीम में सीवरेज व ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए 100 करोड़ रू. का बजट आवंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

41. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बरसाती जल निकास हेतु 40 करोड़ रूपये स्वीकृत करने, सीवरेज लाईन के द्वितीय फेज को स्वीकृत करने एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चतुर्भुज का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

42.जयपुर में पूर्व विधायकों को आवास व रहने के लिए भू-खण्ड देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

43.जिला हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में बरसाती पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44.नगरपालिका, भादरा क्षेत्रान्तर्गत सीवरेज के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

45.भादरा शहर के सीवरेज पाइप लाईन से वंचित वार्डों में शीघ्र सीवरेज पाईप लाईन स्वीकृत करवाकर कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

46.नगरपालिका, भादरा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक शौचालय निर्मित करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47.कस्बा भादरा में सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

48.नगर परिषद, बालोतरा में स्थित अम्बेडकर भवन टाऊन हॉल के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

49.नगर परिषद, बालोतरा के अन्तर्गत चल रहे आरयूआईडीपी के कार्य सही ढंग से एवं सुचारू रूप से नहीं करने तथा नगर परिषद के शेष रहे क्षेत्र को सीवरेज एवं पीने के पानी की पाईप लाईन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50.नगर परिषद, बालोतरा में अमृत-2 योजना के अन्तर्गत सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु तीन ओवर हैड टैंक जल भराव हेतु बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम पंचायत जसोल एवं पचपदरा को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52.नगर परिषद, बालोतरा की टूटी सड़कों की मरम्मत अथवा नई सड़कें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

53.विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के थेगड़ा से छावनी तक रेलवे पुलिया के पास कचरा पॉइन्ट को हटाकर रिक्त स्थान पर गार्डन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54.विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित नगरपालिका, कैथून को नगर निगम, कोटा में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55.विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में सीवरेज लाईन डाले जाने के निर्धारित कार्यों को संवेदक फर्म द्वारा अपूर्ण छोड़े जाने में हुई अनियमितताओं की जांच कराकर क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र दुरूस्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56.विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के नगरपालिका, कैथून में नन्दीशालाओं के लिए जमीन आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57.कोटा शहर के रेलवे स्टेशन से शनि मंदिर के पास स्थित अपूर्ण कचरा संग्रहण केन्द्र को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

58.कोटा में टैचिंग ग्राउन्ड पर लेगेसिव वेस्ट निस्तारण हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59.कोटा शहर की चम्बल नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

60.कोटा शहर के दशहरा मैदान में द्वितीय फेज का निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. नगर निगम, कोटा द्वारा संचालित गौशाला धर्मपुरा के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

62.नगरपालिका, महवा में सीवरेज लाइन के लिए बजट की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

63.नगरपालिका, महवा एवं मण्डावर के लिए फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)

64.नगरपालिका, देशनोक में अधिशासी अधिकारी का पद कई महीनों से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

65.बीकानेर जिले के कस्बों या नगरपालिका क्षेत्र में ड्रेनेज एवं सीवरेज की योजना समय पर नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

66.जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण को सरकार द्वारा मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

67.राजसमंद शहर में बिजली एवं टेलीफोन की लाइनों को भूमिगत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68.प्रदेश के नगर निकायों को सरकार द्वारा चुंगी कर के प्रतिस्थापन पर देय क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69.राजसमंद शहर में नगर विकास प्रन्यास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70.राजसमंद झील के सौन्दर्यकरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया के सरलीकरण, आवासीय निर्माण के लिए घोषणा पत्र पर स्वत: स्वीकृति एवं एक माह की अवधि में अनिवार्य रूप से स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

72.विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत, कोटड़ी को नगरपालिका बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

73.नगरपालिका, पदमपुर में बरसाती व गन्दे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिए।

74.नगरपालिका, श्रीकरणपुर में बरसाती पानी की निकासी पर किसानों को मुआवजा राशि दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75.विधान सभा क्षेत्र करणपुर की नगरपालिकाओं में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76.प्रदेश की नगरपालिकाओं में स्टाफ की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77.वर्ष 2025 में नगरपालिका, श्रीकरणपुर में वर्षा से पूर्व नालों व जोहड़ की सफाई किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

78.विधान सभा क्षेत्र, बगरू की नगरपालिका वाटिका में ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79.श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

80.विधान सभा क्षेत्र, बगरू की नवसृजित नगरपालिका वाटिका में विभिन्न संवर्गों के पद सृजित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (वि.सं.183)

81. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में अण्डरपास, मास्टर प्लान एवं नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

82.चित्तौड़गढ शहरीय क्षेत्र में गम्भीरी नदी पर रिवर-फ्रन्ट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

83.प्रदेश की नगर परिषदों में किए जा रहे कार्यों में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति एवं सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

84.झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत, बकानी को नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85.झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत, खानपुर को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

86.प्रदेश में नगरीय निकायों के अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन का भुगतान राज्य की संचित निधि से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87.अजमेर शहर में आना सागर एस्केप चैनल के दोनों ओर बसी कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को दुर्गन्ध एवं बदबू से निजात दिलाये जाने हेतु एस्केप चैनल का पुनः निर्माण एवं नियमित सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88.नगरीय निकाय के कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य कार्मिकों के अनुरूप आरजीएचएस (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) चिकित्सा सुविधा का लाभ समान रूप से नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89.विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित वार्ड नं. 37 के विकास नगर में अमृत योजना के तहत अजमेर नगर निगम के द्वारा गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाईन नहीं डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90.नगर निगम अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरण किये बगैर ही कृषि भूमि पर नक्शे स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

91. कोटपूतली के हाइवे के पश्चिमी तरफ सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. कोटपूतली शहर से कचरा डम्पिंग डालने की दूरी लगभग 15 किमी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. कोटपूतली नगर परिषद में पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. कोटपूतली नगर परिषद में फायर ब्रिगेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका, आसीन्द में सीवरेज लाईन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका, आसीन्द की श्रेणी बढ़ाकर ''बी'' श्रेणी कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनौर को नगरपालिका घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका, आसीन्द का भवन पुराना एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण नवीन भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)</u>

99. प्रदेश में ऑफलाईन अप्लाई करने वालों को पट्टे देने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हंसराज मीणा (वि.सं.188)</u>

100. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की ग्राम पंचायत, कैलादेवी को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

101. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में निर्माणाधीन सीवरेज कार्यों में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांचकर संबंधित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में जलभराव की समस्या को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत करने तथा नालों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के विभिन्न उद्यानों का रख-रखाव व उन्हें विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण कराने, नई सड़कें बनाने हेतु लगभग 60 किमी सीसी सड़क स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

106. सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र का सर्वे करवाकर पात्र लोगों को पट्टे जारी करने तथा नगरपालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर आरक्षित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने तथा नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में नाली, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की किशनपुरा आबादी को नगरपालिका, सूरतगढ़ में शामिल करने तथा जैतसर को नगरपालिका का दर्जा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं (नायक, रायसिख, तेली, सिन्धी, कुम्हार समाज व मदरसा, गुरूद्वारा) को पट्टे जारी करने तथा श्री गुरूद्वारा सिंह सभा सूरतगढ़ द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने के बावजूद पट्टा जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. नगरपालिका, सूरतगढ़ को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)</u>

111. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रामगढ़, गोविन्दगढ़, बड़ौदा मेव एवं नौगावां नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में बिजली के खुले/नंगे तारों को अण्डर ग्राउण्ड करने अथवा इंसुलेटेड वायर में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

114. नगरपालिका, लोसल में खेल स्टेडियम बनाने व विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. नगरपालिका, धोद के भवन निर्माण हेतु समुचित भूमि एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. नगरपालिका, लोसल में बिजली के तारों को अण्डर ग्राउण्ड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

117. नगरपालिका, निम्बाहेड़ा शहर की वंचित कॉलोनियों में सीवर लाईन डालने व शेष रहे घरेलू कनेक्शनों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. नगरपालिका, निम्बाहेड़ा में नवीन फायर ब्रिगेड केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (वि.सं.02)

119. नगरपालिका, डेगाना में दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को जारी किये गये मास्टर प्लान की प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात ही लागू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (वि.सं.02)

120. डेगाना शहर में गन्दे पानी के निस्तारण हेतु नालों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. डेगाना शहर में नगरपालिका कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. डेगाना शहर में अम्बेडकर सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में धारा 69ए के तहत 300 वर्ग गज के पट्टे 501 रूपये में ही देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल)(वि.सं.108)

124. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में गत बजट 2024-25 में नवगठित नगरपालिका, तिवंरी के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नवसृजित नगरपालिका, तिवंरी हेतु कार्यालय भवन, आवास, अग्निशमन केन्द्र तथा डम्पिंग स्टेशन के लिये भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र ओसियां की नगरपालिका, तिवंरी में अस्थायी स्टाफ व कार्मिकों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र ओसियां की ग्राम पंचायत, मथानिया-उम्मेद नगर तथा ग्राम पंचायत, ओसियां में नगरपालिका का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामावतार बैरवा (वि.सं.137)

128. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की नगरपालिका, चाकसू में सीवर लाईन डलवाये जाने एवं लाईन के अभाव में नालियों का पानी सड़कों पर बहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

129. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की नगरपालिका क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

130. नगर निगम, भरतपुर सीमा के अन्तर्गत समुचित सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. भरतपुर नगरीय सीमा में सीएफसीडी योजना के अन्तर्गत 292 किमी स्वीकृत नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. प्रदेश के नगर निगमों में सभी कार्यों को ऑनलाईन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

133. नगर निगम, भरतपुर में सफाई कर्मियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. नगर निगम, भरतपुर के द्वारा कच्चे परकोटे पर रहने वाले निवासियों को पट्टा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)

135. नगरीय विकास व कस्बों में विकास हेतु टाउन प्लानिंग में सैकड़ों वर्ष पुराने गावों के, मौहल्लों, चौक, ग्वाड़ की योजना को नजर अंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)

136. विधान सभा क्षेत्र बानसूर स्थित नगरपालिका, नारायणपुर में कस्बे की क्षतिग्रस्त मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. नगरपालिका, बानसूर में गन्दे पानी की निकासी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हरसोरा रोड़ व बाढ़ धुधला पर नाले का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नगरपालिका, नारायणपुर में गुजरने वाले बड़े नाले का सौंन्दर्यीकरण हेतु रिवर फ्रंट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की नगरपालिका, बानसूर में युवाओं के लिए खेल मैदान हेतु जमीन चिन्हित करने एवं नगरपालिका वासियों के लिए भ्रमण हेतु पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की नगरपालिका, बानसूर में अलवर रोड़ स्वास्थया मंदिर से वाया टोडिया का बास रोड़ कालका माता जी मंदिर होते हुए सीसी/बीटी सड़क का मय नाले के निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

141. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका, परतापुर (गढ़ी) में नदी, नाला एवं तालाब किस्म आदि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने, सतोरी नदी पर सौन्दर्यकरण के अधूरे

कार्य को पूर्ण करने एवं पार्क का निर्माण करने तथा खरेन का पारडा में पूर्व पंचायत भवन की उपलब्ध भूमि पर नवीन नगरपालिका भवन कार्यालय निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)</u>

142. बाड़मेर शहर में नवीन तकनीकी आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. बाड़मेर शहर में गंदे एवं बरसाती पानी की निकासी के लिए नालों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. बाड़मेर शहर में सीवरेज से वंचित रहे वार्डों को सीवरेज से जोड़ने के लिए 70 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. बाड़मेर शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात हेतु विशेष योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नगरपालिकाओं के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

147. नगरपालिका, अटरू तथा नगर परिषद, बारां में नई बसी कॉलोनियों में सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. नगर परिषद, बारां में सड़कों की चौडाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. नगरपालिका, अटरू को मूलभूत सुविधाओं हेतु बजट उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)</u>

150. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की पंचायत समिति, करौली की ग्राम पंचायत, कैलादेवी को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

151. प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत संविदा एवं ठेकाकर्मियों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र शिव की ग्राम पंचायत, शिव एवं गडरा रोड़ को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

153. बाड़मेर शहर की टूटी सड़कों के जीर्णोद्धार एवं सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. बाड़मेर शहर के प्रत्येक घर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. बाड़मेर शहर के कुड़ला में सीवरेज के दूषित पानी का नियमानुसार निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

156. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में छोटी पुलिया भीलवाड़ा से पालड़ी की ओर जाने वाली कोठारी नदी पर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

157. नगरपालिका, नसीराबाद के सीमा क्षेत्र में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. नगरपालिका, नसीरावाद में नसीराबाद शहरी क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. नगरपालिका, नसीराबाद में सीवरेज व ड्रेनेज कार्य हेतु राशि आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. ग्राम पंचायत, पीसांगन को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

161. नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन में फायर ब्रिगेड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन में सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

163. नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. नवगठित नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन को अतिरिक्त बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

166. नगर परिषद, बहरोड़ एवं नगरपालिका, बर्डौद, मांढ़ण व नीमराना के क्षेत्र में कृषि भूमि पर आवासीय पट्टे देने का अधिकार स्वायत्त शासन विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. नगर परिषद, बहरोड़ में सफाई कर्मचारी लगाये जाने व कचरा परिवहन की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. नगर परिषद, बहरोड़ में कचरा निस्तारण के लिए सुदृढ़ योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. नगर परिषद, बहरोड़ व नगरपालिका, बर्डौद, मांढ़ण व नीमराणा में वर्षा जल की निकासी हेतु सुदृढ़ कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की उप तहसील गण्डाला को नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)</u>

171. नगर परिषद, सुजानगढ़ क्षेत्र में सीवरेज प्रथम फेज के अन्तर्गत सीवरेज कनेक्शनों से वंचित लोगों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. नगर परिषद, सुजानगढ़ क्षेत्र में बन रहे अवैध व्यावसायिक काम्पलेक्सों के कारण शहर के मुख्य बाजारों में आम नागरिकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

173. नगर परिषद, सुजानगढ़ में गारन्टी पीरियड़ में सड़कों के टूटने पर भी आयुक्त, नगर परिषद द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. नगर परिषद, सुजानगढ़ द्वारा सील भवनों को सशर्त खोलने के बाद शर्तों के उल्लंघन पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. नगरपालिका, बीदासर में अधिशाषी अधिकारी का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

176. नव सृजित नगरपालिका, सिणधरी क्षेत्र के निर्धारण में पूर्व ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा, सिणधरी चारणान के राजस्व गांवों को आंशिक रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

177. नगरपालिका, सिवाना परिक्षेत्र में होने जा रहे/किये जा रहे सिविल कार्य के, आमजन के निजी कार्य के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये बिना ही किये जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

178. सरकार द्वारा की गई घोषणा के तहत सिवाना एवं सिणधरी नगरपालिका को अग्नि शमन वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. नगरपालिका, सिवाना एवं सिणधरी के मुख्य चौराहा सिणधरी सांचौर हाईवे, बस स्टैण्ड चौराहा तथा रावकल्ला चौराहा, सिवाना देवन्दी रोड चौराहा, पादरडी रोड चौराहा, हाईवे एन.एच.325 मोकलसर रोड़, चौराहा एनएच-325 बालोतरा रोड़ उष्ट्र देवी, मेली रोड़ सर्कल, एन.एच.-325 एवं देवन्दी रोड़ एन.एच.-325 सर्कलों के विकास एवं महापुरूषों की मूर्ति स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. नगरपालिका, सिवाना एवं सिणधरी क्षेत्र में आबादी विस्तार को देखते हुए, राजकीय भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन एवं अलाटमेंट किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रमेश खींची (वि.सं.125)</u>

181. नगरपालिका, खेरली एवं कठूमर में सीवरेज, ड्रेनेज (पानी निकास), सडकें (नाली व नाला) निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

182. नगरपालिका, चौहटन क्षेत्र में गंदे पानी तथा बरसाती पानी के निकासी की सुदृढ़ कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. नगरपालिका, चौहटन में पार्क, खेल मैदान एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के नगरपालिका क्षेत्र चौहटन में जंगली सूअरों (भण्डूरों) तथा आवारा पशुओं को पकड़ने एवं उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. नगरपालिका, चौहटन में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल व सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

186. जैसलमेर शहर के सिटी पार्क का पुनर्विकास करते हुए इसे आकर्षक एवं बहुउपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. जैसलमेर शहर में यातायात की सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर चौराहे से विजय स्तम्भ तक ऑवर ब्रिज का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)

188. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स की लगभग 40 हजार आबादी से जुड़ी राणा बस्ती, धानका बस्ती, बलाई बस्ती, वाल्मीकि बस्ती में दमकल/एंबुलेंस और बड़े वाहनों के आवागमन के लिए नया मार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)

189. भारत सरकार के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, मनुष्यों को मैला ढोने से मुक्ति दिलाने और पूर्णतः मशीन आधारित सीवरेज सफाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतिगत चर्चा के लिए।

190. जन सुविधाओं और समस्याओं की ऑन लाइन मॉनिटरिंग के लिए जयपुर हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र के ड्रोन सर्वे और डिजिटल-3डी मैपिंग का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स में सीवर लाईन/पेयजल पाईप लाईन के कार्यों में संवेदक फर्मों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर क्षतिग्रस्त लाइनों को शीघ्र दुरूस्त करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. निर्माण नगर, रेल नगर, मोदी नगर, निर्मोही नगर, पंचशील कॉलोनी आदि इलाकों की बड़ी आबादी को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए टी.एन. मिश्रा मार्ग को अजमेर रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

193. प्रदेश में नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं.29)

194. प्रदेश में छोटे शहरों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

195. प्रदेश की नगरपालिकाओं और नगर निगमों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं नगरपालिका, टोडाभीम में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. नगरपालिका, टोडाभीम में खेल मैदान का निर्माण करवाने की आवश्यकता तथा पार्क स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर मेहन्दीपुर बालाजी में नगरपालिका खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नगरपालिका को विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने व नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

199. सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर के वार्ड संख्या-20 में पानी की पाईप लाईन डालने से तोड़ी गयी सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

200. नगर निगम हैरिटेज में प्रवर्तन निरोधक दस्ते के द्वारा लगातार परेशान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के हैरिटेज धरोहरों के संरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।

202. जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में लगातार अवैध व्यवसायिक भवनों का निर्माण विशेषकर विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

203. जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी द्वारा किये गये फायर हाइड्रेन्ट्स के बन्द पड़े होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

204. जयपुर नगर निगम हैरिटेज में लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमणों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

205. नगर परिषद, डीडवाना में बस स्टेण्ड को निरस्त कर जांच कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

206. नगर परिषद, डीडवाना में निर्मित सब्जी मण्डी की दुकाने आवंटन करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

207. नगर परिषद, डीडवाना में टाउन हॉल निर्माण कार्य पूर्ण करवाने एवं समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जांच कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

208. नगर परिषद, डीडवाना की भूमि व भवन निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

209. नगर परिषद, डीडवाना में क्षतिग्रस्त सड़क, नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं साफ-सफाई की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (वि.सं.60)

210. नगरपालिका, बाड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)

211. नगरपालिका, राजगढ (अलवर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

212. नगरपालिका, रैणी (अलवर) को विकास कार्यों के लिए 30 करोड रूपये का अतिरिक्त बजट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. नगरपालिका, लक्ष्मणगढ (अलवर) को विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. नगरपालिका, राजगढ (अलवर) को विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की पूर्व निर्धारित सीमा को यथावत रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (वि.सं.52)

216. प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

217. प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (वि.सं.73)

218. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में सीवरेज ड्रेनेज व वर्षा के पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (17)

219. नगर निगम, भीलवाड़ा से किये गये अनुबंध अनुसार फर्म द्वारा रामधाम आरओबी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

220. नगर निगम, सीमा भीलवाड़ा में स्थित कच्ची बस्तियों एवं डिनोटिफाइड बस्तियों में निवासरत व्यक्तियों को पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु कीर खेड़ा स्थित एमएसडब्ल्यू पावर प्लान्ट की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिए।

222. नगर निगम, भीलवाड़ा में अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

223. नगर निगम, भीलवाड़ा द्वारा निर्मित एसटीपी प्लान्ट से शोधित पानी को उद्योगों के उपयोग हेतु देने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)</u>

224. नगर निगम, जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण में फर्जी पट्टा जारी होने के समस्त प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने, संलिप्त कार्मिकों और अधिकारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. नगर निगम, जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण अन्तर्गत कॉक्स कुटीर प्रकरण में अवैध अतिक्रमणों को हटाने, फर्जी पट्टों को निरस्त करने एवं संलिप्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों पर कठोरतम कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन का अभाव, वित्तीय अनियमितता एवं न्यून गुणवत्ताजन्य भ्रष्टाचार की स्थिति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. नगर निगम, जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण में भवन निर्माण अनुमतियों के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच, बिना अनुमति निर्माण की जांच आदि प्रक्रिया में नोटिस जारी करने के बाद भ्रष्टाचार कारित कर कोई कार्यवाही किए बिना ही भवन निर्माण में पर्यवेक्षण कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

228. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नवसृजित नगरपालिका, गोलूवाला तथा नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर में पट्टों की अनियमिताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्रपाल मीना (वि.सं.115)</u>

229. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ हेतु अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्रपाल मीना (वि.सं.115)</u>

231. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सीवरेज कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में इन्दिरा गांधी रसोई योजना के तहत भोजन शाला बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

234. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी में सिनेमा घर से लेकर कोलिहान नगर तक नाला निर्माण, सौन्दर्यकरण एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी स्थित नगरपालिका खेतड़ी को 'सी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

236. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नगरपालिका क्षेत्र खेतड़ी में पन्नासागर तालाब से भोपालगढ़ तक रोप-वे की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नगरपालिका क्षेत्र खेतड़ी में स्थित चांदमारी पार्क की चारदीवारी व सौन्दर्यकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की उप तहसील बबाई को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

239. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित विभाग के समस्त कार्यालयों में विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों में जिम्मेदारों पर कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भीमराज भाटी (वि.सं.107)</u>

240. नगर परिषद पाली में तालाब के ओवरफ्लो क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिए।

241. स्वायत्त शासन विभाग के अधीन फायरमैन भर्ती, 2021 के शेष पदों का परिणाम जारी कर योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करवाने तथा शेष 120 पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)</u>

242. नगरपालिका क्षेत्र खाजूवाला में सीवरेज प्लान स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

243. नगरपालिका आहोर में रहवासी घुमन्तु जाति के लोगों को पट्टा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

244. नगरपालिका आहोर में शहरी अटल प्रगति पथ एवं विभिन्न सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. नगरपालिका आहोर में सीवरेज की आवश्यकता एवं ड्रैनेज सिस्टम को दुरूस्त किये जाने की संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

246. नगरपालिका आहोर के तालाब के सौन्दर्यकरण के लिए राशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र आहोर में आए दिन होने वाली आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिग्रेड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)

248. विधान सभा क्षेत्र वैर की नगरपालिका, भुसावर हेतु नवीन भवन निर्माण कराने की आवश्कयता पर चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र वैर के भुसावर कस्बे में खालसा रोड स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र वैर के भुसावर कस्बे में गन्दे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र वैर के नगरपालिका, वैर के भवन हेतु बजट आवंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर कस्बे में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाईन डाले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

253. नगरपालिका, सादुलशहर में कचरा संग्रहण हेतु 5 टिपर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

254. नगर परिषद्, बारां में अमृत योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

255. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की नगरपालिका, सादुलशहर में राष्ट्रीय ध्वज हेतु 100 फीट ऊंचाई का ध्वज स्तम्भ स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. नगरपालिका, लालगढ़ में कचरा संग्रहण हेतु 2 टिपर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257. नगरपालिका, सादुलशहर में भगत सिंह और अम्बेडकर चौक के पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

258. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ की नगरपालिका, माण्डलगढ व बिजौलियां के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

259. नगरपालिका, रींगस की अम्बेडकर कॉलोनी में स्थित श्मशान को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

260. नगरपालिका, रींगस में भैरूजी मोड से नगरपालिका कार्यालय के बीच में नवीन सड़क बनवाने व सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. नगरपालिका, खण्डेला में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्तम्भ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. नगरपालिका, खण्डेला में कचरे का निस्तारण करने एवं आवंटित हो चुकी जमीन पर कचरा निस्तारण प्लांट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं. 175)</u>

263. पिण्डवाड़ा में फायर ब्रिगेड वाहन और भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. नगरपालिका, पिण्डवाड़ा में सीवरेज का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)</u>

265. नगर परिषद्, डूंगरपुर द्वारा गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने व नोटिस देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

266. नगर परिषद्, डूंगरपुर द्वारा ठेला फुटकर व्यापारियों को जबरन हटाने व परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

267. डूंगरपुर की गेप सागर झील पर भू-माफियायों द्वारा जमीन पर कब्जा कर पानी की आवक में रूकावट डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

268. जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में नागदी नदी, जहाजपुर किले का सौन्दर्यकरण करने व ग्राम पंचायत, कोटड़ी को नगरपालिका बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)</u>

269. नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के वार्ड संख्या 104 से 124 में सीवरेज निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

270. नगर परिषद् क्षेत्र सीकर में वन विभाग की बंजर जमीन को स्मृति वन की तर्ज पर विकसित करके बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

271. नगरपालिका, निम्बाहेड़ा को आरयूआईडीपी की आगामी कार्य योजना में जोड़ने के संबंध में।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)</u>

272. विधान सभा क्षेत्र कामां के धार्मिक स्थलों पर आने वाले दर्शनार्थियों हेतु सुलभ शौचालय तथा विश्राम गृह बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र कामां के नगरपालिका क्षेत्रों में पट्टों से वंचित स्थानीय निवासियों को पट्टे जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)

274. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां, जुरहरा तथा पहाड़ी में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां, जुरहरा तथा पहाड़ी के नगरपालिका क्षेत्रों में गंदे पानी की समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां, जुरहरा तथा पहाड़ी कस्बे में आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

277. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका, परतापुर गढ़ी में मुख्य सड़क के दोनों तरफ इन्टर लॉकिंग ब्लॉक एवं फुटपाथ निर्माण, लाईटिंग, वृक्षारोपण, सौन्दर्यकरण, भण्डार तालाब के सौन्दर्यकरण तथा बोटिंग घाट निर्माण आदि कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

278. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में वर्षों से नगर निगम के क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे लोगों को राजकीय/चारागाह भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के गांवों का नगर निगम में विलय होने के पश्चात् स्थायी जनप्रतिनिधि की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में ग्राम पंचायत पालड़ी-आरजिया, मालोला, पांसल, आटून, गठीला खेड़ा, हलेड़ सुवाणा, आकोला (सिदडियास) का नगर निगम, भीलवाड़ा में विलयन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं.33)

281. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका, पावटा-प्रागपुरा को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

282. नगरपालिका, नसीराबाद में जेईएन सहित सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

283. नगरपालिका, टोडाभीम में सड़क, रोड लाईटों एवं सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं गारंटी पीरीयड की सड़कों की मरम्मत ठेकेदारों द्वारा करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

284. जयपुर स्थित जवाहर नगर कच्ची बस्ती को रेगुलराईज कर वहीं पर पट्टे देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)

285. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की नगरपालिका उदयपुरवाटी, गुढागोडजी एवं पौंख में रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

श्रीमती अनीता जाटव (वि.सं.06)

286. नगर परिषद, हिण्डौन सिटी में अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने तथा कचरा निस्तारण के लिये डिपो बनवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

287. सरदारशहर कस्बे में सफाई के नाम पर करोड़ो रूपये खर्च करने के बावजूद सफाई व्यवस्था की दयनीय हालत एवं इसमें हो रहे भ्रष्टाचार व अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

288. नगर परिषद, सरदारशहर में ले-आऊट प्लान के नाम पर कृषि भूमि पट्टा वितरण में हो रही भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

289. नगर परिषद, सरदारशहर में पट्टों के पैसे जमा करवाने के बावजूद पट्टा वितरण में की जा रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

290. प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मिकी समाज को प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को आरजीएचएस में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

292. नगरपालिका, राजगढ में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिए।

293. नगरपालिका, राजगढ में बस स्टेण्ड के लिए स्वीकृत राशि, ठेकेदार को किये गये भुगतान तथा ऑडिट रिपोर्ट में लगे आक्षेप के संबंध में चर्चा के लिए।

294. नगरपालिका, राजगढ़ में प्रशासक लगाने, प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी के कार्य विभाजन करने तथा फायर ब्रिगेड स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

295. नगरपालिका, अकलेरा में अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

296. नगरपालिका, अकलेरा में बड़े फायर ब्रिगेड स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नवीन नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

298. प्रदेश में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभान्वितों एवं हनुमानगढ़ जिले में संचालित अन्नपूर्णा रसोईयों व बंद पड़ी अन्नपूर्णा रसोई के पुनः संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

299. प्रदेश में माह जनवरी, 2024 से वर्तमान अवधि तक नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम व अन्य स्थानीय निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के निलम्बन के आधार, उनके राजनैतिक दल व उन पर लगाये गए आरोपों के दोष सिद्धि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

300. नगरपालिका, नोहर में दिनांक 15 अगस्त, 2024 से वर्तमान अवधि तक विभिन्न निर्माण कार्यों व विकास कार्यों के लिए अल्प निविदायें व कोटेशन के आधार पर भुगतान और कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

301. नगर निगम, जयपुर हेरिटेज द्वारा स्वामियों की कच्ची बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर के दुकान भूखण्ड संख्या 15,16 व 17 की सार्वजनिक नीलामी के 32 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उच्चतम बोलीदाता व्यक्तियों/संस्थाओं को संबंधित भूखण्डों का कब्जा/पट्टा निष्पादन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

302. नगरपालिका, नोहर में दिनांक 15 अगस्त, 2024 से वर्तमान अवधि तक विभिन्न निर्माण कार्यों व विकास कार्यों के लिए जारी किये गए जी-सिड्यूल व एस्टीमेट के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

303. बयाना व रूपवास के लिए ऑटो टिपर, कचरा पात्र और स्ट्रीट लाईट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

304. नगरपालिकाओं में एसएफसी और केन्द्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय अनुदानों में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

305. नगरपालिका, बयाना व ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर नगर परिषद घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

306. भरतपुर के रूदावल को नगरपालिका घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

307. नगरपालिका, रूपवास में स्थाई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, क्लर्क, अभियन्ताओं और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं. 88)

308. विद्या बिहार, पिलानी में अधिशाषी अधिकारी को कार्यभार नहीं देने तथा पट्टे समय पर जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द जैन (वि.सं.74)

309. उदयपुर शहर के आस-पास स्थित 43 पहाड़ियों को खुर्दबुर्द करने से उत्पन्न स्थिति व खुर्दबुर्द करने वालों पर ठोस कार्यवाही करने, जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ ही कड़े कानून बनाकर लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

310. उदयपुर में विगत सरकार में हुए 272 भूखण्ड घोटालों से उत्पन्न स्थिति व इसमें सम्मिलित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर अविलम्ब कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

311. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में अनुज्ञाधारी नॉनवेज की दुकानों की जांच करने तथा शहर में अवैध नॉनवेज की दुकानों की रोकथाम हेतु कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर कठोर प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

312. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका, रतनगढ़, राजलदेसर एवं छापर में स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, नगरपालिका क्षेत्र राजलदेसर में ड्रेनेज स्वीकृत करने, नगरपालिका रतनगढ़, राजलदेसर एवं छापर में शिविर लगाकर नि:शुल्क पटटे जारी किए जाने तथा अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइनें डालने तथा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)

313. हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में नवीन बस स्टेण्ड विकसित किए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

314. मकराना के सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के रख-रखाव में भारी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

315. नगर परिषद मकराना के सीवरेज प्रोजेक्ट के द्वितीय फेज का कार्य पूर्ण होने के बावजूद एसटीपी व एसपीएस पर विधुत कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

316. नगर परिषद मकराना एवं नगरपालिका बोरावड की सीमा वृद्धि कर (परसीमन) वार्ड गठन प्रक्रिया में अनियमितताओं के साथ जनसंख्या ब्लॉक को तीन-तीन वार्डों में जोड़कर एवं दिखाकर समान अनुपात में नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

317. प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती तत्काल किये जाने एवं भर्ती में केवल वाल्मिकी समाज के अभ्यर्थी ही लिए जाने तथा सफाई व्यवस्थाओं की ठेका पद्धति में हो रही भारी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

318. नगर परिषद मकराना एवं नगरपालिका बोरावड़ के मुख्य सड़कों के निर्माण एवं वार्डों की सड़कों की मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण के लिए बजट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

319. विधान सभा क्षेत्र निवाई के नगरीय निकाय क्षेत्र में सीवरेज, सड़क, रोड लाईट, नाली आदि मूलभूत सुविधाऐ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

320. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की नगरपालिकाओं में सी.सी. रोड़ हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

321. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की नगरपालिकाओं में सीवरेज लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

322. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में कैमरों व लाईटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

323. बीकानेर सौन्दर्यकरण हेतु मुरलीधर दयाल नगर का द्वार, ज्योतिबा फुलेद्वार, नवलेश्वर द्वार, महाराणा प्रताप द्वार, लक्ष्मीनाथजी द्वार का निर्माण तथा बृजुभा द्वार व विश्वकर्मा गेट का जीर्णोद्वार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

324. बीकानेर शहर के वंचित क्षेत्र में सीवरेज लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

325. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर में नगर निगम का उप कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

326. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में भारत माता पार्क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

327. विधान सभा क्षेत्र आमेर के नगर निगम हैरिटेज के वार्ड नं. 1, 2, 3 एवं 4 में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

328. विधान सभा क्षेत्र आमेर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में नवीन सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों के पुनरूद्धार एवं नालियों व सीवर लाइन के कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

329. विधान सभा क्षेत्र आमेर में नगर निगम हैरिटेज में आने वाले क्षेत्रों में श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन एवं उनके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

330. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की नगरपालिका, मनोहरपुर में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

331. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के नगर निकायों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

332. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की ग्राम पंचायत खेजरोली को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने के संबध में चर्चा के लिए।

333. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के नगर परिषद, शाहपुरा व नगरपालिका, मनोहरपुर में सीवरेज लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

334. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के नगर निकाय शाहपुरा व मनोहरपुर में बंदरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दीन दयाल (वि.सं.119)

335. नगरपालिका, लवाण में अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

336. विधान सभा क्षेत्र दौसा में आबादी अनुसार बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

337. प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर आमजन को न्यूनतम राशि में पट्टा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

338. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के नगरपालिका बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में चरमरा गई साफ सफाई, आवागमन एवं बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से नियमित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

339. प्रदेश में नगरपालिकाओं, नगर परिषदों/निगमों से सटे ग्रामों/ग्राम पंचायतों को, जो पैराफेरी क्षेत्र में आये हुए हैं, उनको सम्मिलित कर विस्तारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

340. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नगरपालिका, बिलाड़ा के नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

341. प्रदेश में नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगमों में चुनिन्दा जनप्रतिनिधि यथा वार्ड पार्षद, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महापौर/उप महापौर इत्यादि की मानदेय राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. प्रदेश की नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा करने एवं नगरपालिका चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तथा दो संतान की बाध्यता के स्थान पर तीन संतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं.154)

343. नगरपालिका, मसूदा के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

344. नगरपालिका, मसूदा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

345. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका, परतापुर गढ़ी में सफाईकर्मी एवं अन्य स्टाफ के स्थायी पद स्वीकृत कर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

346. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका, परतापुर गढ़ी में सफाईकर्मी एवं स्वच्छता के लिए भुगतान करने हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

347. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका, परतापुर गढ़ी में रोड़ लाइटें, साइड ब्लॉक लगाने एवं सौन्दर्यकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

348. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत, कोटडी को नवीन नगरपालिका बनवाने तथा कोटड़ी की ग्राम पंचायत, ऊंचा, कुचलवाड़ा, केसरपुरा, हनुमान नगर, कुचलवाड़ा खुर्द गांवों को मिलाकर नवीन नगरपालिका ऊंचा बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)

349. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की नगरपालिका, बांदीकुई में भवन निर्माण बजट आवंटन एवं नवगठित नगरपालिका, बसवा के ग्राम पंचायत भवन में संचालित कार्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

350. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की नगरपालिका, बांदीकुई एवं बसवा के शहरी क्षेत्रों में नालों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

351. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की नवगठित नगरपालिका, बसवा में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

352. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की ग्राम पंचायत, मंडार को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

353. भीलवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय शाहपुरा में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय की मुख्य पीठ के पांच दिवसीय फूलडोल महोत्सव में राज्य सरकार की ओर से गाईड लाईन व बजट का प्रावधान करने, सरकार के वार्षिक कलैंडर में पुष्कर महोत्सव की तरह विभागीय बजट व अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

354. प्रदेश के नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

355. प्रदेश के नगर निकायों में वार्ड पार्षदों को भी पांच वर्ष के लिए अपने वार्ड विकास हेतु बजट आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

356. प्रत्येक जिले में नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

357. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)

358. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की नवसृजित नगरपालिका, मेड़ता रोड़ में पांच करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

359. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय रियाबडी में ग्राम पंचायत रियाबडी को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

360. नगरपालिका, मेड़ता सिटी को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

361. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की नगरपालिका, रींगस में सीवरेज लाईन को सुव्यवस्थित तरीके से डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)</u>

362. नगरपालिका, भोपालगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में लिए जाने वाले क्षेत्र के सीमांकन, प्रदेश में सभी रोजगार गारंटी योजना में नियोजित मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करने, नगरपालिका भोपालगढ़ में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने, प्रदेश के शहरों में निर्वासित लोगों को समय पर पत्र देने, मकान के लिए समय पर निर्माण की अनुमति देने तथा मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने तथा भोपालगढ़ नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

363. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के नगरपालिका में कन्वर्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

364. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ईटावा नगरपालिका में पीपल्दा रोड, ईटावा पर खोडावदा गांव के समीप मुख्य सड़क की 250 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

365. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नगरपालिका, सुल्तानपुर की खाडी पर छोटी पुलिया/वेन्टेड कॉज-वे का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

366. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नगरपालिका, सुल्तानपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन/पीएफ एरियर का भुगतान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

367. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नगरपालिका, ईटावा में बैरवा व जांगिड समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन आवंटित करने एवं किन्नर समाज के लिए भी श्मशान घाट (समाधि स्थल) हेतु भूमि आवंटित करने तथा नगरपालिका, सुल्तानपुर में ऐरवाल व सेन समाज के सामुदायिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

368. नवीन नगरपालिका चौमहलां व डग में बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

369. नगरपालिका, भवानी मण्डी में लंबे समय से आर.आई., ई.आर.आई.एस.आई. व अकाउन्टेंट के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

370. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की नगरपालिका, पौंख में अब तक हुए टेण्डरों की राज्य स्तरीय अधिकारियों से जांच करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

371. नगरपालिका, गुढागौड़जी व पौंख में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता जाटव (वि.सं.06)

372. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी की नगर परिषद में ड्रेनेज सिस्टम व खारी नाले को पुन: बनाने व कस्बा सुरौड को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

373. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी में स्थित श्री महावीर जी जैन मंदिर स्थल को नगरपालिका का दर्जा दिये जाने एवं हिण्डौनसिटी की नगर परिषद में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)

374. जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से प्रवाहित होने वाली घग्घर नदी पर नदी तटीय क्षेत्र विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दीन दयाल (वि.सं.119)

375. नगर परिषद, दौसा एवं नगरपालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट्स के अभाव के संबंध में चर्चा के लिए।

376. दौसा शहर में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

377. नगरपालिका, जहाजपुर में सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य करवाने, किले के रास्ते का निर्माण करने तथा नागदी नदी का सौन्दर्यकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

378. डूंगरपुर जिले के नगर परिषद् में आने वाले आदिवासी क्षेत्र में कब्जाधारियों को पट्टे व खातेदारी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

379. डूंगरपुर जिले में नगर परिषद् द्वारा छोटे-छोटे व्यापारियों, ठेला व लारी वालों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

380. डूंगरपुर जिले में पेरा-फेरी में आने वाले गांवों के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

381. जयपुर के चौमूं स्थित शहरी पार्कों का सौन्दर्यकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

382. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीवरेज लाईन का कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

383. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वीर हनुमानजी सामोद मंदिर परिसर में विकास कार्य व सौन्दर्यकरण कार्य तथा मूलभूत सुविधाएं, धर्मशाला में आगंतुकों के लिए विश्राम गृह बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं.143)

384. नगरपालिका, नीमराना में नाघोड़ी, सलारपुर गांवों को जोड़ने एवं अधिकारियों के अभाव में विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

385. नगरपालिका, मुण्डावर में नये गांव बनेठी, ऊलाहेडी, बल्लुवास, नागल, रानिया को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

386. नगरपालिका, मुण्डावर के सभी वार्डों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

387. किशनगढ़ की अराई तहसील में अग्निशमन उप केन्द्र की स्थापना कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

388. विधान सभा क्षेत्र डग के माडवी में खेल मैदान बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।